खण्ड ४ — अंक ६०
मई, १९५६ (मंगलवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खण्ड ३, १९५६

(१७ अप्रैल से १४ मई, १९५६)

सत्यमेव जयते

बारहवां सत्र, १९५६

(खण्ड ३ में अंक ४१ से अंक ६० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

[खण्ड ३, अंक ४१ से अंक ६०—१७ अप्रैल से १४ मई, १९५६]

अंक ४१—मंगलवार, १७ अप्रैल, १९५६

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५०४, १५०५, १५०७ से १५१५, १५१८, १५१९, १५२१, १५२३, १५२४, १५२८, १५३० और १५३२ से १५३८ ... १५०८–३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५०६, १५१६, १५१७, १५२०, १५२२, १५२५ से १५२७, १५२९ और १५३९ से १५४३ ... १५३०–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या १०७० से ११२६ ... १५३४–५३

दैनिक संक्षेपिका ... १५५४–५६

अंक ४२—बुधवार, १८ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५४४ से १५४६, १५४८ से १५५१, १५५३, १५५६, १५५७, १५५९ से १५६३, १५६५, १५६६, १५६९, १५७१ से १५७४ और १५७७ ... ... १५५७–७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५४७, १५५२, १५५४, १५५५, १५५८, १५६४, १५६७, १५६८, १५७०, १५७५, १५७६ और १५७८ से १५८१ ... १५७६–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ११२७ से ११६८ और ११७० से ११९८ १५८०–१६०५

दनिक संक्षेपिका ... १६०६–०९

अंक ४३—शुक्रवार, २० अप्रेल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५८२ से १५८४, १५८६, १५८९, १५९३, १५९५ से १५९७, १६००, १६०१, १६०३ से १६०७, १६०९, १६१०, और १६१२ से १६१५ ... १६१०–३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५८५, १५८७, १५८८, १५९१, १५९२, १५९४, १५९८, १५९९, १६०२, १६०८ और १६१६ ... ... १६३२–३५

अतारांकित प्रश्न संख्या ११९९ से १२५० और १२५२ से १२६४ ... १६३५–५९

दैनिक संक्षेपिका ... १६६०–६२

अंक ४४—शनिवार, २१ अप्रैल, १९५६

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६१७ से १६१९, १६२१, १६२३, १६२४, १६२७ से १६३०, १६३२ से १६३९, १६४१, १६४२, १६४४, १६४५, १६२६ और १६३१ ... ... १६६३–८४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३९५, १४१५, १६२०, १६२२, १६२५ और १६४० १६८४–८६

अतारांकित प्रश्न संख्या १२६५ से १२९७ और १२९९ से १३०८ १६८६–१७००

दैनिक संक्षेपिका ... १७०१–०३

अंक ४५—सोमवार, २३ अप्रैल, १९५६

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण १७०४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६४६ से १६४९, १६५२, १६५४ से १६५९, १६६२, १६६३, १६७२, १६६५ से १६६८, १६७०, १६७३, १६७५, १६७८, १६७९, १६६०, १६६४ और १६५१... ... १७०४–२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६५०, १६५३, १६६१, १६६९, १६७१, १६७४, १६७६, १६७७ और १६८० ... १७२६–२८

अतारांकित प्रश्न संख्या १३०९ १३५२ और १३५४ से १३६९ ... १७२९–५१

दैनिक संक्षेपिका ... १७५२–५४

अंक ४६—मंगलवार, २४ अप्रैल, १९५६

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण १७५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६८१ से १६८३, १६८९, १६९०, १६९५, १६९७, १७०१, १७०२, १७०४, १७०६, १७०८, १७०९, १७११, १७१३ से १७१५, १७१७, १६८७ और १६९१ ... १७५५–७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६८४ से १६८६, १६८८, १६९२ से १६९४, १६९६, १६९८ से १७००, १७०३, १७०५, १७०७, १७१०, १७१२ और १७१६ १७७४–७९

अतारांकित प्रश्न संख्या १३७० से १४१०, १४१२ से १४१८, १४२० से १४२३ और १४२५ से १४३५ ... ... १७७९–१८०१

दैनिक संक्षेपिका ... १८०२–०४

अंक ४७—बुधवार, २५ अप्रैल, १९५६

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७१८ से १७२२, १७२४, १७२७, १७३० से १७३२, १७३४, १७३६ से १७३९, १७४१, १७४३, १७२३, १७२५ और १७२६ — १८०५–२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७२८, १७२९, १७३३, १७३५, १७४० और १७४२ — १८२६–२७

अतारांकित प्रश्न संख्या १४३६ से १४६२ और १४६४ से १४९३ — १८२७–४६

दैनिक संक्षेपिका — १८४७–४९

अंक ४८—गुरुवार, २६ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७४५ से १७४८, १७५२ से १७६०, १७६३, १७६५, १७६७ से १७७०, १७७२, १७४४ और १७६६ ... १८५०–७०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ ... १८७०–७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७४९ से १७५१, १७६१, १७६२, १७६४ और १७७१ — १८७२–७४

अतारांकित प्रश्न संख्या १४९४ से १४९७ और १४९९ से १५२१ ... १८७४–८३

दैनिक संक्षेपिका ... १८८४–८५

अंक ४९—शुक्रवार, २७ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७७३, १७७४, १७७६, १७७९, १७८१ से १७७९, १७९१ से १७९३, १७९५, १७९७ से १७९९, १८०१ और १८०२ — १८८६–१९०७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७७५, १७७७, १७७८, १७८०, १७९०, १७९६, १८०३ और १८०४ ... ... १९०७–०९

अतारांकित प्रश्न संख्या १५२३ से १५३९ और १५४१ से १५६२ ... १९०९–२३

दैनिक संक्षेपिका ... १९२४–२६

अंक ५०—सोमवार, ३० अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८०६ से १८११, १८१३, से १८१६, १८२० से १८२४, १८२६ से १८३०, १८३२ और १८३३ ... ... १९२७–४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८०५, १८१२, १८१७ से १८१९, १८२५ और १८३१ — १९४७–४८

अतारांकित प्रश्न संख्या १५६३ से १५७५ और १५७७ से १६०७ ... १९४९–६२

दैनिक संक्षेपिका १९६३–६५

अंक ५१—मंगलवार, १ मई, १९५६

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८३४, १८३६, १८३९, १८४५, १८४७, १८४८, १८५२ से १८५५, १८५७, १८६१, १८३५, १८४३, १८४४ और १८६२ ... १९६६–८५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ ... १९८५–८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८३७, १८३८, १८४० से १८४२, १८४६, १८४९ से १८५१, १८५६ और १८५८ से १८६० ... ... १९८७–९०

अतारांकित प्रश्न संख्या १६०८ से १६२६ और १६२८ से १६४१ १९९०–२००१

दैनिक संक्षेपिका ... २००२–०३

अंक ५२—बुधवार, २ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८६३, १८६४, १८६६, १८७०, १८७२, १८७३, १८७६ से १८७८, १८८०, १८८२ से १८८४, १८८७, १८८९, १८९२, १८९३ और १८९५ से १८९७ ... ... २००४–२५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ और १५ ... २०२५–२९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८६५, १८६७ से १८६९, १८७१, १८७४, १८७५, १८७९, १८८१, १८८५, १८८६, १८८८, १८९० १८९१ और १८९४ २०२९–३३

अतारांकित प्रश्न संख्या १६४२ से १६५४, १६५६ से १६८६ और १६८८ से १७१० ... ... २०३४–५९

दैनिक संक्षेपिका ... २०५६–५५

अंक ५३—गुरुवार, ३ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८९९ से १९०२, १९०४ से १९०८, १९१०, १९११, १९१३ और १९१७ से १९२४ ... ... २०६०–८०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८९८, १९०३, १९०९, १९१२, १९१४ और १९१५ २०८०–८२

अतारांकित प्रश्न संख्या १७११ से १७५९ ... २०८२–९७

दैनिक संक्षेपिका २०९८–२१३०

अंक ५४—शुक्रवार, ४ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९२५, १९२७, १९३०, १९३८, १९४०, १९४२ से १९४६, १९४८, १९४९, १९५३, १९५६, १९५८, १९६०, १९६२, १९६४, १९६६, १९२६, १९६३, १९३१ और १९३७ ... ... २१०१–२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९२८, १९२९, १९३२, १९३४ से १९३६, १९३९, १९४१, १९४७, १९५० से १९५२, १९५४, १९५५, १९५७, १९५९, १९६१ और १९६५ ... ... २१२१–२७

अतारांकित प्रश्न संख्या १७९० से १७९७ ... २१२७–३९

दैनिक संक्षेपिका ... २१४०–४२

अंक ५५––सोमवार, ७ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९६७, १९६९, १९७१, १९७२, १९७५, १९७८, १९७९, १९८१, १९८२, १९८४, १९८६ से १९८८, १९९१ से १९९३, १९९५, १९९७, १९९८, २०००, १९६८, १९७०, १९९९, १९८३ और १९८९ २१४३–६५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १९ २१६६–६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९७३, १९७४, १९७६, १९७७, १९९६, १९८०, १९८५, १९९०, १९९४ और २००१ से २००३ २१६८–७१

अतारांकित प्रश्न संख्या १७९८ से १८३६ और १८३८ से १८५० २१७१–८७

दैनिक संक्षेपिका २१८८–९०

अंक ५६––मंगलवार, ८ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २००४, २००७, २००९, २०१२ से २०१६, २०१८, २०१९, २०२१, २०२२, २०२४, २०२८, २०३० से २०३२ और २०३४ २१९१–२२११

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २००५, २००६, २००८, २०१०, २०११, २०१७, २०२०, २०२३, २०२५ से २०२७ से २०२९, २०३३, २०३५ और २०३६ २२११–१५

अतारांकित प्रश्न संख्या १८५२ से १८८५ और १८८७ से १८९३ २२१५–२९

दैनिक संक्षेपिका ... २२३०–३२

अंक ५७––बुधवार, ९ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २०३९, २०४०, २०४२, २०४३, २०४५ से २०५०, २०५२ और २०५६ से २०६० २२३३–५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २०३७, २०४१, २०४४, २०५१, २०५३ से २०५५ और २०६१ से २०८३ २२५४–६४

अतारांकित प्रश्न संख्या १८९४ से १९२४ और १९२६ से १९३८ ... २२६४–८०

दैनिक संक्षेपिका २२८१–८३

अंक ५८—गुरुवार, १० मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २०८४, २०८५, २०८७, २०९० से २०९२, २०९४, २०९५, २०९८ से २१०२, २१०५ से २१०७, २१०९ और २१११ से २११६ ... २२८४–२३०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २०८६, २०८८, २०८९, २०९३, २०९७, २१०३, २१०४, २१०८, २११० और २११७ से २१२५ ... २३०४–०९

अतारांकित प्रश्न संख्या १९३९ से १९६४ ... २३०९–१८

दैनिक संक्षेपिका ... २३१९–२०

अंक ५९—शुक्रवार, ११ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २१२८, २१३१, २१३३, २१३७, २१३९, २१४२ से २१४४, २१४९ से २१५१, २१५३, २१५६, २१२६, २१२९, २१४५, २१४६, २१४८, २१५४ और २१५५ ... २३२१–४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २१२७, २१३२, २१३४ से २१३६, २१३८, २१४०, २१४१, २१४७, २१५२, २१५७ ... २३४२–४५

अनारांकित प्रश्न संख्या १९६५ से १९९२ ... २३४५–५४

दैनिक संक्षेपिका ... २३५५–५६

अंक ६०—सोमवार, १४ मई, १९५६

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ... २३५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २१५८ से २१६२, २१६४ से २१७०, २१७२, २१७३, २१७५, २१७६ और २१७८ से २१८१ ... २३५७–७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २१६३, २१७१, २१७४, २१७७ और २१८३ से २१९६ ... २३७८–८३

अतारांकित प्रश्न संख्या १९९३ से २०३१ ... २३८३–९६

दैनिक संक्षेपिका ... २३९७–९८

M60LSD—190—20-3-58—GIPF

लोक-सभा

मंगलवार, ८ मई, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

वायु शक्ति

*२००४. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री २८ नवम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायु शक्ति का विकास और उपयोग करने के बारे में जो योजना विचाराधीन थी, क्या उसके बारे में अंतिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस अनुमोदित योजना की एक प्रतिलिपि सभा के पटल पर रखी जायेगी।

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तथा (ख). आवश्यक जानकारियों से युक्त एक विवरण पत्र सभा-पटल पर प्रस्तुत किया जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या १०**]

श्री भक्त दर्शन : इस विवरण से ज्ञात होता है कि योजना आयोग से एक बड़ी रक़म मांगी गई थी और उसके बदले में उन्होंने कुल ४० लाख रुपये योजना के अन्तर्गत स्वीकार किये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कितनी रक़म पहले मांगी गई थी और यह कार्य, जैसा एक डाइरेक्टोरेट के बारे में विचार किया जा रहा था, उस के द्वारा किया जायेगा या इस के लिये कोई समिति नियुक्त की जा रही है। इस का सारे देश में किस तरह से संचालन किया जायेगा ?

श्री के० डी० मालवीय : हमारे मंत्रालय में वायु शक्ति के इस्तेमाल के लिये एक योजना कुछ समय पूर्व बनाई गई थी। हम इसको बहुत अहमियत देते हैं। इसके लिये प्लानिंग कमिशन से लगभग एक करोड़ रुपये की मांग हमारी तरफ से की गई थी, पर इतनी रक़म हम को नहीं मिली। केवल चालिस लाख रुपया पांच वर्षों के अन्दर वायु शक्ति (विंड पावर) को इस्तेमाल करने में खर्च करने के लिये रखी गई है। यह काम कौंसिल आफ साईंटिफिक ऐंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के मातहत होगा। और इस समय एक उपसमिति बना कर इस काम को तेजी से बढ़ाने का प्रस्ताव हमारे सामने है।

श्री भक्त दर्शन : क्या इस बात का भी पता लगाने का प्रयत्न किया गया है कि हमारे देश में कौन-कौन से स्थान ऐसे हैं जहां कि बहुत तेज़ी से पहले से हवा चल रही है और जिस का बड़ी सफलता के साथ उपयोग किया जा सकता है ? क्या इसके कोई आंकड़े जमा किये गये हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : जी, हां, इस सम्बन्ध में काफी काम तो हो चुका है और कुछ हो भी रहा है। देश के कई क्षेत्रों के, जहां हवा काफ़ी तेज रहती है, आंकड़े हमारे पास मौजूद हैं।

श्री बी० डी० पांडे : क्या मैं पूछ सकता हूँ कि पर्वतों में किस जगह पर यह काम होगा। नैनीताल ऐसी जगह में जहां कि हवा काफ़ी तेज़ चलती है, अगर इसका प्रयोग हो सके तो सब लोगों को इसकी बात मालूम हो सकेगी।

श्री के० डी० मालवीय : महीने-पन्द्रह दिन ही हवा की तेज़ी रहना ज़रूरी नहीं है, बल्कि हवा की तेज़ी बराबर रहना ज़रूरी है। संभव है कि नैनीताल इस सम्बन्ध में उपयुक्त साबित न हो। लेकिन फिर भी हम उत्तर प्रदेश के हिमालय के क्षेत्रों में जहां कहीं भी हवा का रुख ठीक होगा, इसका प्रयोग करेंगे।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : सामाजिक और आर्थिक सहकारिता के लिये संयुक्त राष्ट्र के अभिकरण ने एक ऐसे एकक की स्थापना की है जो सूर्य, जल और वायु से शक्ति प्राप्त करने के नये साधकों की खोज करता है। क्या हमारा मंत्रालय भी इस दिशा में काम करेगा और उक्त अभिकरण के सहयोग में काम करने के तरीक़े निकालेगा ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : मैं समझता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र प्राधिकार द्वारा अब चलाये जाने वाले कार्यक्रम से हम बहुत आगे हैं।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है, जैसा कि अभी मंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी इस बारे में सर्वेक्षण किया जायेगा, कि लैंसडौन के पास बहुत से गढ़वाली ज़िलों में साल में १२ महीने यानी ३६५ दिन कम-से-कम २० या २५ मील की रफ्तार से हवा चलती है ? क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण दल हिमालय में भेजने का प्रयत्न किया जायेगा ?

श्री के० डी० मालवीय : जरूर किया जायेगा।

वायु शोधक द्रव्य

*२००७ **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में एक ऐसे द्रव्य का विकास किया गया है जो कृत्रिम रूप से सांस लेने में बहुत सहायक होगा;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में गवेषणा कहां की गई थी; और

(ग) क्या उसे बड़े पैमाने पर तैयार किया जा सकता है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

डा० राम सुभग सिंह : इस समय इन वायुशोधक द्रव्यों की देश में कितनी खपत है और उन्हें बनाने के लिये यहां कोई सुविधा है या नहीं ?

श्री के० डी० मालवीय : माननीय सदस्य को इस सम्बन्ध में कुछ गलतफहमी है। कार्बन डाई आक्साइड से हवा को शुद्ध करने की योजना तो हमारे सामने है और हमारा फुएल रिसर्च इन्स्टिट्यूट ने

†मूल अंग्रेजी में

एक ऐसा पदार्थ बना भी लिया है जिससे कार्बन डाईआक्साइड को निकाल कर हवा को शुद्ध भी किया जाता है, लेकिन वह कृत्रिम रूप से सांस लेने के सम्बन्ध में कोई ज्यादा उपयोगी नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री अंग्रेजी में भी बतायें ।

श्री चट्टोपाध्याय : बात यह है कि इस तरफ के बहुत से लोग आप की बात से नावाकिफ हैं ।

†**श्री के० डी० मालवीय** : मेरा अनुमान है कि माननीय सदस्य उस एबजारबेंट (जज्ब करने वाला) की ओर निर्देश कर रहे हैं जो कार्बन डाईअक्साईड दूर करता है और वायु को स्वच्छ बनाता है। अभी इस बात का प्रयोग नहीं किया गया है कि कृत्रिम श्वासोश्वास में गन्दगी को किस प्रकार दूर करें। लंदन गवेषणा संस्था ने एक ऐसा एबजारबेंट मालूम किया है जो वायु में से कार्बन डाईआक्साइड को दूर करके उसे पुनः श्वासोश्वास के योग्य बनाता है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या यह सच है कि ग्रेट ब्रिटेन से आने वाली इस वायुशोधक सामग्री के आने में देर हो जाती है ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : मुझे इस सम्बन्ध में कोई भी जानकारी नहीं है । किन्तु हम बाहर से ऐसी सामग्री मंगा रहे हैं जिससे वायु में से कार्बन डाईआक्साइड दूर किया जा सके ।

श्री बी० डी० पांडे : क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह जो एअर रिफाईनिंग सबस्टैन्स है यह क्या धूप की तरह का कोई सुगन्धित पदार्थ होगा, या क्या होगा, जो वायु को सुगन्धित और शुद्ध कर देता है ?

श्री के० डी० मालवीय : यह एअर रिफाईनिंग का शब्द गलत प्रयोग किया जा रहा है । हवा से केवल कार्बन डाईआक्साइड निकालने का प्रबन्ध है जो कार्बन डाईआक्साइड को हवा से सोख लेता है ।

छपाई का प्रादेशिक स्कूल, दिल्ली

†*२००९. **श्री राम कृष्ण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में छपाई के एक प्रादेशिक स्कूल की स्थापना करने के बारे में क्या स्थिति है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास)** : योजना का ब्योरा तैयार हो रहा है । फिर भी यह विचार है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में इस स्कूल को दिल्ली पोलीटैकनिक के एक भाग के रूप बनाने का है ।

श्री राम कृष्ण : इस सकूल में सालाना कितने स्टूडेन्ट्स को ट्रेनिंग दी जाती है ?

†**डा० एम० एम० दास** : केवल प्रस्ताव ही अभी है; ब्योरा मालूम करना शेष है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : छपाई में लिथो प्रिंटिंग होती है, मोनो प्रिंटिंग होती है, लाइनों प्रिंटिंग होती है और लेटर प्रिंटिंग होती है, मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें किस किस्म की शिक्षा दी जाती है ?

†**डा० एम० एम० दास** : यह सब विस्तृत बातें अभी मालूम करना है ।

श्री भक्त दर्शन : इस तरह के जो स्कूल हैं वह दिल्ली में ही स्थापित किये जा रहे हैं, या सारे देश में और स्थानों पर भी इन को स्थापित करने की कोई योजना है, या वहां स्थापित किये जा चुके हैं ?

†**डा० एम० एम० दास** : इस स्कूल के अतिरिक्त चार अन्य प्रादेशिक स्कूलों की स्थापना की जा रही है। एक अथवा दो की स्थापना भी की जा चुकी है। उदाहरणार्थ, मद्रास के स्कूल में इस वर्ष विद्यार्थियों को भरती किया गया है । कलकत्ता का स्कूल भी शीघ्र कार्य आरम्भ करेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी

*२०१२. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी को देहरादून से खड़कवासला ले जाने में कुल कितना खर्च हुआ ?

प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : संभवत: माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि देहरादून से खडकवासला तक राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी के लोगों और सामान को ले जाने में कुल कितना खर्च हुआ । अकादमी के लोगों और सामान को देहरादून से खड़कवासला तक ले जाने के लिये छः स्पेशल रेल गाड़ियों का प्रबन्ध किया गया था । इन गाड़ियों को ले जाने में लगभग ९०,५१० रुपये व्यय हुये ।

श्री अमर सिंह डामर : क्या मैं जान सकता हूं कि अकादमी को देहरादून से खड़कवासला ले जाने का कारण क्या था ?.

श्री त्यागी : कारण यह था कि देहरादून की बनिस्बत खड़कवासला में जगह ज्यादा मिल गई थी, जहां कि तमाम बिल्डिंग्स वगैरह बन चुकी थी और अब सिर्फ यही बात रह गई थी कि इसको यहां से वहां भेज दिया जाये ।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह बताने की कृपा की जायेगी कि खड़कवासला पहुंचने के बाद इस अकादमी का खर्च पहले से कितना बढ़ गया है ?

श्री त्यागी : इसके लिये मुझे अलग से नोटिस की जरूरत होगी ।

श्री बी० डी० पांडे : क्या मैं पूछ सकता हूं कि इसकी जो दो ब्रांचेज हैं, एक देहरादून में और दूसरी खड़कवासला में, एक विभाग यहां है और दूसरा विभाग वहां है, यह कैसा भेद-भाव है ?

श्री त्यागी : भेद-भाव यह है कि तीनों सर्विसेज के आदमी, यानी आर्मी, एयर और नेवी के केडेट्स एक साथ पढ़ते हैं । और उसके बाद अपने-अपने महकमे के मुताबिक अलग ट्रेनिंग लेने के लिये चले जाते हैं । एयर फोर्स के केडेट्स अलग चले जाते हैं, आर्मी के अलग चले जाते हैं और नेवी के अलग चले जाते हैं । तो आर्मी के देहरादून आते हैं ।

यूनेस्को गोष्ठी

†*२०१३. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "समाज के विकास में परम्परागत संस्कृति का स्थान" पर यूनेस्को की एक गोष्ठी अभी हाल में दिल्ली में हुई थी;

(ख) यदि हाँ, तो उस गोष्ठी में कितने व्यक्तियों ने भाग लिया; और

(ग) क्या उस गोष्ठी का व्यय यूनेस्को ने दिया था ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास)** : (क) जी, हां ।

(ख) ६० ।

(ग) जी, हाँ ।

†**श्री शिवनंजप्पा** : इस गोष्ठी में किन-किन देशों ने भाग लिया ?

†**डा० एम० एम० दास** : इस प्रकार की गोष्ठियां दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों में हो रही हैं । जहाँ तक कि इस गोष्ठी विशेष की बात है, उसमें भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया था ।

†**श्री शिवनंजप्पा** : इस गोष्ठी की मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० एम० एम० दास** : यह गोष्ठी विश्वविद्यालय ने यूनेस्को की प्रार्थना के आधार पर बुलाई थी । गोष्ठी से सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है । माननीय सदस्य की जानकारी के लिये मैं बता देना चाहता हूँ कि इस गोष्ठी की मुख्य सिफारिश यह थी कि परम्परागत भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन एवं उनकी गवेषणा के लिये दिल्ली विश्वविद्यालय में एक संस्था स्थापित की जाय ।

†**श्री मादिया गौडा** : क्या इस गोष्ठी में सभी राज्यों ने भाग लिया था ।

†**डा० एम० एम० दास** : सभी राज्यों के प्रतिनिधित्व की आवश्यकता नहीं थी । क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय के अतिरिक्त कलकत्ता, मद्रास, राजपूताना और आंध्र विश्वविद्यालयों में भी गोष्ठियाँ हुई थीं ।

†**श्री चट्टोपाध्याय** : परम्परागत संस्कृति के ठीक अर्थ क्या हैं ? क्या इसमें भारतीय नाटयम भी आता है ? क्या आप उसे संस्कृति कहेंगे अथवा कला ?

†**डा० एम० एम० दास** : मैं पहले भी बता चुका हूं कि केन्द्रीय सरकार ने इस में कोई भाग नहीं लिया था । यूनेस्को की प्रार्थना पर विश्वविद्यालय ने इसे बुलाया था । यह प्रश्न तो यूनेस्को से पूछना चाहिये ।

†**श्री राघवैया** : इस गोष्ठी द्वारा की गई सिफारिश को देखते हुये क्या सरकार का विचार एक संस्था अथवा तंत्र स्थापित करने का है जिससे कि उस गोष्ठी की सिफारिशों को क्रियान्वित किया जा सके ?

†**डा० एम० एम० दास** : सिफारिश की कोई प्रति हमें नहीं भेजी गई थी । गोष्ठी द्वारा यह यूनेस्को को प्रस्तुत की जायगी । यूनेस्को अपनी इच्छानुसार कार्य करेगा ।

भारतीय वायु बल

†*२०१४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वायु बल को केनबेरा जेट बमवर्षकों को देने सम्बन्धी समझौते पर हस्ताक्षर करने से पूर्व एयर मार्शल मुकर्जी ने यह सूचना बता दी थी; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस पर अंग्रेजी समाचारपत्रों ने आश्चर्य प्रकट किया है ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) तथा (ख). जी, हाँ, इस प्रकार के समाचार समाचारपत्रों में छपे हैं किंतु चीफ़ आफ एयर स्टाफ़ ने अपने रेडियो भाषण में केवल यही बताया था कि सरकार ने बमवर्षक बल में नये प्रकार के वायुयानों की संख्या बढ़ाने का निश्चय किया है। उन्होंने किसी विमान विशेष का उल्लेख नहीं किया था ।

श्री रघुनाथ सिंह : इंग्लैंड के अखबारों में यह जो खबर शाया हुई है कि एग्रीमेंट हो जाने के पहले ही एयर-मार्शल ने इसकी प्राविज़ंस को लीक आउट किया, यह बात कहां तक ठीक है ?

श्री त्यागी : यह तो मैंने कह दिया है कि यह ठीक नहीं है । अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है कि कौन सा हवाई जहाज लिया ज़ायेगा । हां कैनबेरा को देखने के लिये एक टीम यहां से गई हुई है जिसमें कि हमारे एक्सपर्ट हैं और जो इस बात को देखेगी कि उसके अन्दर जो खास इक्विपमेंट हैं वह कहां तक ठीक हैं और क्या कैनबरा हिन्दुतान की जरूरतों के मुताबिक ठीक बैठता है या नहीं । इस टीम की रिपोर्ट आन के बाद ही कोई बातचीत चलेगी ।

श्री रघुनाथ सिंह : यह जो खबरें इंग्लैंड के अखबारों में तथा हिन्दुस्तान के अखबारों में छपी हैं और जिन में कि एयर-मार्शल पर आक्षेप किया गया है क्या इनको कांट्रेडिक्ट किया गया है और कहा गया है कि यह खबरें गलत हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री त्यागी : मेरे ख्याल में आक्षेप की कोई बात नहीं है । यह तो जाहिर ही है कि हम इस किस्म का एयरोप्लेन तलाश कर रहे हैं और जो भी मुनासिब समझा जायेगा उसको खरीदने के लिये बातचीत की जायेगी । यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें कोई सीक्रेट जाहिर हो गया हो और जिसमें कोई एक्शन लेने की जरूरत महसूस हुई हो ।

†**श्री जी० एस० सिंह** : माननीय मंत्री के उत्तर से क्या मैं यह समझूं कि केनबेरा बमवर्षक को क्रय करने के बारे में कोई निश्चय नहीं किया गया है ।

†**श्री त्यागी** : कैनबेरा बमवर्षक क्रय करने का निर्णय अभी तक इस शर्त पर है कि कैनबेरा में एक विशेष प्रकार का समान लगाने पर यदि वास्तविक परीक्षण में वह सन्तोषजनक पाया जायेगा और यह सिद्ध हो जाता है कि सामान विशेष के साथ केनबेरा भारतीय वायु बल की कार्य संचालन सम्बन्धी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा तो इन्हें खरीदा जायेगा ।

†**श्री जी० एस० सिंह** : इस बात को देखते हुये कि, इंग्लैंड के संभरण मंत्रालय ने ब्ल्यू स्टडी राडर बम साइट को भारत सरकार को देने के बारे में तय किया है क्या सरकार ने इस पर फिर से विचार करने का निश्चय किया है ?

†**श्री त्यागी** : इस पर दल विचार करेगा यदि ये ठीक है तो उनके खरीदने के बारे में हम विचार करेंगे ?

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या यह सच है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा फरवरी १९५५ में जारी किये गये प्रतिरक्षा सम्बन्धी व्हाइट पेपर में कैनबेरा बमवर्षकों की कार्यक्षमता के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा गया और क्या यह सच नहीं है कि उनको खरीदने के लिये राष्ट्रमंडलीय देशों को यह खुला निमंत्रण नहीं है ?

†**श्री त्यागी** : मैं प्रश्न को नहीं समझ सका ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : मैं बताऊंगा । ब्रिटिश सरकार ने गतवर्ष प्रतिरक्षा के बारे में एक व्हाइट पेपर जारी किया था । उस विवरण में कैनबेरा जैट बमवर्षकों के बारे में सभी कुछ लिखा था । क्या बम के बारे में यह घोषणा सच नहीं थी और क्या राष्ट्रमंडलीय देशों को इन्हें खरीदने के लिये यह खुला निमंत्रण नहीं है ?

†**श्री त्यागी** : निस्सन्देह, वे अपने केनबेरों को बेचना चाहते हैं, किन्तु खरीदने वालों का काम उनकी जांच तथा परीक्षण करना तथा यह निश्चय करना है कि क्या जहाज उनके लिये उपयुक्त हैं या नहीं । हमारा दल भारत के लिये इन जहाजों की उपयुक्तता की जांच करने के लिये गया है ।

†**श्री बी० के० दास** : क्या सरकार ने इस बात का निश्चय कर लिया है कि पाकिस्तान को जो जहाज दिये गये हैं, उन की तुलना में ये कैसे हैं ?

†**श्री त्यागी** : मैं अभी इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूं । यदि माननीय सदस्य को इस में दिलचस्पी है तो वह मुझे मिल सकते हैं और मैं उन्हें समस्त अपेक्षित जानकारी दे दूंगा ।

भगवान बुद्ध

†*२०१५. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मराठी ग्रन्थ "भगवान बुद्ध" का भारत की सब प्रमुख भाषाओं में अनुवाद प्रकाशित करने का निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास)** : (क) साहित्य अकादमी ने मराठी ग्रन्थ "भगवान बुद्ध" का भारत की सब प्रमुख भाषाओं में अनुवाद प्रकाशित करने का निर्णय किया है।

(ख) जब तक विभिन्न भाषाओं में प्रकाशन की अन्तिम रूप में व्यवस्था न की जाये, तब तक प्रकाशन की अनुमानित लागत का हिसाब नहीं लगाया जा सकता।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : क्या साहित्य अकादमी ने, जो ऐसे कार्य करती है, १९५६-५७ के लिये अन्तिम रूप में अपना कार्यक्रम तैयार कर लिया है अथवा यह तदर्थ-निर्णय करती जा रही है ? यदि यह अन्तिम रूप में तैयार किया जा चुका है, तो उस के क्या मद हैं ?

†**डा० एम० एम० दास** : मूल प्रश्न इस पुस्तक "भगवान बुद्ध" के अनुवाद के बारे में है। माननीय सदस्य ने जो अनुपूरक प्रश्न पूछा है वह बहुत व्यापक है। मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्रालय ने, जो बुद्ध परिनिर्वाण जयन्ती मनाने के लिये उत्तर-दायी है, बुद्ध के महापरिनिर्वाण से सम्बन्धित प्रकाशनों का कोई कार्यक्रम तैयार किया है ?

†**डा० एम० एम० दास** : जी, हां, उसने कार्यक्रम बनाया है। इस पुस्तक के अतिरिक्त हमने दूसरी छः पुस्तकों के प्रकाशन का कार्यक्रम बनाया है।

सेठ गोविन्द दास : अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस पुस्तक के अतिरिक्त ६ अन्य पुस्तकें भी बुद्ध जयन्ती पर प्रकाशित होने वाली हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि वे किन-किन भाषाओं से ली गई हैं और उनकी पृष्ठ संख्या लगभग कितनी होगी ?

†**डा० एम० एम० दास** : १. सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा बौद्ध धर्म का २५००वां वर्ष मुझे मालूम नहीं; किन्तु मैं समझता हूं कि यह अंग्रेजी में है।

२. चित्रों में बौद्ध धर्म—सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा।

३. अशोक के सिद्धान्तों पर एक लोकप्रिय ग्रन्थ—उसी मंत्रालय द्वारा। मैं समझता हूं यह भी अंग्रेजी में है।

४. अजन्ता भित्ती-चित्रों का ऐलबम (चित्र-संग्रह)।

५. संस्कृत महायान ग्रंथों के देवनागरी भाषान्तर का प्रकाशन। यह देवनागरी भाषान्तर है।

६. पाली त्रिपटिका के तीनों खंडों के देवनागरी भाषान्तरों का प्रकाशन—नालन्दा विश्वविद्यालय। यह देवनागरी भाषान्तर है।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या यह सच है कि सरकार श्री हरेन्द्र नाथ चट्टोपाध्याय द्वारा गौतम बुद्ध के बारे में लिखे गये एक अण्टांकी नाटक को प्रकाशित करने का विचार कर रही है ?

†**डा० एम० एम० दास** : इस समय मुझे कुछ पता नहीं है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : सरकार इस प्रकार का साहित्य प्रकाशित करने का पहला प्रयास कर रही है। क्या इसका यह अर्थ है कि वह बुद्ध धर्म को हिन्दुस्तान में फिर से प्रचलित करना चाहती है ?

†**डा० एम० एम० दास** : हमारा बुद्ध धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं है। सभी चीजें सांस्कृतिक आधार पर की जा रही हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या लेखक स्वयं इसमें नायक बनना चाहते हैं, श्री चट्टोपाध्याय ?

†**श्री चट्टोपाध्याय** : क्या यह अनुवाद सीधे मराठी मूल पाठ से किये जायेंगे अथवा अंग्रेजी आदि किसी अन्य माध्यम के द्वारा किये जायेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० एम० एम० दास** : हम ऐसे अनुवादकों की खोज में हैं जो सीधे मराठी से अनुवाद कर सकें। अभी तक हमें निम्नलिखित भाषाओं के अनुवादक मिले हैं : बंगाली, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, मलयालम, तामिल और तैलगू। यदि शेष भाषाओं के लिये ऐसे अनुवादक न मिल सकें जो मराठी से सीधे अनुवाद कर सकतें हों तब उन भाषाओं में हिन्दी संस्करण से अनुवाद करवाया जायेगा।

†**श्री सी० डी० पांडे** : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि बुद्ध धर्म अथवा बुद्ध की जीवनी पर श्री अश्वघोष का **बुद्ध चरित्र** एक बड़े ही उच्च कोटि की पुस्तक है ? क्या सरकार उस पुस्तक का भी विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करायेगी ?

†**डा० एम० एम० दास** : यह एक कार्यार्थ सुझाव है।

†**डा० रामा राव** : इस पुस्तक का तेलुगू रूपान्तर किस के ज़िम्मे है ?

†**डा० एम० एम० दास** : श्री पी० नारायणाचार्य के ज़िम्मे है।

†**श्री वी० पी० नायर** : क्या विभिन्न भाषाओं में यह अनुवाद किसी एक व्यक्ति द्वारा किये जा रहे हैं अथवा विद्वानों के एक दल द्वारा जोकि वह भाषायें जानते हैं ?

†**डा० एम० एम० दास** : मेरा विचार है कि व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है ?

राजधानी बनाने के लिये उड़ीसा को अनुदान

†*२०१६. **श्री संगण्णा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने इस समय तक उड़ीसा सरकार को भुबनेश्वर में राजधानी बनाने के लिये कुल कितना अनुदान तथा ऋण दिया है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत)** : १६४८-४६ से १६५२-५३ तक १३२ लाख रुपये अनुदान दिया गया है और इसके पश्चात् १६५४-५५ और १६५५-५६ में प्रत्येक वर्ष ५० लाख रुपये का ऋण दिया गया है।

†**श्री संगण्णा** : भारत सरकार राजधानी बनाने के लिये कुल कितना रुपया देने को तैयार है ?

†**श्री बी० आर० भगत** : ये राशियाँ जिनका मैंने उल्लेख किया है राजधानी बनाने के लिये ही हैं।

†**श्री संगण्णा** : इस राजधानी को पूरा करने के लिये सरकार कितना रुपया देना चाहती है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : कुल राशि।

†**श्री बी० आर० भगत** : भारत सरकार ने १३२ लाख रुपये का अनुदान किया है। १६५४-५५ में वहाँ की सरकार ने ऋण के लिये कहा था तब उन्हें ५० लाख रुपये का ऋण दिया गया था। १६५५-५६ में राज्य सरकार ने दोबारा ६३·५ लाख रुपये के ऋण के लिये कहा। तब उन्हें ५० लाख रुपये का और ऋण दे दिया गया।

†**श्री सारंगधर दास** : मल प्राक्कलन कितना था और इन सब ऋणों तथा अनुदानों के पश्चात् राजधानी को पूरा करने के लिये अब और कितनी शेष राशि चाहिये ?

†**श्री बी० आर० भगत** : मुझे इसका ज्ञान नहीं है। यह सब योजना पर ही आश्रित है कि और क्या-क्या बनाना है। यह सब कुछ राज्य सरकार पर ही निर्भर है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय मंत्री का यह आशय है कि केन्द्र से अनुदान प्राप्त करने से पहले उनको कोई अनुमान नहीं था कि इस पर कितना व्यय होगा ? क्या कोई मूल प्राक्कलन नहीं है ? उसमें से कितना कुछ शेष बचा है और कितना कार्य पूरा हुआ है ? यदि यह सब कुछ नहीं था तो उन्हें सहायता कैसे दे दी गई ?

---

†*मूल अंग्रेजी में*

†**श्री बी० आर० भगत** : मैं केवल यही बता सकता हूं कि राज्य सरकार ने इस वर्ष ९३ लाख रुपया उधार मांगा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो इस वर्ष के लिये हुआ आखिर मूल प्राक्कलन कितने का था ?

†**श्री बी० आर० भगत** : इस समय मेरे पास उसके आंकड़े नहीं हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अस्तु ।

†**श्री राघवैय्या** : क्या अनुदान आदि देने से पहले केन्द्रीय सरकार ने यह भी सोच लिया था कि इस नई राजधानी बनाने के क्या कारण हैं ? वहाँ की राज्य सरकार केन्द्र से प्राप्त ऋणों पर कितने प्रतिशत ब्याज देगी ?

†**श्री बी० आर० भगत** : मुझे इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

वित्त मंत्रालय में भर्ती

†*२०१८. **श्री पुन्नूस** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि जिन लोगों को संघ लोक-सेवा आयोग ने योजना आयोग में नियुक्त होने के लिये अस्वीकार कर दिया था उन्हें वित्त-मंत्रालय ने उससे भी ऊँचे स्थानों पर नियुक्त कर लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे कितने लोग ह और उनका क्या अभिधान है तथा उन्हें इस प्रकार नियुक्त करने के क्या कारण हैं ?

†**राजस्व और असैनिक-व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री पुन्नूस** : क्या मंत्री महोदय फिर अपनी पुरानी फाईलें देख कर यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या एक विवाहित स्त्री को जिसे योजना आयोग ने अपने आर्थिक विंग में रखने के लिये लोक-सेवा आयोग के पास भेजा था, अस्वीकार कर दिया गया । किन्तु बाद में वित्त मंत्रालय ने उसे नियुक्त कर लिया है ?

†**श्री एम० सी० शाह** : जहाँ तक वित्त मंत्रालय का सम्बन्ध है हमारे यहाँ रिसर्च आफिसरों के चार स्थान खाली थे । उनके लिये संघ लोक-सेवा आयोग द्वारा आवेदन पत्र मांगे गये थे, जिस अभ्यर्थी का निर्देश किया गया है वह लोक-सेवा आयोग द्वारा नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों में से एक थी । इस प्रकार वित्त मंत्रालय ने किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं नियुक्त किया है जिसे संघ लोक-सेवा आयोग ने अस्वीकार कर दिया हो ।

†**श्री वी० पी० नायर** : क्या वित्त मंत्रालय अथवा योजना आयोग द्वारा की जाने वाली सभी नियुक्तियाँ संघ लोक-सेवा आयोग के द्वारा ही होती हैं ?

†**श्री एम० सी० शाह** : योजना आयोग के लिये योजना मंत्रालय उत्तर देगा । वित्त मंत्रालय, जहां आवश्यक हो सेवा आयोग के नामनिर्देशन अथवा संवरण के पश्चात् ही लोगों को नियुक्त करता है ।

†**श्री वी० पी० नायर** : क्या समवाय विधि प्रशासन के अन्तर्गत सभी नियुक्तियाँ.....

†**अध्यक्ष महोदय** : हम विषय से बाहर जा रहे हैं ।

†**श्री वी० पी० नायर** : नहीं, नहीं । यह वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत आता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को यह ध्यान रखना चाहिये कि प्रश्न का सम्बन्ध केवल इस बात से हो जिन लोगों को संघ लोक-सेवा आयोग ने अस्वीकार कर दिया था क्या उन्हें वित्त मंत्रालय ने उस से भी ऊँचे पदों पर नियुक्त किया है ।

†**श्री वी० पी० नायर** : मैं भी यही पूछना चाहता हूँ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मगर इसमें सर्मवाय विधि तो नहीं है ।

†**श्री वी० पी० नायर** : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या समवाय विधि प्रशासन के सम्बन्ध में की गई नियुक्तियाँ·····

†**अध्यक्ष महोदय** : यह योजना आयोग का भाग नहीं है ।

†**श्री वी० पी० नायर** : मगर यह वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हम प्रत्येक बात पर नहीं विचार कर सकते हैं । माननीय सदस्य को इस प्रश्न विशेष का ही ध्यान रखना चाहिये ।

†**श्री वी० पी० नायर** : मैंने इसे दो बार पढ़ लिया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं आप से मतभेद रखता हूँ ।

†**श्री पुन्नूस** : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस खास मामले में कथित पदाधिकारी पहले सहायक रिसर्च आफिसर लिये उपस्थित हुई थी किन्तु वह असफल रही और बाद में वित्त मंत्रालय ने उसे वरिष्ठ रिसर्च अधिकारी के रूप में रख लिया है ?

†**श्री एम० सी० शाह** : यह ठीक नहीं है । जैसा कि मैंने पहले कहा है इन स्थानों के लिये लोक-सेवा आयोग द्वारा आवेदन पत्र मांगे गये थे । आयोग ने कुछ व्यक्तियों का संवरण किया था और वही व्यक्ति बाद में वित्त मंत्रालय के आर्थिक विंग में रख लिये गयें हैं ।

मुसलमानों का काश्मीर में प्रव्रजन

†*२०१९. **श्री गिडवानी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि प्रतिमास बहुत से मुसलमान युद्ध-विराम-रेखा के पार काश्मीर में प्रवेश कर रहे हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या उन्हें वहां बसने की अनुमति दे दी गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हाँ ।

(ख) जम्मू व काश्मीर सरकार ने मनुष्यता के नाते इनमें से कुछ व्यक्तियों को बसने की अनुमति दी है ।

†**श्री गिडवानी** : ऐसे प्रव्रजकों की कितनी संख्या है, और क्या उनसे यह पूछताछ की गई है कि वे तथाकथित आज़ाद काश्मीर को छोड़ कर युद्ध विराम रेखा के इस पार क्यों आये हैं ?

†**श्री दातार** : जहाँ तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है १९५५ में ६४६ व्यक्तियों को जम्मू व काश्मीर में बसन की अनुमति दी गई थी । दूसरे भाग के उत्तर में हम सम्भवत: यह कह सकते हैं कि कदाचित् पाक-अधिकृत काश्मीर की अपेक्षा हमारी ओर के काश्मीर में रहने सहने की व्यवस्था अधिक अच्छी हो इसलिये वे लोग इधर आये होंगे । दूसरे यह भी कारण हो सकता है कि उनके सम्बन्धी इधर रहते हों । इसीलिये मनुष्यता के नाते इन्हें इधर बसने दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गिडवानी :** क्या सरकार को इन प्रव्रजकों की नेक-नियती पर पूरा संतोष है, विषेशकर जब कि आज की परिस्थिति में भारत आने वाले कुछ मुसलमान भोपाल आदि स्थानों पर आकर राष्ट्र विरोधी कार्यों में लग गये हैं ?

†**श्री दातार :** यह अधीक्षण का कार्य तथा उन्हें अनुमति आदि देना यह सब कार्य जम्मू व काश्मीर सरकार द्वारा किया जाता है। वे लोग माननीय सदस्य द्वारा बताई गई सभी बातों से भली भांति परिचित हैं ।

†**डा० राम सुभग सिंह :** क्या जम्मू के भूतपूर्व निष्क्रान्त सम्पत्ति संरक्षक को जो कि पहले पाकिस्तान में प्रव्रजन कर गये थे और जिन्हें जम्मू व काश्मीर आने की अनुमति नहीं दी गई थी फिर से वहां बसने की अनुमति दी गई है ?

†**श्री दातार :** मैं एक व्यक्ति विशेष के बारे में इस प्रकार अनायास ही कोई उत्तर नहीं दे सकता हूँ ।

†**श्री कासलीवाल :** क्या यह सत्य है कि पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर में आर्थिक संकट के कारण बहुत से मुसलमान भारत आना चाहते हैं किन्तु पाकिस्तान सरकार उन्हें यहाँ नहीं आने दे रही है और इनमें से कई व्यक्तियों को गोलियों से उड़ा दिया गया है ?

†**श्री दातार :** क्या माननीय सदस्य भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के बारे में पूछ रहे हैं ?

†**श्री कासलीवाल :** नहीं, मैं पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के बारे में पूछ रहा हूँ ।

†**श्री दातार :** इस सम्बन्ध में मेरा उत्तर बड़ा स्पष्ट है। जम्मू व काश्मीर सरकार ने इन सभी बातों पर विचार करके मनुष्यता के नाते ६४६ व्यक्तियों को वहाँ बसने की अनुमति दी है ।

†**श्री कासलीवाल :** मंत्री महोदय मेरे प्रश्न का आशय नहीं समझे हैं। मेरा प्रश्न यह था कि क्या उन्हें पाकिस्तान सरकार ने भारत आने से रोका था और क्या उनमें से कई व्यक्तियों को गोली से उड़ा दिया गया था ?

†**श्री दातार :** मुझे इसकी खबर नहीं है। इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

†**श्री श्यामनन्दन सहाय :** मंत्री महोदय पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर में होने वाली घटनाओं के सम्बन्ध में कैसे उत्तर दे सकते हैं ।

प्राथमिक शिक्षा के लिये राज्यों को अनुदान

*२०२१. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने १९५६-५७ के आय-व्ययक में राज्य सरकारों को प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिये अनुदान देने की व्यवस्था की है; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी राशि की व्यवस्था की है और उसका राज्यवार ब्योरा क्या है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [**देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ११**]

सेठ गोविंद दास : क्या मंत्री महोदय को इस बात का स्मरण है कि हमारे संविधान में निर्देशात्मक अध्याय है, उस में स्पष्ट कहा गया है कि जहां तक प्राथमिक शिक्षा का सम्बन्ध है, सारे देश में प्राथमिक शिक्षा को इतने-इतने समय के भीतर फैलाने का प्रयत्न किया जायेगा और क्या इस सम्बन्ध में सरकार कोई ऐसी विशद योजना बना रही है जिससे कि यह निश्चय हो सके कि इतने-इतने समय के भीतर हमारी देश की सारी जनसंख्या प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर सकेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० के० एल० श्रीमाली : सरकार को इस विषय में पूरी चिन्ता है और वह इस बात का पूरा प्रयत्न कर रही है कि यथासम्भव जितनी जल्दी हो सके कांस्टीट्यूशन में जो डाइरेक्टिव दिया है वह पूरा हो जाय ।

†**श्री ए० एम० थामस :** प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की सेवा शर्तों में सुधार करने के विचार से राज्य सरकारों को सहायता देने के लिये क्या केन्द्रीय सरकार के ध्यान में कोई परियोजना है ? और यदि हां, तो इस परियोजना का क्षेत्र क्या है तथा किस हद तक सहायता देने का विचार है ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली :** हम ने राज्य सरकारों को लिखा है कि प्राइमरी स्कूल अध्यापकों का निम्नतम मूल वेतन बढ़ाने पर वह जितना भी अतिरिक्त व्यय करेंगे उसका ५० प्रतिशत भारत सरकार दे देगी ।

डा० राम सुभग सिंह : इस प्रश्न से मालूम होता है कि केन्द्रीय सरकार ने कई एक राज्य सरकारों को प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिये सहायता दी है और क्या यह सही है कि उन सभी राज्यों में प्राथमिक शिक्षा का स्तर प्रतिदिन नीचे गिरता जा रहा है और यदि गिरता जा रहा है तो उसको उठाने के लिये क्या सरकार के पास कोई योजना है ?

डा० के० एल० श्रीमाली : मैं यह नहीं मानता हूँ कि शिक्षा का स्तर निरंतर गिरता जा रहा है। यह सही है कि पहले से वह गिरा हुआ है और उसको ऊपर उठाने का सरकार प्रयत्न कर रही है।

श्री विभूति मिश्र : क्या मंत्री महोदय को पता है कि अक्सर प्राइमरी टीचरों की तनख्वाहें ४-४ और ६-६ महीने तक नहीं मिलती हैं और अभी जैसा कि डा० राम सुभग सिंह ने बताया कि प्राथमिक शिक्षा का स्तर प्रतिदिन गिरता जा रहा है तो क्या इसका एक कारण यह नहीं है कि चूंकि टीचरों को वक्त पर तनख्वाह नहीं मिलती इसलिये वे अपने कर्तव्यपालन में ढिलाई बर्तते हैं ?

डा० के० एल० श्रीमाली : यह प्रश्न स्टेट गवर्नमेंट्स का है लेकिन अगर माननीय सदस्य इस बारे में मुझे कोई उदाहरण दे कर बतलायें तो मैं देखूंगा कि हम उस में क्या कर सकते हैं ।

†**श्री ए० एम० थामस** : क्या मैं जान सकता हूं कि मूल वेतन क्या कुछ निश्चित किया गया है ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : मेरे विचार में अप्रशिक्षित अध्यापकों के लिये यह ४० रुपये है तथा ५० रुपया प्रशिक्षित मैट्रिक अध्यापकों के लिये है ।

†**श्री श्यामनन्दन सहाय** : क्या मैं जान सकता हूं कि अतिरिक्त व्यय का यह ५० प्रतिशत अंशदान जोकि केन्द्रीय सरकार देगी, स्थाई आधार पर होगा अथवा कि अस्थाई आधार पर ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : यह एक अस्थाई व्यवस्था होगी ।

†**श्री श्यामनन्दन सहाय** : कितने वर्षों के लिये ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : जब तक कि दूसरा वित्त आयोग नियुक्त होगा ।

†**श्री राघवैय्या** : केन्द्र ने इस वर्ष आन्ध्र सरकार को कितना अनुदान दिया है तथा गत वर्ष के अनुदान क मुकाबले में यह कितना है ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : मुझे इसके लिये पूर्वसूचना चाहिये ।

†**श्री एन० बी० चौधरी** : जो राज्य पहले ही ४० रुपये अथवा ५० रुपये का मूल निम्नतम वेतन दे रहे हैं क्या ५० प्रतिशत का भारत सरकार का अनुदान उनको भी दिया जायगा ताकि वह प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का वेतन और बढ़ा दें ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : नहीं, यह प्रयोजन नहीं है ।

†**श्री कासलीवाल** : क्या सरकार को मालूम है कि बहुत से प्राइमरी स्कूलों में स्थिति बहुत खराब है जैसे कि इन में न बैठने की जगह है, न पेशाबघर है आदि जिससे कि छात्रों को असुविधा होती है तथा प्राथमिक शिक्षा के प्रसार पर बुरा प्रभाव पड़ता है ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : सरकार को इस की पूरी जानकारी है परन्तु इस सम्बन्ध में प्राथमिक ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों की है । भारत सरकार स्कूलों की परिस्थिति सुधारने के लिये यथासम्भव प्रत्येक प्रयत्न कर रही है ।

†**श्री मादिया गोडा** : क्या यह अनुदान बुनयादी स्कूलों के विस्तार के लिये दिये जाते हैं अथवा पुराने ढंग के प्राइमरी स्कूलों के लिये ?

†**डा० के० एल० श्रीमाली** : भारत सरकार की कई योजनायें हैं जिन के अन्तर्गत अनुदान दिये जाते हैं । यदि माननीय सदस्य को दिलचस्पी हो, मैं सारी चीज़ पढ़ कर सुना सकता हूं । परन्तु यह एक लम्बी सूची है । अनुदान शहरी बुनियादी स्कूल खोलने के लिये, वर्तमान प्रारम्भिक स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में परिवर्तित करने के लिये, प्रशिक्षण संस्थाओं को बुनियादी शिक्षा संस्थाओं में परिवर्तित करने के लिये, अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये तथा बुनियादी शिक्षा के अध्यापकों के होस्टलों के लिये·····

†**अध्यक्ष महोदय** : हम ने काफी उदाहरण सुने ।

मोटर स्पिरिट पर उत्पादन कर

†*२०२२. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि मोटर स्पिरिट पर आयात कर और उत्पादन कर दोनों पंद्रह आने और नौ पाई प्रति इम्पीरियल गैलन होगा;

(ख) यदि हाँ, तो क्या मोटर स्पिरिट, अर्थात् बर्मा-शैल और स्टेन्डर्ड वेकुअम, बम्बई, की तेल-शोधनियों में उत्पादित गेसोलिन पर उत्पादन कर पंद्रह आने नौ पाई प्रति इम्पीरियल गैलन लिया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो भारत सरकार द्वारा तेल-शोधनियों को दिये गये संरक्षण सम्बन्धी आश्वासन की दृष्टि में तेल-शोधनियों से मोटर स्पिरिट अथवा गेसोलिन पर उत्पादन शुल्क की वास्तविक राशि क्या होगी ?

†**राजस्व तथा प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) स्टेन्डर्ड वेकुअम रिफाईनिंग कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड और बर्मा-शैल रिफाइनरीज़ लिमिटेड द्वारा क्रमशः १५-१२-५४ और १०-९-५५ से पूरी तरह शोधन का कार्य प्रारम्भ किये जाने की उपरोक्त तिथियों से उनके द्वारा उत्पादित मोटर स्पिरिट पर, भारत सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन को क्रियान्वित करने के लिये केन्द्रीय राजस्व बोर्ड द्वारा जारी किये गये विशेष आदेशों के अनुसार ०-१३-९ प्रति इम्पीरियल गैलन की रियायती दर से कर निर्धारण किया जा रहा है ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : बर्मा-शैल और स्टेन्डर्ड वेकुअम आयल कम्पनी से यह पक्षपात क्यों किया जाता है ? क्या इसलिये कि सरकार ने उन्हें संरक्षण का आश्वासन दिया है अथवा किसी अन्य कारण ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : सरकार ने केवल इन दो को ही नहीं अपितु काल्टेक्स को भी, जो आगामी वर्ष से चालू हो रही है, संरक्षण का आश्वासन दिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : बर्मा-शैल और स्टेन्डर्ड वेकुअम आयल कम्पनी से लिये जाने वाले आयात शुल्क और उत्पादन शुल्क में क्या कोई समानता है, और यदि हाँ, तो इस समानता का कारण ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य का 'समानता' से क्या आशय है। आयात शुल्क और उत्पादन शुल्क बराबर हैं। किन्तु बर्मा-शैल और स्टेन्डर्ड वेकुअम आयल कम्पनी के लिये, तथा काल्टेक्स के लिये भी जिसकी शोधनी आगामी वर्ष से चालू होगी, यह गारंटी है कि कम से कम दो आने का संरक्षण दिया जायेगा। परन्तु हम यह रियायत अन्य कम्पनियों को नहीं दे रहे हैं जैसे कि आसाम आयल कम्पनी को।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या इस रियायत के बदले ये शोधनियाँ अपने तेल के मूल्य को कम करने के लिये तैयार हो गई हैं ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : यह संरक्षण भारत सरकार और इन शोधनियों के मध्य हुये इस समझौते के अनुसार दिया गया है कि इनके द्वारा उत्पादित माल पर सदा के लिये नहीं अपितु दस वर्ष के लिये अथवा सन् १९६५ तक, जो भी पहले हो, संरक्षण दिया जायेगा। इसलिये मूल्य के कम करने का प्रश्न नहीं उठता।

†**श्री सी० आर० चौधरी** : इन दोनों शोधनियों को यह रियायत देने के कारण सरकार को अनुमानतः कितनी हानि होगी ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या मैं जान सकता हूं कि इस संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी, और क्या भारत में पड़ने वाली लागत उस लागत से अधिक है जो अन्य जगह तेल को शोधित करने और विक्रय के लिये भारत में भेजने में लगती है, जोकि अब तक किया जा रहा था ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : पहले कुछ वर्षों तक उत्पादन लागत अधिक होने की सम्भावना है। शायद इसलिये कि प्रारम्भ में तेल का उत्पादन भी कम होगा। इसी कारण दस वर्ष के लिये संरक्षण दिया गया है।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : उन्हें दस वर्ष के लिये तो रियायत और संरक्षण दिया गया है उसकी दृष्टि में क्या उन्होंने सरकार को विश्वास दिलाया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के दौरान में हमारी वृहत यातायात योजना को देखते हुए लम्बे अरसे में वे पेट्रोल या गेसोलिन का मूल्य घटा देंगी ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : जैसा कि बताया जा चुका है, मुल्य घटाने का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि यह आगणित किया गया है कि प्रथम कुछ वर्षों की लागत अधिक होगी। इसीलिये उन्हें संरक्षण दिया गया है।

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या यह सच नहीं है कि इन कम्पनियों को सरकार ने समझौते की लम्बी अवधि के रूप में जो ३० वर्ष के लिये है पहले ही भारी रियायत दी है जब कि समझौते में बेचारे उपभोक्ता के लिये मूल्य में कमी के रूप में कोई राहत नहीं है ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : इन कम्पनियों को जब ये रियायतें दी गईं तो सारे पहलुओं पर विचार कर लिया गया था।

†**श्री सी० डी० पांडे** : इसका क्या कारण है कि इस देश में पेट्रोल इंग्लैंड या अमेरिका की अपेक्षा लगभग चार गुने मूल्य पर बेची जाती है ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : यह बात इस प्रश्न के क्षेत्र में नहीं आती।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सारंगधर दास** : क्या पेट्रोल का मूल्य कच्चे तेल के गल्फ मूल्य पर आधारित है अथवा यह उससे कम है ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : मूल्य निर्धारित से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। यह प्रश्न सम्बन्धित मंत्रालय से पूछा जाना चाहिये ।

†**श्री सारंगधर दास** : क्या पेट्रोल की कीमत क्रूड आयल की 'गल्फ' (खाडी) कीमत पर आधारित है अथवा उस से कम है ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : मेरा पेट्रोल के मूल्य निर्धारण से काई सम्बन्ध नहीं। प्रश्न सम्बन्धित मंत्रालय से पूछा जाये ।

सेना के अफसर

†*२०२४. **श्री कामत** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) निकट भविष्य में सेना के जो अफसर अनिवार्य अवकाश-ग्रहण की आयु कम कर देने के परिणामस्वरूप निकलेंगे उन्हें पुनः सेवायुक्त करने अथवा पुनर्वासित करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है अथवा किये जाने का विचार है; और

(ख) क्या यह सच है कि आपात कमीशन प्राप्त अफसरों को अवकाश-ग्रहण पर सेवा के प्रति वर्ष के लिये ७५० रु० का उपदान दिया जायेगा ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या १२**]

†**श्री कामत** : सभा पटल पर रक्खे गये विवरण के अनुसार इन सेना के अफसरों के अनिवार्य अवकाश-ग्रहण की निर्धारित आयु सीमा को लागू करने का कार्य एक साथ क्रियान्वित नहीं किया जायेगा। क्या माननीय मंत्री इस स्कीम का कुछ ब्योरा बतला सकेंगे कि कितने अफसर इस वर्ष के अंत में अवकाश-ग्रहण करेंगे, कितने आगामी वर्ष में और कितने १९५८ के अंत में ?

†**श्री त्यागी** : नियमों के अंतर्गत निर्धारित आयु सीमा के अनुसार लगभग ८१५ अफसर १-१-१९५६ को अवकाश-ग्रहण करने वाले थे। उनके अवकाश-ग्रहण को इस प्रकार बांट दिया गया है कि कुछ और वर्ष···

†**श्री कामत** : कितने ?

†**श्री त्यागी** : प्रति छः मास की अवधि के दौरान में ३१-१२-५७ तक अवकाश ग्रहण करने वाले अफसरों की संख्या इस प्रकार है :

१-१-५६ और ३०-६-५६ के बीच	१ नियमित अफसर और १ गैर-नियमित अफसर
१-७-५६ और ३१-१२-५६ के बीच	११ नियमित अफसर और ४३ गैर-नियमित अफसर
१-१-५७ और ३०-६-५७ के बीच	२६ नियमित और ९२ गैर-नियमित
१-७-५७ और ३१-१२-५७ के बीच	५३ नियमित और ११६ गैर-नियमित

†**श्री कामत** : क्या यह सच है कि इस वर्ष १९ जनवरी को मंत्रिमंडल की प्रतिरक्षा समिति की एक बैठक में, जब कि सेना का आकार और रचना विचाराधीन थे, प्रधान मंत्री ने यह सुझाव दिया था कि अवकाश-ग्रहण आयु की स्कीम के अंतर्गत समय से पूर्व अवकाश-प्राप्त करने वाले अफसरों की सेवायें राज्य के पूरे लाभ के लिये प्रयुक्त की जायें ? यदि हाँ, तो उनकी सेवाओं को प्रयुक्त करने के लिये क्या ठोस स्कीमें विचाराधीन हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी** : मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य की प्रतिरक्षा मंत्रालय के सम्बन्ध में इतनी जानकारी है·····

†**श्री कामत** : जी हां, कुछ वर्ष पूर्व हम दोनों ही इस समिति में थे ।

†**श्री त्यागी** : समय से पूर्व अवकाश-प्राप्त होने वाले इन अफसरों के प्रशिक्षण और अनुभव की दृष्टि में, योजना आयोग से यह समझौता हुआ है कि जो भी स्कीमें उसके हाथ में हैं उनमें वह विभिन्न असैनिक कामों पर इनमें से कुछ युवा अवकाश-प्राप्त अधिकारियों को नियुक्त किया जायेगा । इस प्रयोजन के लिये प्रतिरक्षा मंत्रालय की ओर से विभिन्न मंत्रालयों से बातचीत के लिये एक सम्पर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

†**श्री कामत** : सभा पटल पर रक्खे गये विवरण में यह कहा गया है कि आपात कमीशन-प्राप्त अधिकारियों की एक श्रेणी को सेवा के प्रतिवर्ष ७५० रु० का केवल सेवा-समाप्ति उपदान दिया जायेगा, अर्थात् सेवा के प्रति मास के लिये केवल ६० रु० और पेंशन कुछ नहीं । इस श्रेणी के विरुद्ध यह विभेद क्यों किया गया है जब कि अन्यों के मामले में अन्य बातें लागू होंगी ?

†**श्री त्यागी** : इस श्रेणी के अफसर सामान्यत: वालंटियर थे जो सेना से बाहर किन्ही ग़ैर-सैनिक कामों पर, अधिकतर युद्ध काल में नियुक्त किये गये थे । इसलिये वे बढ़ी हुई अवस्था में आये थे; वे मुश्किल से ११, १२ या १३ वर्ष रहे होंगे । इसलिये अस्थायी कमीशन के आधार पर उन्हें ७५० रु० प्रति वर्ष का उपदान राशि के रूप में दे दिया गया·····

†**श्री कामत** : कोई पेंशन नहीं ।

†**श्री त्यागी** : ····जिन लोगों ने दस वर्ष से अधिक की सेवा की है, उन्हें यह उपदान दिया गया है ।

†**श्री कामत** : इस बात की दृष्टि में कि आपात कमीशन-प्राप्त अफसरों की इस श्रेणी के प्रति इस प्रकार का, किंचित भद्दा, व्यवहार किया जा रहा है·····

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को टिप्पणी नहीं करनी चाहिये ।

†**श्री चट्टोपाध्याय** : यह तो अलग से वैसे ही कहा गया है ।

†**श्री कामत** : मैंने 'भद्दा' कहा था ।

†**श्री चट्टोपाध्याय** : माननीय मंत्री जी से इसे सुनने की आशा नहीं की जाती ।

†**श्री कामत** : यदि इन अफसरों की अर्हताएँ वैसी ही हों, तो क्या सरकार अन्य अफसरों की तरह उन्हें असैनिक कार्यों अथवा अन्य स्थानों पर पुन: नौकरी देने के मामले पर अधिक सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी ?

†**श्री त्यागी** : समझौते की मूल शर्तों के अनुसार उनका उपदान ३०० रु० प्रति वर्ष आंका और निर्धारित किया गया था । जब मामला मेरे पास आया तो मैं उसे ७५० रु० प्रति वर्ष कर सका । ये अफसर बढ़ी हुई अवस्था में आये थे; वे अन्य नियमित अफसरों की तरह युवा-अवस्था में नहीं आये थे । अतएव अवकाश-ग्रहण लाभ उन्हें केवल उपदान के रूप में ही दिया जा सकता था । इसलिये यह उपदान दिया गया ।

जहाँ तक उन्हें पुन: सेवायुक्त करने का प्रश्न है, मैं विवरण में पहले ही बता चुका हूँ कि अवकाश-ग्रहण करने के बाद ही उन्हें पुन: सेवायुक्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

†**श्री जो० एस० सिंह** : क्या माननीय मंत्री जी को इस बात को कुछ भी चिंता है कि अवकाशग्रहण की आयु सीमा कम करने के परिणामस्वरूप उन्हें उन अफसरों से बड़ी संख्या में त्यागपत्र प्राप्त हो रहे

†मूल अंग्रेजी में

हैं जो नियमित रूप में सेवा में हैं ताकि फर्मों या भारत सरकार में, वह असैनिक कार्यों के लिये नियुक्त हों ?

†**श्री त्यागी** : मैं अपने माननीय मित्र को बतला दूं कि उनकी सूचना ग़लत है । बड़ी संख्या में ऐसी अर्ज़ियां प्राप्त नहीं हो रही हैं । मुश्किल से एक या दो होंगी । कभी कभी जब उन्हें अधिक वेतन का काम मिलता है तो वे उसके लिये सेना प्रधान-कार्यालय की इज़ाज़त लेते हैं । यह आम चीज़ नहीं है ।

†**श्री वेलायुधन** : इन आपात आयुक्त अधिकारियों में से कितने स्थायी नियमित कमीशन में ले लिय जायेंगे ? क्या स्थायी नियमित कमीशन का क्षेत्र विस्तृत करने की कोई योजना है ?

†**श्री त्यागी** : स्थायी आयुक्त पदाधिकारी की संख्या बढ़ाने के प्रश्न पर हम अभी हाल विचार कर रहे हैं क्योंकि ऐसे अनेक पदाधिकारी हैं जिन्हें स्थायी नियमित कमीशन प्राप्त नहीं है । अतः मंत्रालय स्थायी कमीशन का क्षेत्र बढ़ाने पर विचार कर रहा है । संभव है कि स्थायी कमीशन के लिये अनियमित आयुक्त पदाधिकारी का विचार किया जाये ।

†**श्री कामत** : गैर-नियमित ।

†**श्री जयपाल सिंह** : क्या यह सच है या नहीं कि जब उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण पदाति सशस्त्र बलों के लिये खोल दी गयी थी, तब २,००० पदाधिकारियों ने उस के लिये आवेदन दिया था ?

†**श्री त्यागी** : वैदेशिक कार्य मंत्रालय ने कुछ असैनिक राजनैतिक स्थानों के लिये विज्ञापन दिया था । मेरे माननीय मित्र ठीक कहते हैं कि अनेक व्यक्तियों ने आवेदन दिया था और प्रतिरक्षा मंत्रालय के लिये वह कुछ चिन्ता का प्रश्न था ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : वर्तमान गंभीर स्थिति को देखते हुये, किन कारणों से सरकार को इन पदाधिकारियों को मुक्त करना पड़ा ?

†**श्री त्यागी** : मुश्किल से सात या आठ स्थानों के लिये विज्ञापन दिया गया था । स्थान बहुत अधिक नहीं थे और वैदेशिक कार्य मंत्रालय की प्रार्थना पर हमने उन्हें मुक्त कर दिया ।

मैं अपने माननीय मित्र को पुनः बता देना चाहता हूँ कि उसका कारण सेना में कोई असंतोष या असमाधान नहीं था बल्कि यह कि पदाधिकारी बहुत लंबी-अवधि से अपने परिवारों से दूर रहे और हम उन्हें अपेक्षित पूरी-पूरी सुविधाएँ नहीं दे सके थे ।

†**श्री कामत** : सभा पटल पर रखे गये विवरण के अंतिम पैरों में कहा गया है कि अन्य श्रेणयों के मामले में अन्य शर्तें लागू होंगी । अन्य श्रेणियों के विस्तार क्या हैं और अन्य शर्तें क्या हैं ?

†**श्री त्यागी** : श्रेणियाँ अनेक होने के कारण, वह कठिन होगा ।

†**श्री कामत** : अन्य शर्तें ?

†**श्री त्यागी** : शर्तें भी भिन्न-भिन्न होती हैं ।

†**श्री कामत** : क्या उन सभी को निवृत्ति वेतन के साथ-साथ उपदान मिलता है ?

†**श्री त्यागी** : उन्हें निवृत्तिवेतन नहीं मिलता । आपात आयुक्त प्राप्त अधिकारियों को निवृत्ति-वेतन नहीं मिलता । उन्हें उपदान मिलता है ।

†**श्री कामत** : दर क्या है ?

†**श्री त्यागी** : माननीय मित्र से मेरी प्रार्थना है कि इन आंकड़ों के लिये वे एक अलग प्रश्न पूछें ।

†**श्री कामत** : अच्छा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

"रुपी कम्पनी"

†*२०२८. **श्री देवेन्द्र नाथ सर्मा :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 'रुपी कम्पनी' बनाये जाने के सम्बन्ध में आसाम तेल कम्पनी ने खोजने, छिद्र करने तथा अन्य सम्बन्धित कार्यों के लिये कोई प्रतिकर मांगा है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : मुझे खेद है कि यह जानकारी बताना सार्वजनिक हित में नहीं होगा क्योंकि वार्ता अभी चल रही है ।

†**श्री एन० एम० लिंगम्** : क्या समाचारपत्रों में प्रकाशित यह विवरण ठीक है कि वार्ता में गतिरोध उत्पन्न हो गया है; यदि नहीं; तो इन वार्ताओं का क्या आधार है ? क्या कम्पनी में सरकारी सहयोग बढ़ाने की सरकार की इच्छा है या वह किसी अन्य आधार पर है ? प्रस्थापित कम्पनी का क्या कार्य-क्रम है ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : बहुत अधिक प्रश्न पूछे गये हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री किसी एक का, जो वह चाहें, उत्तर दे सकते हैं ।

†**श्री के० डी० मालवीय** : स्पष्टत: आधार यह है, जैसा कि सभा को मालूम है, देश के राष्ट्रीय हितों से संगत और हमारे लिये यथासंभव सुविधाजनक शर्तों पर भारतीय रुपया कम्पनी का बनाया जाना। यह ठीक है कि अभी वार्ताएँ बंद कर दी गयी हैं। इस दशा में मैं इस बारे में अधिक कुछ न कहूँगा ।

†**श्री देवेन्द्र नाथ सर्मा** : क्या कम्पनी को शोधन या खोज की अनुज्ञप्ति के साथ-साथ शोधनशाला के लिये भी अनुज्ञप्ति दी गयी है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या मंत्री ने प्रश्न सुना ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : जी, नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : न मैंने ही सुना है ।

†**श्री देवेन्द्र नाथ सर्मा** : नया औद्योगिक नीति संकल्प स्वीकार किये जाने के बाद क्या तेल जैसे उद्योग में गैर-सरकारी कम्पनी को अनुज्ञप्ति देना सरकार के लिये ठीक होगा ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : अभी हाल ही में औद्योगिक नोति संकल्प घोषित किया गया है । कुछ समय से आसाम तेल कम्पनी खोज कर रही है । पेट्रोलियम रियायत नियम उस पर लागू होते हैं और चूंकि कुछ समय से वह खोज कर रही है, इसलिये हम उसे एक नयी पार्टी नहीं समझ सकते । अत: यह नीति उस हद तक नहीं लागू होगी ।

प्रतिरक्षा विज्ञान संगठन

†*२०३०. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा विज्ञान संगठन के मनोवैज्ञानिक गवेषणा विभाग पर १ अगस्त, १९५५ से कितनी धन राशि खर्च की गयी है;

(ख) तब से संगठन ने कितनी परियोजनाएँ प्रारंभ की हैं और उनके परिणाम क्या हैं; और

(ग) क्या संगठन के सभी पदाधिकारी भारतीय हैं ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) ३०-४-१९५६ तक लगभग १,८७,४०० रुपये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) निम्न परियोजनाएँ प्रारंभ की गयी थीं :

(१) परीक्षणों का निर्माण और प्रमापीकरण । एक परीक्षण पूरा हो चुका है और छः का निर्माण जारी है ।

(२) चुनाव-कार्यों में कर्मचारीवर्ग का प्रशिक्षण । इसके परिणामस्वरूप ८ शिक्षाक्रम चलाये जा रहे हैं जिन में ४० पदाधिकारी और ४९ जेसीओ (या बराबर के पद) प्रशिक्षित किये गये थे ।

(३) गवेषणा । आठ गवेषणा लेख लिखे गये हैं ।

(ग) हाँ ।

†**सरदार इकबाल सिंह :** क्या इस मनोवैज्ञानिक गवेषणा विभाग ने नियमित कमीशनों के लिये उम्मीदवारों के चुनाव के लिये कुछ परीक्षाओं की सिफारिश की हैं; यदि हाँ, तो भर्ती के समय क्या ये परीक्षाएँ की जाती हैं ?

†**श्री त्यागी :** साधारणतया जब भी किसी नये उम्मीदवार की परीक्षा ली जाती है तब मनोवैज्ञानिक ढंग से भी उसकी परीक्षा की जाती है ।

†**सरदार इकबाल सिंह :** जिन परीक्षणों की सिफारिश की गयी है, क्या वे कड़ाई से लागू किये जाते हैं अथवा इन परीक्षणों में कोई छट दी जाती है ?

†**श्री त्यागी :** परीक्षण किस प्रकार किये जाते हैं इस बारे में मुझे कोई विस्तृत जानकारी नहीं है ।

†**श्री डी० सी० शर्मा :** क्या यह प्रतिरक्षा विज्ञान संगठन अथवा उसका मनोवैज्ञानिक गवेषणा विभाग मनोवैज्ञानिक युद्ध की कला और तरीकों तथा उसकी प्रतिक्रियाकारी तरीकों के अध्ययन से सम्बन्धित है ?

†**श्री त्यागी :** संभवतः यह विभाग अभी मनोवैज्ञानिक युद्ध के बारे में विचार नहीं कर रहा है ।

त्रावणकोर-कोचीन राज्य का प्रशासक

†*२०३१. **श्री वी० पी० नायर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रावनकोर-कोचीन राज्य के प्रशासक गत सप्ताह दिल्ली आये थे;

(ख) क्या नई दिल्ली में अमेरिका दूतावास के साथ उन्होंने कोई चर्चा की थी; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या वह चर्चा सरकार के आदेश से या उसकी जानकारी में की गयी थी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** (क) हाँ; त्रावन-कोचीन के राजप्रमुख के परामर्शदाता अप्रैल १९५६ में दिल्ली आये थे ।

(ख) नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री वी० पी० नायर :** क्या वे यहाँ अपने दौरे में अपनी मोटरगाड़ी पर राज्य का झंडा फहराते हुए दिल्ली में घूम रहे थे ?

†**श्री दातार :** जब वे यहाँ थे, तब अवश्य ही घूमते रहे होंगे । उन्हें सरकारी दफ्तरों और अन्य कार्यालयों में घूमना पड़ता है ।

†**श्री वी० पी० नायर :** मैं यह पूछ रहा था कि क्या परामर्शदाता दिल्ली में अपनी गाड़ी पर राज्य का झंडा फहराते घूम रहे थे, जो केवल राज्य के प्रमुख ही कर सकते हैं ? क्या मैं जान सकता हूँ···

†**अध्यक्ष महोदय :** यह किस बारे में प्रश्न है ? क्या यह पूछे जाने योग्य इतना बड़ा प्रश्न है ?

†**श्री वी० पी० नायर :** आप यह देखेंगे कि·····

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** इस विषय में सार्वजनिक दिलचस्पी क्या है ?

†**श्री वी० पी० नायर :** परामर्शदाता केवल परामर्शदाता ही है और राज्य के प्रमुख नहीं है और उन्हें झंडा फहराने का अधिकार नहीं है.....

†**अध्यक्ष महोदय :** ऐसा विषय यहाँ लाने की आवश्यकता नहीं है। यदि माननीय सदस्य यह सोचें कि कोई बात अनियमित या अनुचित है तो वे भारसाधक मंत्री को सूचित कर सकते हैं और वह कोई सार्वजनिक महत्व का विषय नहीं है। मैं उनकी अनुमति नहीं देता।

†**श्री वी० पी० नायर :** क्या सरकार जानती है कि पत्र प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए परामर्श-दाता ने स्थानीय पत्र प्रतिनिधियों को बताया कि अमेरिकी दूतावास में उनका एक काम था जहाँ कुछ समस्याओं के विषय में चर्चा के लिये वे गए हुए थे ?

†**श्री दातार :** मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि पत्र प्रतिनिधि से उन की ऐसी किसी मुलाकात की मुझे कोई जानकारी नहीं है।

काश्मीर में गैर-मुस्लिम

†*२०३२. **श्री गिडवानी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान नैशनल असेम्बली में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये इस वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है कि भारत काश्मीर से मुस्लिम जनता को निकाल बाहर करने और राज्य में उन्हें प्रभावहीन अल्पसंख्यक बनाने के लिये वहाँ अधिकाधिक गैर-मुस्लिमों को बसाने की योजना बना रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस विषय के बारे में क्या तथ्य हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** (क) हाँ।

(ख) आरोप बिलकुल गलत और निराधार है।

†**श्री गिडवानी :** क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान के प्रधान मंत्री द्वारा हाल ही में ढाका में दिये गए इस वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है कि भारत अधिकृत काश्मीर में लोगों का दमन किया जा रहा है, उनकी स्वतंत्रताएँ कुचली जा रही हैं और जो जनमनगणना के पक्ष में हैं उन्हें पीटा जा रहा है और जेलों में बंद किया जा रहा है और पाकिस्तान को यह जानकारी मिली है कि मुस्लिम बहुसंख्या को अल्पसंख्या में बदल देने की योजनाएँ हैं और वह शांति के लिये खतरा है ?

†**श्री दातार :** सरकार को ६ अप्रैल, १९५६ और १ मई, १९५६ को दिये गये दोनों वक्तव्यों की जानकारी है। माननीय सदस्य इस ओर ध्यान देंगे कि जम्मू और काश्मीर के प्रधान मंत्री बख्शी गुलाम मोहम्मद ने यहाँ ३ मई, १९५६ को एक प्रेस सम्मेलन में इस वक्तव्य को निराधार और गैर-ज़िम्मेदार बताया।

विदेशी चलार्थ नोट और सिक्के

†*२०३४. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में सरकार को विदेशों से अपने चलार्थ नोट छापने और सिक्के ढालने के कितने व्यादेश प्राप्त हुये हैं; और

(ख) इन व्यादेशों के पूरे हो जाने पर कितनी आमदनी होने की संभावना है ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह) :** (क) १९५५-५६ में सिक्के बनाने के चार व्यादेश और चलार्थ नोट छापने का एक व्यादेश प्राप्त हुआ था।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ऐसे व्यादेश मुख्यत: सहायता के रूप में और न कि लाभ कमाने के लिये, विदेशी सरकारों की प्रार्थना पर समय-समय पर पूरे किये जाते हैं। कोई विस्तृत लागत-लेखे नहीं रखे जाते और यह बताना कठिन है कि क्या खर्च निकालने के बाद कोई लाभ बचेगा और यदि बचेगा तो वह संभवत: बहुत ही कम होगा ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : ये व्यादेश किन-किन देशों से प्राप्त हुए हैं ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : चार देश हैं जो सभी एशियाई और पड़ोसी देश हैं । मैं नहीं जानता कि क्या आप यहाँ उनके नामों का उल्लेख चाहते हैं । मुझे आशंका है कि वे देश शायद यह पसन्द न करें कि उनके नाम यहाँ बताये जायें ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

विदेशी छात्रों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय छात्रावास

†*२००५. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशी सरकारों द्वारा भेजे गये सांस्कृतिक छात्रों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय छात्रावास बनाने का विचार करती है; और

(ख) अभी ऐसे कितने छात्र कलकत्ते में रहते हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास)**: (क) सरकार का अभी दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय छात्रावास बनाने का विचार है जहाँ विदेशी और कुछ भारतीय छात्र भी तथा शैक्षणिक और सांस्कृतिक कार्य में रुचि रखने वाले विदेशी दर्शक रह सकेंगे ।

(ख) ४४ ।

त्रावनकोर विश्वविद्यालय को अनुदान

†*२००६. **श्री वेलायुधन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में त्रावनकोर विश्वविद्यालय को कितनी धनराशि का अनुदान दिया गया है; और

(ख) इसका क्या प्रयोजन है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या १३]**

यूनेस्को

†*२००८. **श्रीमती इला पालचौधरी** :.क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में यूनेस्को का अधिवेशन करने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास)** : लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या १४]**

बुनियादी शिक्षा सम्बन्धी गवेषणा की राष्ट्रीय संस्था

*२०१०. { **श्री श्रीनारायण दास** :
श्री झूलन सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

---

†मूल अंग्रेजी में

(क) बुनियादी शिक्षा सम्बन्धी गवेषणा की राष्ट्रीय संस्था के संगठन, कार्यक्रम और कार्य पद्धति की रूपरेखा क्या है;

(ख) उसके कर्मचारी वर्ग को चुनने और नियुक्त करने की विधि क्या है; और

(ग) इस योजना की कार्यान्विति के लिये प्रथम पांच वर्षों में अनुमानतः कितना खर्च होगा ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [**देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या १५**]

शस्त्रास्त्रों का खरीदा जाना

†*२०११. { **श्री जी० एल० चौधरी :**
श्री ब्रजेश्वर प्रसाद :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार विदेशों से शस्त्रास्त्र प्राप्त करने का प्रयत्न कर रही है जिससे हमारी सेना सुसज्जित हो जाये; और

(ख) यदि हाँ, तो किन देशों ने शस्त्रास्त्र देना मान लिया है ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) और (ख). अपनी सेना को सुसज्जित रखने की आवश्यकता पर सरकार का ध्यान पूर्णतः लगा हुआ है । जो भी उपकरण आवश्यक समझा जाता है तथा जिसका निर्माण देश में नहीं किया जा सकता उसको विदेशों से खरीदने का प्रयत्न किया जाता है । हमारे द्वारा अपेक्षित उपकरणों के मिलने के स्थान को बताना लोकहित में नहीं है परन्तु मांग करने से पूर्व, सरकार सभी संभावित स्थानों पर विचार कर लेती है ।

फौलैन्ड नाट-फाइटर एयरक्राफ्ट

†*२०१७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक प्रतिनिधि मंडल के ब्रिटेन जाने की आशा है जो भारत में फौलैन्ड नाट-फाइटर एयरक्राफट निर्माण के सम्बन्ध में एक ब्रिटिश संस्था से समझौतों पर हस्ताक्षर करेगा; और

(ख) यदि हाँ, तो कब ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) और (ख). मामला विचाराधीन है परन्तु यह संभव है कि समझौतों को अन्तिम रूप देने के लिये एक अथवा दो पदाधिकारी ब्रिटेन भेजे जायें ।

डाक तथा तार कर्मचारी

†*२०२०. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के उन विस्थापित डाक तथा तार कर्मचारियों को, जिन्होंने पाकिस्तान का विकल्प किया था परन्तु जो फरवरी १९५० के बाद भारत आ गये तथा जिनको अस्थायी नियुक्तियां दे दी गईं, यथार्थ में वापस लेने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : जी नहीं । परन्तु, केन्द्रीय सरकार के सभी विभागों के कर्मचारियों के अन्तिम विकल्प को यथार्थ में वापस लेने को मान्यता देने के सामान्य प्रश्न पर पूर्णतया विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय कर सुधार

†*२०२३. **श्री एस० वी० रामस्वामी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक प्रसिद्ध अंग्रेजी अर्थशास्त्री श्री निकलस काल्डर ने भारतीय कर सुधार पर एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रख दी जायेगी ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत)** : (क) जी, हाँ ।

(ख) प्रतिवेदन के प्रकाशन का प्रबन्ध किया जा रहा है तथा प्रकाशित होने के पश्चात् प्रतिवेदन की प्रतियां, लोक-सभा पुस्तकालय में रख दी जायेंगी ।

आसाम में प्रशासनिक इकाई

†*२०२५. **श्री राधा रमण** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम सरकार ने केन्द्रीय सरकार को पूर्वी पाकिस्तान के उत्तर पूर्वी समस्त क्षेत्र को एक सजातीय प्रशासनिक इकाई के अधीन एक आत्मनिर्भर आर्थिक खण्ड में विकसित करने की योजना प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने, इस योजना के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

स्वायत्तशासी संस्थाओं का लेखा तथा लेखापरीक्षा

†*२०२६. **श्री सी० आर० नरसिंहन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विशेष परिनियमों के अधीन बनाये गये स्वायत्तशासी निगमों के लिये लेखा तथा लेखा-परीक्षा का उपबन्ध करने से पूर्व नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का परामर्श लेती है; और

(ख) क्या बीमे का राष्ट्रीयकरण करने वाले विधेयक के सम्बन्ध में कोई परामर्श किया गया ?

†**राजस्व और असैनिक-व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : (क) सामान्यत: नियंत्रक तथा महा-लेखा परीक्षक का परामर्श लिया जाता है परन्तु जिन विधानों में, वर्तमान व्यवस्था रखी जाती है तथा सरकार उसको संतोष जनक समझती है तो उन में उसका परामर्श नहीं लिया जाता है ।

(ख) जी, नहीं । नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का परामर्श नहीं लिया गया था क्योंकि सरकार ने निर्णय किया था कि बीमा समवाय के वाणिज्यिक लेखा परीक्षा की वर्तमान व्यवस्था उसी प्रकार की है जैसी अन्य निगमों के लिये निर्धारित है ।

विदेशी राष्ट्रजन

†*२०२७. **श्री इब्राहीम** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५५ में वर्तमान 'विदेशियों के आर्डर' के अधीन कुछ विदेशी राष्ट्रजनों को रिहाइशी अनुमतिपत्र निकालने के सम्बन्ध में छूट दी गई थी; और

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रकार के मामलों की क्या संख्या है तथा ये राष्ट्रजन किन देशों के हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) निम्नलिखित श्रेणियों के विदेशियों को रिहाइशी अनुमतिपत्र निकालने की अपेक्षा नहीं है :

(१) राजनयिक तथा वाणिज्यिक पदाधिकारी, तथा कार्य पर आने वाले पदाधिकारी, उनकी पत्नियां तथा बच्चे;

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) संयुक्त राष्ट्र संघ तथा उसके विशिष्ट अभिकरणों के पदाधिकारी; इन संगठनों के लिये कार्य करने वाले विशेषज्ञ तथा उनकी पत्नियाँ आदि; और

(३) आमंत्रित किये गये प्रसिद्ध विदेशी व्यक्ति जिनको 'राज्य अतिथि' माना जाता है।

(ख) जानकारी प्राप्य नहीं है; क्योंकि साँख्यिकी नहीं रखी जा रही है।

अंदमान द्वीप समूह में मद्यनिषेध

†*२०२९. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या, अन्दमान द्वीप समूह में धीरे-धीरे अथवा पूर्णतया मद्यनिषेध लागू करने की, सरकार की कोई योजना है; और

(ख) क्या पोर्ट-ब्लेयर में, एक 'बार' खोलने के लिये कोई नई अनुज्ञप्ति दी गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) अन्दमान में इस समय आंशिक रूप से मद्यनिषेध है जिसके अनुसार तीन दिन मद्यपान बंद है। इन द्वीप समूहों में पूर्णतया मद्यनिषेध का प्रश्न अभी उत्पन्न नहीं हुआ है।

(ख) जी, हाँ।

नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक

†*२०३३. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद् में प्रस्तुत विधानों के लेखापरीक्षा उपबन्धों के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक का सदैव परामर्श नहीं लिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) जनवरी १९५५ से किन मामलों में उसका परामर्श नहीं लिया गया है ?

†**राजस्व और असैनिक-व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : (क) और (ख). सामान्यतः नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक का परामर्श लिया जाता है परन्तु जिन विधानों में, वर्तमान व्यवस्था रखी जाती है तथा सरकार उसको संतोषजनक समझती है, उनमें उसका परामर्श नहीं लिया जाता है।

(ग) नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक का परामर्श, कुछ दिन पूर्व भारत के राज्य बैंक अधिनियम १९५५ तथा जीवन बीमा निगम विधेयक १९५६, जो सभा में प्रस्तुत हैं, के सम्बन्ध में नहीं लिया गया था। इन दोनों मामलों में, सरकार ने यह निर्णय किया कि इन दोनों संस्थाओं के विशिष्ट प्रकार क कार्य होने के कारण, वाणिज्यिक संस्थाओं के लेखापरीक्षा के वर्तमान प्रबन्ध लागू होने चाहियें।

सैनिक प्रशिक्षण

†*२०३५. **श्री गिडवानी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नगरों के असैनिक निवासियों को सैनिक प्रशिक्षण दिया जायेगा; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रशिक्षण की क्या अवधि होगी तथा प्रशिक्षण किस प्रकार का होगा ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)**: (क) और (ख). लोक सहायक सेना योजना के अन्तर्गत एक शिविर में लगातार ३० दिनों तक प्रारंभिक सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। नगर क्षेत्रों में इन शिविरों का एक भाग संगठित है। क्योंकि नगरी क्षेत्रों में ऐसे व्यक्ति भी होंगे जो ऐसे शिविरों में न आ पायेंग, उनके लिये सप्ताहान्त में सैनिक प्रशिक्षण देने की अलग योजना बनाई गई है जोकि प्रयोगात्मक रूप से एक वर्ष के लिए अम्बाला, लखनऊ तथा मद्रास में चालू की जाएगी। शनिवार

†मूल अंग्रेजी में

अथवा रविवार क मध्यान्ह पश्चात् ४ घंटों तक प्रशिक्षण तब तक होता रहेगा जब तक प्रशिक्षणार्थी पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त न कर ले । यह प्रारंभिक प्रकार का है तथा इसमें बिना शस्त्र के ड्रिल, शारीरिक प्रशिक्षण, खुदाई तथा निशानेबाज़ी शामिल हैं ।

अखिल भारतीय सेवा

†*२०३६. { **सरदार इक़बाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में लन्दन केन्द्र से भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय विदेश सेवा परीक्षाओं में कुल कितने अभ्यर्थी बैठे थे; और

(ख) इन केन्द्रों से कितने अभ्यर्थियों ने अर्हता प्राप्त की है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या १६]**

पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

†**१८५२. चौधरी मुहम्मद शफ़ी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में कि यह दिखाया गया हो कि :

(क) भारत सरकार के पुलिस कर्मचारियों की संख्या, जिनको १ जनवरी, १९५५ से ३१ मार्च १९५६ तक विधि न्यायालय क निर्णय के परिणामस्वरूप मुअत्तल किया गया है, पदच्युत किया गया है, सेवामुक्त किया गया है अथवा निकाला गया है;

(ख) इन निर्णयों के विरुद्ध कितनी अपीलें हुई हैं तथा इसके क्या परिणाम हुए; और

(ग) कितने व्यक्तियों को पुनः नियुक्त किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जात है । **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या १७]**

पुरस्कार तथा विभूषण

†**१८५३. चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल, १९५५ से १ अप्रैल, १९५६ तक भारत सरकार ने सराहनीय सेवाओं के लिये, राज्यवार, कितने सरकारी कर्मचारियों को विभूषणों का पुरस्कार दिया है;

(ख) इन्होंने किस प्रकार की सेवायें की थीं; और

(ग) कुल कितना धन व्यय हुआ ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या १८]**

अन्दमान द्वीप समूह

†**१८५४. श्री राम कृष्ण** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अन्दमान तथा नीकोबार द्वीप समूह क स्थानीय निवासियों को प्रसूति कल्याण का प्रशिक्षण देने की योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : अन्दमान तथा नीकोबार द्वीप समूह में इस समय न तो,कोई प्रसूति केन्द्र है तथा न ही व्यवसायिक दाइयाँ हैं। मुख्यत: पोर्ट ब्लेयर अस्पताल में प्रसूति सहायता की व्यवस्था है। देहाती क्षेत्र इतने बिखरे हुये हैं कि गर्भिणियों को प्रसव मामलों में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिये इस कार्य के लिये २५ दाइयों को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव है। पोर्टब्लेयर के सरकारी अस्पताल में मुफ्त प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष होगी। देहाती क्षेत्रों से प्रत्येक वर्ष पाँच स्त्रियाँ चुनी जायेंगी तथा प्रशिक्षण अवधि में उनको ५० रुपया प्रतिमास भत्ता दिया जायेगा। प्रशिक्षण की समाप्ति के पश्चात् उनको उनके घर के निकट के देहाती क्षेत्रों में नियुक्त किया जायेगा तथा सामान्य प्रसूति के मामलों को वह निबटायेंगी। चिकित्सा विभाग से उनको आवश्यक उपकरण तथा औषधियाँ दी जायेंगी ।

जातियों की सूची

†**१८५५. श्री राम कृष्ण** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे राज्य कौन से हैं जिनकी जातियों की सूची अभी तक तैयार नहीं की गई है; और

(ख) उसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). जातियों की सूची अभी तक निम्न-लिखित राज्यों में तैयार नहीं की गई है : (१) हैदराबाद (२) पंजाब (३) पेप्सू (४) हिमाचल प्रदेश (५) दिल्ली (६) अजमेर (७) कुर्ग (८) विन्ध्य प्रदेश (९) बिहार (१०) उड़ीसा (११) आसाम (१२) मणिपुर (१३) त्रिपुरा (१४) मध्य भारत (१५) भोपाल (१६) मैसूर और (१७) त्रावनकोर-कोचीन। हैदराबाद की सूची तैयार की जा रही है। पंजाब, पेप्सू व हिमाचल प्रदेश की सूचियों की तैयारी का कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जाएगा। कुर्ग और अजमेर की सूची नहीं बनाई जाएगी क्योंकि इन राज्यों की जाति व्यवस्था क्रमश: मद्रास और राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के समान है जिनकी सूचियां तैयार की जा चुकी हैं। विन्ध्य प्रदेश की सूची नहीं बनाई जाएगी क्योंकि उस राज्य की जनगणना की पर्चियाँ नष्ट कर दी गई हैं। शेष राज्यों की सूचियां पिछली जनगणना में इन राज्यों में जाति की सीमित प्रगणना के कारण नहीं बनाई जा सकीं ।

अनुसूचित जातियां और पिछड़े वर्ग

†**१८५६. श्री बीरेन दत्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों को शिक्षा और सामाजिक सुधार के सम्बन्ध में क्या विशेष सुविधायें प्रदान की गई हैं;

(ख) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में बहुत बड़ी संख्या में अनुसूचित जातियों के मैट्रिक पास और नान-मैट्रिक व्यक्ति बेरोजगार हैं; और

(ग) सरकार उनको रोजगार देने के लिये क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) अनसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को त्रिपुरा में समस्त सरकारी शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा के समस्त स्तरों पर निशुल्क पढ़ाया जाता है। इन वर्गों के सामाजिक सुधार के लिये भी सामान्यत: पर्याप्त कदम उठाये जा रहे हैं । अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को सहायक अनुदान, वृत्तिकायें और पुस्तक-दान दिये जा रहे हैं ।

(ख) और (ग). आवश्यक न्यूनतम योग्यता वाले अनुसूचित जाति के समस्त उम्मीदवार रोजगार में लगे हुए हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

विशष कार्य पदाधिकारी

१८५७. श्री आर० एन० सिंह : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २८ सितम्बर, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या १२५० के उत्तर में लोक-सभा पटल पर रखे गये विवरण के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष कार्य पदाधिकारियों तथा परामर्शदाताओं की नियुक्ति के समय क्या अर्हतायें और आयु निश्चित हैं;

(ख) विशेष कार्य पदाधिकारी अथवा परामर्शदाता किन-किन राज्यों के हैं; और

(ग) ये पदाधिकारी कब नियुक्त किये गये थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार): (क) यह सूचना कहे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२५० के उत्तर में सभा-पटल पर रखे गये विवरण के कालम ४ तथा ५ में दी हुई है ।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) उस विवरण में दिये हुये पदाधिकारियों की नियुक्ति की तारीखें क्रमशः निम्नलिखित हैं :

१६-८-५४; १७-११-५५; १२-५-५४; १६-९-५४; १५-४-५४; २५-८-५४; ११-२-५४; १-४-५४; १७-१-५५; १५-९-५४; १-११-५४; १-११-५४; ११-९-५४; २४-२-५४; ४-८-५४; २१-७-५४; २३-३-५४; १४-११-५४; १२-४-५४; ३-१-५५; १२-१-५५; ३०-६-५४; ९-११-५४ (पुनः १८-७-५५ को); ७-११-५४; १७-१-५५; १९-१०-५४; २५-२-५५; २९-१-५५; २७-१२-५४; ९-२-५५; १-१२-५४; १-६-५४; ३१-७-५४; २१-३-५५; ५-४-५४; २७-९-५४; २१-३-५५; १०-७-५४; ७-३-५५; १८-६-५४; २-६-५४; ७-२-५५; ८-९-५४; २५-६-५४; १-९-५४; २५-२-५५; ८-११-५४; १७-२-५५; १८-१०-५४; २४-१२-५४; २९-१०-५४; १८-१२-५४; १-१०-५४; २६-४-५४; १-६-५४ (पुनः २४-८-५४ को); १४-७-५४; २९-१०-५४; ४-८-५४; १५-१-५५; १-२-५५; २४-६-५४; ७-७-५४ ।

भारतीय प्रशासकीय सेवा

†**१८५८. श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५१ में या उसके लगभग विशेष भर्ती बोर्ड द्वारा बहुत से व्यक्ति भारतीय प्रशासकीय सेवा के लिये चुने गये थे;

(ख) क्या यह सच है कि एक शासकीय प्रेसनोट में दिये गये आश्वासन के बावजूद भी चुने गये व्यक्तियों की अन्तिम सूची प्रकाशित नहीं की गई;

(ग) क्या इस तरह चुने गये व्यक्तियों में से बहुतों को १९५१ में और उसके बाद में भारतीय पुलिस सेवा में पद प्रदान किये गये थे ;

(घ) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि उनमें से बहुत से भारतीय प्रशासकीय सेवा के संवर्ग में रहना अधिक पसंद करेंगे; और

(ङ) क्या भारतीय पुलिस सेवा के ऐसे व्यक्तियों को, यदि वे वैसा चाहें, भारतीय प्रशासकीय सेवा में खपाये जाने का मौका दिया जायगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां ।

(ख) जैसा कि २१ सितम्बर, १९४९ के प्रेस नोट में कहा गया था, बाद में जैसे जैसे प्रत्येक राज्य और राज्यों के संघ में स्पष्ट रिक्ततायें ज्ञात हुई कुछ और नियुक्तियां खंडशः की गई । वे नियुक्तियां भारत के सूचनापत्र में यथासमय प्रकाशित की गई थीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जी नहीं, उनमें से केवल वे व्यक्ति जो भारतीय पुलिस सेवा के लिये भी चुने गये थे उस सेवा में नियुक्त किये गये थे ।

(घ) उनकी अपनी पसन्द का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ङ) उनमें से वे व्यक्ति, जो विशेष भर्ती योजना के अन्तर्गत उपयुक्त हैं भारतीय प्रशासकीय सेवा की प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ सकते हैं यदि उन्हें अपने पदों से छुट्टी मिल सके ।

औद्योगिक वित्त निगम

†**१८५९. श्री राम कृष्ण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में औद्योगिक वित्त निगम से सहायता के लिये पेप्सू राज्य से कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये थे;

(ख) स्वीकृत प्रार्थनापत्रों पर कितनी-कितनी धनराशि मंजूर की गई; और

(ग) अभी तक कितनी धनराशि भुगतान की गई है ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह)** : (क) कोई नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

हिन्दी का प्रचार

†१८६०. { **श्री कृष्णाचार्य जोशी** :
श्री डी० सी० शर्मा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में १९५५-५६ में हिन्दी के प्रचार के लिये, राज्यवार, कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास)**: एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या १९]**

समाज कल्याण संगठनों को अनुदान

†**१८६१. श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम द्वारा विभिन्न समाज कल्याण संगठनों को दिये गये अनुदानों की कुल धनराशि कितनी है; और

(ख) ये अनुदान कुल कितनी संस्थाओं को प्राप्त हुए ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास)** : (क) ४३,७७,४५१ रुपये ।

(ख) १,७७७ ।

भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारी

†**१८६२. चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार को ३१ मार्च, १९५५ से लेकर ३१ मार्च, १९५६ तक भारतीय प्रशासकीय सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों के विरुद्ध कितनी लिखित शिकायतें, राज्यवार, प्राप्त हुई; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क)

बम्बई	१
हैदराबाद	१
पंजाब	१
योग	३

(ख) चूंकि जिन पदाधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई थीं वे राज्यों में कार्य कर रहे थे इसलिये उन पर आवश्यक कार्यवाही के लिये सम्बन्धित राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित कराया गया ।

राष्ट्रीय नाट्यशाला (नेशनल थियेटर)

†१८६३. **श्री डी० सी० शर्मा :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में प्रस्तावित राष्ट्रीय नाट्यशाला (नेशनल थियेटर) के निर्माण के सम्बन्ध में अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास)** : ६-१२-१९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ३२३ के उत्तर में मैंने कहा था कि प्रारंभिक कदम के रूप में दो वास्तुशास्त्री राष्ट्रीय नाट्यशाला (नेशनल थियेटर) के कार्यक्षेत्र और आवश्यकताओं पर सिफारिश करने की दृष्टि से पश्चिमी देशों में अत्यन्त महत्वपूर्ण नाट्यशालाओं और नृत्यशालाओं के निर्माण का अध्ययन करने के लिये विदेश भेजे गये थे । उन वास्तुशास्त्रियों का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है और उस पर भारत सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ।

विज्ञान मन्दिर

†१८६४. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में कोई विज्ञान मंदिर स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कहां; और

(ग) उसमें कितना व्यय किया गया ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) अभी तक नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

मध्य भारत में संयुक्त पुलिस कमान

†१८६५. **श्री शिवमूर्ती स्वामी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री १२ सितम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १६७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त पुलिस कमान, जिसे कि मध्य भारत में मानसिंह के गिरोह दल के विरुद्ध कार्यवाही समन्वित करने के लिये स्थापित किया गया था, अब भंग कर दी गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हा ।

(ख) वह संयुक्त कमान मुख्य रूप से मानसिंह के गिरोह को खत्म कर देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था । अब क्योंकि मानसिंह स्वयं, उसके बहुत से साथी, जिसमें उसका भाई व लड़का भी सम्मिलित हैं, तथा उस क्षेत्र में लूट मचाने वाले अन्य बहुत से डाकू मारे जा चुके हैं, उस संयुक्त कमान को कायम रखने की कोई आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

†मूल अंग्रेजी में

बुनियादी शिक्षा

†१८६६. **श्री राम कृष्ण :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बुनियादी शिक्षा के विस्तार के लिये पेप्सू राज्य को १९५४-५५ तथा १९५५-५६ में कुल कितना अनुदान अथवा सहायता दी गयी;

(ख) क्या सारी राशि का उपयोग कर लिया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो उस अवधि में केन्द्रीय सहायता से कितने नये बुनियादी कालिज, स्कूल तथा इस प्रकार की अन्य संस्थायें स्थापित की गयी हैं;

(घ) इस अवधि में उस केन्द्रीय सहायता से कुल कितनी वर्तमान प्रशिक्षण संस्थाओं को बुनियादी स्कूलों में बदला गया; और

(ङ) पेप्सू राज्य को बुनियादी शिक्षा के विस्तार के लिये आगामी वर्ष में कुल कितना अनुदान अथवा सहायता दी जायेगी ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास) :** (क) इस उद्देश्य के लिये राज्य सरकार को निम्नलिखित अनुदान की मंजूरी दी गई :

(१) १९५४-५५ — १४,४०० रुपये ।

(२) १९५५-५६ — २०,२६० रुपये ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) राज्य सरकार ने स्वीकृत राशि के कुछ भाग का निम्नलिखित शिक्षा संस्थायें खोलने में उपयोग किया :

बुनियादी स्कूल	३३
बुनियादी प्रशिक्षण संस्थायें	२

(घ) १ संस्था

(ङ) यह तो राज्य सरकार की नीति पर तथा भारत सरकार द्वारा वहन किये जाने वाले खर्च के अंश पर निर्भर करती है ।

आय-कर विभाग, कटक

†१८६७. **डा० नटवर पांडे :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय-कर विभाग के कर्मचारियों के आवास के लिये कटक में एक भवन बनाने की कोई प्रस्थापना है;

(ख) क्या यह सच है कि इस सम्बन्ध में सुझाये गये दो स्थानों में से एक स्थान भवन निर्माण के लिये चुन लिया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो प्रत्येक प्रस्ताव के निबन्धन क्या हैं; और

(घ) उस स्थान को किस आधार पर चुना गया है ?

†**राजस्व और असैनिक-व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) :** (क) जी, हाँ । आय-कर विभाग के कर्मचारियों के रहने के लिये कटक में क्वार्टर तैयार करने की एक प्रस्थापना है ।

(ख) इस सम्बन्ध में आये हुए दो प्रस्तावों में से एक स्थान चुन लिया गया है ।

(ग) वास्तव में, प्लाट संख्या १ को १५०० रुपया प्रति गुंथा के दर पर देने का प्रस्ताव किया गया था । उसके बाद उस दर को बदल कर ९०० रुपया प्रति गुंथा कर दिया गया; यह मूल्य स्थानीय राजस्व प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित किया गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्लाट संख्या २ को प्रारम्भ में १००० रुपया प्रति गुंथा के दर पर देने का प्रस्ताव किया गया था बाद में दर को बदल कर ८५० रुपया प्रति गुंथा कर दिया गया। दर में यह परिवर्तन प्लाट संस्था १ के ९०० रुपया प्रति गुथा की दर पर खरीदे जाने की मंजूरी के बहुत बाद किया गया था।

(घ) प्लाट संख्या १, इसलिये चुना गया कि यह आय-कर विभाग के अधोषित कर्मचारियों के रहने के लिये मकान बनाने की दृष्टि से अधिक उपयुक्त पाया गया था, और क्योंकि वह शहर और बाज़ार के समीप ही आबाद बस्ती में स्थित था, और यह उन कर्मचारियों द्वारा भी पसन्द किया गया था, जिनके लिये ये क्वाटर बनाये जाते हैं।

मद्रास में स्त्री तथा बाल कल्याण केन्द्र

†१८६८. **श्री बालकृष्णन्** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में मद्रास राज्य में केन्द्रीय सहायता से कितने स्त्री तथा बाल कल्याण केन्द्र खोले गये हैं; और

(ख) इस वर्ष इस प्रकार के कितने केन्द्र प्रारम्भ करने का विचार है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और शीघ्रातिशीघ्र लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी।

प्रतिरक्षा मंत्रालय में ठेके

१८६९. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भिन्न-भिन्न सामानों के संभरण के लिये प्रतिरक्षा मंत्रालय में १ जनवरी, १९५३ से किस-किस प्रकार के ठेके प्रचलित हैं ?

प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : अधिकतर भण्डार, जिनकी आवश्यकता सशस्त्र सेनाओं तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय को होती है, डाइरेक्टर जनरल आफ़ सप्लाईज़ ऐण्ड डिस्पोज़ल, खाद्य और कृषि मंत्रालय के चीफ़ डाइरेक्टर आफ परचेज़, डाइरेक्टर जनरल, इण्डिया स्टोर डिपार्टमेन्ट, लन्दन और इण्डिया सप्लाई मिशन, वाशिंगटन द्वारा प्राप्त किये जाते हैं, और प्रतिरक्षा मंत्रालय का वास्तविक ठेकें से कोई सम्बन्ध नहीं है। सशस्त्र सेनाओं के स्थानीय अधिकारियों द्वारा केवल निर्माण कार्यों सम्बन्धी ठेके तथा रसद व सेवाओं सम्बन्धी कुछ छोटे ठेके किये जाते हैं, उदाहरणत: सब्जियों, फलों, मछली, मांस, इत्यादि की रसद।

जाली नोट

१८७०. { **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जाली नोटों के कुल कितने मामले दर्ज किये गये हैं और उनमें कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया है;

(ख) पुलिस ने इस सम्बन्ध में कितने स्थानों पर छापा मारा और जाली नोट बनाने के काम में आने वाली कितनी मशीनें पकड़ी; और

(ग) १९५४-५५ की अपेक्षा १९५५-५६ में जाली नोट बनाने के मामलों में वृद्धि होने के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह):** (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है, जिसमें उपलब्ध जानकारी दी गयी है । [**देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या २०**]। कुछ एक राज्य सरकारों से जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है और यथासमय एक और विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ।

(ग) उपलब्ध जानकारी से यह पता नहीं चलता कि १९५५--५६ में जाली नोट बनाने के मामलों में वृद्धि हुई है ।

रूरकेला में इंजीनियर कालिज

†**१८७१. श्री सगंण्णा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में रूरकेला में एक दूसरा इंजीनियरी कालिज स्थापित करने की एक प्रस्थापना भारत सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम हुआ है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास) :** (क) इस प्रकार की कोई भी प्रस्थापना नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मनीपुर के महाराजा का उत्तराधिकार

†**१८७२. श्री रिशांग किशिंग :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने मनीपुर के स्वर्गीय महाराजा बुद्ध चन्द्र सिंह की दूसरी रानी से उत्पन्न ३।। वर्ष के अवयस्क पुत्र को उसके उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया है; और

(ख) उत्तराधिकारी का चुनाव कैसे किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** (क) जी, हां ।

(ख) राष्ट्रपति ने भारत सरकार द्वारा सुनिश्चित मनीपुर की गद्दी के उत्तराधिकार से सम्बन्धित विधि तथा रिवाज को ध्यान में रखते हुए, श्री ओकेन्द्रजीत सिंह को मनीपुर क शासक के रूप में अभिज्ञात किया था । परन्तु वहाँ से प्राप्त अभ्यावेदनों को दृष्टि में रखते हुए यह निर्णय किया गया है कि इस मामले की एक न्यायक पदाधिकारी द्वारा जाँच करायी जाये ।

विज्ञान मन्दिर

†**१८७३. श्री शिवनंजप्पा :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में कन्नड़ भाषा-भाषी क्षेत्रों में कितने विज्ञान मन्दिर स्थापित करने का विचार है; और

(ख) उन पर लगभग कितनी लागत आयेगी ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) :** (क) विभिन्न राज्यों में विज्ञान मन्दिरों का आवंटन अभी नहीं किया गया है ।

(ख) प्रत्येक विज्ञान मन्दिर पर अनावर्त्तक खर्चे का १६,५०० रुपये का अनुमान लगाया गया है और वार्षिक आवर्त्तक खर्च लगभग १२,००० रुपया होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रविधिक शिक्षा के लिये विकास समिति

†**१८७४. श्री शिवनंजप्पा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रविधिक शिक्षा की स्नातकोत्तर विकास समिति की हाल ही में एक बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हाँ, तो समिति ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में कौन-कौन सी महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास) :** (क) और (ख). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है। [**देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या २१**]

भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

†**१८७५. श्री बीरेन दत्त :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने त्रिपुरा राइफल के भूतपूर्व सैनिकों को पुनः बसाने के लिये कोई योजना प्रारम्भ की है;

(ख) इस द्वारा कितने भूतपूर्व सैनिकों को लाभ पहुंचेगा; और

(ग) इस योजना के अधीन वास्तव में क्या काम किया जायगा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (डा० काटजू) :** (क) भारत सरकार द्वारा केवल त्रिपुरा राइफ़ल्ज़ के भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिये कोई योजना प्रारम्भ नहीं की गई है। त्रिपुरा राइफ़ल्ज़ के भूतपूर्व सैनिकों को भी पुनः बसाने के लिये वे सभी सुविधाएं, जैसे सरकारी अथवा ग़ैर-सरकारी संस्थाओं में नौकरी के मामले में अधिमान नई बस्तियों में बसाना, परिवहन सहकारी संस्थाओं के निर्माण में सहायता, व्यावसायिक तथा प्रविधिक प्रशिक्षण आदि, प्राप्य हैं जो कि सामान्य रूप से सभी भूतपूर्व सैनिकों को दी जाती हैं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

अगरतला (त्रिपुरा) में सेंध लगाने की घटनायें

†**१८७६. श्री बीरेन दत्त :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में तथा जनवरी, १९५६ से मार्च, १९५६ तक अगरतला पुलिस स्टेशन में सेंध की कितनी घटनायें दर्ज की गयी हैं;

(ख) कितने मामलों का पता चला लिया गया है; और

(ग) कितने अपराधियों को दण्ड दिया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** (क) १९५५-५६ में १११ मामले तथा जनवरी से मार्च १९५६ तक २१ मामले।

(ख) ३५

(ग) ८

आदिम जातीय विद्यार्थियों के लिये छात्रालय

†**१८७७. श्री दशरथ देव :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सरकार त्रिपुरा में आदिम जातीय विद्यार्थियों के लिय नये छात्रालय बना रही हैं;

(ख) यदि हाँ, तो कितने छात्रालय बन रहे हैं; और

(ग) ये छात्रालय कहां-कहां बन रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास)** : (क) जी, हां ।

(ख) **पांच** ।

(ग) **वे निम्नलिखित स्कूलों के लिये बनाये गये हैं :**

(१) जम्पेजाला प्राइमरी स्कूल, सदर ।

(२) वीरेन्द्र नगर प्राइमरी स्कूल, सदर ।

(३) काकरावन सीनियर बेसिक स्कूल, उदयपुर ।

(४) दमचेरा प्राइमरी स्कूल, अर्मनगर ।

(५) मनिल भंडार एम० ई० स्कूल, कमलपुर ।

आदिम जातीय छात्र

†**१८७८. श्री दशरथ देव :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार का विचार उन आदिम जातीय छात्रों को शिक्षा शुल्क देने को है जो त्रिपुरा में ग़ैर-सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास)** : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

काश्मीर का संविधान

†**१८७९. श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या काश्मीर की संविधान सभा ने जम्मू और काश्मीर राज्य के संविधान को अंतिम रूप दे दिया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : जम्मू और काश्मीर सरकार से पता चला है कि कुछ ही महीनों में राज्य के संविधान को अंतिम रूप दे दिया जायगा ।

औद्योगिक वित्त निगम

†**१८८०. श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक वित्त निगम से सहायता पाने के लिये १ अप्रैल, १९५२ से ३१ मार्च, १९५५ तक आंध्र से प्राप्त आवेदनपत्रों की संख्या कितनी है;

(ख) स्वीकृत आवेदनों में प्रत्येक पर कितनी रकम मंजूर की गई; और

(ग) अभी तक कितनी रकम दी जा चुकी है ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह)** : (क) एक ।

(ख) ३५ लाख रुपये ।

(ग) १२ लाख रुपये । शेष रकम लेना कम्पनी ने अस्वीकार कर दिया ।

विश्व बैंक से ऋण

†**१८८१. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पाँच वर्षों में ऋण प्राप्त करने के लिये विश्व बैंक को कितने आवेदनपत्र भेजे गये;

(ख) स्वीकृत ऋणों की संख्या कितनी है और ये ऋण किस प्रकार के हैं;

(ग) विश्व बैंक द्वारा कितने आवेदन पत्र अस्वीकृत किये गये; और

(घ) इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**राजस्व और असैनिक-व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : (क) चार

(ख) पिछले पाँच वर्षों में निम्नलिखित चार ऋण दिये गय हैं :

ऋण का नाम	ऋण के करार की तारीख	राशि (डालरों में)
(१) इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, लिमिटेड	१८-१२-५२	३ करोड़ १५ लाख
(२) दामोदर घाटी निगम—२	२३-१-५३	१ करोड़ ५ लाख
(३) ट्राम्बे परियोजना	१९-११-५४	१ करोड़ ६२ लाख
(४) भारत का प्रौद्योगिक ऋण तथा विनियोजन निगम (इंडस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया)	१४-३-५५	१ करोड़

(ग) एक भी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मालिनी नदी के निकट खुदाई

१८८२. श्री भक्त दर्शन : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के गढ़वाल जिले में मालिनी नदी के किनारे पर महर्षि कण्व के आश्रम के पास खुदाई करते समय ७०० ईसवी की एक मूर्ति पाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास) : (क) और (ख). आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

ओलम्पिक खेल

†**१८८३. श्री सी० भट्ट** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार क पास, विभिन्न स्थानों पर आयोजित विश्व ओलम्पिक खेल प्रतियोगिताओं क वैयक्तिक कार्यों में भाग लेने वाली भारतीय एजेन्सियों के सरकारी अथवा ग़ैर-सरकारी चिन्हों का कोई रिकार्ड है;

(ख) यदि हाँ, तो पिछल पाँच ओलम्पिक खेलों के क्या रिकार्ड हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास)** : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) सरकार से ऐसे रिकार्ड रखने की आशा नहीं की जाती ।

केन्द्रीय सचिवालय में असिस्टेन्ट

†**१८८४. श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय तथा उस से सम्बद्ध कार्यालयों में काम करने वाले उन आसिस्टेन्टों को जो संघ लोक-सेवा आयोग की सिफारिशों पर नियुक्त नहीं किये गये थे, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (पुनर्गठन और अधिक भर्ती करना) योजना के अन्तर्गत, संघ लोक-सेवा आयोग की दो अर्हकारी-

†मूल अंग्रजी में

परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी गई थी ताकि वे केन्द्रीय सचिवालय सेवा की चतुर्थ श्रेणी में स्थायी होने से पहले अपने स्थानों पर सेवा जारी रख सकें;

(ख) संघ लोक-सेवा आयोग की दो परीक्षाओं में से अंतिम का परिणाम कब घोषित किया गया था;

(ग) क्या अनेक काम कर रहे असिस्टेन्ट, जो इन दोनों परीक्षाओं में असफल रहे, परिणाम के बहुत समय बाद तक नौकरी करते रहे और क्या कुछ लोग १९५४ के अन्त तक रहे थे;

(घ) क्या इन में से कुछ लोग स्थायी क्लर्क भी नहीं थे;

(ङ) केन्द्रीय सचिवालय के किसी मंत्रालय या किसी सम्बद्ध कार्यालय में क्या कोई ऐसा भी अवसर आया जब कि संघ लोक-सेवा आयोग की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद भी किसी असिस्टेन्ट को उस स्थान पर न रहने दिया गया हो यद्यपि उसके विरुद्ध अयोग्यता अथवा अन्य कोई आरोप न हो; और

(च) यदि हाँ, तो गृह कार्य मंत्रालय तथा अन्य सम्बद्ध कार्यालयों में ऐसे कितने अवसर आये और उन के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) नहीं श्रीमान् । केन्द्रीय सचिवालय सेवा की चतुर्थ श्रेणी में स्थायीकरण के हेतु वर्तमान अस्थायी असिस्टेन्टों का प्रवरण करने के लिये, संघ लोक-सेवा आयोग द्वारा केवल विभागीय परीक्षार्थियों तक सीमित दो प्रतियोगिता-परीक्षायें (अर्हकारी परीक्षण नहीं) ली गई थीं, एक तो जून १९५० में और दूसरी दिसम्बर १९५१ में ।

(ख) २२ मई, १९५२ को ।

(ग) जैसा कि ऊपर कहा गया है, ये परीक्षायें स्थायीकरण के हेतु अस्थायी असिस्टेन्टों का प्रवरण करने के लिये ली गई थीं उनकी अस्थायी पद पर कायम रहने की उपयुक्तता को जाँचने के लिये नहीं । जो असिस्टेन्ट इन परीक्षाओं में बैठे किन्तु स्थायीकरण के योग्य नहीं समझे गये वे अस्थायी असिस्टेन्टों के रूप में नौकरी करते रहे ।

(घ) हाँ ।

(ङ) गृह मंत्रालय को ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं मिली है ।

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

निर्वाचक नामावलियाँ

†**१८८५. डा० सत्यवादी** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५२ में तैयार की गई निर्वाचक नामावलियों का समस्त देश में पुनरीक्षण हो चुका है; और

(ख) यदि हाँ, तो १९५२ के कुल निर्वाचकों की तुलना में प्रत्येक राज्य में कुल निर्वाचकों की क्या स्थिति है ?

†**विधि कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)** : (क) और (ख). निर्वाचक नामावलियाँ प्रति वर्ष पुनरीक्षित की जाती हैं । ऐसा पुनरीक्षण प्रत्येक राज्य के क्षेत्र के पाँचवे हिस्से में प्रत्येक घर में पूछताछ करने के बाद किया जाता है और शेष ४/५ भाग में मौत के रजिस्टरों को देख कर तथा दावों और आपत्तियों आदि पर ध्यान देकर किया जाता है । इस का उद्देश्य यह है कि पाँच वर्ष पूरे होने तक अर्थात आम चनाव प्रारम्भ होने से पहले प्रत्येक राज्य के समस्त क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियाँ कम से कम एक बार पूर्ण-रूपेण पुनरीक्षित कर ली जायें । यह स्थिति उस समय होगी जब कि पिछले आम चुनावों से पहले

†मूल अंग्रेजी में

तैयार की गई निर्वाचक नामावलियों का १९५६ का पुनरीक्षण जो अभी चल रहा है, पूरा हो जायगा जिन नामावलियों के आधार पर १९५२ में आम चुनाव हुए थे, -उन के आंकड़ों की तुलना १९५५ के आँकड़ों से की जा सकती है। १९५१ और १९५५ की नामावलियों में निर्वाचकों की संख्या का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिए परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या २२]**

प्रविधिक शिक्षा के लिए अखिल भारतीय परिषद्

†**१८८७. श्री हेमराज** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (१) प्रविधिक शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद् की उत्तरी प्रादेशिक समिति के सदस्यों के क्या नाम हैं;

(२) उन की पदावधि कितनी है; और

(३) इस का सम्बन्ध किन राज्यों से है; और

(ख) (१) १९५४ और १९५५ में समिति की कितनी बैठकें हुईं और (२) उत्तरी क्षेत्र में प्रविधिक शिक्षा विकास के लिये बनाई गई योजना का क्या व्योरा है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है जिस में अपेक्षित जानकारी दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या २३]**

केन्द्रीय सचिवालय

†**१८८८. श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६ अगस्त, १९४७ से ३० मई, १९५२ तक, जब कि अर्द्ध स्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के समान समझने के आदेश जारी किये गये थे, कितने अस्थायी क्लर्कों को असिस्टैंटो की श्रेणी में पदोन्नत किया गया;

(ख) केन्द्रीय सरकार में ऐसे विस्थापित स्थायी क्लर्कों की संख्या कितनी है जो इस अवधि में पदोन्नत नहीं किये गये; और

(ग) १६ दिसम्बर, १९५२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६९५ के उत्तर में उल्लिखित सरकारी नीति को लागू न करने से उत्पन्न असमानताओं को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). कोई जानकारी प्राप्त नहीं है क्योंकि ये पदोन्नतियाँ इस मंत्रालय के परामर्श के बिना विभिन्न मंत्रालयों द्वारा दी गई थीं। १५ अगस्त, १९४७ से १४ अप्रैल, १९५२ के बीच में अस्थायी क्लर्क भी ग्रेजुएट होने की दशा में असिस्टेन्ट श्रेणी में नियुक्त किये जा सकते हैं। १४ अप्रैल, १९५२ के बाद और जब तक यह निश्चय न कर लिया गया कि केन्द्रीय सचिवालय क्लर्क सेवा में प्रथम श्रेणी बनाई जाये तब तक अर्द्ध स्थायी होने की दशा में उन अस्थायी क्लर्कों को भी पदोन्नति दी जा सकती थी जो ग्रेजुएट न थे।

(ग) १६ दिसम्बर, १९५२ के प्रश्न संख्या ६९५ के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित, स्थायी विस्थापित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की पदोन्नति के सम्बन्ध में जो नीति है, उसका निरन्तर अनुसरण किया जा रहा है। क्लर्क की श्रेणी में काम करने वाले केन्द्रीय सरकार के विस्थापित स्थायी कर्मचारी भी स्थायी और अर्द्ध स्थायी क्लर्कों के साथ असिस्टेंटों की श्रेणी में पदोन्नत किये जाने के पात्र थे।

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय कृषि-ऋण निधि

†१८८९. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में भारत के रक्षित बैंक ने राष्ट्रीय कृषि-ऋण (दीर्घ कालीन प्रक्रिया) निधि में से किन-किन वर्गों की संस्थाओं को मध्यम कालीन ऋण दिये; और

(ख) क्या ऋण लेने वाली इन संस्थाओं पर कोई सीमा भी रखी गई है ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह)** : (क) माननीय सदस्य का ध्यान भारत का रक्षित बैंक अधिनियम की धारा ४६ की ओर दिलाया जाता है । उन्हें यह ज्ञात होगा कि राज्य-सरकारों को दीर्घकालीन ऋण देने के अतिरिक्त राष्ट्रीय कृषि-ऋण (दीर्घ कालीन प्रक्रिया) निधि से, मध्यमकालीन ऋण केवल सहकारी बैंकों को ही दिये जाते हैं ।

(ख) ऋण लेने वाली संस्थाओं पर ऋण लेने की कोई संविहित सीमा नहीं है। ऐसे मध्यमकालीन ऋण एक तो राज्य सरकारों की प्रत्याभूति पर और दूसरे उद्देश्य पूर्ति के हेतु निधि के व्यय कर सकने के सामर्थ्य पर निर्भर करते हैं ।

भारतीय असैनिक सेवा

†१८९०. **श्री रघुवीर सहाय** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २५ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १७२१ के उत्तर के सम्बन्ध में सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगें जिसमें भारतीय असैनिक सेवा पदालि के पदाधिकारियों की राज्यवार संख्यायें तथा उनकी सेवा की अवधि दिखाई गई हो ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या २४]**

प्रौढ़ शिक्षा

†१८९१. **श्री मादिया गौडा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस की सरकार ने केन्द्रीय सरकार को प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में, वहाँ की प्रौढ़ शिक्षा की पद्धति का अध्ययन करने के लिये विशेषज्ञों को नियुक्त करने का निमंत्रण दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास)** : (क) और (ख). रूसी सोवियत संघीय समाजवादी गणतंत्र (रसियन सोवियत फेडरेटिव सोशलिस्ट रिपब्लिक) के शिक्षा मंत्रालय ने, भारत सरकार से रूसी सोवियत समाजवादी गणतंत्र की शिक्षा पद्धति का परिचय प्राप्त करने के लिये, तीन सप्ताह के लिये, १५ भारतीय शिक्षा शास्त्रियों का एक प्रतिनिधि मंडल रूस भेजने के लिये कहा है ।

इस निमंत्रण को स्वीकार कर लेने का विचार है । यह भी विचार किया जा रहा है कि विभिन्न शिक्षा स्तरों का प्रतिनिधित्व करने वाले दस भारतीय शिक्षाशास्त्रियों का एक दल भेज कर जो कि रूसी सोवियत समाजवादी संघ में विद्यमान शिक्षा-सुविधायें देख कर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा; इस प्रस्ताव को कुछ परिवर्तनों के साथ स्वीकार किया जाये । प्रस्ताव विचाराधीन है ।

बिहार की समाज कल्याण संस्थाओं को अनुदान

†१८९२. **श्री देवगम** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५-५६ में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के द्वारा बिहार की प्रत्येक समाज कल्याण संस्था को कितना अनुदान दिया गया?

---

†मूल अंग्रेजी म

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० एम० एम० दास)** : अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या २५**]

छावनी बोर्ड

†१८९३. { **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५-५६ के लिये फीरोजपुर, जालंधर, अमृतसर और अम्बाला छावनी बोर्ड ने क्या विकास कार्यक्रम बनाये हैं ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : १९५५-५६ में विकास कार्यक्रम के लिये इन चार छावनी बोर्डों द्वारा मांगी गई राशि को दिखाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या २६**]

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

मंगलवार, ८ मई, १९५६]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		२१९१–२२११
तारांकित प्रश्न संख्या		
२००४	वायु शक्ति	२१९१–९२
२००७	वायु शोधक द्रव्य	२१९२–९३
२००९	छपाई का प्रादेशिक स्कूल, दिल्ली	२१९२
२०१२	राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी	२१९४
२०१३	यूनेस्को गोष्ठी	२१९४–९५
२०१४	भारतीय वायु बल	२१९५–९६
२०१५	भगवान बुद्ध ...	२१९६–९८
२०१६	राजधानी बनाने के लिये उड़ीसा को अनुदान	२१९८–९९
२०१८	वित्त मंत्रालय में भर्ती ...	२१९९–२२००
२०१९	मुसलमानों का काश्मीर में प्रव्रजन ...	२२००–०१
२०२१	प्राथमिक शिक्षा के लिये राज्यों को अनुदान	२२०१–०३
२०२२	मोटर स्पिरिट पर उत्पादन कर	२२०३–०५
२०२४	सेना के अफसर ...	२२०५–०७
२०२८	रुपी कम्पनी ...	२२०८
२०३०	प्रतिरक्षा विज्ञान संगठन ...	२२०८–०९
२०३१	त्रावनकोर-कोचीन राज्य का प्रशासक	२२०९–१०
२०३२	काश्मीर में गैर-मुस्लिम ...	२२१०
२०३४	विदेशी चलार्थ नोट और सिक्के	२२१०–११
प्रश्नों के लिखित उत्तर		२२११–२९
तारांकित प्रश्न संख्या		
२००५	विदेशी छात्रों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय छात्रावास	२२११
२००६	त्रावनकोर विश्वविद्यालय को अनुदान	२२११
२००८	यूनेस्को	२२११
२०१०	बुनियादी शिक्षा सम्बन्धी गवेषणा की राष्ट्रीय संस्था	२२११–१२
२०११	शस्त्रास्त्रों का खरीदा जाना	२२१२
२०१७	फौलेण्ड नाट-फाइटर एयरक्राफ्ट	२२१२
२०२०	डाक तथा तार कर्मचारी	२२१२
२०२३	भारतीय कर सुधार ...	२२१३
२२२५	आसाम में प्रशासनिक इकाई	२२१३
२०२६	स्वायत्तशासी संस्थाओं का लेखा तथा लेखापरीक्षका ...	२२१३
२०२७	विदेशी राष्ट्रजन	२२१३–१४

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या

२०२९ अन्दमान द्वीप समूह में मद्यनिषेध २२१४
२०३३ नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक २२१४
२०३५ सैनिक प्रशिक्षण ... २२१४–१५
२०३६ अखिल भारतीय सेवा ... २२१५

अतारांकित प्रश्न संख्या

१८५२ पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही ... २२१५
१८५३ पुरस्कार तथा विभूषण २२१५
१८५४ अन्दमान द्वीप समूह २२१५–१६
१८५५ जातियों की सूची २२१६
१८५६ अनुसूचित ज़ातियां और पिछड़े वर्ग २२१६
१८५७ विशेष कार्य पदाधिकारी २२१७
१८५८ भारतीय प्रशासकीय सेवा २२१७–१८
१८५९ औद्योगिक वित्त निगम २२१८
१८६० हिन्दी का प्रचार २२१८
१८६१ समाज कल्याण संगठनों को अनुदान २२१८
१८६२ भारतीय प्रशासकीय सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारी २२१८–१९
१८६३ राष्ट्रीय नाट्यशाला (नेशनल थियेटर) २२१९
१८६४ विज्ञान मंदिर २२१९
१८६५ मध्य भारत में संयुक्त पुलिस कमान २२१९
१८६६ बुनियादी शिक्षा २२२०
१८६७ आय-कर विभाग, कटक २२२०–२१
१८६८ मद्रास में स्त्री तथा बाल कल्याण केन्द्र ... २२२१
१८६९ प्रतिरक्षा मंत्रालय में ठेके २२२१
१८७० जाली नोट २२२१–२२
१८७१ रूरकेला में इंजीनियर कालिज ... २२२२
१८७२ मनीपुर के महाराजा का उत्तराधिकार २२२२
१८७३ विज्ञान मंदिर २२२२
१८७४ प्रविधिक शिक्षा के लिये विकास समिति ... २२२३
१८७५ भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास २२२३
१८७६ अगरतला (त्रिपुरा) में सेंध लगाने की घटनायें २२२३
१८७७ आदिम जातीय विद्यार्थियों के लिये छात्रालय २२२३–२४
१८७८ आदिम जातीय छात्र २२२४
१८७९ काश्मीर का संविधान २२२४
१८८० औद्योगिक वित्त निगम २२२४

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१८८१	विश्व बैंक से ऋण	२२२४–२५
१८८२	मालिनी नदी के निकट खुदाई	२२२५
१८८३	ओलम्पिक खेल	२२२५
१८८४	केन्द्रीय सचिवालय में असिस्टेन्ट	२२२५–२६
१८८५	निर्वाचक नामावलियां	२२२६–२७
१८८७	प्रविधिक शिक्षा के लिये अखिल भारतीय परिषद्	२२२७
१८८८	केन्द्रीय सचिवालय	२२२७
१८८९	राष्ट्रीय कृषि-ऋण निधि	२२२८
१८९०	भारतीय असैनिक सेवा	२२२८
१८९१	प्रौढ़ शिक्षा	२२२८
१८९२	बिहार की समाज कल्याण संस्थाओं को अनुदान	२२२८–२९
१८९३	छावनी बोर्ड	२२२९

M56LSD—14-8-57—190—GIPF

खण्ड ४ — अंक ६०
८ मई, १९५६ (मंगलवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २ — प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

1st Lok Sabha
(XII Session)

सत्यमेव जयते

(खण्ड ४ में अंक ४६ से अंक ६० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

छः आने या ३७ नये पैसे (देश में) दो शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

[खण्ड ४—१८ अप्रैल से ८ मई, १९५६]

अंक ४६—बुधवार, १८ अप्रैल, १९५६

	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव—	
बम्बई में नौका-गोदी और डिपो में असैनिक कर्मचारियों की हड़ताल	२४३३–३४
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	२४३४–३५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पचासवां प्रतिवेदन ...	२४३५
कार्य मंत्रणा समिति—	
बत्तीसवां प्रतिवेदन	२४३५–३७
जम्मू तथा कश्मीर (विधियों का विस्तार) विधेयक	२४३७
राज्य पुनर्गठन आयोग ...	२४३७–३८
संविधान (नवां संशोधन) विधेयक ...	२४४३
विनियोग (संख्या २) विधेयक ...	२४४३
संविधान (छठा संशोधन) विधेयक	२४३९–४३
नियम समिति—	
दूसरा प्रतिवेदन ...	२४८५
वित्त विधेयक	२४४४–८५
विचार करने का प्रस्ताव ...	२४४४
दैनिक संक्षपिका	२४८६

अंक ४७—शुक्रवार, २० अप्रैल, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—	
बम्बई में नौका-गोदी और डिपो में असैनिक कर्मचारियों की हड़ताल	२४८७–८९
विनियोग (संख्या २) विधेयक	२४८९–९०
वित्त विधेयक ...	... २४९०–२५११
विचार करने का प्रस्ताव	२४९०
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पचासवां प्रतिवेदन	२५११
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४२९ का संशोधन)	२५१२–२३
विचार करने का प्रस्ताव	२५१२
विद्युत् (संभरण) संशोधन विधेयक (धारा ७७, आदि का संशोधन)	२५२४–३०
विचार करने का प्रस्ताव ...	२५२४
दैनिक संक्षेपिका	२५३१

अंक ४८—शनिवार, २१ अप्रैल, १९५६

राज्य पुनर्गठन विधेयक के बारे में याचिकायें	२५३३

वित्त विधेयक २५३३–२६०२
विचार करने का प्रस्ताव २५३३
खण्ड २ से ३७ तक, अनुसूचियां १ से ४ और खण्ड १ ... २५५३–२६००
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... २६००
कार्य मंत्रणा समिति—
तैतीसवां प्रतिवेदन ... २६०२
विनियोग (संख्या २) विधेयक २६०२–०५
विचार करने का प्रस्ताव २६०२
खण्ड १ से ३ और अनुसूची ... २६०५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव २६०५
दैनिक संक्षेपिका २६०६

अंक ४९—सोमवार, २३ अप्रैल, १९५६

कार्य-मंत्रणा समिति—
तैतीसवां प्रतिवेदन २६०७–०८
नियम ९२ के प्रथम परन्तुक के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव ... २६०८–१७
राज्य पुनर्गठन विधेयक २६१७–५९
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २६१७
दैनिक संक्षेपिका २६६०

अंक ५०—मंगलवार, २४ अप्रैल, १९५६

सदस्य का बंदीकरण २६६१
सभा-पटल पर रखा गया पत्र २६६२
राज्य पुनर्गठन विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव ... २६६२–९६
दैनिक संक्षेपिका २६९७

अंक ५१—बुधवार, २५ अप्रैल, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—
कुछ प्रदर्शन-कर्त्ताओं का बंदीकरण ... २६९९–२७००
सभा का कार्य २७००–०१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
इक्यावनवां प्रतिवेदन २७०१
नियम समिति—
तीसरा प्रतिवेदन २७०८
राज्य-पुनर्गठन विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २७०१–०७, २७०८–४७
दैनिक संक्षेपिका २७४८

अंक ५२—गुरुवार, २६ अप्रैल, १९५६

प्राक्कलन समिति—
पच्चीसवां प्रतिवेदन २७४९

नियम समिति—
तीसरा प्रतिवेदन २७४९–५९
राज्य पुनर्गठन विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव ... २७५९–६९
संविधान (नवां संशोधन) विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २७६९–९४
राज्य सभा से सन्देश २७९४
दैनिक संक्षेपिका २७९५

अंक ५३—शुक्रवार, २७ अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २७९७
सदस्य की नजरबन्दी २७९७
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक के बारे में याचिका २७९७
संविधान (नवां संशोधन) विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २७९८–२८२१
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव ... २८२१–३०
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
इक्यावनवां प्रतिवेदन २८३१
बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प ... २८३१
व्यक्ति की आय की अधिकतम सीमा के बारे में संकल्प ... २८४७
राज्य-सभा से सन्देश २८४७
श्रमजीवी पत्रकारों के बारे में आधे घण्टे की चर्चा २८४७–५२
दैनिक संक्षेपिका ... २७५३–५४

अंक ५४—सोमवार, ३० अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... २८५५
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति २८५५
राज्य-सभा से सन्देश २८५६
त्रावनकोर-कोचीन विनियोग (लेखानुदान) विधेयक २८५६
प्राक्कलन समिति—
छब्बीसवां प्रतिवेदन २८५६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
युद्ध सामग्री कारखानों में छटनी ... २८५६–५८
सरकार की औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में वक्तव्य २८५८–६५
सभा का कार्य २८६५–६६
मनीपुर राज्य पहाड़ी-लोग (प्रशासन) विनियमन (संशोधन)
विधेयक २८६६–७०
मनीपुर (पहाड़ी क्षेत्रों के ग्राम-प्राधिकारी) विधेयक २८७०

हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... २८७०–२९१६
जीवन बीमा निगम विधेयक २९१६
सीमेण्ट के बारे में आधे खण्टे की चर्चा २९१८–२४
दैनिक संक्षेपिका २९२५–२६

अंक ५५—मंगलवार, १ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र २९२७
विधान-मण्डलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक ... २९२७
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... २९२८–७७
दैनिक संक्षेपिका २९७८

अंक ५६—बुधवार, २ मई, १९५६

समिति के लिये निर्वाचन—
राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संघ सम्पर्क समिति २९७९–८०
भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक २९८०
राज्य-सभा से संदेश ३०१९
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव २९८०–३०१८, ३०१९–२७
खण्ड २ से ५ तक ... २९८९–३०२७
दैनिक संक्षेपिका ... ३०२८

अंक ५७—गुरुवार, ३ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३०२९
राज्य-सभा से सन्देश ३०२९–३०
सभा का कार्य ... ३०३०–३१
संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक ३०३१–३२
त्रावनकोर-कोचीन विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—
संशोधन जिसकी राज्य-सभा द्वारा सिफारिश की गयी ... ३०३३–३६
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—
खण्ड ५, ६ और ४ ... ३०३६–८७
दैनिक संक्षेपिका ३०८८

अंक ५८—शुक्रवार, ४ मई, १९५६

सभा का कार्य ३०८९–९०, ३१३६–३७
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में—
खण्ड ७ से १० तक ३०९०–३१२९
कारखाना (संशोधन) विधेयक (धारा) ५१, ५४ और ५९ का संशोधन) ३१२९
विद्युत् (सम्भरण) संशोधन विधेयक (धारा ७७, आदि का संशोधन) ३१२९–३३

विधान मंडलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ३१३३–३६, ३१३७–४६
खण्ड २ से ४ तक और खण्ड १ ... ... ३१३५–३६, ३१३७–४६
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में ३१४६
खान (संशोधन) विधेयक (धारा ३३ और ५१ का संशोधन)—
विचार करने का प्रस्ताव ३१४६–४८
दैनिक संक्षेपिका ३१४९

अंक ५९—सोमवार, ७ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३१४९–५०
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति ३१५०
राज्य-सभा से सन्देश ३१५०
भारतीय रेड क्रास सोसाइटी (संशोधन)विधेयक ३१५०
कार्य मंत्रणा समिति—
चौंतीसवां प्रतिवेदन ३१५१
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—
चौदहवां प्रतिवेदन ३१५१
प्राक्कलन समिति की कार्यवाही का विवरण ... ३१५१
खण्ड ४, अंक २ ... ... ३१५१
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में ३१५१–३२०४
खण्ड १० से २५ तक और अनुसूची ३१५१–३२०४
दैनिक संक्षेपिका ३२०५–०६

अंक ६०—मंगलवार, ८ मई, १९५६

सदस्य की रिहाई ... ३२०७
सदस्यों का बन्दीकरण ३२०७
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में ... ३२०७–७७
खण्ड २५ से ३३ तक और १ ... ... ३२०७–४६
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में ३२७७
दैनिक संक्षेपिका ३२७८

M132LSD—190—24-3-58—GIPF.

विषय-सूची

	पृष्ठ
सदस्य की रिहाई	३२०७
सदस्यों का बन्दीकरण	३२०७
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में	३२०७–७७
खण्ड २५ से ३३ तक और १ ...	३२०७–४६
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	३२७७
श्री पाटस्कर	३२४६–४७, ३२७३–७६
श्री यू० एम० त्रिवेदी	३२४७–४८
श्री एन० सी० चटर्जी	३२४८–४९
डा० रामा राव	३२४९
श्रीमती जयश्री	३२४९–५०
श्री वी० जी० देशपांडे	३२५०–५४
श्री राधा रमण	३२५४–५६
श्री टेक चन्द ...	३२५६–५७
श्री नन्द लाल शर्मा	३२५७–६०
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	३२६०–६१
श्री टण्डन ...	३२६१–६२
श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन्	३२६२–६३
श्रीमती सुभद्रा जोशी	३२६३–६४
श्रीमती सुषमा सेन ...	३२६४–६५
पंडित ठाकुर दास भार्गव	३२६५–६८
श्री जवाहरलाल नेहरू	३२६८–७३
दैनिक संक्षेपिका ...	३२७८
समेकित विषय-सूची	(१–५)

लोक-सभा

मंगलवार, ८ मई, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

११-३१ म० पू०

सदस्य की रिहाई

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे लोक-सभा को यह सूचित करना है कि मुझे कलकत्ता के चीफ़ प्रेसीडेंसी मैजिस्ट्रेट का ५ मई, १९५६ का इस आशय का एक पत्र मिला है :

"मुझे यह सूचित करना है कि संसद् सदस्य श्री तुषार चटर्जी को आज (५ मई, १९५६ को) मुकदमे से मुक्त कर दिया गया है। इस न्यायालय द्वारा प्रेसीडेंसी जेल के सुपरिन्टेन्डेन्ट को उनको तुरन्त ही रिहा कर देने के आदेश दे दिये गये हैं।"

सदस्यों का बन्दीकरण

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे लोक-सभा को यह सूचित करना है कि मुझे सैंट्रल डिस्ट्रिक्ट कलकत्ता के डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस का दिनांक ७ मई, १९५६ का इस आशय का एक तार मिला है :

"मुझे यह सूचित करना है कि श्री भजहरि महाता और श्री चेतन माझी, सदस्य लोक-सभा को हेयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा संख्या १४३, १४५, १८६ तथा पश्चिमी बंगाल सुरक्षा अधिनियम की धारा ११ के अधीन मुक़दमा संख्या ४५८ के सम्बन्ध में ७ मई, १९५६ को १५-१५ बजे कलकत्ता में बन्दी बना लिया गया है। उन्हें प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था और जेल की हिरासत में भेज दिया गया।"

हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक

खंड २५ (रहने के मकानों सम्बन्धी विशेष उपबन्ध)

†**अध्यक्ष महोदय** : अब लोक-सभा हिन्दुओं में इच्छापत्रहीन उत्तराधिकार विधि में संशोधन करने वाले और उसे संहिताबद्ध करने वाले विधेयक पर राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, अग्रेतर खंडवार विचार करेगी।

†मूल अंग्रेजी में।

[अध्यक्ष महोदय]

श्री साधन गुप्त अपना भाषण जारी रखेंगे ।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : मैं अपने संशोधन संख्या २१९ की व्याख्या कर रहा था जो कि खंड २५ में संशोधन करने के लिये है । खंड २५ में यह उपबन्धित है कि महिला वारिस तब तक निवास-गृह के विभाजन की मांग नहीं कर सकती जब तक कि पुरुष वारिस उसका विभाजन न कराना चाहें ।

यदि इच्छापत्रहीन व्यक्ति के निवास-गृह में उसका परिवार रह रहा हो तो महिला वारिस विभाजन की मांग नहीं कर सकती है । यदि पुरुष वारिस उसका विभाजन न करना चाहें और उस मकान को खाली करके किराये पर उठा दें तो महिला वारिस को उस किराये की राशि में से अपना हिस्सा प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई होगी । इसलिये उसे न केवल उस परिस्थिति में जबकि पुरुष वारिस विभाजन करना चाहें बल्कि उस हालत में भी विभाजन की मांग करने का अधिकार होना चाहिये जब मकान खाली कर दिया गया हो । इस खंड का यही अभिप्राय है परन्तु इसको उचित रूप से अभिव्यक्त नहीं किया गया है । जब तक इच्छापत्रहीन का परिवार इस मकान में रह रहा हो तब तक महिला वारिस विभाजन की मांग नहीं कर सकती है परन्तु जब वे उस मकान को खाली कर दें तो उस समय उसे विभाजन की मांग करने का अधिकार होना चाहिये ।

माननीय मंत्री इस संशोधन पर विचार करें क्योंकि इससे इस खंड की त्रुटि दूर हो जाती है और खंड तर्कयुक्त हो जाता है ।

†**श्री वी० जी० देशपांडे** (गुना) : यह खंड ठीक तरह से नहीं बनाया गया है । इसका उद्देश्य यह है कि बाहर के व्यक्ति आकर मकान में न रहने लगें । विधेयक का प्रारूप बहुत जल्दी में तैयार किया गया है । क्योंकि वास्तव में न केवल महिला उत्तराधिकारी बल्कि पुरुष उत्तराधिकारी भी मकान में रहने के लिये बाहर के व्यक्ति ला सकेंगे । आप कहते हैं कि विवाहित पुत्री मकान में आकर नहीं रह सकती, किन्तु मृत विवाहित पुत्री का पुत्र अपने परिवार के साथ आकर उसी मकान में रह सकता है । यदि "महिला उत्तराधिकारी" शब्दों के बाद "या कोई पुरुष उत्तराधिकारी जो किसी महिला उत्तराधिकारी के द्वारा विरासत का दावेदार हो" शब्द जोड़ दिये जायें, तो बाहर के पुरुष सम्बन्धियों को, परिवार के मकान में आकर रहने से रोका जा सकता है । विधेयक के निर्माताओं ने यह तो स्वीकार किया है कि बाहर के व्यक्ति परिवार के मकान में आकर न रहें, किन्तु इसके लिये उचित व्यवस्था नहीं की गई है । उस पुत्री को जो अविवाहित है या जिसे पति ने छोड़ दिया है, या उस विधवा को जिसके पति ने कोई मकान नहीं छोड़ा है, परिवार के मकान में रहने का अधिकार है । मैं चाहता हूं कि ऐसे मकान में रहने का अधिकार पुत्री के पुत्र को नहीं होना चाहिये क्योंकि ऐसे बाहर के व्यक्तियों को मकान का बंटवारा कराने का अधिकार नहीं होना चाहिये ।

†**श्री श्यामनंदन सहाय** (मुजफ्फरपुर मध्य) : यह माना गया है कि महिला उत्तराधिकारी को मकान का बंटवारा करने का अधिकार नहीं होना चाहिये । इससे प्रकट होता है कि विधान के निर्माताओं ने किस उद्देश्य को ध्यान में रखा है । कारण यह है कि महिला विवाह के बाद दूसरे परिवार में चली जाती है । यदि वह बटवारा कराना चाहे, तो इससे परिवार के अन्य सदस्यों को, जो उस मकान में रहते हैं, बहुत असुविधा होगी । यदि यह बात मानी गई है, तो इससे यह बात भी स्वाभाविकतया उत्पन्न होती है कि महिला उत्तराधिकारी के वंशजों को भी बंटवारा कराने का अधिकार नहीं होना चाहिये । उन्हें अन्य सम्पत्ति का बंटवारा कराने का अधिकार होगा किन्तु मकान के बंटवारे का अधिकार नहीं होगा । चूंकि विधेयक में इस सिद्धांत को स्वीकार किया गया है, इसलिये इसे उस मकान में रहने वाले परिवार के अन्य सदस्यों की सुविधा के लिये बढ़ा देना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या इस आशय का कोई विशिष्ट संशोधन है ?

†**श्री वी० जी० देशपांडे** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ १०, पंक्ति २४ में शब्दों "female heir" ["महिला उत्तराधिकारी"] के बाद "or a male heir claiming inheritance through a female heir ["या कोई पुरुष उत्तराधिकारी जो किसी महिला उत्तराधिकारी के द्वारा विरासत का दावेदार हो"] शब्द रख दिये जायें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : कठिनाई से बचने के लिये इसकी भाषा यह हो सकती है "महिला उत्तराधिकारी के पुरुष या महिला उत्तराधिकारी" ।

†**श्री डाभी** (कैरा उत्तर) : खंड २५ के सम्बन्ध में मेरा संशोधन संख्या ३ है। मैं इसे एक उदाहरण देकर स्पष्ट करता हूं । एक निर्वसीयत हिन्दू एक विधवा, एक पुत्र और दो अविवाहित पुत्रियां छोड़ जाता है । यदि ये सब एक ही मकान में रह रहे थे, तो कोई महिला उत्तराधिकारी उस मकान के बटवारे के लिये नहीं कह सकती है । इस खंड में कहा गया है कि "जब तक कि पुरुष उत्तराधिकारी अपने-अपने हिस्सों को बांटना न चाहें, महिला उत्तराधिकारी यह मांग नहीं कर सकती कि मकान का बटवारा किया जाये"। इसके अन्तर्गत यदि पुरुष उत्तराधिकारी दो हों और वे बटवारा न करना चाहें तो महिला उत्तराधिकारी बटवारे के लिये मांग नहीं कर सकती हैं । किन्तु यदि पुरुष उत्तराधिकारी एक हो, तब क्या होगा ? मैं चाहता हूं कि यदि पुरुष उत्तराधिकारी एक हो, तब भी महिला उत्तराधिकारी को बटवारे की मांग करने का अधिकार नहीं होना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह खंड तभी लागू होगा जब पुरुष उत्तराधिकारी एक से अधिक हों । यदि पुरुष उत्तराधिकारी केवल एक ही हो, तो महिला उत्तराधिकारी तुरन्त बटवारे की मांग कर सकती है ।

†**श्री डाभी** : मैं चाहता हूं कि यदि पुरुष उत्तराधिकारी एक हो, तो भी महिला उत्तराधिकारी को बंटवारे की मांग करने का अधिकार नहीं होना चाहिये । जब तक कि मकान के बंटवारे का अवसर न आये उसे अविभाजित ही रहने देना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : ऐसे सुझाव से महिला उत्तराधिकारी बटवारे की मांग के अधिकार से सदा के लिये वंचित हो जायेगी और वह मकान का उपयोग नहीं कर सकेगी । अतः माननीय सदस्य का संशोधन न केवल विधेयक के क्षेत्र से बाहर है, बल्कि गलत भी है ।

†**श्री डाभी** : मेरा एक संशोधन संख्या १८१ है, जो श्री राने के संशोधन संख्या १९ के बारे में है । श्री राने यह चाहते हैं कि यदि कोई निर्वसीयत हिन्दू ५१ एकड़ से कम कृषि भूमि और दो मकान छोड़ जाये तो जब तक कि भाई बटवारा न करें महिला उत्तराधिकारी को बटवारे की मांग करने का अधिकार नहीं होना चाहिये । मेरा सुझाव यह है कि जैसा आपने मकान के बारे में अपवाद किया है, यदि पांच एकड़ कृषि भूमि के मामले में भी ऐसा ही अपवाद किया जाये तो इससे ग्रामीण जनता को कुछ हद तक संतोष हो सकेगा । उनसे पांच एकड़ भूमि का भी बटवारा करने के लिये कहना उचित नहीं होगा ।

†**श्री कृष्ण चन्द्र** (जिला मथुरा—पश्चिम) : यह खंड स्त्रियों के प्रति बहुत विभेदकारी है । इसके अन्तर्गत, जब तक पुरुष उत्तराधिकारी मकान का बटवारा करने के लिये तैयार न हों, महिला उत्तराधिकारी बटवारे की मांग नहीं कर सकती । अर्थात महिला उत्तराधिकारी पुरुष उत्तराधिकारियों की

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री कृष्ण चन्द्र]

दया पर निर्भर है। पुत्री के लिये यह प्रतिबन्ध तो समझ में आ सकता है किन्तु विधवाओं के मामले में यह समझ में नहीं आता है। मैं एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिये एक पिता दो पुत्र और एक तीसरे पुत्र की विधवा को छोड़ जाता है। यदि वह तीसरा पुत्र कहीं बाहर था और उसकी पत्नी परिवार के मकान में नहीं रहती थी, तो पति की मृत्यु के बाद वह अपने ससुर के घर में आना चाहेगी और वहां रहने की मांग करेगी। यदि वहां उसे स्थान नहीं दिया जाता है, तो उसके लिये केवल एक तरीका रह जाता है और वह यह कि वह मकान के बटवारे की मांग करे और अपना हिस्सा ले। इस खंड के अन्तर्गत उसे यह अधिकार नहीं है। इसलिये मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया हैं कि "महिला उत्तराधिकारी" के स्थान पर केवल शब्द "पुत्री" रखा जाये। ऐसा करने से कम से कम विधवा पर प्रतिबन्ध नहीं रहेगा।

परन्तुक में परिवार के मकान में रहने के अधिकार का उल्लेख है। पुत्री के लिये यह अधिकार बहुत सीमित है। एक शर्त यह है कि वह तभी उस मकान में रह सकती है जब कि वह अविवाहित हो। परन्तु अविवाहित पुत्री को मकान में रहने का अधिकार देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता क्योंकि वह तो सदा उस मकान में रहती आई है और जब तक विावह नहीं करती तब तक रहती रहेगी।

फिर पुत्री को मकान में रहने का अधिकार तब होगा जब पति ने उसे छोड़ दिया हो, किन्तु यदि उसका पति और पति का परिवार उससे अच्छा व्यवहार नहीं करता और वह उस परिवार में नहीं रहना चाहती है और अपने पिता के मकान में आकर रहना चाहती है, तो उसे यह अधिकार नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि यदि वह अपने पति से अलग हो जाये और उसके साथ न रहना चाहे तब भी उसे अपने पिता के घर में रहने का अधिकार होना चाहिये।

विधवा को परिवार के मकान में रहने का अधिकार तब है, जब उसके पति ने कोई मकान न छोड़ा हो। यदि उसका पति कोई मकान छोड़ गया है, तो इस खंड के अनुसार, उसे उसी मकान में रहना होगा, चाहे उसके लिये वहां रहना रुचिकर न भी हो। ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं, जिनमें उसे अपने पति का मकान और परिवार छोड़ना पड़े, परन्तु उसे अपने पिता के घर आकर रहने का अधिकार नहीं दिया गया है। इसीलिये मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि "विधवा" शब्द के बाद "जिसके पति ने कोई मकान न छोड़ा हो" शब्द हटा दिये जायें। ऐसा करने से विधवा, यदि वह चाहे, तो अपने पिता के मकान में वह आकर रह सकेगी।

मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि मेरे ये संशोधन स्वीकार किये जायें।

†**श्री के० पी० गौंडर** (इरोड): मैंने यह संशोधन दिया है कि खंड २५ के परन्तुक में "पुत्री" शब्द के बाद "पौत्री या प्रपौत्री" शब्द जोड़ दिये जायें। यदि पुत्री के निवास के अधिकार पर प्रतिबन्ध लगाना है, तो यह प्रतिबन्ध पुत्री की पुत्री, पुत्र की पुत्री और पुत्र के पुत्र की पुत्री के अधिकार पर भी अवश्य लगाया जाना चाहिये।

इस खंड में यह त्रुटि है और इसीलिये मैंने अपने संशोधन की सूचना दी है।

†**श्री आर० सी० शर्मा** (मुरैना-भिंड): मैंने अपना संशोधन इस धारा २५ में इस उद्देश्य से प्रस्तुत किया है कि जहां पर आपने ड्वैलिंग हाउस को, रहने के मकान को, विभाजन से मुक्त करने की विशेष व्यवस्था की है, वहां पर एक किसान का वह मकान भी जिसमें कि वह अपने पशुओं को बांधता है, जिसमें कि वह अपने पशुओं के वास्ते घास तथा चारा इत्यादि रखता है, चूंकि वह भी उसके लिये अत्यंत आवश्यक होता है, इस वास्ते उसे भी विभाजन से मुक्त रखने की विशेष व्यवस्था इस क्लाज़ में कर दी जाये। हमारे देश में ७० प्रतिशत लोग किसान हैं, इसलिये मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया

†मूल अंग्रेजी में।

है । मैंने दूसरा संशोधन देश के आर्थिक संतुलन को कायम रखने की दृष्टि से प्रस्तुत किया है । उसका तात्पर्य यह है कि बीस एकड़ तक की भूमि का विभाजन न हो । इस विधेयक सम्बन्धी विशिष्ट समिति की एक माननीया सदस्या श्रीमती सीता परमानन्द के विचारों से सहमत होते हुए भी मैं यह आवश्यक समझता हूं कि इस धारा के अन्तर्गत यह भी रखा जाये कि बीस एकड़ तक की भूमि का बंटवारा न हो सके ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसीरहाट) : मैं इस परन्तुक का विरोध करती हूं । महिला उत्तराधिकारी को न बंटवारे का अधिकार दिया गया है और न ही उसे किराये का कुछ अंश प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है, जिससे कि वह उस हानि को जो उसे मकान में रहने का अधिकार न होने के कारण होती है, पूरा कर सके । मैं चाहती हूं कि चाहे वैधानिक रूप से मकान का बंटवारा न भी हो, परन्तु अपने भाइयों के द्वारा उसे हिस्से का किराया या उसके बदले में कोई अन्य पारिश्रमिक अवश्य मिलना चाहिये । उसके लिये इतनी तो व्यवस्था होनी ही चाहिये क्योंकि बहुत से लोग भूमि या नकदी के रूप में कुछ भी नहीं छोड़ जाते । उनके पास केवल मकान ही होता है और यदि पुत्री को उसमें रहने या बंटवारा करने का अधिकार नहीं दिया गया तो इसका अर्थ यह है कि उसे एक प्रकार से उत्तराधिकार से ही वंचित कर दिया गया है ।

मेरी दूसरी आपत्ति परन्तुक के बारे में है । यह परन्तुक हमने नहीं रखा था । हमने तो यह कहा था कि पुत्री को चाहे वह विधवा हो या अविवाहित हो या पति द्वारा परित्यक्त हो, हिस्सा मिलना चाहिये और सब श्रेणियां इसमें आनी चाहियें । राज्य-सभा द्वारा रखे गये इस परन्तुक से लड़की को दिये गये निवास का अधिकार और भी कम हो जाता है । अतः न केवल यह परन्तुक हटा दिया जाये, अपितु यदि वह वास्तविक विभाजन नहीं करवा सकती तो उसको मुआवज़े के रूप में कुछ मिलना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्रीमती रेणु चक्रवर्ती चाहती हैं कि खण्ड और परन्तुक को अलग-अलग मतदान के लिये रखा जाये । किसी भी स्त्री उत्तराधिकारिनी को उस मकान में रहने का अधिकार होगा ।

†**श्री एस० एस० मोरे** (शोलापुर) : मैं इस खण्ड विशेष का विरोध करता हूं, क्योंकि हम ज्यों-ज्यों भिन्न-भिन्न खण्डों को लेते जा रहे हैं, स्त्री उत्तराधिकारियों के अधिकार कम किये जा रहे हैं । खण्ड २५ में स्त्रियों पर विभाजन कराने की रोक लगा दी गई है, जब तक कि उसके भाई सहमत न हों । इस प्रकार लिंग के आधार पर भेदभाव करना संविधान के प्रतिकूल है । पुरुष उत्तराधिकारी तो विभाजन का दावा कर सकते हैं, परन्तु बेचारी स्त्रियां स्त्री होने के कारण विभाजन नहीं करवा सकतीं । यह भेदभाव सर्वथा अनुचित है । और परन्तुक ने तो स्त्रियों के रहने के अधिकार पर भी रोक लगा दी है । यह उसके उत्तराधिकार के अधिकार पर सीमा लगाना है, जो कदापि उचित नहीं ।

केवल विपत्ति पड़ने की अवस्था में या एक निश्चित आयु के पश्चात् तक अविवाहित रहने या पति द्वारा छोड़ दी जाने पर या मकान छोड़े बिना पति के मर जाने पर ही उसे उस सम्पत्ति में रहने का अधिकार दिया गया है । यदि स्त्री अपने पति से पृथक हो जाती है, तो उसे अपने पिता के मकान में रहने से रोकना ठीक नहीं है ।

खण्ड ६ में पहले ही स्त्रियों के भाग पर कई रुकावटें लगा दी गई हैं, अब फिर उस सम्पत्ति के बारे में उन पर रुकावटें लगाना समानता और नवीन प्रजातंत्र के दृष्टिकोण से, तथा संविधान के उपबंधों की दृष्टि से, उनके प्रति अन्याय करना है, जो सर्वथा अवांछनीय है । अतः मैं इस उपबंध विशेष का विरोध करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**पंडित के० सी० शर्मा** (ज़िला मेरठ—दक्षिण) : जब लड़की को मकान में हिस्सा दिया गया है तब उसे अपने पति के साथ या पृथक् रूप से अपने पिता के घर में रहने से रोकने में कोई सार नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसलिये तो महिला सदस्या इस परन्तुक को हटाना चाहती हैं। वह मानती हैं कि स्त्री केवल वहीं विभाजन का दावा नहीं कर सकती जहां और सब कुटुम्बी रहते हैं।

†**पंडित के० सी० शर्मा** : पुत्र को विभाजन का और निवास का अधिकार देना और पुत्री को विभाजन और निवास के अधिकार से वंचित रखना सर्वथा अनुचित है। पुत्री और उसके पति पर यह अविश्वास करना कि वे कोई गड़बड़ करेंगे, बहुत बुरा है। क्या पुत्र और पुत्रवधू कोई बखेड़ा खड़ा नहीं कर सकते ? मुझे इस विधान में कोई औचित्य दिखाई नहीं देता। मैं इस बात को मान सकता हूं कि पुत्री को सम्पत्ति में कोई भाग न दिया जाये। परन्तु उसे भाग देकर उसके उपयोग से वंचित करना उसका निरादर करना है। मैं इसे ठीक नहीं समझता।

†**श्री के० के० बसु** (डायमण्ड हारबर) : यह बहुत बुरा उपबंध है।

†**पंडित के० सी० शर्मा** : यह मानवीय व्यवहार का प्रश्न है। किसी लड़की को अपने परिवार के सदस्यों के साथ न रहने देना कितना बुरा है। उसे उनके साथ रहने से वंचित रखने में कोई युक्ति-युक्त नहीं है। इसलिये यह खण्ड इस विधेयक से निकाल दिया जाना चाहिये।

†**श्री सी० सी० शाह** (गोहिलवाड़—सोरठ) : किसी व्यक्ति को सम्पत्ति में अधिकार देकर उसे उसके उपयोग से वंचित करना तर्क संगत नहीं है।

इस विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने से पहले यह कहा गया था कि यदि किसी परिवार में चार पुत्र और एक पुत्री हैं, और चारों पुत्र इकट्ठे रहना चाहते हैं, तो क्या पुत्री के चाहने पर उन पुत्रों को संपत्ति का विभाजन करने के लिये बाध्य करना उचित है ? यदि उस मकान का कोई भाग किराये पर है या किसी दूसरे के पास है तो यह खण्ड उस पर लागू नहीं होगा। यदि वह विभाजन का दावा नहीं कर सकती, तो वह अपना भाग हस्तांतरित कर सकती है और दूसरे भागीदारों को उसे खरीदने या विभाजन कराने को बाध्य होना पड़ेगा। इस सीमा तक यह खण्ड इतना बुरा नहीं है।

[**श्री बर्मन** पीठासीन हुए]

यह खण्ड विधवाओं और पुत्रियों पर लागू होता है। यदि विधवा के पुत्र हैं और वे उसके साथ रह रहे हैं तो अन्य पुरुष समांशी साथ रहेंगे। किन्तु किसी समांशी का विधवा को दूसरे पुरुष समांशियों के साथ रहना असंभव होगा। किन्तु इस खण्ड के अधीन या तो वह उनके साथ रहे, या उसे विभाजन का दावा करने का हक़ नहीं होगा। यही बात मां पर लागू होती है। विधवाओं और मां के बारे में इस खण्ड के उपबंध बहुत कड़े और खराब हैं।

श्री साधन गुप्त का संशोधन आवश्यक है, क्योंकि यदि पूरा मकान परिवार के पुरुष उत्तराधिकारियों के पास नहीं है, तब स्त्री विभाजन करवा सकती है।

विधवा को रहने का अधिकार है। ये रुकावटें तो केवल विवाहित लड़की के निवास के बारे में हैं, क्योंकि सामान्यतः यह आशा की जाती है कि वह अपने पति के साथ रहेगी। किन्तु यदि पति उसे छोड़ दे या वह विधवा हो जाये तब उसे रहने का अधिकार दिया गया है। मैं समझता हूं कि "त्याग दी गई" के स्थान पर "पृथक् हुई" शब्द रख दिये जायें, तो अच्छा है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (गुड़गांव) : फिर यह विधेयक क्यों रखा गया है और "माता" शब्द को यहां क्यों लाया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री सी० सी० शाह** : श्रीमती रेणु चक्रवर्ती की इस मांग के बारे में कि स्त्री उत्तराधिकारी को किराया मिले स्थिति यह है कि जब घर में पुरुष उत्तराधिकारी रहते हैं तब किराये आदि का कोई प्रश्न नहीं उठता क्योंकि कोई किराया नहीं आता। यदि मकान बेच दिया जाता है या उसका विभाजन होता है तब लड़की को भाग मिलेगा।

पैतृक निवास स्थान को बनाये रखने की भावना को देखते हुए यह खण्ड बनाया गया है। परन्तुक के बारे में श्री गौण्डर का संशोधन तर्क संगत है, क्योंकि यदि लड़की के निवास पर कुछ रोक लगाई गई हैं तो वे पोती या पड़पोती पर भी लागू होंगी। अतएव इस संशोधन के अतिरिक्त अन्य सब संशोधन रद्द किये जाने चाहियें।

†**पंडित के० सी० शर्मा** : अछूतों के लिये भी मन्दिर खोल दिये गये हैं, फिर लड़कियों को उनके पिता के घर में रहने से क्यों वंचित रखा जा रहा है ?

†**श्री सी० सी० शाह** : क्योंकि विवाहित स्त्रियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने पतियों के घरों में रहेंगी।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : जिन लोगों को यह डर है कि विवाहित लड़की को उत्तराधिकार में भाग देने से परिवार भंग हो जायेगा, उनको तुष्ट करने के लिये यह रियायत दी गई है, किन्तु यह रियायत सर्वथा अनुचित है।

जब लड़की को उत्तराधिकार का और पूर्ण स्वामित्व का अधिकार दिया गया है, तो उसे उस मकान के अपने भाग को बेचने से कोई रोक नहीं सकता। यदि आप उसे विभाजन का हक नहीं देते, तो उसे अपने भाग को किसी को बेचने के लिये बाध्य होना पड़ेगा। फिर वही उसी मकान में किराये पर रह सकती है। इसलिये ऐसी शर्तें लगाने का क्या लाभ है ?

इसकी बजाय यदि यह उपबन्ध कर दिया जाये तो अच्छा हो कि यदि विवाहित लड़की अपने पति, सास, ससुर आदि के साथ अपने बाप के घर में रहने के लिये आती है तो परिवार के लोगों को न्यायालय के द्वारा उस भाग का निश्चित किया हुआ मूल्य या उस लड़की द्वारा मांगा गया मूल्य दे दिया जाये। १८९३ के अधिनियम १ के अनुसार यह संभव है। किसी व्यक्ति को स्वामित्व का अधिकार देकर उसके विभाजन के हक से उसे वंचित करना बेकार है। प्रतीत होता है कि इस खण्ड द्वारा केवल विवाहित लड़की के घर में आकर रहने के अधिकार पर रोक लगाई गई है।

पहले संयुक्त हिन्दू परिवार में माता, विधवा या लड़की को रहने का अधिकार था। परन्तु अब जबकि लड़कियों को पूर्ण स्वामित्व का अधिकार दे दिया गया है, निवास के अधिकार का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। निवास का अधिकार तो एक बहुत छोटा अधिकार है। उसे तो बहुत बड़ा अधिकार दिया जा चुका है। सब उत्तराधिकारियों को पूर्ण स्वामित्व के अधिकार दिये जाने चाहियें।

यह उपबंध व्यर्थ है और इसका चलना संभव नहीं है। एक ओर तो हिन्दू परिवार नष्ट कर दिया गया है और दूसरी ओर घर बचाने का ढोंग रच कर लोगों को धोखा दिया जा रहा है।

लड़की को घर में रहने के हक से वंचित करने का यह अभिप्राय है कि उसे बेचने के लिये बाध्य किया जा रहा है। यदि उस पर बेचने की कोई रोक लगाई गई होती, तब तो इस खण्ड का अभिप्राय समझ में आ सकता था। परन्तु वह बेच सकती है, और उसके भाग को खरीदने के लिये सैंकड़ों लोग तैयार हो सकते हैं।

†**विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)** : परन्तु खरीदार का हक बेचने वाले व्यक्ति से अधिक नहीं होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : खरीदने वाला व्यक्ति पूर्ण स्वामी होगा और वह विभाजन का दावा कर सकेगा । उसके विभाजन के दावे के हक पर कोई प्रतिबंध नहीं है ।

†**श्री पाटस्कर** : मेरे विचार से यह गलत है ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : माननीय मंत्री के अनुसार यह हो सकता है परन्तु मैं ऐसा नहीं समझता ।

माननीय मंत्री का उद्देश्य उच्च है । परन्तु उन्हें चाहिये कि वह लड़की पर से विभाजन की शर्त हटा दें, अन्यथा वह संपत्ति को बेच देगी और उस खण्ड का कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा ।

इस विधेयक का आधार पिण्ड नहीं, बल्कि प्रेम और मुहब्बत है । क्या घरवालों को अपनी लड़कियों से मुहब्बत नहीं होती ? परन्तु मुहब्बत और प्रेम के आधार पर भी लड़की को समीप नहीं आने दिया जायेगा । श्री के० सी० शर्मा ने कहा कि पुत्र और पुत्री में क्या अन्तर होता है । हम दामाद और उसके परिवार को घर में आने नहीं देना चाहते, क्योंकि उनके आने से कलह और गड़बड़ की संभावना है । परन्तु मैं समझता हूं कि उनका तर्क ठीक नहीं है । यदि रहने के मकान के बारे में यह बात सच है तो थोड़ी भूमि आदि के बारे में भी यह सच हो सकती है । परन्तु वास्तव में यह बात नहीं है ।

इसलिये मेरा निवेदन है कि इस खण्ड २५ को पारित न किया जाये, क्योंकि इससे वह उद्देश्य पूरा नहीं होगा, जो माननीय मंत्री के मन में है ।

†**श्री के० के० बसु** : यह अनुपयुक्त और युक्तिरहित उपबंध है । मैं इसके सम्बन्ध में अपना दृष्टि-कोण सभा के समक्ष रखना चाहता हूं ।

यदि संयुक्त समिति और दूसरी सभा में विधि निर्माताओं का यह उद्देश्य था कि पुत्री को निवास गृह का अंश नहीं मिलना चाहिये तो उन्हें इसका स्पष्ट उल्लेख करना चाहिये था । परन्तु आप पुत्री को उसमें भाग देते हुए यह प्रतिबंध लगा रहे हैं कि उसका अधिकार केवल वहां निवास करने तक सीमित रहेगा ।

हमें बताया गया है कि उस निवास-गृह में बाहर के किसी व्यक्ति को नहीं लाया जा सकता । परन्तु जैसा कि पंडित ठाकुर दास भार्गव ने उदाहरण दिया, महत्वपूर्ण नगरों में यह निवास-गृह एक बड़ी इमारत भी हो सकती है ।

ग्रामीण क्षेत्रों को लीजिये । उदाहरणार्थ एक परिवार का मेरठ में पूर्वजों का घर है जिसके साथ सैंकड़ों एकड़ भूमि है । परिवार वर्ष में एक बार वहां जाकर रहता है । तो उस घर को निवास-गृह कहा जा सकता है और तर्क किया जा सकता है कि इसका विभाजन नहीं होना चाहिये ।

†**सभापति महोदय** : परन्तु उस सारे घर में निवास होना चाहिये ।

†**श्री के० के० बसु** : इसका यह अभिप्राय नहीं कि वर्ष के ३६५ दिन हमारा उसमें निवास हो । वह पूर्वजों का घर हो सकता है और हम वहां छुट्टियों में कभी-कभी जा सकते हैं । ऐसे घर की व्याख्या निवास-गृह ही होगी ।

यदि किसी परिवार में एक पुत्र और एक पुत्री हो तो विभाजन का प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा । पुत्री को तो केवल निवास का अधिकार है । पुत्र स्वयं विभाजन नहीं चाहेगा ।

यदि आप पुत्री को भाग देना चाहते हैं तो उपबन्धित कीजिये । हो सकता है केवल निवास-गृह ही बची हुई सम्पत्ति हो और वह बहुत मूल्यवान सम्पत्ति हो । परन्तु यदि पुत्री का उसमें कोई हित नहीं है तो आपको इस सम्बन्ध में संशोधन प्रस्तुत करना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

परन्तुक में कहा गया है कि यदि विधवा पुत्री का पति कोई निवास-गृह नहीं छोड़ गया हो तभी वह पिता के निवास-गृह में रह सकती है। यदि उसका पति एक झौंपड़ी छोड़ कर मरा हो और उसे पिता की ओर से उत्तराधिकार में नगर में एक बड़ा भवन मिलता हो तो वह वहां नहीं रह सकती। इससे तो खण्ड २५ के अधीन दिये गये अधिकारों का निराकरण मात्र होता है।

मेरा आग्रह है कि सभा इस विशेष विधान के सम्बन्ध में अपना अभिप्राय स्पष्ट करे। खण्ड २४ में पूर्व-क्रय का अधिकार दिया गया है। विभाजन की विधि के अधीन एक हिस्सेदार सारा घर खरीद सकता है। कोई पुरुष महिला अधिकारिणी को पैसे देकर घर को खरीद सकता है। परन्तु यदि पुत्री को अधिकार दिया गया और इस प्रक्रिया को अपनाया गया तो राय की विभिन्नता के कारण केवल वकीलों को ही लाभ होगा। हम पुत्री को जो कुछ देना चाहते हैं वह बिना प्रतिबंध के होना चाहिये। मेरी समझ में नहीं आता कि इस परन्तुक के उपबन्ध का क्या लाभ है। उदाहरणार्थ एक विधवा अपने पिता के निवास-गृह में जाकर नहीं रह सकती। जब तक उसके भाई न चाहें वह उसका विभाजन नहीं कर सकती। न ही वह पिता के निवास-गृह को बेच सकती है और इस प्रकार अपनी जीविका के लिये पैसा प्राप्त नहीं कर सकती।

अतएव मेरा हार्दिक निवेदन है कि पुत्री के साथ कम से कम न्याय तो होना चाहिये। प्रतिबंध के उपबंध और परन्तुक हटा देना अधिक अच्छा होगा।

ये उपबंध ऐसे होने चाहियें कि उससे मुकदमेबाजी अधिक न हो। पूर्व-क्रय के अधिकार से सम्पत्ति को टुकड़े होने से बचाया जा सकता है।

†**श्री पाटस्कर** : खण्ड २५ पर दोनों ओर से प्रहार किया गया है और दोनों ही ओर से आक्षेप इस आधार पर किया गया है कि युक्तियुक्त रूप से क्या किया जाना चाहिये था। परन्तु मैं कह सकता हूं कि यदि हम वस्तुतः इस खण्ड के आधार पर ध्यान दें तो पता लगेगा कि इसमें यह करने का प्रयास किया जा रहा है कि इस खण्ड के विरोधियों और समर्थकों ने जिन भावनाओं और युक्ति का आश्रय लिया है, उनका ध्यान रखते हुए वर्तमान स्थिति की प्राप्ति की जाये।

उदाहरणार्थ, इसमें निहित क्या विचार है ? यह इस प्रकार आरम्भ हुआ। जब विधेयक संयुक्त समिति के पास गया, उस समय इसमें परन्तुक नहीं था। उस समय यह तर्क दिया गया था कि निवास-गृह छोटे बड़े सभी प्रकार के हो सकते हैं। परन्तु यह कहा गया था कि बहुत से मामलों में लाखों लोगों के पास छोटे निवास-गृह हैं। फिर यह देखा गया कि एक गृह-निवास से दूसरे निवास गृह का विभेद करना बहुत कठिन है क्योंकि यह निश्चय करना होगा कि उसका मूल्य क्या होना चाहिये, उसका आकार और कमरे आदि कितने होंगे। अन्त में इन सब बातों पर ध्यान देने के पश्चात् संयुक्त समिति ने विचार किया कि कम से कम किसी ऐसे व्यक्ति के कारण जो परिवार से बाहर चला गया हो प्रबंध में अव्यवस्था नहीं होनी चाहिये। इस कारण इस परन्तुक का प्रारूप इस प्रकार तैयार किया गया। यह लिंग भेद अथवा पुरुष और स्त्री में भेद नहीं है। इस आधार पर यह विचार किया गया कि साधारणतः इस कारण सम्पत्ति का बटवारा नहीं होने देना चाहिये। इसके साथ ही यह भी इच्छा थी कि यदि घर का विभाजन ही हो तो यह न्यायसंगत नहीं कि महिला उत्तराधिकारी को भाग न मिले। इस प्रकार इसका आरम्भ हुआ था।

यह सभी निवास-गृहों पर लागू नहीं होता क्योंकि ऐसा निवास-गृह भी हो सकता है जो किराये पर दिया गया हो। स्वभावतः उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिये। भावना या तर्क केवल उस निवास-गृह के सम्बन्ध में था जिसमें सारे में परिवार रहता हो।

इसमें कहा गया है कि :

"जहां अनुसूची की श्रेणी १ में उल्लिखित एक वसीयतरहित हिन्दू के पुरुष और स्त्री दोनों उत्तराधिकारी उत्तरजीवित हों और उसकी सम्पत्ति में एक निवास-गृह भी हो जिसमें उसका परिवार निवास करता हो....."

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री पाटस्कर]

अतः यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिये कि उस सारे में निवास होना चाहिये :

"इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी किसी नारी उत्तराधिकारी का निवास-गृह के विभाजन का दावा करने का अधिकार तब तक पैदा नहीं होता जब तक पुरुष उत्तराधिकारी उसमें अपने-अपने भागों का विभाजन न करना चाहें.....।"

इसका यह अभिप्राय नहीं कि विभाजन का अधिकार सर्वथा ले लिया गया है। परन्तु वह अधिकार स्वभावतः तब तक के लिये स्थगित कर दिया गया है जब नर उत्तराधिकारी विभाजन करना चाहें।

†**श्री के० के० बसु** : यदि एक पुत्र और एक पुत्री हो तो क्या होगा ?

†**श्री पाटस्कर** : खण्ड के अनुसार नारी को निवास का अधिकार होगा। विभाजन के दावे के अधिकार को स्थगित करते हुए यह विचार किया गया था कि उसके वहां निवास के अधिकार में बाधा नहीं आनी चाहिये। इस प्रकार संयुक्त समिति ने भली प्रकार विचार करके परन्तुक के बिना खण्ड २५ पारित किया था।

कुछ लोगों की यह राय है कि : "यदि आप देना चाहते हैं या निवास-गृह के सम्बन्ध में इस पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं तो भूमि आदि के सम्बन्ध में भी वैसा क्यों नहीं करते ?" मुझे जब युक्तियुक्त तर्क देने के लिये कहा जाता है तो उसका अभिप्राय यह है कि मैं केवल घर के आधार को लेकर न चलूं वरन् भूमि आदि की बात भी लूं। मैं इस तर्क को समझ सकता हूं। दूसरी ओर यह तर्क है कि यदि पुत्री को हिस्सा दिया जाता है तो उस पर प्रतिबंध क्यों है ? इन दोनों विरोधी विचारों के बीच वास्तविक तथ्यों के आधार पर यह समझा गया था कि निवास-गृह प्रायः बहुत छोटे होते हैं जहां वह सारे का सारा परिवार रहता है और इसलिये नारी उत्तराधिकारी के कहने पर विभाजन की अनुमति नहीं देनी चाहिये। आरम्भ में यह विचार था। जब यह राज्य-सभा में गया तो और भी प्रतिबंध लगाया गया और उन्होंने यह परन्तुक निविष्ट किया, "परन्तु जहां यह नारी उत्तराधिकारी पुत्री हो इत्यादि।" क्योंकि नारी उत्तराधिकारी पुत्री, विधवा अथवा पुत्रवधू हो सकती है। कोई भी विधवा, पुत्रवधू या पौत्रवधू के लिये चिंतित नहीं दिखाई देता। मेरा विश्वास है और लोगों की यह राय है कि परिवार में विधवाएं अधिक कठिनाई नहीं पैदा करतीं। परन्तु पुत्री के बारे में डर है। डर केवल पुत्री के बारे में नहीं है वरन् इस बारे में है कि पुत्री दामाद और बच्चों और सारे परिवार सहित आ जाये और उस छोटे घर में जहां परिवार रहता है और जो पहले ही पर्याप्त नहीं है, कठिनाई पैदा हो जाये। इसलिये यह उपबंध किया गया "परन्तु जहां ऐसी नारी उत्तराधिकारी पुत्री हो उसे निवास-गृह में रहने का तभी अधिकार है यदि वह अविवाहित है....."——यदि वह अविवाहित है तो प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि कोई गड़बड़ नहीं होगी वह उस घर में रह सकती है——"या जिसे पति ने त्याग दिया हो।" उन्होंने इस मामले का समर्थन किया। अनुमान कीजिये कि एक पुत्री को उसके पति ने त्याग दिया है। मुझ से कहा गया कि "अपने पति द्वारा परित्यक्त" ही क्यों ? क्यों नहीं लिखते कि "जिसने अपने पति को त्याग दिया हो" मैं समझता हूं कि जो महिलाएं अपने पति को त्याग देती हैं वे निस्सहाय नहीं हैं जिनके लिये उपबंध किया जा रहा है। अनुमान कीजिये कि एक नारी पति का त्याग करती है। मुझे विश्वास है कि उसने अवश्य आत्मनिर्भर होने की बात सोच ली होगी। परन्तु मुझे यह सुनकर हर्ष होता है। मैं उनमें से नहीं हूं जो ऐसा सोचते हैं और मैं नहीं समझता कि हमें एक ऐसी नारी के लिये उपबंध करना चाहिये जिसने अपने पति को छोड़ा हो, क्योंकि हो सकता है कि उसने किसी और से विवाह करने के लिये पति को त्याग दिया हो अथवा उसके पास अपने पोषण के और साधन हों। जो भी हो मैं समझता हूं कि मेरे विद्वान मित्र को यह तर्क आगे नहीं बढ़ाना चाहिये।

†मूल अंग्रेजी में।

फिर परन्तुक में आगे कहा है "या ऐसी विधवा है जिसके पति ने कोई निवास-गृह नहीं छोड़ा।" क्योंकि ऐसे भी मामले हो सकते हैं कि पुत्री विवाहित हो और उसका पति मर चुका हो और उसने कोई निवास-गृह न छोड़ा हो। उसका इस घर में हिस्सा है अतः उसे उसमें रहने का अधिकार है। ये तीन कठोर मामले हैं और उनके लिये उपबंध होना चाहिये। ऐसी पुत्री को, चाहे उसके कुछ बच्चे भी हों, उसे अधिकार होना चाहिये कि वह जाकर पिता के घर में जहां उसका हिस्सा है रह सके चाहे वहां कठिनाई पैदा हो, क्योंकि उसका उसमें हित है और उसका हिस्सा है। इसं परन्तुक को राज्य-सभा में सहमति दी गई है।

निस्संदेह जहां हमने यह प्रतिबंध रखा है कि "परन्तु जहां यह नारी उत्तराधिकारी पुत्री हो उसे निवास का अधिकार होगा," इसमें असंगति है। यदि हम पुत्री के साथ इस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं तो हमें पौत्री और प्रपौत्री के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिये। परन्तु इसका यह फल होगा कि जब हम पुत्री को जब तक वह विधवा आदि न हो वहां रहने से रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं, पौत्री और प्रपौत्री को वहां रहने की अनुज्ञा होगी। जो कुछ यहां किया जा रहा है इसके वह कुछ प्रतिकूल होगा। परन्तु यह अलग विषय है। मैं समझता हूं कि यह खण्ड जैसा है ठीक है।

†**श्री वी० जी० देशपांडे** : मैंने प्रथम भाग में एक संशोधन रखा था कि कोई पुरुष नारी उत्तराधिकारी की ओर से उत्तराधिकार का दावा करे अर्थात वह पूर्व मृत पुत्री का पुत्र हो तो उसे उन लोगों में सम्मिलित नहीं करना चाहिये जो विभाजन की मांग कर सकते हैं। यह संगत है। क्योंकि पौत्र आकर विभाजन की मांग कर सकता है।

†**श्री पाटस्कर** : पुत्री का पुत्र पौत्र होता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार पौत्र पुत्र के समान ही होता है ऐसा कौन पितामह है जो उसे आने की अनुमति न देगा ? वह आ सकता है और वह पिता के समान ही है।

†**श्री एस० एस० मोरे** : यह प्रतिबंध तो समझ में आता है कि नर के वसीयतरहित मरने पर नारी के उत्तराधिकार पर प्रतिबंध हो। परन्तु यदि एक नारी हो और उसकी उत्तराधिकारी नारी हो तो क्या पुरुष को अधिक लाभ मिल सकता है ?

†**श्री साधन गुप्त** : उस विधवा का क्या होगा जिसके पति ने एक निवास-गृह छोड़ा है परन्तु बाद में उसके पति के सम्बन्धी उसे घर से निकाल देते हैं ?

†**श्री पाटस्कर** : उसे वहां रहने का अधिकार है।

†**श्री के० के० बसु** : मैं "पूरी तरह से रहने" का स्पष्टीकरण चाहता हूं। अविभक्त परिवार के कई सदस्य एक ही मकान के कुछ भाग में रह सकते हैं और अधिकांश भाग को केवल गद्दी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका रहने के प्रयोजन से कोई सम्बन्ध नहीं है।

†**सभापति महोदय** : तो फिर इसे पूरी तरह से रहना नहीं कहा जा सकता।

†**श्री के० के० बसु** : पूरी तरह से रहने का तात्पर्य परिवार का व्यापार चलाना भी है। यदि आप कुछ शक्ति देना चाहते हैं तो स्पष्ट रूप से और निश्चित रूप से दीजिये और यदि नहीं देना चाहते हैं तो साफ मना कर दीजिये।

†**श्री पाटस्कर** : मेरा इरादा स्पष्ट है। किन्तु वकीलों को रोका नहीं जा सकता। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि जहां तक विधियां बना कर उन्हें शब्दों में लागू करने का प्रश्न है और इन शब्दों का अलग-अलग सन्दर्भ में भिन्न अर्थ है, इसके लिये हमने वकीलों को रोकने के लिये जो सही या गलत निर्वचन करते हैं, कोई हल नहीं ढूंढ पाया है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री के० के० बसु** : आप तो "पूरी तरह से रहना" कहते हैं ।

†**डा० रामा राव** (काकिनाडा) : श्रीमती सुभद्रा जोशी ने पूछा था कि यदि केवल एक ही पुरुष हो और एक ही महिला वारिस तो उसे.....

†**श्री पाटस्कर** : इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी ।

†**श्री एस० एस० मोरे** : वह तत्काल बंटवारा करवा लेगी ।

†**सभापति महोदय** : अब मैं खण्ड के संशोधनों को पहले लूंगा और तत्पश्चात् परन्तुक के संशोधनों को । क्या माननीय मंत्री को संशोधन स्वीकार है ?

†**श्री पाटस्कर** : जैसा कि मैं कह चुका हूं, 'पुत्री' के साथ हम पौत्री अथवा प्रपौत्री को रख सकते हैं—क्योंकि यह असंगत है । किन्तु वास्तव में बहुत कम ऐसे मामले होंगे ।

†**सभापति महोदय** : जहां तक मुख्य खण्ड का सम्बन्ध है, अन्य प्रकार की सम्पत्तियों और कृषि आदि को मिलाने के बारे में संशोधन हैं । क्या कोई माननीय सदस्य अपने संशोधन पर आग्रह करते हैं ?

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या २६६ और २२५ प्रस्तुत किये गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १०, पंक्ति ३० और ३१ में से "whose husband has left no dwelling house" ["जिसके पति ने कोई रहने का मकान नहीं छोड़ा है"] शब्द निकाल दिये जायें ।

†**कुछ माननीय सदस्य** : हां ।

†**कुछ माननीय सदस्य** : नहीं ।

†**सभापति महोदय** : क्या विभाजन कराया जाये ?

†**कुछ माननीय सदस्य** : हां ।

†**सभापति महोदय** : यदि सभा विभाजना चाहती है तो मैं निश्चय ही विचार करूंगा ।

†**श्री एस० एस० मोरे** : आप सम्बन्धित मंत्री से इसके बारे में मत ले सकते हैं ।

†**श्री पाटस्कर** : मैं भलीभांति संशोधन को समझता हूं । विचार यह है कि यदि पति रहने का मकान छोड़ गया है तो वह जाकर उस पर कब्जा क्यों नहीं कर लेती । पहले से ही तीन श्रेणियां हैं । यदि वह विवाहित है तो रह सकती है; उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी । यदि वह परित्यक्ता है तो भी वह जाकर रह सकती है । किन्तु यदि वह विधवा है जिसका पति रहने का मकान छोड़ गया है, तो वह आकर नहीं रह सकती । यदि पति ने रहने का मकान नहीं छोड़ा है, तो वह जाकर रह सकती है ।

†**पंडित के० सी० शर्मा** : पति की मृत्यु हो जाने पर बेचारी विधवा अपने पिता के परिवार के साथ नहीं रह सकती ?

†**श्री एस० एस० मोरे** : क्या उसे अपने पिता के परिवार के साथ रहने का विकल्प नहीं है ? संभव है कि पति के सम्बन्धी उसके पति से सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार न करते हों ।

†**श्री पाटस्कर** : मैं सारी बात को स्पष्टरूप से समझता हूं जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं हमने तीन श्रेणियों के लोगों को रहने के अधिकार का उपबन्ध किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

सभापति महोदय द्वारा तीसरी बार संशोधन संख्या २२० और २२६ मतदान के लिये प्रस्तुत किये गये और कुछ निर्णय न हो सकने के कारण २-३० बजे तक के लिये रोक लिये गये ।

†**श्री एस० एस० मोरे** : इसका परिणाम यह होगा कि जब तक संशोधनों का निबटारा नहीं हो जायेगा तब तक खण्ड भी रुके रहेंगे ।

†**सभापति महोदय** : हां, किन्तु मैं अन्य संशोधनों का निबटारा करना चाहूंगा । क्या कोई माननीय सदस्य अपना संशोधन अलग से रखना चाहते हैं ?

†**श्री साधन गुप्त** : मैं अपना संशोधन संख्या २१९ रखना चाहता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या २१९ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**श्री पाटस्कर** : श्री गौंडर का संशोधन संख्या २५३ अलग से रखा जा सकता है ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या २५३ भी २.३० म० प० तक के लिये रोक लिया गया ।

†**श्री वी० जी० देशपांडे** : इसको विधि कार्य मंत्री द्वारा स्वीकार कर लिया गया था ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या १०, ३, १८१ और २०७ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

†**अध्यक्ष महोदय** : शेष तीन संशोधनों पर मतदान २.३० म० प० तक रुका रहेगा । अब हम खण्ड २६ लेते हैं । इस पर कौन-कौन से संशोधन हैं ?

†**श्री पाटस्कर** : कोई भी संशोधन नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २६ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २६ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड २७ (हत्यारा अनर्ह होगा)

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम खण्ड २७ से ३३ के सम्पूर्ण समूह को ले रहे हैं । क्या खण्ड २७ के कोई संशोधन हैं ? माननीय सदस्य एक-एक करके बता दें ।

पहले मैं खण्ड २७ को लेता हूं । क्या उसके कोई संशोधन हैं ?

†**श्री डाभी** : नये खण्ड २७-क का मेरा संशोधन संख्या ४ है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस खण्ड के संशोधन संख्या ४२ और ८७ ही देखता हूं । क्या माननीय सदस्य इन्हें प्रस्तुत करना चाहते हैं ?

†**श्री के० वी० गौंडर** : मैं अपना संशोधन संख्या ८७ नहीं प्रस्तुत करना चाहता ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : खण्ड २७ में कहा गया है कि हत्या करने वाले अथवा हत्या करने के लिये दुरूत्साहित करने वाला व्यक्ति सम्पत्ति पाने का अधिकारी नहीं होगा ।

कई बार दण्ड विधि का निर्णय व्यवहार विधि में काम नहीं आता । कुछ प्रयोजनों में वह कुछ अर्थ रख सकता है और कुछ में वह बिल्कुल निरर्थक भी हो सकता है । अतः मेरा निवेदन यह है कि प्रत्येक

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

अभियोग को यह सिद्ध करना होगा कि किसी व्यक्ति ने हत्या की है अथवा हत्या करने के लिये दुरुत्साहित किया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि अनर्हता के लिये व्यवहार न्यायालय में कोई स्वतन्त्र रूप से जांच की जाये ?

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : वर्तमान विधि के अधीन यह बड़ा आवश्यक है ।

माननीय गृह-कार्य मंत्री ने कहा कि हत्या के ८७ प्रतिशत अभियोगों में, लोग छोड़ दिये जाते हैं । दण्ड विधि में यह हालत है तो व्यवहार विधि में इससे भी बुरा हाल होगा । जब तक कि प्रत्यक्ष साक्ष्य न हों तब तक १३ प्रतिशत अभियोगों में भी यह कठिन होगा कि हत्या की गई है । व्यवहार न्यायालय में हत्या के अभियोग सिद्ध करना बड़ा कठिन होगा । इसका तात्पर्य यह होगा कि खण्ड २७ जैसा इस समय है, यदि ऐसा ही रहने दिया गया तो बिल्कुल प्रभावशून्य हो जायेगा । अतः मेरा निवेदन यह है कि माननीय मंत्री परिवर्तन करके ये शब्द "कोई व्यक्ति जिस पर हत्या का दोष सिद्ध ठहराया गया..... "रख दिये जायें ।"

जब एक न्यायालय इस निर्णय पर पहुंची है कि कोई व्यक्ति हत्यारा है, तो कम से कम उसको वारिस नहीं बनाया जाना चाहिये । अतः इस बारे में क्या परिणाम होगा इसका निश्चय हो जाना चाहिये अन्यथा कठिनाई यह होगी कि यह सिद्ध कौन करेगा ? नहीं तो किसी वैयक्तिक सम्पत्ति के वारिस के लियें यह सिद्ध करना कठिन हो जायेगा कि हत्या की गई है और यह मामला खण्ड २७ में आता है । इस कारण मेरा निवेदन यह है कि दण्ड न्यायालय का निर्णय व्यवहार न्यायालय के लिये मानना अनिवार्य होना चाहिये । ऐसा न करने से हत्या सिद्ध नहीं हो पायेगी । वैसे भी दण्ड न्यायालय ने जिस व्यक्ति को दोषी सिद्ध किया है, व्यवहार न्यायालय के लिये सिद्ध करना कठिन होता है ।

†**श्री एन० सी० चटर्जी** (हुगली) : यदि सेशन न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय में किसी व्यक्ति पर दोष सिद्ध हो जाता है, वह निश्चय ही अनर्ह हो जाता है । इस बारे में विधि स्पष्ट की जानी चाहिये ।

मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी मेरे इन शब्दों पर ध्यान दें, जिन्हें मैं जोड़ना चाहता हूं : "जिस पर हत्या का अथवा दुरुत्साहित करने का दोष सिद्ध हुआ है ।" अतः सामान्य रूप से आपको यह घोषित करना चाहिये कि हत्या करने वाला और वह भी जिस पर दुरुत्साहित करने का दोष सिद्ध हो गया है, दोनों अनर्ह होंगे । मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव की बात को समझता हूं कि एक बार एक न्यायालय द्वारा जो व्यक्ति दोषी सिद्ध ठहराया जा चुका है, व्यवहार न्यायालय में पुनः उसी मामले पर सुनवाई नहीं की जानी चाहिये । उसे स्वतः ही अनर्ह समझा जाना चाहिये ।

†**श्री टेकचन्द** (अम्बाला-शिमला) : जो कुछ कहा गया है उससे सहमत होते हुए भी मेरा एक सुझाव है । आप केवल उसी व्यक्ति को अनर्ह घोषित करना चाहते हैं जिसने या तो हत्या की है अथवा हत्या के लिये दुरुत्साहित किया है । इससे हम सदोष मानव हत्या करने चले वाले को तो छोड़ ही देते हैं । मेरे विचार से जिस व्यक्ति को जीवन भर के लिये देश-निष्कासन अथवा दस वर्ष की सज़ा मिलती है उनको भी उसी श्रेणी में समझा जाना चाहिये जिनमें भारतीय दण्ड विधान की धारा ३०२ के अधीन दोषी ठहराये गये लोगों को रखा जाता है, इस प्रकार की मानव-हत्या करने वाले खण्ड २७ में नहीं आते ।

†**अध्यक्ष महोदय** : केवल हत्या करना अनर्हता है और हत्या करने वाला ही अनर्ह समझा जायेगा, अन्य कोई नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री टेकचन्द :** आप हत्यारों के अलावा दुरुत्साहित करने वालों को भी अनर्ह घोषित कर रहे हैं। दुरुत्साहित करने का कार्य उतना घृणास्पद नहीं है जितना कि सदोष मानव हत्या करना। खण्ड २७ के अधीन हत्या में सहायता आदि देने वाले सभी लोग आ जाते हैं, किन्तु वास्तविक हत्यारा जो मानव वध करने वाला हो जाता है, तब भी बच जाता है। अतः मेरा निवेदन यह है कि मानव हत्यारे को भी सम्पत्ति का उत्तराधिकारी बनने से अनर्ह समझा जाना चाहिये।

†**श्री एन० सी० चटर्जी :** प्रिवी कौंसिल ने अपने एक निर्णय में कहा है कि एक हत्यारा जो हिन्दू विधि के अधीन हत्या किये गये व्यक्ति की सम्पदा का उत्तराधिकारी बनने से अनर्ह नहीं है, न्याय और समानता के सिद्धांतों से अनर्ह होगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** हिन्दू विधि में ऐसी कोई कठोर अनर्हता नहीं है। क्या यह मानव-हत्या में भी लागू कर दिया जाये ? अभी तक ऐसा नहीं था।

†**श्री एन० सी० चटर्जी :** इसे हम हत्या के ही मामले तक नियंत्रित रखें।

†**अध्यक्ष महोदय :** पुत्र के बारे में क्या होगा ?

†**श्री एन० सी० चटर्जी :** तीसरे पैरा में दिया हुआ है कि हत्यारे के द्वारा सम्पत्ति का उत्तराधिकारी बनने के लिये प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह पुत्र हो अथवा पुत्री, वंचित रखा जायेगा। बम्बई में अवश्य हत्या करने वाले व्यक्ति की पत्नी हत्या किये गये व्यक्ति की सम्पदा की उत्तराधिकारिणी बन सकती है।

†**अध्यक्ष महोदय :** अतः जब तक विशेष उपबन्ध न किया जाये यह चीज पुत्र के बारे में लागू होगी। माननीय सदस्य के संशोधन संख्या ४२ और ८७ निरर्थक हैं। हत्यारा अधिकांशतः सम्पत्ति प्राप्त करने के लिये ही हत्या करता है जिससे बाद में स्त्री और बच्चों को उस पर अधिकार मिल सके। अतः उसे बच्चों को देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** मानव-हत्या के बारे में भाषा बिल्कुल भिन्न है। आत्म-रक्षा में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो वह हत्या नहीं है। अतः हत्या को ध्यान में रखना चाहिये, सदोष मानव-हत्या नहीं।

†**श्री पाटस्कर :** मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव और श्री चटर्जी से जिन्होंने यह बात उठाई है, यह कहना चाहूंगा। जहां तक आधार का सम्बन्ध है, बाद वाले माननीय सदस्य द्वारा निर्देशित प्रिवी कौंसिल के विनिर्णय का पालन करने का प्रयत्न किया जाता है। पृष्ठ १०४ पर उसका सारांश दिया हुआ है। हत्यारे को न्याय, और सद्भावना के सिद्धांतों पर हत्या किये गये व्यक्ति की सम्पदा का उत्तराधिकारी बनने से अनर्ह होता है। इसे स्थायी नियम और लोक नीति समझी जानी चाहिये कि हत्या किये गये व्यक्ति के उत्तराधिकारी के मामले में हत्यारे के लिये यह समझा जायेगा कि उसका अस्तित्व नष्ट हो चुका है। अतः अन्य व्यक्ति जो उसके द्वारा उत्तराधिकारी होने का दावा करते हैं, वे उद्भव खोते हैं और उन्हें उत्तराधिकार से वंचित समझा जायेगा। राव समिति के प्रतिवेदन में हिन्दू संहिता के ठीक दो शब्द हैं :

> "एक व्यक्ति जो हत्या करता है अथवा हत्या करने में दुरुत्साहित करता है, हत्या किये गये व्यक्ति की सम्पत्ति अथवा अन्य ऐसी सम्पत्ति के उत्तराधिकार को प्राप्त करने के लिये जिसके लिये पुरुष अथवा स्त्री ने हत्या की है अथवा हत्या करने में सहायता की है, अनर्ह होगा।"

एक सुझाव दिया गया है कि "हत्या का दोष सिद्ध ठहराया हुआ" शब्द जोड़ दिये जायें या आदिष्ट कर दिये जायें। जहां तक आदिष्ट करने का सम्बन्ध है, उसका तात्पर्य यह होगा कि ऐसा केवल उन

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री पाटस्कर]

अभियोगों में होगा जिनमें व्यक्ति हत्या का दोषी ठहराया गया है । उसने हत्या की है यह कोई विशेष बात नहीं है । स्वाभाविक है कि वह उत्तराधिकारी होने का अधिकारी होगा । सर्व प्रथम यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि हम व्यवहार न्यायालय में उत्तराधिकार के बारे में नियम बना रहे हैं । दण्ड न्यायालय में दोषी सिद्ध ठहराने के विचार और सिद्धांत बिल्कुल भिन्न हैं । सामान्यत: मैं समझता हूं कि यदि दण्ड न्यायालय का कोई ऐसा निर्णय है जिसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति को हत्या के लिये दोषी ठहराया जाता है, तो उसका गलत निर्वचन नहीं किया जा सकता । एक व्यक्ति को हत्या के लिये दोषी ठहराया गया है । वह निर्णय अन्तिम नहीं होगा । यह तर्क संगत है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** कैसे ?

†**श्री पाटस्कर :** तथ्य तो यह है कि इस व्यक्ति को दण्ड न्यायालय में दोषी ठहराया गया था और अन्य चीजों के साथ यह चीज भी है ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** दुर्भावना युक्त दोषी सिद्ध ठहराये जाने के मामले में क्या होता है?

†**श्री पाटस्कर :** तथ्य तो फिर भी रहता ही है । निर्णय अन्तिम नहीं हो सकता है जैसा कि मैं कह चुका हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री इसे ध्यान में रखें । दुर्भावनायुक्त दोषी सिद्ध ठहराये जाने के मामले में निर्णय संगत होगा । निर्णय गलत है यह बताना व्यवहार न्यायालय का काम है । इस प्रकार की हत्या के मामले में निर्णय को असंगत समझा जायेगा अर्थात् उस न्यायाधीश के मस्तिष्क में प्रतिकूल प्रभाव पैदा करना होगा जिसने स्वतन्त्र रूप से निर्णय किया है ।

†**श्री पाटस्कर :** मैं वैसा तर्क तो नहीं करूंगा जैसा कि न्यायालय में होता है । हो सकता है कि निर्णय सुसंगत न हो किन्तु यह बात ध्यान में रखी जा सकती है कि किसी व्यक्ति को हत्या करने के लिये दोषी ठहराया गया था । मैं तो यह कहूंगा । इस नियंत्रण में यह कहना खतरनाक होगा कि "....यदि वह दोषी ठहराया गया है...."। कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं जिसमें यह कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की हत्या उकसाने अथवा अन्य दूसरे कारणों के आधार पर कर दी है । इस बात के होते हुए भी कि उसने उसकी हत्या की है, उसे हत्या करने का अपराधी नहीं ठहराया जा सकता । अत: उस विधि में जिसमें कि हम सामान्य सिद्धांत निर्धारित करने जा रहे हैं इस प्रकार की बातें नहीं रखनी चाहियें । यह एक सुस्थापित सिद्धांत है । यहां यह भी उन्हीं शब्दों में दिया है जो शब्द कि प्रिवी कौंसिल के निर्णय के हैं । हम अनावश्यक जटिलतायें स्थापित कर रहे हैं । यदि ये शब्द बने रहते हैं और मनुष्य हत्या करने के लिये दोषी भी ठहरा दिया गया है तो अन्य दूसरी परिस्थितियों अथवा शहादतों में उसके लिये इस बात का बहुत कम अवसर रह जाता है जब कि न्यायालय यह कहे कि उसने हत्या नहीं की है । मैं नहीं जानता कि कितने मामलों में वह प्रयत्न किया जायेगा । हत्या करने सम्बन्धी पेशियां सत्र न्यायालय न्यायाधीश और उच्च न्यायालय न्यायाधीशों द्वारा सुनी जाती हैं । कोई भी न्यायालय जिसके सामने यह मामला जायेगा प्रतिकूल निर्णय नहीं देगा ।

जब हम यह सिद्धांत बना रहे हैं कि हत्यारा उत्तराधिकारी नहीं होगा —यह अच्छा है कि हम इस बात को छोड़ दें कि उसको दोषी ठहराया गया है अथवा नहीं ठहराया गया है । यह कोई नई बात नहीं है जो हम इस खंड के द्वारा करने का प्रयत्न कर रहे हैं । यह सुपरिचित नियम है जो कि आजकल चल रहा है । जैसा कि मैंने पहले बताया, मुझे यह हिन्दू कोड समिति के प्रतिवेदन में मिला ।

मेरा सुझाव यह है कि हत्या सम्बन्धी अपराधों के बारे में दांडिक न्यायालय क्या करता है इसके बारे में हमें कुछ नहीं करना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री एन० सी० चटर्जी :** इसके निम्नलिखित शब्द "एक व्यक्ति जो वध करता है, अथवा हत्या करने के कार्य के लिये उत्साहित करता है, अथवा जो हत्या करने अथवा उसके करने के लिये उत्साहित करने के हेतु दोषी ठहराया गया है" होने चाहियें ।

†**अध्यक्ष महोदय :** एक व्यक्ति जो हत्या करने के लिये दोषी ठहराया गया है क्यों बच जाना चाहिये ?

†**श्री पाटस्कर :** मैं यह नहीं समझ सका कि दांडिक न्यायालय के निर्णयों का यहां क्यों हवाला दिया जाना चाहिये ?

†**अध्यक्ष महोदय :** जहां तक कि इस मामले का सम्बन्ध है, हम इस विधि को भूल रहित बनाना चाहते हैं ।

†**श्री पाटस्कर :** खंड में कहा है कि "एक व्यक्ति जो हत्या करता है अथवा हत्या करने के कार्य में प्रोत्साहन देता है वह हत्या किये गये व्यक्ति की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी नहीं होगा "।

†**अध्यक्ष महोदय :** एक हत्यारे के पास सम्पत्ति है, वह उस सम्पत्ति को अपने बच्चों के लिये छोड़ जाता है तो क्या सभी अथवा इस विधेयक के प्रस्तावक यह चाहते हैं कि उसके लड़के भी उस सम्पत्ति के लिये अनर्ह हो जायें अथवा जैसा कि खंड २९ में विहित उन लड़कों को उस सम्पत्ति का लाभ मिले ?

†**श्री सी० सी० शाह :** नियम यह है कि हत्या करने से हत्यारे को कोई लाभ नहीं होगा । किन्तु उसके पुत्र आदि को इस आधार पर कि उनके पिता ने हत्या की थी अनर्ह नहीं करना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि पिता जीवित है तो क्या उसके लड़के उसका लाभ पा सकते हैं ?

†**श्री पाटस्कर :** मैं एक साधारण उदाहरण लूंगा । एक परिवार में पिता, उसका पुत्र और उस पुत्र का पुत्र है । अब मान लीजिये कि पुत्र अपने पिता की हत्या कर देता है । अब यह देखना है कि क्या इस विधेयक की योजना के अधीन पुत्र का पुत्र उस सम्पत्ति का उत्तराधिकारी हो सकता है ? मैं इस बात से सहमत हूं कि पुत्र (हत्यारा) अनर्ह करार दिया गया है अतः उसके लड़के (प्रपौत्र) को सम्पत्ति मिलनी चाहिये क्योंकि हत्या से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है । अतः खंड २९ के अनुसार संतान अनर्ह नहीं होगी ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री ने श्री एन० सी० चटर्जी और पंडित ठाकुर दास भार्गव के सुझावों को स्वीकार नहीं किया । अतः अब मैं खंड को मतदान के लिये रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड २७ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड २८—(अन्य धर्मग्राहियों के वंशज अनर्ह होंगे)

†**अध्यक्ष महोदय :** पहले हम अनर्हता वाले मामलों को निबटा दें । खण्ड को निबटाने के बाद मैं श्री डाभी का संशोधन लूंगा और यदि स्वीकृत हो गया तो वह २८-क के रूप में रखा जा सकता है ।

खंड २८ धर्म परिवर्तन के बारे में है और श्री डाभी का संशोधन परित्याग के बारे में है ।

†**श्री शिवमूर्ति स्वामी** (कुष्टगी) : मैं संशोधन संख्या २१० का प्रस्ताव करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री सिंहासन सिंह** (जिला गोरखपुर—दक्षिण) : मैं संशोधन संख्या २५४, २५५ और २५६ का प्रस्ताव करता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** ये संशोधन सभा के समक्ष हैं ।

†**श्री सिंहासन सिंह :** जिसने एक बार धर्म परिवर्तन कर लिया है, सम्पत्ति लेने के लिये उसे दुबारा धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिये । और बाद में सम्पत्ति लेने के बाद उसे धर्म नहीं छोड़ना चाहिये ।

मान लीजिये कि संतान ईसाई, मुसलमान, अथवा अन्य धर्म मानने वाले माता-पिता से उत्पन्न होती है तो वे इस खण्ड के अनुसार उत्तराधिकारी नहीं हो सकते । मान लीजिये कि पिता ने अपनी मृत्यु से पूर्व हिन्दू धर्म स्वीकार कर लिया । तो संतान उसकी उत्तराधिकारिणी हो सकती है और सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी बनने के पश्चात् वे हिन्दू धर्म छोड़ सकते हैं क्योंकि जो सम्पत्ति एक बार दे दी जाती है, वह दुबारा वापस नहीं ली जा सकती । इसलिये मैंने अपने संशोधन में कहा है कि यदि वे एक बार सम्पत्ति के उत्तराधिकारी बनते हैं तो उनको हिन्दू ही बना रहना चाहिये और सम्पत्ति को दूसरे धर्म में नहीं ले जाना चाहिये ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : मैंने संशोधन संख्या २१० का प्रस्ताव किया है । आज ऐसे बहुत से खानदान हैं जिनमें से लोग सन्यास ले लेते हैं । उन लोगों का खास मकसद तपस्या होता है और इसी के लिये वह घर छोड़ कर जाते हैं । उनके लिये कोई प्रबन्ध सम्पत्ति हासिल करने के लिये हो तो उनकी सम्पत्ति का इस्तेमाल सामाजिक कामों के लिये करने का कोई इन्तजाम नहीं होता । मेरी नजर में दक्षिण भारत के ऐसे बहुत से खानदान हैं जहां पर पुत्र वर्ग और सन्यास वर्ग दोनों रहते हैं । सन्यास आश्रम में यह होता है कि उनकी सारी सम्पत्ति समाज की बन जाती है । लेकिन अंग्रेजों के जमाने से जो कानून चला आ रहा है उसमें ऐसा होता है कि जो समाज की सम्पत्ति या आस्ती इस प्रकार की होती है उसमें भी भाई के बच्चों या बहनों के बच्चों को हिस्सा दे दिया जाता है । इस तकसीम का रिवाज आज भी उसी तरह से चला आ रहा है, खुसूसन वीर शैव आदि जो पन्थ हैं उनमें हालांकि यह नियम चला आता है कि गुरु खानदान की जो सम्पत्ति सन्यासी के पास होती है वह समाज के लिये रिजर्व रखी जाय लेकिन उनमें ऐसा होता बहुत कम है । जो मठों आदि की सामाजिक सम्पत्ति होती है उसको भी अपने-अपने बेटों, रिश्तेदारों और भाइयों में तकसीम करने का रिवाज है । इस सम्बन्ध में कोर्टस के फैसले भी हो चुके हैं कि जो सम्पत्ति सन्यास आश्रम ग्रहण करने वालों की होती है, वह समाज की समझी जानी चाहिये, समाज का उससे गुजारा हो और उस प्रापर्टी पर समाज का ही अधिकार हो सकता है, किसी रिश्तेदार का हक उस पर नहीं होना चाहिये । लिहाजा मैं इस ऐमेंडमेंट की ताईद में ज्यादा न कहता हुआ सिर्फ यही कहूंगा कि सन्यास आश्रम दो किस्म के होते हैं । एक तो वह लोग होते हैं जो पहाड़ों में जाकर तपस्या वगैरह करते हैं, दूसरे सन्यास आश्रम वाले वह होते हैं जो अपने धर्म के परिवार को बढ़ाने और धर्म का प्रचार कर के हिन्दू समाज की मोरेलिटी को बढ़ाने के लिये सन्यास आश्रम लेते हैं, जिनको पटाध्यक्ष भी कहा जाता है । ऐसे सन्यासियों को भी अपने लड़कों को अपनी सम्पत्ति देने का अधिकार नहीं होना चाहिये । उनकी सम्पत्ति उनके चेलों के लिये महफूज रहनी चाहिये न कि और दूसरे लोगों में तकसीम होनी चाहिये ।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** (चित्तौड़) : मैं खंड २८ के बारे में कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूं ।

एक व्यक्ति जिसने हिन्दू धर्म को छोड़ कर कोई अन्य धर्म अपना लिया है उसके पुत्र आदि अपने माता-पिता के धर्म वाले माने जायेंगे । इसलिये यह स्वाभाविक ही है कि किसी हिन्दू की सम्पत्ति को

---

†मूल अंग्रेजी में ।

उत्तराधिकार में पाने का उन्हें अधिकार नहीं होगा। इसलिये यह उपबन्ध कि यदि ये पुत्र आदि और उनके वंशज उत्तराधिकार का समय आने पर हिन्दू हों तो उनको उत्तराधिकार मिल सकेगा, हिन्दू धर्म की खिल्ली उड़ाता है। इस प्रकार ऐसा जान पड़ता है जैसे किसी से कहा जाय कि कम से कम सम्पत्ति के लालच से ही आप अपना धर्म परिवर्तन कर लीजिये। यह स्थिति बहुत ही क्षोभनीय है। सम्पत्ति का लालच देकर लोगों को धर्म परिवर्तन के लिये प्रेरित करना बहुत ही खराब बात है जिससे कि जनता के नैतिक पतन होने की आशंका है। इसलिये मेरा कहना यह है कि "जब तक कि न" शब्दों से आरम्भ होने वाली पंक्तियां ५ और ६ निकाल दी जायें। इस आशय का कोई संशोधन तो मैंने नहीं रखा है फिर भी मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस सम्बन्ध में अवश्य ध्यान दें।

†**श्री वी० जी० देशपांडे** : इस खंड को मैंने कई बार पढ़ा है और मैंने देखा कि धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति के पुत्र आदि सम्पत्ति उत्तराधिकार में पाने से अनर्ह कर दिये गये हैं। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि धर्म परिवर्तन करने वाला व्यक्ति स्वयं अनर्ह नहीं होगा। उदाहरण के लिये यदि कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपना ले और उसका बाप जीवित हो तो वह अपने पिता की सम्पत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त कर सकेगा। परन्तु उसके पुत्र उत्तराधिकार में कुछ भी नहीं पायेंगे। मेरे विचार से इसमें कोई मूलभूत त्रुटि रह गई है। इसलिये मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में स्थिति को स्पष्ट करने के लिये कुछ कहें।

†**अध्यक्ष महोदय** : अभिप्राय यह था कि धर्म परिवर्तन की स्वतन्त्रता बनी रहे। इसीलिये उनका आशय है कि किसी अन्य धर्म के अपनाने के बाद भी उसका उत्तराधिकार में सम्पत्ति पाने का अधिकार विलुप्त नहीं होगा।

†**श्री टेक चन्द** : खंड २८ के प्रथम भाग के सम्बन्ध में संशोधन संख्या २५४ बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अनर्हता धर्म परिवर्तन करनेवाले को प्रभावित नहीं करती है वरन् उसके पुत्र आदि पर लागू होती है। मान लीजिये एक पिता है जिसके एक पुत्र है और कुछ पौत्र हैं। पिता की मृत्यु होने पर यदि उसका पुत्र किसी अहिन्दू धर्म को अपना ले तो उसका परिणाम यह होगा कि उत्तराधिकार प्राप्त करने के उसके अधिकार पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा जब कि उसके पुत्र उस अधिकार से वंचित कर दिये जायेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसके सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं है। माननीय सदस्य कहना क्या चाहते हैं ?

†**श्री टेक चन्द** : इसके लिये मैंने संशोधन संख्या २५४ प्रस्तुत किया है जिसके द्वारा मैं चाहता हूं कि पृष्ठ ११ की पंक्ति ३ में धर्म शब्द के पश्चात् "वह और" शब्द बढ़ा दिये जायें।

इस संशोधन से इस खंड में जो त्रुटि है वह दूर हो जायेगी।

इस खंड में एक और महत्वपूर्ण त्रुटि है। मान लीजिये कि धर्म परिवर्तन करने वाला व्यक्ति विवाहित है, और उसके हिन्दू पुत्र आदि मौजूद हैं, तो उसके वे पुत्र जो पहले हो चुके हैं हिन्दू बने रहेंगे और जो पुत्र आदि धर्म परिवर्तन के बाद जन्म लेंगे वे अन्य धर्म के माने जायेंगे। हो सकता है कि केवल उत्तराधिकार के अभिप्राय से ही वे कुछ समय के लिये वह स्वीकार कर लें और उसके बाद फिर अपने पुराने धर्म में ही चले जायें। इस प्रकार से अस्थायी और विशेष अभिप्राय से किये जाने वाले धर्म परिवर्तन के परिणामस्वरूप उत्तराधिकार पाने का अधिकार नहीं होना चाहिये जैसा कि संशोधन संख्या २५५ का आशय है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री टेक चन्द]

यह बड़ी ही विचित्र बात है कि यदि कोई हिन्दू सन्यासी हो जाये तो वह उत्तराधिकार पाने के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। परन्तु यदि सन्यासी होने के स्थान पर इस्लाम या ईसाई धर्म अपना ले तो उसका उत्तराधिकार पाने का अधिकार बना रहता है। मेरा कहना है कि वह व्यक्ति जो हिन्दू धर्म से विमुख हो जाय उसे उत्तराधिकार का कोई अधिकार नहीं होना चाहिये। एक और बात यह है कि विभिन्न धर्म अपनाने वाला व्यक्ति जब एक बार उत्तराधिकार में सम्पत्ति प्राप्त कर लेगा तो वह उस सम्पत्ति का पूर्ण स्वामी हो जायेगा और इस प्रकार उसके पुत्र आदि किसी भी धर्म के हों स्वतः ही उसकी सम्पत्ति उत्तराधिकार में पायेंगे। इसलिये मेरा कहना है कि यदि आप खंड २८ पर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत सी त्रुटियां हैं और इसके आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है जिससे कम से कम इसमें संशोधन संख्या २५४ और २५५ का मूलभाव आ जाये।

†**श्री एस० एस० मोरे** : मैं संयुक्त समिति का एक सदस्य था और हमने इन मामलों पर विचार किया था। जहां तक दायभाग का प्रश्न है, इसका आधार सम्बन्ध (रिलेशनशिप) है, उत्तराधिकारी का धर्म (रिलीजन) नहीं। मूल अन्य धर्मग्राही के मामले में, जो सम्बन्ध द्वारा दायभाग का अधिकारी है, प्रश्न यह है कि इस बात का निर्णय करने के लिये कि वह दायभाग पाने का हकदार है या नहीं, क्या हम धर्म तथा धर्म सम्बन्धी अन्य बातों को भी बीच में लायें।

जो व्यक्ति किसी अन्य धर्म में विश्वास के कारण किसी अन्य धर्म को अपनाते हैं क्या उन्हें दण्ड देने के प्रयोजन के लिये हम दायभाग सम्बन्धी इस विधि का उपयोग करेंगे? श्री टेकचन्द का तर्क यह था कि दायभाग की इस विधि का इस विशिष्ट मनुष्य को दण्ड देने के लिये उपयोग किया जाना चाहिये।

अन्य धर्मग्राही व्यक्ति का जन्म इच्छापत्रहीन मरने वाले व्यक्ति के धर्म में ही होता है। परन्तु जहां तक बच्चों का सम्बन्ध है, उनका जन्म बिल्कुल ही विभिन्न धर्म में होता है और इससे विधि का पूर्ण स्वरूप ही बदल जाता है। इच्छापत्रहीन मरने वाले व्यक्ति के धर्म में ही यदि किसी व्यक्ति का जन्म होता है और बाद में वह अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है तो जहां तक सम्पत्ति के दायभाग का प्रश्न है, धर्म परिवर्तन की बात को इसमें बाधा नहीं बनना चाहिये। जहां तक धर्म परिवर्तन के बाद पैदा होने वाले उसके बच्चों का सम्बन्ध है उनका उस धर्म से सम्बन्ध नहीं होता है बल्कि उनका जन्म किसी अन्य धर्म में होता है और इस प्रकार दोनों स्थितियों में एक प्रकार का अन्तर होता है। यदि मुझ से मेरे विचार पूछे जायें तो धर्म की बात पर विचार नहीं किया जाना चाहिये। हमें 'सम्बन्ध' को देखना चाहिये। मान लीजिये कि 'क' व्यक्ति इच्छापत्रहीन मर जाता है और उसका लड़का 'ख' अन्य धर्म-ग्राही है और 'ग' तथा 'घ' उसके ऐसे लड़के हैं जो धर्म परिवर्तन के बाद पैदा हुए हैं। उनका सम्बन्ध तब भी बना रहता है। वे अब भी 'क' के पौत्र तथा प्रपौत्र हैं क्योंकि रक्त का सम्बन्ध मिट नहीं सकता है। यहां, रक्त के सम्बन्ध पर विचार किया जाना चाहिये। मेरा निजी विचार यह है कि धर्म का विचार नहीं किया जाना चाहिये। परन्तु लोकतत्र के इन दिनों में हमें समझौते करने पड़ते हैं। आप पुत्र की व्याख्या देखिये इसमें दत्तक पुत्र भी आता है, हालांकि रक्त का कोई रिश्ता नहीं होता है। इस-लिये मैं यह कहूंगा कि मनुष्य के धर्म को इस बात के बीच में नहीं लाना चाहिये। परन्तु मैं समझौते के लिये इस बात को स्वीकार करने के लिये तैयार हूं। मूल अन्यधर्मग्राही को उत्तराधिकारी स्वीकार करना चाहिये। इस सीमा तक मैं खण्ड २८ का समर्थन करता हूं। जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है वह विधेयक के कार्यक्षेत्र से बाहर है।

†**श्री सी० सी० शाह** : खण्ड २८ के तीन अनुषंग हैं। एक, यदि कोई हिन्दू, वह स्त्री हो या पुरुष, किसी अन्य धर्म को ग्रहण करता है तो वह मृतक व्यक्ति का उत्तराधिकारी होने के अधिकार से वंचित नहीं हो जाता है। उसके बच्चे, उसके नहीं, बल्कि किसी अन्य हिन्दू सम्बन्धी के उत्तराधिकारी नहीं हो

†मूल अंग्रेजी में।

सकते हैं। अन्तिम शब्द हैं, "जब तक कि ऐसे बच्चे या वंशज, जिस समय उत्तराधिकार का प्रश्न उत्पन्न हो हिन्दू न हों"। इसलिये यदि बच्चों का पोषण हिन्दुओं की भांति हुआ हो तो उन्हें मृतक के प्रत्येक हिन्दू सम्बन्धी का उत्तराधिकारी होने का हक होगा।

†**श्री एस० एस० मोरे** : पालन-पोषण द्वारा नहीं बल्कि नियमित धर्म परिवर्तन या पुनः धर्म परिवर्तन द्वारा।

†**श्री सी० सी० शाह** : यह निर्वचन का मामला है। यह पुनः धर्म परिवर्तन द्वारा भी हो सकता है।

†**श्री पाटस्कर** : आपका सुझाव क्या है ?

†**श्री सी० सी० शाह** : मैं खण्ड २८ का समर्थन करता हूं। जो संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं मैं उनका विरोध करता हूं। जब हमने १९५० में जाति निर्योग्यतायें उन्मूलन अधिनियम स्वीकार किया था तो यह सिद्धांत स्वीकृत किया था कि धर्म परिवर्तन मात्र से ही कोई व्यक्ति उत्तराधिकार के हक से वंचित नहीं हो सकता है। परन्तु यदि बच्चों का पालन-पोषण अन्य धर्मग्राही के धर्म में हो तो यह स्वाभाविक है कि वे मृतक के अन्य हिन्दू सम्बन्धियों के उत्तराधिकारी नहीं हो सकते हैं। यदि उन्होंने पुनः धर्म परिवर्तन कर लिया है और उत्तराधिकार का प्रश्न उत्पन्न होने पर यदि वे हिन्दू हैं वे तभी उत्तराधिकारी होने का हक रखते हैं। इसी बात पर राव समिति ने ध्यानपूर्वक विचार किया था। राव समिति ने जो तर्क प्रस्तुत किये हैं उनके आगे मुझे कुछ नहीं कहना है।

जहां तक मेरे मित्र द्वारा प्रस्तुत दूसरे संशोधन का सम्बन्ध है जिसमें यह कहा गया है कि जिस समय उत्तराधिकार का प्रश्न उत्पन्न हो न केवल उस समय बच्चों को हिन्दू होना चाहिये बल्कि उन्हें आजीवन या कुछ वर्षों के लिये हिन्दू रहना होगा, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक ऐसी बात है जो इस उपबन्ध में नहीं जोड़ी जा सकती है। इसलिये मैं खण्ड २८ का समर्थन करता हूं।

†**श्री पाटस्कर** : मेरे विचार में यह एक ऐसा उपबन्ध है जिस पर न केवल संयुक्त समिति ने गम्भीरतापूर्वक विचार किया है बल्कि पहले जो अनुसन्धान किये गये हैं उन्हें देखते हुए यह बनाया गया है और वर्तमान घटनाओं की प्रवृत्ति के अनुकूल है। मेरे माननीय मित्र श्री टेकचन्द ने जो अपील की है उसे मैंने ध्यान से सुना है। कल्पना कीजिये कि एक ऐसा संयुक्त परिवार है जिसमें एक पिता तथा दो पुत्र हैं और एक पुत्र कोई अन्य धर्म ग्रहण कर लेता है। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि इस आधार पर उसे सम्पत्ति में अपना अधिकार नहीं मिलना चाहिये या उसका दायभाग का अधिकार नहीं रहना चाहिये ? ऐसा करना उचित नहीं होगा क्योंकि हम कह चुके हैं कि जहां तक निष्ठा का प्रश्न है, कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म का अनुयायी होने के लिये स्वतन्त्र है। इसलिये यदि वह हिन्दू नहीं रहना चाहता है तो जो भी अधिकार वह पहले अर्जित कर चुका है आपको उसे उससे वंचित नहीं करना चाहिये। मेरे विचार में यह एक बिल्कुल ही ग़लत बात होगी। और हमने जिन सिद्धांतों का अनुकरण करने का निर्णय किया है उनके विरुद्ध होगी। जाति निर्योग्यतायें उन्मूलन अधिनियम के कारण तथा इस कारण कि इस मामले पर समय-समय पर विचार किया जा चुका है। मैं अपने मित्र के तर्कों को नहीं दोहराउंगा। इसलिये जहां तक मुझसे उनकी इस अपील का सम्बन्ध है "आप अन्य धर्मग्राही को इस अधिकार की अनुमति क्यों देना चाहते हैं", मैं पूछता हूं : केवल इस कारण कि इन दिनों में एक व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करने का निर्णय करता है क्या यह उचित है, क्या यह न्यायसंगत है कि उसे सम्पत्ति में उसके अधिकार से वंचित कर दिया जाय ? यहां ऐसा ठीक ही कहा गया है :

> "जहां, इस अधिनियम के प्रारम्भ से पहले या बाद में, कोई हिन्दू अन्य धर्म परिवर्तन के कारण हिन्दू नहीं रहा है या हिन्दू नहीं रहता है तो ऐसे धर्म परिवर्तन के बाद उस पुरुष या स्त्री के पैदा हुए बच्चे तथा उनके वंशज अनर्हित होंगे ..."

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री पाटस्कर]

जैसा कि मैं कह चुका हूं यह भी एक रियायत है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी पुरुष के, जो अन्य धर्म ग्रहण करने का निर्णय करता है, धर्म परिवर्तन के बाद या अन्य धर्म की किसी स्त्री से विवाह करने पर, जैसी भी स्थिति हो , बच्चे हो जायें। स्वाभाविक रूप से वे बच्चे हिन्दू नहीं होंगे। इसी-लिये यह सोचा गया है कि जब तक वे हिन्दू न हों, एक ऐसी विधि के आधार पर जो केवल जहां तक हिन्दुओं का सम्बन्ध है उन पर ही लागू होती है, उन्हें हिस्सेदार या उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाना चाहिये। परन्तु हम निश्चित रूप से उन्हें यह अधिकार देते हैं कि जिस समय उत्तराधिकार का प्रश्न उत्पन्न हो उस समय यदि वे हिन्दू हैं तो वे उत्तराधिकारी होने के हकदार होंगे। यह एक अलग बात है कि वे पुनः धर्म परिवर्तन द्वारा या किसी अन्य प्रकार से उत्तराधिकारी हैं। इसलिये खण्ड में जो शब्द रखे गये हैं वे वर्तमान भाव से, हम जिन सिद्धांतों पर चल रहे हैं उनसे सुसंगत हैं और मेरे विचार में इसमें कोई ग़लत बात नहीं है। मुझे आशा है कि जिन माननीय सदस्यों ने अपने संशोधन प्रस्तुत किये हैं वे उन्हें वापस ले लेंगे।

†**श्री टेक चन्द :** मैं एक बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं। यदि उत्तराधिकार की विधि 'सम्बन्ध' पर आधारित है और 'धर्म' पर नहीं, तो एक अन्य धर्मग्राही के गैर-हिन्दू बच्चों को उत्तराधिकार से वंचित रखने का क्या कारण है ?

†**श्री पाटस्कर :** क्योंकि निश्चय ही वे हिन्दू नहीं हैं और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम उन पर लागू नहीं हो सकता है । बहुत सीधा-सा उत्तर है।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं संशोधनों को लोक-सभा के समक्ष मतदान के लिये रखता हूं। श्री शिव-मूर्ति स्वामी का संशोधन संख्या २१०।

†**श्री पाटस्कर :** इस संशोधन के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रश्न पर संयुक्त समिति में विचार किया गय था। मान लीजिये कि एक व्यक्ति सन्यासी बनना चाहता है। ऐसे सन्यासी भी हैं जो पुनः गृहस्थ आश्रम अपनाते हैं।

†**श्री एस० एस० मोरे :** पत्नियों तथा बच्चों वाले सन्यासी भी होते हैं।

†**श्री पाटस्कर :** वे कई प्रकार के होते हैं। हम इन सभी वाद-विवादों में नहीं पड़ना चाहते और इस बिना पर किसी को वंचित नहीं करना चाहते कि वह अपने आपको सन्यासी कहना चाहता है। परन्तु ऐसे बहुत से सन्यासी हैं जो गृहस्थ आश्रम का पालन भी करते हैं। मुझे मालूम नहीं उन्हें क्या कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी मत का अनुयायी होना चाहता है तो उसने जो अधिकार पहले ही अर्जित किये हैं हम उसे उनसे वंचित क्यों करें। हम इस बात को सन्यासियों पर ही छोड़ते हैं। वे जो कुछ भी चाहें सम्पत्ति के साथ करें।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २१०, २५४, २५५ तथा २५६ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड २८ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २८ विधेयक में जोड़ दिया गया।

†**अध्यक्ष महोदय :** एक नया खंड जोड़ने के सम्बन्ध में श्री डाभी के संशोधन पर बाद में विचार किया जायेगा। खंड २९ और ३० के सम्बन्ध में कोई संशोधन नहीं है इसलिये मैं उन्हें रखता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

प्रश्न यह है :

"कि खंड २९ तथा ३० विधेयक के अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २९ तथा ३० विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री डाभी यदि चाहें तो खंड २७क जोड़ने के लिये अपना संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं।

†**श्री डाभी :** मैं अपना संशोधन संख्या ४० प्रस्तुत करता हूं जिसका आशय यह है कि यदि कोई पति या पत्नी यथास्थिति अपनी पत्नी या पति को त्याग दे तो वे एक दूसरे की सम्पत्ति के उत्तराधिकारी नहीं होने चाहिये। इसके बारे में माननीय विधि-कार्य मंत्री ने यह आपत्ति की है कि इस बात को सिद्ध करना बहुत कठिन हो जायेगा कि उन्होंने एक दूसरे को त्याग दिया है; किन्तु मेरी तो यही धारणा है कि इसे अदालत में जाकर भलीभांति सिद्ध किया जा सकता है। इस समय भी ऐसे सैकड़ों मामले होंगे जिनमें पुरुषों ने स्त्रियों को त्याग रखा है। अत: मैं चाहता हूं कि जो भी इस प्रकार का त्याग करे उसे दूसरे की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी न माना जाये।

†**श्री पाटस्कर :** वह यह जानना चाहते थे कि खण्ड २५ में यह उपबन्ध क्यों है कि यदि किसी लड़की को उसका पति त्याग दे तो उसे अपने पिता की सम्पत्ति में अधिकार होगा। इसका अभिप्राय यह है कि उसे अपने पिता के घर में रहने को स्थान मिल सकेगा। इसके विपरीत यदि श्री डाभी की बात मान ली जाये तो नतीजा यह होगा कि जब कभी कोई विधवा अपना अधिकार मांगेगी तो अन्य लोग कह देंगे कि उसके पति ने उसे पहले ही त्याग रखा था और इस प्रकार मुकदमेबाजी शुरू हो जायेगी। अत: इस उपबन्ध की तुलना उस उपबन्ध से नहीं की जा सकती जिस में यह स्थिति है कि यदि किसी स्त्री को त्याग दिया गया है, उसे रहने को कहीं स्थान नहीं है तो उसे जगह दी जाती है। माननीय सदस्य का उद्देश्य कितना ही अच्छा क्यों न हो किन्तु उसका जो परिणाम निकलेगा वह हमारी आशा के विरुद्ध होगा। इसी प्रकार जिस स्त्री ने अपने पति को त्याग दिया है उसकी स्थिति में भी वही बात लागू होगी। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का उपबन्ध अनावश्यक है और मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इसे वापस ले लेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य उस पर आग्रह नहीं करेंगे।

खंड २५---(रहने के मकानों के बारे में विशेष-उपबन्ध)

†**अध्यक्ष महोदय :** खण्ड २५ के बारे में पहला संशोधन संख्या २२० श्री कृष्णचन्द्र का है।

†**श्री पाटस्कर :** इस संशोधन का अर्थ यह है कि विधवा को अपने पिता के घर में रहने का अधिकार होगा। यदि माननीय सदस्यों की यही इच्छा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ १०, पंक्ति ३० और ३१ में से "whose husband has left no dwelling house" [जिसके पति ने कोई रहने का मकान नहीं छोड़ा है] शब्द निकाल दिये जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री वी० जी० देशपांडे :** श्रीमान्, इस प्रस्ताव के विरोध में बहुत से व्यक्ति थे। मैं चाहता हूं कि इसके निर्णय के लिये घंटी बजाई जाये और मत लिया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**अध्यक्ष महोदय :** इसके पक्ष में बहुमत स्पष्ट रूप से विदित होता था इसलिये घंटी बजाने की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार के निर्णय को यदि कोई गम्भीर चुनौती दी जाती तो मैं इसके लिये तैयार हो सकता था।

†**श्री वी० जी० देशपांडे :** चुनौती तो आपके निर्णय के बाद ही दी जा सकती है। वह पहले कैसे दी जा सकती है?

†**अध्यक्ष महोदय :** कुछ भी सही, अब मैं श्री गौंडर का संशोधन संख्या २५३ सभा के सम्मुख रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अब मैं संशोधन संख्या २२६ को रखता हूं। प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ १०, पंक्ति ३०—"has been deserted by" [द्वारा त्याग दी गई है"] शब्दों के बाद "or has separated from" [या–से अलग हो गई है] शब्द रखे जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अब शब्द ये हैं : "द्वारा त्याग दी गई है या अलग हो गई है या से अलग हो गई है"।

†**श्री पाटस्कर :** मैं तो समझता था कि केवल "द्वारा त्याग दी गई है" शब्द हैं, किन्तु यदि ऐसा नहीं है तो मैं सभा में विभाजन के लिये निवेदन करता हूं।

†**श्री एस० एस० मोरे :** जो बातें श्री वी० जी० देशपांडे के मामले पर लागू हुई है वही श्री पाटस्कर पर भी लागू की जानी चाहिये।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** अच्छी बात है। हम इस स्थिति को स्वीकार करते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** अब मैं खंड २५ को मतदान के लिये रखता हूं।

†**श्री के० के० बसु :** मेरा सुझाव यह है कि उसका परन्तुक पृथक् रूप से पेश किया जाय।

†**अध्यक्ष महोदय :** ठीक है। मतदान से पहले मैं यह बता देना चाहता हूं कि इस खण्ड के दो भाग हैं। पहले भाग में यह है कि लड़की को पिता के घर में रहने का अधिकार है और परन्तुक में यह है कि किन-किन लड़कियों को इस प्रकार रहने का अधिकार है। अब मैं खण्ड २५ को रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २५ (संशोधित रूप में परन्तुक के बिना) विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २५ का परन्तुक, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

जो इस प्रस्ताव के पक्ष मे हैं वे 'हां' कहें।

†**कुछ माननीय सदस्य :** हां।

†**अध्यक्ष महोदय :** जो विपक्ष में हैं वे "ना" कहें।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**कुछ माननीय सदस्य :** ना ।

†**अध्यक्ष महोदय :** विभाजन की घंटी बजाई जाये ।

†**श्री सिंहासन सिंह :** विरोधी दल का संशोधन स्वीकार हो रहा है ।

†**डा० रामा राव :** यह संशोधन हमारा नहीं है । यह आपके दल का है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं जानना चाहता हूं कि स्थिति क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** स्थिति यह है कि सरकार ने इसके संशोधन को स्वीकार कर लिया है किन्तु कुछ विरोधी सदस्य इसके पक्ष में नहीं हैं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** विरोधी दल वाले अभी तो इन दो संशोधनों को पर्याप्त करवाना चाह रहे थे । अब वे अपनी बात से हट रहे हैं । वे जो चाहे कह सकते हैं । उन्हें सब अधिकार है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २५ का परन्तुक संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड २५, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २५, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ३१—(उत्तराधिकारियों का अभाव)

†**अध्यक्ष महोदय :** खण्ड ३१ के बारे में कुछ संशोधन हैं, जिनके बारे में माननीय सदस्य यदि चाहें, तो कुछ कह सकते हैं ।

†**श्री टेक चन्द :** मैंने अपना संशोधन काफी देर से दिया है किन्तु वह एक प्रकार का शाब्दिक संशोधन है । इस खण्ड में यह कहा गया है कि जिस सम्पत्ति का कोई वारिस नहीं होगा वह सरकार के हाथ में चली जायेगी । इस विषय में मेरा यही कथन है कि इसकी भाषा में उचित सुधार होना चाहिये । इसकी भाषा विधि की दृष्टि से ठीक नहीं है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** श्री टेक चन्द का कहना मुझे बिल्कुल ठीक लगता है और इस खण्ड के शब्दों में परिवर्तन किया जाना चाहिये । उसमें क्या परिवर्तन होगा, उसे हम सोच लेंगे ।

†**श्री टेक चन्द :** सम्पत्ति का आना और जाना ठीक शब्द नहीं है ।

†**श्री पाटस्कर :** अच्छा तो इसके बजाय "सरकार के अधिकार में हो जायेगी" ठीक रहेगा । क्या मैं संशोधन औपचारिक रूप में रखूं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** हां । ऐसा ही संशोधन कर दीजिये ।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ ११, पंक्ति १६ "go to" [चली जायेगी] के स्थान पर "devolve on" [अधिकार में हो जायेंगी] शब्द रख दिये जायें ।

[श्री पाटस्कर]

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३१, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३१, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ३२--(इच्छापत्रीय उत्तराधिकार)

†**श्री वी० जी० देशपांडे** : मैं अपना संशोधन संख्या २६५ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री केलप्पन** (पोन्नानी) : मैं अपना संशोधन संख्या २५७ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मैं अपना संशोधन संख्या २११ प्रस्तुत करती हूं ।

†**श्री दामोदर मेनन** (कोजिकोड) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ११, पंक्ति २६ से २९ तक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :—

"**Explanation.**—The interest of a Male Hindu in a *Mitakshara* Coparcenary property or the interest of a Member of a *tarwad, twazhi, illom, kutumba* or *kavaru* in the property of the *tarwad, tavazhi, illom, kutumba* or *kavaru* shall, notwithstanding anything contained in this Act or in any other law for the time being in force, be deemed to be property capable of being disposed of by him within the meaning of this Section."

["**व्याख्या**—इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुय भी मिताक्षरा समांशिता सम्पत्ति में एक हिन्दू पुरुष का हित अथवा तारवाद, तवाजी, इल्लोम, कुटुम्ब अथवा कवारू में तारवाड़, तवाजी, इल्लोम, कुटुम्ब, अथवा कवारू के सदस्य का हित, उस पुरुष द्वारा इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत निपटाई जाने योग्य सम्पत्ति समझा जायेगा ।"]

†**श्री मूल चन्द दुबे** (जिला फर्रुखाबाद—उत्तर) : मैं अपना संशोधन संख्या २६४ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्रीमती जयश्री** (बम्बई उपनगर) : मैं अपना संशोधन संख्या २५८, प्रस्तुत करती हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : ये संशोधन सभा के समक्ष हैं ।

†**श्री वी० जी० देशपांडे** : मैं अपने संशोधन क द्वारा खण्ड ३२ में परन्तुक जोड़ना चाहता हूं । मेरा संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस विधेयक में मिताक्षरा प्रणाली के लिये यह उपबन्ध किया गया है कि कोई भी मिताक्षरा समांशी अपनी सम्पत्ति को वसीयत द्वारा किसी व्यक्ति को उत्तराधिकारी बना सकता है । इसका स्पष्ट परिणाम यह होगा कि घर-घर में लोग ऐसी वसीयतें लिखने लगेंगे और उनके कारण उनकी विधवाओं, लड़कियों और छोटे बच्चों को उस सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं रहेगा । इससे बड़े बुरे परिणाम निकलेंगे और समाज का वातावरण बड़ा क्षुब्ध हो जायेगा । यही कारण है कि मैं अपने परन्तुक द्वारा यह उपबन्ध रखना चाहता हूं कि विधवा, छोटे बच्चों और अविवाहित लड़कियों का व्यय ऐसे मिताक्षरा समांशी की सम्पत्ति में से दिया जायगा । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** मेरा संशोधन संख्या २११ है जिसके द्वारा मैं इस खण्ड की व्याख्या को हटवाना चाहती हूं। प्रस्तुत विधेयक में विभिन्न परिवर्तनों के कारण अनेक क्लिष्टतायें आ गई हैं। इसकी अपेक्षा तो हिन्दू संहिता विधेयक में उत्तराधिकार के अच्छे नियम थे। प्रस्तुत खण्ड के अधीन मैं यह नहीं चाहती कि समांशी सम्पत्ति किसी के नाम वसीयत कर दी जाये। इसका परिणाम तो यह होगा कि वह सम्पत्ति केवल पुत्रों को ही प्राप्त हो सकेगी। अतः मैं इसकी व्याख्या को उचित नहीं समझती।

यदि माननीय मंत्री ऐसा न कर सकें तो मेरे लिये, श्री देशपांडे के विचार का समर्थन करने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं रह जाता है क्योंकि उनके सुझाव के अनुसार विधवा, छोटे बच्चों और अविवाहित लड़कियों को निर्वाह-व्यय तो दिया जा सकेगा। अतः मैं निवेदन करती हूं कि इस ओर अवश्य ध्यान दिया जायेगा।

†**श्री केलप्पन :** मेरा संशोधन यह है कि मुख्य खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये :

"कोई भी हिन्दू इच्छापत्र अथवा किसी भी अन्य इच्छापत्रीय व्ययन के द्वारा अपनी केवल एक-तिहाई सम्पत्ति का व्ययन कर सकेगा चाहे भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, १९२५ अथवा तत्समय प्रवृत्त और हिन्दुओं पर लागू किसी भी अन्य कानून के उपबन्धों में कुछ भी सन्निहित हो।"

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, १९२५ व्यक्ति को अपनी निजी कमाई की वसीयत करने का निर्बाध अधिकार देता है, इस व्याख्या से यह अधिकार पैतृक सम्पत्ति पर भी लागू किया जा रहा है। इसके कारण संयुक्त परिवार प्रणाली बिल्कुल समाप्त हो जायेगी।

मेरा विचार यह है कि संयुक्त परिवार प्रणाली बहुत अच्छी है, भले ही कुछ माननीय सदस्य इससे सहमत न हों। सभ्य समाज में और विशेषकर कल्याणकारी राज्य में व्यक्ति की कार्य करने की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं। न्यासधारिता की भावना जड़ पकड़ती जा रही है। हमारे पास जो कुछ भी है हम उसके न्यासधारी हैं और हमें उनका प्रयोग समाज के हित के लिये करना चाहिये। माता-पिता का यह कर्त्तव्य है कि वह अपने बच्चों का भरण पोषण करें और इसको समस्त संसार स्वीकार करता है। इंग्लेंड में पोषण के अधिकार को कानूनी मान्यता दी गई है। वहां यदि कोई व्यक्ति अपने आश्रितों के लिये बिना पर्याप्त उपबन्ध किये वसीयत करता है तो न्यायालय उसको उनके लिये पोषण के लिये पर्याप्त उपबन्ध करने का आदेश दे सकता है।

मुस्लिम कानून के अनुसार कोई व्यक्ति अपनी तिहाई सम्पत्ति की वसीयत कर सकता है।

मैं नहीं समझता कि हमारी सरकार खण्ड ३२ के द्वारा इस अन्याय को क्यों बनाए रख रही है समाज के हित के लिये यह आवश्यक है कि सम्पत्ति की वसीयत करने के अधिकार पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये जायें चाहे वह स्वयं अर्जित ही हो। आशा है लोक-सभा मेरे संशोधन को स्वीकार करेगी।

†**सरदार हुक्म सिंह** (कपूरथला-भटिंडा) : मैं श्री देशपांडे के संशोधन का समर्थन करता हूं यद्यपि इसके परिणाम स्वरूप कुछ परिवर्तन किये जाने होंगे। अभी तक अधेड़ अथवा विधवा स्त्रियों के लिये हमारे यहां कोई उपबन्ध नहीं है। वर्तमान मिताक्षरा विधि प्रणाली में बहुत सी अच्छाइयां हैं। हम उस प्रणाली को समाप्त करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने विधेयक का विरोध किया है ऐसा नहीं है कि वे पुत्री को अंश नहीं देना चाहते। उनके विरोध करने का कारण यही है कि वर्तमान कानून को बदलने के लिये यह समय उपयुक्त नहीं है।

यह संशोधन श्री देशपांडे ने इसलिये रखा है कि वह यह अनुभव करते हैं कि सम्पत्ति की वसीयत करने का अधिकार देते समय हमें उन लोगों के लिये परित्राण अथवा उपबन्ध की व्यवस्था करनी चाहिये

---

†मूल अंग्रेजी में।

[सरदार हुक्म सिंह]

जिन्हें उसकी आवश्यकता होती है । ऐसा नहीं है कि केवल बड़ी सम्पत्ति वाले ही वसीयत करेंगे जैसा श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने कहा । छोटी सम्पत्ति वाले भी विभाजन और टुकड़े हो जाने के डर से वसीयत करेंगे । उनकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि पुत्री को सम्पत्ति नहीं मिलनी चाहिये ।

अभी भी मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूं जिन्होंने यह आरोप लगाया कि पुत्रियों के लिये पर्याप्त उपबन्ध नहीं किया जा रहा है । माता-पिता सदा पुत्रियों के लिये पर्याप्त उपबन्ध करते हैं । लोग सम्पत्ति की वसीयत इसलिये नहीं करते कि उनकी पुत्रियां उससे वंचित हो जायें वरन् इसलिये करते हैं कि वह सुरक्षित रहे । यदि सम्पत्ति की वसीयत कर दी जायगी तो उन लोगों के लिये कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी जिनके लिये श्री देशपांडे ने इस सुरक्षा का सुझाव रखा है आशा है माननीय मंत्री इस संशोधन पर गम्भीरता से विचार करेंगे ।

†**श्रीमती जयश्री :** विवाहित और अविवाहित पुत्रियों को सम्पत्ति का अंश देने का विचार हमारे देश के लिये सर्वथा नया है । ऐसा परित्राण बहुत आवश्यक है । हमारे कानून ऐसे होने चाहिये कि पत्नी अथवा बच्चों अथवा आश्रितों के प्रति अन्याय न हो । हैदराबाद के महाधिवक्ता ने कहा है कि यदि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के उपबन्ध बिना संपरिवर्तन के हिन्दुओं पर लागू किये जायेंगे तो समुचित न्याय नहीं होगा । इसलिये उन्होंने सुझाव दिया है कि एक लाख रुपये से कम आय वाले हिन्दू को अपनी आधी से अधिक सम्पत्ति पत्नी और बच्चों से भिन्न व्यक्तियों को दे देने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये ।

हमारे हिन्दू कोड विधेयक में खण्ड १२४ (२) ऐसा ही था । समाज सुधार संघों ने भी इसका समर्थन किया है । बम्बई प्रेसीडेन्सी समाज सुधार संघ ने सुझाव दिया है कि संविहित पोषण के अधिकारी सम्बन्धियों को, इस खण्ड के द्वारा प्रदान की गई वसीयत सम्बन्धी शक्ति के प्रयोग द्वारा उससे वंचित नहीं किया जाना चाहिये ।

विधवा के सम्पत्ति-अधिकार के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया । श्री देशपांडे ने कहा कि १९३७ के अधिनियम के अनुसार विधवाओं को उसका सीमित अधिकार था भी, परन्तु अब हम उन्हें उनसे वंचित करने जा रहे हैं । हमें विधवाओं, विवाहित और अविवाहित स्त्रियों और बच्चों सभी के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिये । उनके हितों की रक्षा के लिये मैं यह संशोधन रखती हूं :

"परन्तु किसी हिन्दू को अपनी आधी से अधिक सम्पत्ति अपनी पत्नी और बच्चों से भिन्न व्यक्तियों को दे देने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये ।"

†**श्री मूल चन्द दुबे :** मैंने संशोधन संख्या २११ रखने के अभिप्राय की सूचना दी थी । परन्तु अब मैं उसके स्थान पर दूसरा संशोधन रखना चाहता हूं जिसकी सूचना मैंने आज प्रातःकाल ही दी है । आशा है आप इसकी अनुमति प्रदान करेंगे ।

मेरा संशोधन यह है कि पृष्ठ ११ पर पंक्ति २९ के बाद निम्नांकित शब्द जोड़ दिये जायें :

"परन्तु ऐसे किसी भी इच्छापत्रीय व्ययन का अर्थ स्वतएव परिवार का पृथक्करण नहीं होगा ।"

सम्पत्ति की वसीयत करने के मामले में संयुक्त मिताक्षरा परिवार का स्वतएव पृथक्करण हो जाता है । मेरा विचार है कि सरकार मिताक्षरा प्रणाली को जारी रखना चाहती है । यदि ऐसा है तो यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिये कि वसीयत के द्वारा परिवार का विघटन नहीं होना चाहिये । वैसी स्थिति में श्री देशपांडे का संशोधन भी अनावश्यक हो जायगा क्योंकि यदि संयुक्त परिवार प्रणाली जारी रहेगी तो विधवाओं और अविवाहित पुत्रियों के पोषण का दायित्व परिवार का होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

इसलिये मेरा निवेदन है कि यदि सरकार संयुक्त हिन्दू परिवार प्रणाली को जारी रखना चाहती है तो मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाना चाहिये ।

†**श्री दामोदर मेनन :** मेरा संशोधन यह है कि विधेयक में दी गई व्याख्या के स्थान पर निम्न-लिखित रख दिया जाये :

"इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी मिताक्षरा समांशिता सम्पत्ति में एक हिन्दू पुरुष का हित अथवा तखड़, तवशी. इल्लोम, कुटुम्ब अथवा कवड़ में तखड़, तवशी, इल्लोम कुटुम्ब अथवा कवड़ के सदस्य का हित उसके द्वारा इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत निपटाई जाने योग्य सम्पत्ति समझा जायगा ।"

इस व्याख्या में वही लोग आते हैं जिनका शासन मिताक्षरा विधि द्वारा होता है । मैं चाहता हूं कि मरुमक्कटय्यम् और अलियसंतान प्रणाली का अनुसरण करने वाले लोगों को भी सम्पत्ति का वसीयत द्वारा निपटारे का अधिकार दिया जाना चाहिये । इस संशोधन का प्रयोजन यह है ।

श्री केलप्पन और श्रीमती जयश्री ने वसीयत करने के अधिकार पर प्रतिबन्ध लगाने का जो विचार प्रकट किया उससे मुझे पूर्ण सहानुभूति है । आप जो भी प्रतिबन्ध लगायें मेरा निवेदन है कि वह हिन्दू समाज के सभी वर्गों पर लागू हो जो उत्तराधिकार की विभिन्न विधियों का अनुसरण करते हैं । इस तरह मेरे संशोधन का प्रयोजन एकरूपता लाना है मैं आशा करता हूं कि इसको स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये ।

†**श्री एस० एस० मोरे :** जहां तक खंड ३२ का सम्बन्ध है, वह विधेयक के क्षेत्र के परे है क्योंकि बिधेयक हिन्दुओं में इच्छापत्रहीन उत्तराधिकार सम्बन्धी विधि को संशोधित और संहिताबद्ध करने के लिये है । यदि सरकार ऐसे कोई उपबन्ध चाहती थी तो एक पृथक विधेयक लाया जाना चाहिये था ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं । मान लीजिये समांशिता परिवार का कोई सदस्य वसीयत करता है तो आप जानते हैं कि अविभक्त हिन्दू परिवार में संमाशी का हिस्सा अनिश्चित होता है । बिना विभाजन के उसकी सम्पत्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता । इसके अतिरिक्त जब कभी भी संयुक्त परिवार का कोई सदस्य अलग होने की इच्छा प्रकट करता है तो संयुक्त परिवार समाप्त हो जाता है । इस विधेयक का परिणाम यह होगा कि संयुक्त परिवार प्रणाली समाप्त हो जायगी जिसकी रक्षा के लिये हमने इसको बनाया था ।

तीसरी बात यह है कि यह स्त्री उत्तराधिकारियों के प्रति अन्याय करता है । एक ओर तो आपने स्त्री उत्तराधिकारियों को सम्पत्ति में विशिष्ट स्थान दिया है और दूसरी ओर आपने प्रतिक्रियावादी पिताओं अथवा सम्बन्धियों के हाथ में वह अस्त्र दे दिया है जिससे वे दिये हुए को वापस ले सकते हैं । उस हद तक मैं भी सम्पत्ति की वसीयत करने के अधिकार को प्रतिबन्धित करना चाहता हूं । मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इसके लिये आवश्यक खण्ड रखें । इस सम्बन्ध में श्री देशपांडे ने जो संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं । इस संशोधन से विधवाओं और अविवाहित पुत्रियों के हितों की रक्षा हो सकेगी । इसको स्वीकार कर लेना विधेयक के प्रगतिशील प्रयोजन के अनुकूल होगा । इसलिये मैं माननीय विधि-कार्य मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस संशोधन पर विचार करें और उसमें आवश्यक संपरिवर्तन करके उसे स्वीकार कर लें ।

†**श्री के० के० बसु :** चाहे लोक-सभा का उद्देश्य कुछ भी रहा हो मैं यही कहूंगा कि इन समस्त संशोधनों के परिणामस्वरूप स्त्रियों को कोई लाभ नहीं होगा । जहां तक खंडों का सम्बन्ध है, चर्चा प्रायः समाप्ति पर आ गई है । केवल एक वाद विषय रह गया है कि क्या समांशिता हितों के सम्बन्ध में वसीयत

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री के० के० बसु]

द्वारा पर हस्तकरण अधिकार दिया जाना चाहिये ? मैं नहीं समझता कि समांशिता के जारी रखने की क्या आवश्यकता है । परन्तु यदि लोक-सभा उसको बनाये रखने के लिये कटिबद्ध है तो यह सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है । साधारण संशोधन द्वारा हम उसे स्त्री उत्तराधिकारियों के लिये लाभकारी बना सकते हैं । यदि आप समांशिता को स्वीकार करते हैं तो उसको समांशिता न्यसन की परिसीमाओं सहित स्वीकार किया जाना चाहिये । परन्तु आप सम्पत्ति में निरपेक्ष हित दे रहे हैं जिससे समांशिता हित की भी वसीयत की जा सकेगी जोकि उचित नहीं है ।

इस उपबन्ध का समर्थन इस आधार पर किया गया कि सम्पत्ति के टुकड़े नहीं हो सकेंगे । विभाजन के साथ टुकड़े होना अनिवार्य है । इस प्रयोजन के लिये अन्य उपबन्ध किये जाने चाहिये । विभाजन प्रशासन अधिनियम में ऐसे कुछ उपबन्ध हैं । हम उनमें सुधार कर सकते हैं । हमने कहा है कि रहने के मकानों का किन्हीं परिस्थितियों में विभाजन नहीं किया जाना चाहिये । यदि एक या दो पुत्र उसे खरीदने को इच्छुक हों तो उसका विभाजन नहीं किया जा सकता । इसलिये टुकड़े होने के प्रश्न को महत्व नहीं दिया जाना चाहिये और इससे स्त्री उत्तराधिकारियों को वंचित करने का अवसर मिलेगा । हमने अपने संविधान में स्त्रियों और पुरुषों को समान अधिकार दिये जाने का उपबन्ध किया है, परन्तु सामाजिक स्थिति ऐसी है कि स्त्री-पुरुष के बराबर नहीं है । राव समिति के अनुसार स्त्रियों ने स्वयं अपने पक्ष के उपबन्धों का विरोध किया है । कहा जाता है कि उन्होंने पुरुषों के दबाव के कारण वैसा किया जैसा भी हो, हमें अपने देश की सामाजिक स्थिति को देखते हुए कानून बनाने चाहिये । आपने स्त्री उत्तराधिकारियों को जो भी अधिकार दिये वे स्वीकृत संशोधनों के कारण कोई महत्व नहीं रखते फिर आप पुत्रियों द्वारा विरासत में प्राप्त सम्पत्ति की वसीयत करने की अनुमति दे रहे हैं । मैं इसका विरोधी हूं । जब समांशिता को समांशिता के रूप में रखते हैं तो आपको उसकी सीमायें भी रखनी चाहिये । जहां तक समांशिता मिताक्षरा हिन्दू संयुक्त परिवार की पुत्रियों का सम्बन्ध है उन्हें जानबूझ कर अलग रखा गया है क्योंकि हम नहीं चाहते कि वे कोई बाहर का सदस्य लायें जिसका परिवार में कोई हित न हो । इसलिये जब आप मिताक्षरा समांशिता प्रणाली सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप हिन्दू पुरुष को संमाशिता हित की वसीयत करने की अनुमति नहीं दे सकते ।

इस सम्बन्ध में मैं श्रीमती रेणु चक्रवर्ती और श्री एस०एस०मोरे के विचारों का भी समर्थन करता हूं । यदि आप मेरा सुझाव स्वीकार नहीं करते और स्त्री उत्तराधिकारियों को कुछ भाग देना चाहते हैं तो हमें श्री वी० जी० देशपांडे के संशोधन को स्वीकार करना होगा । सरदार हुक्म सिंह ने भी उनका समर्थन किया है । इस प्रश्न पर हिन्दू कोड भी मेरा समर्थन करता है । उसके खंड १२४ में वसीयत सम्बन्धी उत्तराधिकार के सम्बन्ध में कहा गया है कि कोई भी हिन्दू किसी भी व्यक्ति को पोषण के अधिकार से वंचित करने का अधिकारी नहीं होगा । आगे यह भी कहा गया है कि वह सम्पत्ति में ऐसा हित अथवा सम्पदा नहीं बना सकेगा जो वह विधिवत न बना सकता हो । श्रीमान् आप जानते हैं कि कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जो देश की प्रथा के प्रतिकूल हो ।

इसलिये मैं समझता हूं कि ऐसी कोई परिसीमा बनानी चाहिये अथवा पुत्री को समांशिता सम्पत्ति में हित से वंचित किया जा सकेगा ।

एक बात और भी है । हो सकता है कि किसी पिता ने अवयस्क पुत्र छोड़े हों और कुछ पुत्र अपनी पत्नियों से पहले मर चुके हों । ऐसे मामलों में उन्हें कोई अंश नहीं मिलेगा । अभाग्यवश कोई इस बात की गारंटी नहीं कर सकता कि वसीयत करते समय वह उन्हें सम्पत्ति नहीं देना चाहता था, भले ही उसने वसीयत में इतना ही कहा हो कि उसकी सम्पत्ति 'क', 'ख'और 'ग' को मिलेगी । इसलिये यदि कोई प्रतिबन्ध नहीं रखा जायगा तो हो सकता है कि पुत्री, अवयस्क और विधवायें पोषण से वंचित कर दी जायें ।

मैं श्री केलप्पन के संशोधन का भी समर्थन करता हूं । मुस्लिम कानून में ऐसा प्रतिबन्ध है । जब हम यह मान रहे हैं कि समांशिता हित जारी रहना चाहिये तो सम्पत्ति की वसीयत करने का अधिकार यथासंभव प्रतिबन्धित होना चाहिये । इसलिये या तो हमें श्री केलप्पन के संशोधन को स्वीकार करना चाहिये या श्री वी० जी० देशपांडे के संशोधन को । निस्संदेह, मैं स्वयं तो यह चाहता हूं कि समस्त अधिकार ही ले लिया जाय । परन्तु चूंकि यह विधेयक ही समझौते पर आधारित है इसलिये मेरा यह सुझाव है कि उत्तराधिकारियों को सम्पत्ति के ऐसे अंश मिलें जैसे संसद् उन्हें देना चाहे ।

†**श्री पोकर साहेब** (मलप्पुरम्) : मैं श्री केलप्पन के संशोधन का समर्थन करता हूं । सम्पत्ति के अधिकार में कब्जे और उपभोग और निबटारे का अधिकार सन्निहित है । साधारणत: निबटारे का अधिकार सम्पत्ति के स्वामी के जीवनकाल तक रहता है और उसका विस्तार सम्पत्ति की वसीयत करने का अधिकार होगा । सामान्यत: सम्पत्ति का अधिकार सम्बन्धित व्यक्ति की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है और उसके पश्चात् सम्पत्ति विधि के अनुसार प्रक्रान्त होगी ।

निबटारे का अधिकार विशेषाधिकार के रूप में दिया जाता है । उसके दिये जाते समय उस पर प्रतिबन्ध भी लगाना चाहिये । यदि कोई व्यक्ति उत्तराधिकारियों से भिन्न आदमियों को अपनी सम्पत्ति देता है तो यह ठीक नहीं है । जब उसने बच्चों को पैदा किया ह तो उचित यही है कि सम्पत्ति उन्हीं के पोषण में लगनी चाहिये । इसलिये निबटारे के अधिकार पर समुचित प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये । मैं कहूंगा कि ऐसा अधिकार तिहाई सम्पत्ति तक ही सीमित रहना चाहिये । इसलिये मैं श्री केलप्पन के संशोधन का समर्थन करता हूं ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : यह खण्ड ३२ विधेयक की जान है । मैं माननीय मंत्री का दृष्टिकोण समझता हूं कि पुरुष और स्त्री दोनों की सम्पत्ति निरपेक्ष होनी चाहिये । कुछ भाषण दिये गये और कुछ मित्रों ने श्री वी० जी० देशपांडे के संशोधन का समर्थन किया । मैं समझता हूं लोक-सभा का कोई भी सदस्य उस संशोधन से असहमत न होगा । हम सभी चाहते हैं कि जब कोई व्यक्ति मरे तो उसकी विधवा और अवयस्क पुत्रों और पुत्रियों के लिये उपबन्ध किया जाना चाहिये । केवल खण्ड १६ का समर्थन करने वाले सदस्य ही वैसा नहीं चाहते हैं ।

यह पुरुष सम्बन्धी के समांशी पर भी उतना ही बन्धनकारी है जितना स्त्री सम्बन्धी पर । लोक-सभा का कोई भी सदस्य नहीं चाहता कि यदि कोई स्त्री मरे तो उसकी अविवाहित पुत्रियों और अवयस्क पुत्रों के लिये उपबन्ध न किया जाये । इस संशोधन में स्त्री पुरुष के भेदभाव की भावना लाना सर्वथा गलत है । इसलिये यदि आप खण्ड १६ के अन्तर्गत यह निरपेक्ष सम्पदा दे रहे हैं तो मुझे भय है कि यह इस संशोधन अथवा यहां पर दिये गये भाषणों के प्रति संगत नहीं है । जब सम्पत्ति के प्रश्न पर विचार किया जा रहा था तब मैंने यह निवेदन किया था कि सम्पत्ति के सम्बन्ध में स्त्रियों को पूर्व अधिकार देना शत प्रतिशत अनुचित है । उन्हें भी उतना ही अधिकार दिया जाये जितना कि पुरुषों को दिया गया ह । अपने संशोधन में मैंने यही निवेदन किया है ।

कई सदस्यों ने मेरे इस संशोधन का विरोध किया है और कई प्रकार के सन्देह प्रकट किये गये हैं । मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि जहां तक बहनों और पुत्रियों का सम्बन्ध है, उन्हें इस संशोधन में सम्मिलित नहीं किया गया है । इसमें इस प्रकार का कोई भी उपबन्ध नहीं है कि पिता अपनी सम्पत्ति की वसीयत करके अपनी पुत्रियों को उनके अंश से संचित नहीं कर सकेगा । संशोधन में ऐसी कोई बात नहीं है । यह संशोधन यह चाहता है कि पिता को वसीयत के द्वारा अपनी सम्पत्ति देने का अधिकार प्राप्त हो । यदि सभा इससे सामान्य रूप से सहमत ह, तो मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह एक नियम बना दें जिसके अनुसार यह उपबन्ध सभी प्रकार की सम्पत्तियों पर लागू हो । मैं चाहता हूं कि सभी

†मूल अंग्रेजी में ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

अविवाहित स्त्रियों, अवयस्क पुत्रों और विधवाओं पर यह उपबन्ध लागू हो। वास्तव में हमारी मिताक्षरा विधि एक सर्वोत्तम विधि है जो कि मिताक्षरा परिवार से सम्बन्धित सभी सदस्यों को हर प्रकार की सुरक्षा और आश्वासन प्रदान करती है। अविभक्त हिन्दू परिवार पद्धति एक इतनी सुन्दर पद्धति है जिसमें सभी सदस्यों को अपना-अपना भाग उचित प्रकार से प्राप्त होता है। परन्तु विपक्ष के मेरे मित्र इस पद्धति को नष्ट-भ्रष्ट करना चाहते हैं। यह अधिनियम इस सुन्दर पद्धति को अस्त व्यस्त कर देगा। खण्ड ६ को जब हम खण्ड ३२ के साथ पढ़ते हैं तो उससे यह प्रतीत होता है कि जब कोई पुत्र अपने पिता की पैतृक सम्पत्ति का उत्तराधिकारी बनेगा, तो वह यह अधिकार उत्तरजीविता के कारण नहीं, अपितु भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त करेगा। मैं इस अधिनियम के पक्ष में नहीं हूं जो कि स्त्रियों को तो सम्पत्ति का पूर्ण अधिकार प्रदान करता है, परन्तु पुरुषों के अधिकार को सीमाबद्ध कर देता है।

इसीलिये मेरा यह कथन है कि यह एक अविचारणीय उपबन्ध है। या तो खण्ड १६ को हटा दिया जाये अथवा इस खण्ड ३२ को संशोधित कर दिया जाये। मैं चाहता हूं कि बहनों और पुत्रियों को वे ही अधिकार दिये जायें जो कि पुत्रों तथा अन्य पुरुषों को दिये जा रहे हैं।

यदि खण्ड १६ ठीक है, तो ज़रा खण्ड ३२ पर भी विचार कीजिये। जिन सदस्यों ने इस विधेयक का समर्थन किया है मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या खण्ड ३२ में विधवा बहन, विधवा माता अथवा विधवा पुत्री को इस अधिनियम के द्वारा प्राप्त सम्पत्ति को वसीयत के द्वारा दे देने का अधिकार न होगा। विधवा सम्पत्ति की पूर्ण अधिकारिणी है और उसे सम्पत्ति बेचने का पूरा अधिकार होगा। स्त्रियों को अधिकार दिये जायें, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। परन्तु मैं यह नहीं चाहता कि स्त्रियों को इस प्रकार के अधिकार दिये जायें कि वे सारी सम्पत्ति को व्यर्थ में ही गवां दें। यदि कोई स्त्री अपने जीते जी खण्ड ६ के अधीन अपनी सम्पत्ति को बेच सकती है तो वह खण्ड ३२ के अधीन सम्पत्ति को वसीयत के द्वारा भी जिसे चाहे, दे सकती है। खंड में सभी उपबन्ध हमारे देश की पारिवारिक पद्धति और हमारे नैतिक आभारों से संगत नहीं हैं।

मैं सरदार हुक्म सिंह की इस अपील से सहमत हूं कि समांशी सम्पत्ति के लिये एक उपबन्ध अवश्य रखा जाये। परन्तु उस सम्पत्ति का सारा उत्तरदायित्व परिवार के मुखिया पर होना चाहिये। मैं इस बात के भी विरुद्ध हूं कि खण्ड १६ और २१ यथा स्थिति रहें और फिर भी हम इस उपबन्ध को पारित न करें। मैं यह नहीं चाहता कि कुछ एक व्यक्तियों को तो सम्पत्ति में पूर्ण अधिकार प्राप्त हों, और दूसरों को वे अधिकार प्राप्त न हों। मुस्लिम विधि के अधीन भी किसी व्यक्ति को केवल एक तिहाई सम्पत्ति के व्ययन का अधिकार है। मैं चाहता हूं कि भारत में भी समांशी पद्धति के अधीन किसी को अपनी सारी की सारी सम्पत्ति का व्ययन कर देने का कोई अधिकार न हो। मैं खण्ड १६ का विरोध करता हूं, मैं नहीं चाहता कि स्त्रियों को पुरुषों से भी अधिक अधिकार प्राप्त हों। यदि स्त्रियां अधिक अधिकार चाहेंगी तो वे समाज की जड़ों पर ही कुठाराघात करेंगी। इसलिये खण्ड ३२ का समर्थन करने के अतिरिक्त हमारे पास और कोई उपाय नहीं है।

मेरा निवेदन यह है कि खण्ड १६ को बदल दीजिये और उसे देश की सामान्य विधि के समान ही बनाइये।

सभा इस विधेयक को पास करने जा रही है। माना कानून कुछ भी हो, पिता अपनी लड़कियों को सम्पत्ति देता ही रहेगा; परन्तु यदि वह विधि इस प्रकार के न्याय तथा समानता पर आधारित होगी जैसी कि इस विधेयक में रखी गई है तो उसकी सारे देश में एक भयंकर प्रतिक्रिया होगी और स्थिति और भी बिगड़ जायेगी। मैं चाहता हूं कि पैतृक सम्पत्ति में से केवल पुत्रों और पत्नी को ही भाग दिया जाये और बहनों और पुत्रियों की सुरक्षा के लिये कोई और विधि बनायी जाये। यदि ऐसा न किया गया

तो आपकी इन कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप समाज में एक भयंकर प्रतिक्रिया-सी होगी। आप कोई भी बात जनता पर बलात नहीं थोप सकते। लोग यही चाहते हैं कि उनके परिवार उनके पुत्रों द्वारा चलाये जायें, पुत्र ही सम्पत्ति प्राप्त करें और वे ही सभी उत्तरदायित्व संभालें।

†**श्री टेक चन्द :** मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि यह विधि को और भी खराब कर देगा।

मैं श्रीमती रेणु चक्रवर्ती तथा श्री बसु के इस कथन पर बड़ा आश्चर्य चकित हुआ कि दायभाग पद्धति मिताक्षरा से अच्छी है, परन्तु वे इस बात को भूल गये हैं कि दायभाग पद्धति निकट के सम्बन्धियों को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करती जब कि मिताक्षरा पद्धति सुरक्षा प्रदान करती है। परन्तु वे तो मिताक्षरा पद्धति को ही समाप्त कर देना चाहते हैं। यदि यह संशोधन पास हो गया तो पारित कानून स्वविरोधी होगा। उससे वास्तविक उद्देश्य पूर्ण न हो सकेगा। मिताक्षरा पद्धति को समाप्त करके हमने निरपेक्ष स्वामित्व अभिज्ञात कर लिया है।

†**अध्यक्ष महोदय :** इस समय सामान्य चर्चा की जरूरत नहीं है। इस देश में दो प्रकार की पद्धतियां प्रचलित हैं—एक दायभाग और दूसरी मिताक्षरा। इससे पूर्व लड़कियां अपने पिता के अधीन थीं और पिता के बाद भाइयों के अधीन थीं; अब वे अपनी सुरक्षा के लिये सम्पत्ति में एक भाग चाहती हैं। अब हमने एक बीच का रास्ता निकाला है। पिता को वसीयत का अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में यह भय प्रकट किया गया है कि हो सकता है कि पिता वसीयत के द्वारा सारी सम्पत्ति का व्ययन कर दे। तो अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या इसमें विधवाओं, पुत्रियों आदि के पोषण तथा संरक्षण आदि के सम्बन्ध में कोई उपबन्ध रखा जाये। फिर यह भी प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या उस उपबन्ध को इसी में जोड़ा जाये अथवा वसीयत से सम्बन्ध रखने वाला कोई पृथक् अधिनियम बनाया जाये। इस समय हमें इन बातों के विस्तार में नहीं पड़ना चाहिये। कि अविभक्त परिवार कैसे समाप्त हुआ।

†**श्री पाटस्कर :** वर्तमान हिन्दू विधि के अधीन एक उत्तराधिकारी को अपनी सम्पत्ति में से उन सभी व्यक्तियों का पोषण करना ही होगा जिनका पोषण करने के लिये वह वैध रूप से बाध्य है।

मैं यह कह रहा हूं कि हमने खण्ड ४ पहले ही पारित कर दिया है जो कहता है कि :

"(क) इस अधिनियम के प्रारम्भ से तुरन्त पहले प्रवृत्त, हिन्दू विधि का कोई भी पाठ, नियम या निर्वचन अथवा उस विधि के भाग के रूप में कोई रूढ़ि या प्रथा किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में प्रभावी नहीं होगी जिसके लिये इस विधेयक में उपबन्ध कर दिया गया है।"

अतः हिन्दू विधि के केवल वे ही उपबन्ध प्रभावी नहीं होंगे जिनके लिये इस अधिनियम में कोई उपबन्ध किये गये हैं। पोषण आदि से सम्बन्ध रखने वाले अन्य उपबन्ध वैसे ही रहेंगे; इसलिये यह समझना ग़लत है कि इस विधेयक में पोषण आदि के बारे में कोई उपबन्ध नहीं रखा गया है। जैसा कि मैंने कहा है, हम पोषण आदि से सम्बन्ध रखने वाला एक और विधेयक प्रस्तुत करने वाले हैं। जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, इसमें हमारा पोषण के प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिये वह अधिकार, जो कि इस समय हिन्दू विधि के अधीन दिया गया है, प्रभावी रहेगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह कि वर्तमान विधि के अधीन अविभक्त परिवार सम्पत्ति को वसीयत के द्वारा देने का किसी को अधिकार नहीं है। अब वह अधिकार इस अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम बार दिया जा रहा है, इसलिये पोषण के सम्बन्ध में भय तथा आशंका उत्पन्न होना स्वाभाविक है। वसीयत के अधिकार को पोषण की विधि के अधीन नहीं रखा गया है, इसलिये उसका अनुचित लाभ उठाया जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री पाटस्कर :** इस समय किसी मिताक्षरा समांशी को वसीयत के द्वारा सम्पत्ति देने का कोई अधिकार नहीं है। हमने पुत्री को, और पुत्री की पुत्री को उत्तराधिकारिणी स्वीकार कर लिया है। अब हम खण्ड ३२ के द्वारा यह चाहते हैं कि समांशी के किसी भी सदस्य को अपनी सम्पत्ति वसीयत के द्वारा किसी को भी देने का अधिकार हो। तो उसका अर्थ यह नहीं है कि वह अपने दायित्वों से मुक्त होगा। वर्तमान हिन्दू विधि में पोषण के अधिकार के लिये पर्याप्त उपबन्ध है।

†**श्री एन० सी० चटर्जी :** यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है। मैं माननीय मंत्री का ध्यान मुल्ला की "हिन्दू विधि" की धारा ३६८ के उपखण्ड (२) की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें बताया गया है कि मिताक्षरा विधि के अनुसार किसी भी समांशी को अपनी अविभक्त समांशी हित को वसीयत के द्वारा दे देने का कोई अधिकार न होगा। परन्तु हम इस विधेयक के द्वारा उस आधार भूतविधि पर कुठाराघात कर रहे हैं। यदि आप सम्पत्ति का बिना किसी रुकावट के व्ययन करने का अधिकार देंगे तो उससे पोषण का उत्तरदायित्व भी समाप्त हो जायेगा। हम श्री देशपांडे के संशोधन के द्वारा यहीं चाहते हैं कि उस आधार भूतविधि को किसी प्रकार से भी नष्ट न किया जाये।

†**श्री टेक चन्द :** मेरा निवेदन है कि सारे देश के लिये वसीयत सम्बन्धी एक ऐसी विधि बनायी जाये जो कि सभी हिन्दुओं पर समान रूप में लागू हो। परन्तु वह अपने इच्छापत्र के द्वारा केवल आधी सम्पत्ति ही दे सके। परन्तु आप पुरुषों को तो वसीयत सम्बन्धी एक सीमित अधिकार दे रहे हैं, परन्तु स्त्रियों को पूर्ण अधिकार दे रहे हैं। इस प्रकार से भेदभावपूर्ण विधि बना रहे हैं। इसलिये उत्तम बात तो यह है कि एक ऐसी विधि बनायी जाये जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सीमा के अन्दर रहते हुए वसीयत करने का अधिकार प्राप्त हो। यदि आप ऐसी विधि नहीं बनायेंगे तो उससे निकट के सम्बन्धी सुरक्षित न रह सकेंगे, वे अपने अधिकारों से वंचित रह जायेंगे। इसलिये वसीयत सम्बन्धी विधि ऐसी बनायी जाये जो कि स्त्री और पुरुष पर समान रूप में लागू हो।

फिर वसीयत को हम मृत्यु के बाद सम्पत्ति का व्ययन करने का अधिकार कह सकते हैं। उपहार और वसीयत में यही अन्तर है। यदि आपने वसीयत के द्वारा मृत्यु के पहले ही सम्पत्ति प्राप्त कर लेने का अधिकार दे दिया तो उससे हिन्दू परिवार पद्धति में एक अव्यवस्था-सी उत्पन्न हो जायेगी।

†**श्री सी० सी० शाह :** खण्ड ३२ इस अधिनियम का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा अत्यावश्यक भाग ह, और इसलिये इस खण्ड के सम्बन्ध में कोई भी संशोधन इस अधिनियम के वास्तविक उद्देश्य को पूर्णरूपेण नष्ट कर देगा।

इस अधिनियम का सम्बन्ध वसीयत रहित उत्तरदायित्व से है। जहां तक खण्ड ३२ के मुख्य भाग का सम्बन्ध है, यह केवल यही घोषित करता है कि प्रत्येक हिन्दू को अपनी सम्पत्ति वसीयत के द्वारा देने का अधिकार है। अब धारा ६ के होने के कारण इसकी व्याख्या की महान् आवश्यकता है। धारा ६ में हमने लिखा है कि किसी भी हिन्दू पुरुष समांशी की मृत्यु पर उसकी सम्पत्ति इस विधेयक के अधीन वसीयत अथवा वसीयत रहित उत्तरादायित्व के द्वारा बांटी जायगी। जब हम एक बार मान चुके हैं कि समांशिता सम्पत्ति का व्ययन उत्तर जीविता द्वारा नहीं बल्कि उत्तराधिकार द्वारा होगा तो इस सम्पत्ति की वसीयत करने का अधिकार भी उस उत्तराधिकार विधि का ही भाग होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि श्री देशपांडे का संशोधन अनुपयुक्त है। श्री ठाकुर दास भार्गव ने बिल्कुल ठीक कहा है कि यह खण्ड ३२ स्त्री तथा पुरुष दोनों की ही सम्पत्ति पर लागू होता है। इसलिये उस धारा में संशोधन करना विधेयक के उद्देश्य के विपरीत है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

जहां तक इच्छापत्र के द्वारा सम्पत्ति के व्ययन के अधिकार का सम्बन्ध है, यह इस सिद्धान्त पर आधारित है कि अपनी सम्पत्ति का व्ययन करने के बारे में व्यक्ति स्वयं ही अच्छी प्रकार से विचार कर सकता है। धारा ६ के अधीन समांशिता सम्पत्ति में उसका अंश समांशिता सम्पत्ति नहीं रहता।

हम विधवाओं, अवयस्कों, अविवाहित लड़कियों, विवाहित लड़कियों तथा बूढ़े माता-पिता आदि के सम्बन्ध में कई उपबन्ध रखना चाहते हैं, परन्तु वे सभी बातें एक अलग विधेयक में रखी जा सकती हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस विधेयक में किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन स्वीकार न किया जाये।

श्री केलप्पन के इस संशोधन का कुछ एक सदस्यों ने समर्थन किया है कि किसी भी व्यक्ति को सम्पत्ति के कुछ भाग का ही इच्छापत्र के द्वारा व्ययन करने का अधिकार हो। परन्तु सम्पत्ति के व्ययन पर नियंत्रण रखना विधेयक के मूलभूत सिद्धान्त के विरुद्ध है। सम्पत्ति का व्ययन कैसे किया जाये, इस बात का फैसला तो उसका स्वामी ही कर सकता है।

मैं एक उदाहरण देता हूं। एक आदमी के एक लड़का और एक लड़की थी। लड़का कर्ज़दार हो गया उस पर कई डिग्रियां हों गईं। यदि विधि इस प्रकार की होगी जैसी कि श्री केलप्पन चाहते हैं तो सम्पत्ति का दो तिहाई भाग उस लड़के को मिल जायेगा। इस का नतीज़ा यह होगा कि लेनदार उस सम्पत्ति को ले लेंगे। उस व्यक्ति ने वसीयत करके सम्पत्ति अपनी बहू और प्रपौत्रों के नाम में कर दी। यदि विधि श्री केलप्पन के कथनानुसार हो तो वह व्यक्ति इस प्रकार अपनी सम्पत्ति की रक्षा नहीं कर सकता। अतः मेरे विचार से व्यक्ति को अधिकार होना चाहिये कि वह स्वयं ही अपनी सम्पत्ति का भविष्य निश्चित करे।

इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि केवल श्री दामोदर मेनन के संशोधन को छोड़ कर जो तखड़ तथा अन्य सम्पत्ति को संयुक्त सम्पत्ति के समकक्ष बनाता है इस खंड में अन्य कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिये।

†**श्री एन० सी० चटर्जी** : भारत के इतिहास में सर्वप्रथम समांशिता सम्पत्ति का वसीयत द्वारा व्ययन करने का अधिकार दिया जा रहा है। ऐसी दशा में क्या आप उस पर कुछ प्रतिबन्ध नहीं लगा सकते हैं श्री वी० जी० देशपांडे के संशोधन का उद्देश्य यह है कि आप इस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं किन्तु यदि किसी समांशिता-सम्पत्ति में विधवा, अवयस्क पुत्रों तथा अविवाहित विवाहित पुत्रियों को कोई हिस्सा न मिला हो तो विधवा की मृत्यु, पुत्रों के वयस्क होने तथा पुत्रियों का विवाह होने तक उन्हें भरण-पोषण का अधिकार मिलना चाहिये। वस्तुतः आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह हिन्दू विधि में निहित न्यायशास्त्र के सिद्धान्तों के विपरीत है। अतः इस अधिकार को लाभ के रूप में माना जाय। मुल्ला की हिन्दू विधि (हिन्दू ला) की धारा ३६८ में भी यही लिखा गया है कि कोई हिन्दू अपनी सम्पत्ति को इस प्रकार वसीयत नहीं कर सकता है कि उससे उसकी पत्नी अथवा किसी अन्य व्यक्ति के भरण-पोषण का अधिकार नष्ट हो जाय। हम पहिली वार केवल स्वार्जित ही नहीं अपितु समांशिता सम्पत्ति की वसीयत करने का अधिकार दे रहे हैं, इसलिये कम से कम यह स्वस्थ्य सिद्धांत तो कायम रहना चाहिये कि आप अपनी समांशिता सम्पत्ति की इस प्रकार वसीयत नहीं कर सकते कि आपकी पत्नी अथवा अविवाहित पुत्रियों को भरण-पोषण का वैध अधिकार भी प्राप्त न हो। यह बिल्कुल अनुचित है।

†**श्री पाटस्कर** : इस सम्बन्ध में दो-तीन प्रश्न उठाये गये हैं पहला यह कि समांशी का मिताक्षरा सम्पत्ति में वसीयत करने का अधिकार, उस सम्पत्ति के एक अंश तक ही सीमित रहना चाहिये। मेरे विचार से कुछ माननीय सदस्यों एवं श्री केलप्पन का भी यही मत है। हमने पहिले यह उपबन्ध किया था कि समांशी के अंश पर पुरुषों के साथ स्त्रियों को भी दयाभाग मिलेगा। इस बात की व्यवस्था भी की गई है। कि जिस सम्पत्ति का दयाभाग उसे मिलेगा वह केवल संयुक्त सम्पत्ति ही होगी। यह

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री पाटस्कर]

भी उपयुक्त संकेत दिया गया है इसी योजना के अन्तर्गत इस अधिकार का उपयोग अगला उत्तराधिकारी करेगा। मान लीजिये कि किसी संयुक्त हिन्दू परिवार में पिता का हित पुत्री को मिलता है तो वह अपनी सम्पत्ति की पूर्णतः वसीयत कर सकती है। लड़की को अंश देने के प्रयोजन से मूल मिताक्षरा विधि में परिवर्तन करने के बाद अब यह कहना तर्कयुक्त नहीं है कि इस विधि में ऐसा संशोधन करें कि अंश का धारण सह-अनुभोक्ता के रूप में किया जाये। सम्पत्ति पूर्णतः उन्हीं उत्तराधिकारियों के पास जानी चाहिये जिनको दायभाग मिलता है। व्यक्ति को वह अधिकार होना चाहिये जो कि सामान्यतः प्रत्येक सम्पत्ति के मालिक को रहता है—अर्थात् अपनी सम्पत्ति के व्ययन का अधिकार।

मैं कुछ देर बाद श्री देशपांडे के संशोधन को लूंगा। इस प्रश्न के सम्बन्ध में विधेयक का आधार यह है कि हम व्यक्ति को सम्पत्ति के व्ययन का अधिकार जो कि सामान्यतः सभी व्यक्तियों को रहता है देते हैं। आप कहते हैं : "नहीं, कुछ प्रयोजनों के लिये हम तुम्हें सम्पत्ति के पूर्ण अधिकारों से वंचित कर देंगे। हम एक प्रतिबन्ध लगा देंगे"। और वसीयत करने का अधिकार नहीं देंगे। "इस प्रकार का रवैया उचित नहीं।

केवल एक प्रश्न यह रह गया कि इसका भरण-पोषण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं कई बार बता चुका हूं कि वसीयत करने का अधिकार उस व्यक्ति को क्यों दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में एक चर्चा हुई थी कि विवाहित पुत्री को दायभाग का अधिकार प्राप्त होना चाहिये अथवा अविवाहित पुत्री को दायभाग का अधिकार प्राप्त होना चाहिये इत्यादि। हमने यह सोचा कि इस बात का निर्णय करने के बजाय कि विवाहिता पुत्री को भी आवश्यकता हो सकती है और अविवाहित पुत्री को भी आवश्यकता नहीं हो सकती है, व्यक्ति को ही इस बात का निर्णय करना चाहिये कि उसकी सम्पत्ति किसके पास किस अंश तक जानी चाहिये। इसी दृष्टिकोण से हमने यह निश्चय किया और उपयुक्त व्यवस्था करने के लिये उसे वसीयत करने के अधिकार दिये। अब यह कठिनाई पैदा क्यों हुई क्योंकि सभा में ऐसे सदस्यों का एक दल है जोकि यह समझते हैं कि ज्यों ही उनको यह अधिकार प्राप्त हो जायेगा त्यों ही सारे पिता अपनी पुत्रियों को उनके वैद्य हितों से, जो कि उन्हें दिये जा रहे हैं, वंचित कर देंगे। किन्तु में—जैसा कि मैं एक बार पहले अवसर में भी कह चुका हूं—अनुभव करता हूं कि पिता का पुत्री के प्रति वही स्नेह रहता है जो कि वह पुत्रों के प्रति रखता है और सामान्यता मैं आशा करता हूं कि वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह काम करेगा न कि किसी असामान्य व्यक्ति की तरह।

श्री वी० जी० देशपांडे के द्वारा प्रस्तावित संशोधन में एक अन्य प्रश्न भी उठाया गया है। तर्क यह है कि वर्तमान विधि में भरण-पोषण का अधिकार है। यह सच है। मान लीजिये एक अविवाहित पुत्री है और पिता उसे दायभाग से वंचित कर देता है। तब उसके भरण-पोषण के अधिकार को बचाया जाना चाहिये और उसके विवाह के लिये और यदि अवयस्क पुत्र हों तो उनकी शिक्षा के लिये कुछ व्यवस्था की जानी चाहिये, जहां तक मुझे ज्ञात है, वर्तमान हिन्दू विधि में इस प्रकार का उपबन्ध है कि उत्तराधिकारी उस सम्पदा में से, जो कि उसे मिली है, उन व्यक्तियों का, जिनके भरण-पोषण का मृतक पर वैध दायित्व था, पालन पोषण करने के लिये विधि के अधीन बाध्य है। मेरे विचार से इस विधेयक से, हिन्दू विधेयक में दिये गये उपबन्ध निराकृत नहीं हो जायेंगे। इस विधेयक से इन उपबन्धों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। खंड ४ में यह स्पष्ट कर दिया गया है जिसमें यह कहा गया है कि यह विधेयक केवल उन्हीं मामलों में प्रभाव डालेगा जिनके लिये विधेयक में उपबन्ध किया गया है। जब तक हमने इस विधेयक में भरण-पोषण सम्बन्धी कोई उपबन्ध नहीं किया है। भरण-पोषण विधि इस सीमा से बाहर रखी गई है इसलिये उत्तराधिकारियों को भरण-पोषण के जो भी अधिकार होंगे उन पर इस विधेयक से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किन्तु मैं एक मध्य मार्ग ढूंढने का प्रयत्न कर रहा हूं। भूमि विधान के सम्बन्ध में भी यही कठिनाई पैदा हो गई थी।

खंड ४ के सम्बन्ध में हमने उपखंड २ की व्यवस्था की है कि :

"शंकाओं की निवृत्ति के लिये यह घोषित किया जाता है कि इस अधिनियम की कोई बात, तत्समय लागू किसी भी विधि के उपबन्धों पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जायेंगी।"

वहां भी एक ऐसी ही शंका की गई है कि इस विधेयक से काश्तकारी अथवा अन्य अधिकारों की प्रक्रांति सम्बन्धी विधियों अथवा अधिकतम सीमा निश्चित करने सम्बन्धी विधियों पर प्रभाव पड़ेगा। किन्तु हमने यह स्पष्ट कर दिया था कि इस विधेयक से इन विधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

मेरे विचार में यह स्पष्ट है कि इस विधेयक से भरण-पोषण के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किन्तु यदि कोई संदेह हो तो मैं उसका निवारण कर सकता हूं। उदाहरणस्वरूप उत्तराधिकारियों का मामला लीजिये अथवा माननीय मंत्री द्वारा बताये गये उस मामले को लीजिये जिसमें पिता ने इस अधिकार के फलस्वरूप पुत्री को दायभाग से वंचित कर दिया था। मुझे विश्वास है कि इस विधेयक के उपबन्धों के अधीन उनके भरण-पोषण का अधिकार नहीं समाप्त होगा। मैं खंड ४ (२) में दिये गये शब्दों की तरह ही शब्द जोड़ कर इसे स्पष्ट करने को प्रस्तुत हूं। क्योंकि मैं इन व्यक्तियों में से किसी के अधिकारों पर आघात करना नहीं चाहता हूं। मैं यह उपबन्ध करना चाहता हूं :

"शंकाओं की निवृत्ति के लिये यह घोषित किया जाता है कि उपधारा (१) की कोई बात परिशिष्ट की श्रेणी १ में उल्लिखित किसी भी उत्तराधिकारी के भरण-पोषण के अधिकार का केवल इसीलिये प्रभावित नहीं करेगी कि मृतक द्वारा की गई किसी वसीयत अथवा अन्य इच्छापत्रीय व्ययन के अधीन उत्तराधिकारी को सम्पत्ति का वह अंश नहीं मिला है जिसका कि वह मृतक के वसीयत रहित मरने पर इस अधिनियम के अधीन अधिकारी होता।"

इसलिये मैंने विधेयक के क्षेत्र को विस्तृत मरने का प्रयत्न नहीं किया है क्योंकि हमारा मत यही है और मेरे विचार से मेरे माननीय मित्रों का भी यही मत है। जैसा कि हमने खंड ४ (२) में उपबन्ध किया है, उसी प्रकार इसमें भी शंकाओं के समाधान के लिये उपबन्ध करने को मैं प्रस्तुत हूं। मैं इस संशोधन पर विचार करूंगा और मैं अपने माननीय मित्र श्री एन० सी० चटर्जी की सहायता भी लूंगा क्योंकि हम सभी का अभिप्राय यह है कि वसीयत के कारण किसी व्यक्ति को भरण-पोषण के अधिकार से वंचित न होना पड़े। दूसरी बात में मतभेद है। इस प्रकार के उपबन्ध स ऐसा किया जाय यह कहना एक बात है और यह कहना बिल्कुल दूसरी बात है कि हम अभी दूसरा अधिनियम बनायेंगे।

इसलिये ऐसी बात नहीं है कि मसला हल होने योग्य नहीं है। जैसे कि हमने इस प्रश्न को खंड ४ के उपखंड (२) को रख कर सुलझाने का प्रयत्न किया है, इसी प्रकार यहां पर भी हम उपयुक्त उपबन्ध रख कर अपना अभिप्राय स्पष्ट कर सकते हैं कि हम भरण-पोषण के अधिकार पर आघात नहीं करना चाहते हैं। मुझे इस बात का निश्चय है कि इस विधेयक से इस अधिकार पर आघात नहीं हो रहा है किन्तु केवल स्पष्ट करने के लिये मैं यह उपबन्ध रखने को प्रस्तुत हूं।

श्री दामोदर मेनन का संशोधन मैं इस अंतर के साथ स्वीकार कर रहा हूं कि संशोधन में अन्त से पहिली पंक्ति 'by him' ['उस पुरुष·····'] शब्दों के पश्चात् 'or her' ['या स्त्री द्वारा'] शब्द जोड़ दिये जायें। यह मरुमक्टय्यम तथा अन्य परिवारों को इसमें शामिल करने के निमित्त है जहां स्त्री केवल आंशिक अधिकारिणी होती है। इसलिये हमें संशोधन में या वह 'or her' [या वह] शब्द जोड़ने चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं श्री दामोदर मेनन के संशोधन को लेता हूं। उसमें 'by him' [उसके द्वारा] शब्दों के पश्चात् 'or her' [या वह] शब्दों को जोड़ कर इसे मरुमक्टय्यम विधि पर भी लागू किया जायेगा। इसलिये संशोधित रूप में व्याख्या इस प्रकार है :

'धारा ६ में किसी भी बात के होते हुए भी'

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री पाटस्कर** : ये शब्द हटा दिये गये हैं : 'धारा ६ में किसी बात के होते हुए भी' । क्योंकि यह व्याख्या खंड ६ और ७ दोनों के सम्बन्ध में है, अतः ये शब्द हटा दिये जायें । यह अनावश्यक है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसलिये अब इस व्याख्या के स्थान पर श्री दामोदर मेनन का संशोधन होगा । मैं इस संशोधन को मतादान के लिये रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"पृष्ठ ११ पंक्ति २६ से २९ तक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :

"**Explanation**—The interest of a male Hindu in a *Mitakshra* coparcenary property or the interest of a member of a *tarwad, twazhi, illom, kutumb* or *kavaru* in the property of the *tarwad, twazhi, illom, kutumb* or *kavaru* shall not withstanding anything contained in this Act on in any other law for the time being in force, be deemed to be property capable of being disposed of by him or her whithin the meaning of this section".

["व्याख्या : इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी मिताक्षरा समांशिता सम्पत्ति में एक हिन्दू पुरुष का हित अथवा तारवाद, तवाज़ी, इल्लोम, कुटुम्ब अथवा कवारु में तारवाड़, तवाज़ी, इल्लोम, कुटुम्ब अथवा कवारु के सदस्य का हित उस पुरुष या स्त्री के द्वारा इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत निपटाई जाने योग्य सम्पत्ति समझा जायेगा ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं श्री वी० जी० देशपांडे के संशोधन को लेता हूं । वह यह चाहते हैं कि वसीयत; व्यक्ति के भरण-पोषण के अधिकारों के अधीन होगी क्योंकि वसीयत करने का अधिकार देने से भरण-पोषण सम्बन्धी सामान्य विधि निराकृत हो जायेगी । विधि मंत्री के निम्नलिखित संशोधन का भी यही उद्देश्य है ।

खंड ३२ को पुनरांकित करके उपखण्ड (१) कर दिया जाय और उपखण्ड (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड (२) रखा जाय, अर्थात् :

"शंकाओं की निवृत्ति के लिये यह घोषित किया जाता है कि उपधारा १ की कोई बात परिशिष्ट की श्रेणी १ में उल्लिखित किसी भी उत्तराधिकारी के भरण-पोषण के अधिकार को केवल इसीलिये प्रभावित नहीं करेगी कि मृतक द्वारा की गई किसी वसीयत अथवा इच्छा पत्रीय व्ययन के अधीन उत्तराधिकारी को सम्पत्ति का वह अंश नहीं मिला है जिसका कि वह मृतक के वसीयत रहित मरने पर इस अधिनियम के अधीन अधिकारी होता ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस संशोधन को पुनरीक्षित रूप में सभा के मतदान के लिये रखूंगा । प्रश्न यह है :

खण्ड ३२ को पुनरांकित करके उपखण्ड (१) कर दिया जाये और उपखण्ड (१) के पश्चात् निम्नलिखित रख दिया जाये ।

"(2) For the removal of doubts it is hereby declared that nothing contained in sub-section (1) shall affect the right to maintenance of any heir specified in the Schedule by reason only of the fact that under a will or other testamentary disposition made by the deceased the heir has

†मूल अंग्रेजी में ।

been deprived of a share in the property to which he or she would have been entitled under this Act if the deceased had died intestate."

["(२) शंकाओं की निवृत्ति के लिये एतत्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उप-धारा (१) की कोई बात परिशिष्ट में उल्लिखित किसी भी उत्तराधिकारी के भरण पोषण के अधिकार को केवल इसीलिये प्रभावित नहीं करेगी कि मृतक द्वारा की गयी किसी वसीयत अथवा इच्छापत्रीय व्ययन के आधीन उत्तराधिकारी को सम्पत्ति का वह अंश नहीं मिला है जिस का कि वह मृतक के वसीयत रहित मरने पर इस अधिनियम के अधीन अधिकारी होता।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री वी० जी० देशपांडे** : मैं अपने संशोधन पर आग्रह करता हूं । पुत्रियों के विवाह का व्यय उनके भरण-पोषण व्यय से भिन्न चीज है । मेरा संशोधन मतदान के लिये रखा जाना चाहिये था । मैंने इसे किसी प्रयोजन से प्रस्तुत किया था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अभी जो संशोधन पास हुआ है उससे श्री वी० जी० देशपांडे का संशोधन प्रतिबन्धित है ।

†**श्री मूल चन्द दुबे** : मेरा संशोधन संख्या २६४ है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं श्री मूल चन्द दुबे का संशोधन मतदान के लिये रखूंगा ।

†**श्री मूल चन्द दुबे** : यदि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करने को प्रस्तुत हों तो इसे कृपया रखा जाये । अन्यथा मैं इसे वापस लेता हूं ।

†**श्री पाटस्कर** : मुझे यह स्वीकार्य नहीं है ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३२, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

"खण्ड ३२, संशोधित रूप में, विधयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ३३—(निरसन)

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : चूंकि माननीय मंत्री मेरे संशोधन संख्या १८६ को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, अतः मैं इस पर आग्रह नहीं करता । इसे मतदान के लिये रखने की आवश्यकता नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"खण्ड ३३ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ३३ विधेयक में जोड़ लिया गया ।

खण्ड १—(संक्षिप्त काम तथा विस्तार)

संशोधन किया गया : पृष्ट १, पंक्ति ५— "१९५५" "[१९५५]" के स्थान पर "१९५६" ["१९५६"] रखा जाये ।

—[श्री पाटस्कर]

श्री वी० जी० देशपांडे का संशोधन संख्या १३८ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** : मैं अपना संशोधन संख्या १३९ प्रस्तुत करता हूं इस संशोधन के द्वारा मैंने यह अपेक्षा की है कि यह विधि १ अप्रैल, १९६२ से पूर्व लागू न की जाये। मैं समझता हूं कि हिन्दू समाज के ढांचे को हम तेजी से नष्ट कर रहे हैं। विश्व में केवल यही एक ऐसा समाज रहा है जहां सम्पत्ति का स्वामित्व संयुक्त रहा है। आप अब उसे नष्ट करके वैयक्तिक बनाना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में, सदियों से चली आयी विकास की प्रक्रिया को एक क्रांतिकारी तरीके से नष्ट करना चाहते हैं। मेरे संशोधन का आशय यही है कि विधि को पारित कर देने के पश्चात् भी आप कुछ रुक कर यह विचार करें कि क्या यह अच्छा कानून है। इसे पास करके आप इसे उपयुक्त समय पर प्रयोग करने तक पड़ा रहने दें। इसी बीच आप यह सोचें कि क्या जिस समाजवादी ढांचे की स्थापना का ध्येय रख कर हम चल रहे हैं उसके यह अनुरूप है। इसके बाद हम यह तय करें कि इस विधि का हमें अनुसरण करना है या नहीं। आज यह विधि बहुत जल्दी में बनायी जा रही है। संयुक्त समिति द्वारा मूल विधेयक में अनेक परिवर्तन कर दिये जाने के परिणामस्वरूप सदन को इस पर उचित विचार करने का पर्याप्त समय भी नहीं मिल पाया है। कहीं यह कानून हमारे हिन्दू समाज के लिये दुर्दैव सिद्ध न हो। आगामी निर्वाचनों में इस मद को हिन्दूओं के सम्मुख रखा जाये। तब तक इसे लागू नहीं किया जाना चाहिये।

†**श्री पाटस्कर** : माननीय सदस्य चाहते हैं कि इस संसद् द्वारा पारित कर दी जाने पर भी यह विधि इसके जीवन काल में लागू न की जाये वरन् आगामी संसद् के काल में यह लागू हो और वह भी सन् १९६२ से पूर्व नहीं। निश्चय ही उनका तात्पर्य यह है कि यह विधि कार्यान्वित न की जाये। मैं समझता हूं कि एक बार पारित कर देने पर सदन इसे निलम्बित नहीं रखना चाहेगा। मुझे विश्वास है कि इस प्रकार के विधेयक के लिये इतने अरसे से प्रतीक्षा करने के बाद सदन इस संशोधन के पक्ष में नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री यू० एम० त्रिवेदी का, संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ड १, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया : पृष्ठ१, पंक्ति १— " Sixth Year " ["छठे वर्ष"] के स्थान पर " Seventh Year " ["सातवां वर्ष"] रखा जाये।"

—[श्री पाटस्कर]

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, तथा नाम विधेयक का अंग बनें"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, तथा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री पाटस्कर** : विधेयक को संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव करने से पूर्व मैं कुछ आनुषंगिक संशोधन प्रस्तुत करना चाहूंगा। ये खण्ड ३ और ७ के सम्बन्ध में हैं :—

मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ३, पंक्ति २४—

---

†मूल अंग्रेजी में।

अन्त में यह जोड़ दिया जाये :

"With respect to matters for which provision is made in this Act."

["ऐसे मामलों के सम्बन्ध में जिनके लिये कि इस अधिनियम में उपबन्ध किया गया है"]

दूसरा संशोधन जो मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं यह है कि :

संशोधन संख्या २२४ द्वारा संशोधित खण्ड ७ के उपखंड (२) में

"(whether a *santhathi kavaru* or a *nissanthathi kavaru*)"

["संथाथी कवारु अथवा निस्संथाथी कवारू"] शब्दों को हटा दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा स्वीकृत हुए।

†**श्री पाटस्कर :** मैं प्रस्ताव करता हूं कि "विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** : जैसा मैंने पहले कहा, और अब इसे मैं फिर दोहराता हूं हम बहुत जल्दी में इस विधेयक को पारित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमने इस चीज का अध्ययन करने का प्रयत्न नहीं किया है कि हिन्दू समाज में ही इस प्रकार का सामाजिक ढांचा क्यों विकसित हुआ तथा अन्य कहीं नहीं हुआ। चीज यह है कि वास्तविक सामाजिक रूप केवल हिन्दू समाज ही में विद्यमान था। वहां वैयक्तिक रूप से न रह कर संयुक्त परिवार में रहने की परम्परा रही है। बाद में आधुनिक हिन्दुओं में जो शहरों में चले आये तथा पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित हुए वैयक्तिक विचार विकसित हुए। किन्तु अब भी देश की अधिकांश जनसंख्या गांवों में ही रहती है और उसी परम्परा का पालन करती है। परिवार के सब कमाऊ सदस्य अपनी आय एक जगह एकत्र करके समस्त परिवार का खर्च चलाते हैं। इस प्रकार का आत्म त्यागी समाज संसार में अन्यत्र नहीं मिलता। इसीलिये हिन्दू समाज में लोगों में अपने घर का इतना महत्व होता है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

अब जो नया विधान बनाया जा रहा है उससे हिन्दू समाज की जड़ें ढीली हो जायेंगी। कोई भी परिवार अपने यहां की स्त्रियों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं रखना चाहता। सभी उन्हें खुश देखना चाहते हैं। सभी हिन्दू परिवारों में हिन्दू पत्नियों का स्थान उच्च है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि "प्रगतिवाद" शब्द को ऐसा विचित्र अर्थ दिया जाता है जिससे वह चीज हमारे विरुद्ध ही जाती है किसी चीज को महज इसी लिये नहीं समाप्त कर देना चाहिये कि यह पुरानी है और क्योंकि पश्चिमी विचारों से ओतप्रोत हैं। हमारे समाज में जो अच्छा है उसे कायम रखना चाहिये। इंग्लैंड के गांवों में मैंने देखा है कि पेंशन पाने वाले बुढ्ढे लोगों की हालत क्या है। बेचारे बेंत हाथ में लिये कठिनाई से घूम फिर सकते हैं और कोई उनकी पर्वाह करने वाला नहीं है, समाज में कोई स्थान उनका नहीं है। हिन्दू समाज ने इसका प्रबन्ध किया था। छोटे-बड़े सब मिलकर रहते आये थे। सब बच्चे साथ-साथ खेलते-कूदते थे। फिर अन्य सभ्यताओं—मुस्लिम और ईसाई—का हम पर प्रभाव पड़ा। उन्होंने हमें अपनी अच्छाइयां देने के स्थान पर जो कुछ अच्छा हमारे पास था उसे भी नष्ट कर दिया।

आप एक सामान्य कानून क्यों नहीं बनाते जो देश में सभी पर लागू हो ? मुसलमानों पर भी इसे क्यों नहीं लागू किया जाता ? क्योंकि आप या तो उनसे डरते हैं अथवा उन्हें तुष्ट करना चाहते

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री यू० एम० त्रिवेदी]

हैं। यदि कोई हिन्दू दोबारा विवाह करेगा तो उसे जेल भेज दिया जायेगा। किन्तु मुसलमान एक, दो, चार विवाह कर सकता है। वकील लोग पुनः विवाह कराने की तरह-तरह की युक्तियां निकालते हैं। वह अपने आसामी से मुसलमान हो जाने को कहता है और विवाह हो जाने पर पुनः वे हिन्दू बन जाते हैं। कैसा तमाशा बना रखा है अपने धर्म का ! यह जो विधान आप इस समय बना रहे हैं उसके एक-एक चीज यह होनी है कि वकीलों के लिये एक स्वर्ग बन जायेगा।

इस विधान में कोई एक या दो दोष नहीं हैं। यह हिन्दू समाज में बड़ी कठिनाइयां पैदा कर देगा। इसलिये अच्छा यह है कि कुछ समय तक इसे यों ही रहने दिया जाये। तब तक हिन्दू समाज विकसित होगा और गांवों में भी शिक्षा प्रसार होगा। तब सामान्य जानता की मर्जी के अनुसार आप विधान बना सकते हैं।

†**श्री एन० सी० चटर्जी** : इस विधेयक के सम्बन्ध में मेरे माननीय मित्र श्री पाटस्कर ने यथा-सम्भव सब कुछ किया है किन्तु इस प्रकार के समाज सुधार विधान में प्रत्येक माननीय मंत्री की कुछ परिसीमायें होती हैं। एक बड़े विधि वेत्ता जान डी० मेन ने 'हिन्दू ला' में कई वर्ष पूर्व लिखा है कि "मुझे बहुत कम आशा है कि हिन्दू विधि संहिता से व्यापारी और किसान, पंजाबी और बंगाली, बनारस के और रामेश्वरम् के पंडितों और अमृतसर तथा पूना के पंडितों को समाधान होगा"। मैं नहीं समझता कि इस संहिता से हमारे करोड़ों लोगों को कोई समाधान होगा। मैं जनता के सभी वर्गों के लिये एक सी हिन्दू विधि में विश्वास करता हूं जो हमारे हिन्दू समाज में अधिक एकता और संशोधन उत्पन्न करने तथा विगठन की शक्तियों को कमजोर बनाने में सहायक होगी।

मुझे इस विधेयक से बहुत निराशा हुई है क्योंकि मैं समझता हूं कि श्री बी० एन० राव का अधिक युक्तियुक्त मानवीय दृष्टिकोण था। आज श्री पाटस्कर मिताक्षरा की केवल शाब्दिक प्रशंसा कर रहे हैं किन्तु वास्तव में वे समांशिता पद्धति नष्ट कर रहे हैं। मैं इसे बिलकुल पसन्द नहीं करता। यदि हम अधिक उत्साह, धैर्य, और दृढ़ विश्वास के साथ आगे आकर यह कहते कि सब एक ढांचे के हों और एक पद्धति के अधीन लाये जायें, तो वह अधिक अच्छा होता। श्री बी० एन० राव ने समांशिता पद्धति पूर्णतः समाप्त कर देने और दायभाग पद्धति जारी करने का समर्थन किया था। आप विधि की पुरानी पद्धति के अधीन, नवीन भारत का निर्माण तथा उद्योग और व्यापार की उन्नति नहीं कर सकते। यह कहना बिलकुल गलत है कि हमने प्रगति नहीं की है। हमने जमाने के अनुसार उन्नति की है। वास्तव में मिताक्षरा और दायभाग पद्धतियों ने अन्य पद्धतियों तथा प्रमुख विधि विषयक तत्वों का सामना किया है और हमने अपनी विधि पद्धति को तथा अपने समाज को समय-समय पर नया रूप दिया है। किन्तु अंग्रेजों ने यहां आकर हमारी विधि पद्धति को निर्जीव और कुंठित कर दिया। काश श्री पाटस्कर मिताक्षरा और दायभाग पद्धतियों के बीच यह कृत्रिम अन्तर दूर कर देते और श्री बी० एन० राव का पक्ष स्वीकार करते। हिन्दू संहिता में मिताक्षरा की सभी बुराइयां विद्यमान हैं। उसमें मिताक्षरा समांशिता पद्धति रखी गयी है किन्तु उसे नष्ट करने के लिये उन्होंने सब कुछ किया है। अतः मुझे इस बात से निराशा हुई है कि विधवा की स्थिति और दयनीय बना दी गयी है। सरकार और मन्त्री पर मेरा आरोप है कि उसे ऊंचा नहीं उठाया गया है। आज तक हिन्दू विधि में उसका स्थान कहीं अधिक अच्छा था किन्तु इस हिन्दू संहिता में उसे और नीचे गिरा दिया गया है। वर्ग १ में एक साथ ११ उत्तराधिकारी थे, अब वे १२ हैं। उसमें पिता को भी स्थान मिलना चाहिये था किन्तु संसद् को सम्भवतः १३ की संख्या से घृणा है और इसलिये पिता को निकाल दिया गया है। विधवा की स्थिति यह बनायी गयी है कि जो अन्यथा उसे मिलता उससे कहीं कम अब उसे मिलेगा। इससे स्त्रियों का स्थान ऊंचा नहीं होगा। श्री वी० जी देशपांडे का संशोधन

†मूल अंग्रेजी में।

बहुत कुछ हद तक स्वीकार कर लिया गया है अतः मैं माननीय मंत्री के प्रति कृतज्ञ हूं। फिर भी विधवा का स्थान पहले की अपेक्षा और अधिक गिरा दिया गया है। उसका अंश कम कर दिया गया है और वास्तव में उससे भारतीय स्त्रियों का बहुत कम लाभ होगा। एक साथ १२ उत्तराधिकारियों को इस प्रकार रखना खतरनाक है। यह मैं इसलिये नहीं कहता कि मैं हिन्दू विधि में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता बल्कि इसलिये कि हम सिद्धान्ततः आर्थिक, सामाजिक और तर्क संगत आधारों पर इसका विरोध कर रहे हैं। खेती की जमीनों को इस प्रकार टुकड़ों में बांटना बहुत आपत्तिपूर्ण है। उससे और हानि ही होगी। सुधार के कुछ विदेशी विचारों के अंधानुसरण से इस प्रकार की क्रांति से कोई लाभ नहीं होगा और इसीलिये मैं उसके विरुद्ध हूं।

मैं श्री पाटस्कर से पूछता हूं कि अन्य धाराओं के बारे में वे क्या कर रहे हैं। अल्प संख्यक, दत्तकग्रहण, संरक्षकता, पारिवारिक जीवन आदि के सम्बन्ध में वे क्या करने जा रहे हैं? क्या वे उस विधि को एकीकृत करने जा रहे हैं? मैं उनसे कहूंगा कि वह इस पर गम्भीरता से विचार करें। अन्यथा उचित एकीकरण न होने पर एक बड़ी विपत्ति आयेगी और अधिकाधिक अनियमितायें होंगी जिससे सम्पूर्ण समाज का कोई स्थायी हित नहीं होगा।

†**डा० रामा राव** : यह विषय बहुत लम्बे समय से जनता के सामने रहा है। जहां तक दायभाग पद्धति और उसके अधीन लोगों का सम्बन्ध है, हमारी बहनों को हार्दिक बधाइयां हैं; किन्तु वे अल्प संख्यक हैं। मिताक्षरा समुदाय के अधीन बहनों और पुत्रियों के प्रति बहुत थोड़ा न्याय किया गया है। जैसे खण्ड ६ के अधीन, पिता, चार पुत्र और एक पुत्री के परिवार में जब कि प्रत्येक पुत्र को सम्पत्ति का पांचवां हिस्सा मिलता है तब पुत्री को पांचवें हिस्से का पांचवा हिस्सा अर्थात् १/२५ वां हिस्सा मिलता है। यह केवल उनके प्रति न्याय का एक छोटा सा अंश है। मिताक्षरा के अधीन महिलाओं के लिये जो कुछ किया गया है उससे हमें घोर निराशा हुई है, और हम उसे अन्याय समझते हैं।

प्रायः पिछले २० वर्ष से यह विषय जनता के सामने हैं और काफी आन्दोलन तथा प्रचार के बाद हमने अपनी बहनों के प्रति बहुत थोड़ा न्याय किया है। वास्तव में यह बहुत करुणाजनक है कि १९५६ के वर्ष में हम पुत्रियों को बहुत ही थोड़ा अंश दे रहे हैं। आप जानते होंगे कि बर्मी समाज में, समाज सुधार के तौर पर नहीं बल्कि परम्परागत विधि के अनुसार, प्रत्येक पुत्री को पुत्र के बराबर समझा जाता है किन्तु यहां हमारी पुरानी परम्पराओं तथा ऐतिहासिक और अन्य कारणों से हम पुत्री को पुत्र के बराबर बनाने की सोच तक नहीं सकते। अभी खण्ड २५ पर चर्चा हुई थी जिसमें हम पुत्री को घर में रहने देना भी नहीं चाहते। श्री वी० जी० देशपांडे ने कहा कि हम विदेशियों को अपने घर में रहने देना नहीं चाहते। अतः यह विधेयक इस सभा पर एक कलंक है क्योंकि हम पुत्री को पुत्र के बराबर मानने से इन्कार करते हैं। मैं केवल चाहता हूं कि हमारी बहने और पुत्रियां जागृत हों और हमें सबक सिखायें। श्रीमती शिवराजवती नेहरू ने अर्धांश की मांग की है। किन्तु मुझे उस पर आश्चर्य नहीं हुआ है, क्योंकि अब भी उस तरह की हजारों औरतें हैं जैसे कि राजा-राम मोहन राय के सती प्रथा विरोधी आन्दोलन के विरुद्ध खड़ी होकर सती प्रथा बनाये रखना चाहती थीं। अतः १९५६ में भी श्रीमती शिवराजवती नेहरू जैसी औरतों पर, जो पुरुषों की बराबरी से कम की मांग करती है, मुझे आश्चर्य नहीं होता। वे खुद नहीं जानती कि वे क्या कहती हैं। आशा है कि निकट भविष्य में हमारी बहनें और लड़कियां न्याय के लिये हमें बाध्य करेंगी जिससे कि हम यह भेद-भाव बन्द कर दें।

†**श्रीमती जयश्री** : मैं इस विधेयक के पारित किये जाने के लिये इस सभा को, सरकार को, हमारे नेता और विधि मंत्री को बधाई देती हूं। हमने इससे भारतीय महिलाओं की अयोग्यतायें दूर

†मूल अंग्रेजी में।

[श्रीमती जयश्री]

कर दी हैं और दुनिया को दिखा दिया है कि हमारी दृष्टि कूपमंडूक दृष्टि नहीं है और हम बदलती हुई परिस्थितियों के प्रति जागरूक हैं ।

मुझे प्रसन्नता है कि यहां सदस्यों ने महिलाओं को अधिकार देने के लिये बहुत प्रयत्न किया है । १९३७ अधिनियम के अधीन, विधवाओं को अधिकार दिये गये थे किन्तु वे सीमित अधिकार थे । अब इस विधेयक के अधीन हम स्त्रियों को पूर्ण अधिकार दे रहे हैं । अभी तक पुत्रियों को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया था; किन्तु मुझे प्रसन्नता है कि अब हम पुत्रियों को अधिकार दे रहे हैं और विवाहित तथा अविवाहित पुत्रियों में कोई भेदभाव नहीं किया गया है । पंडित ठाकुर दास भार्गव ने एक संशोधन रखा था कि पुत्र-वधू को पुत्र के साथ अंश मिले । वह अधिक अच्छा होता यदि उसे पुत्री के नाते पिता की सम्पत्ति में अंश मिले । हमारी मांग केवल यही थी कि स्त्री को अपने पिता की सम्पत्ति में एक व्यक्ति के नाते, न कि पत्नी या विधवा के नाते, अधिकार मिलना चाहिये । अभी तक यह अधिकार नहीं दिया गया था किन्तु संविधान की बलिहारी है कि अब हमने ऐसा सिद्धान्त बनाया कि लिंग के कारण कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता ।

माननीय मंत्री इसलिये भी बधाई के पात्र हैं कि सम्पूर्ण भारत के लिये उन्होंने एक रूप संहिता बनाने का प्रयत्न किया है । वह एक बहुत बड़ा कार्य है और प्रारम्भ में कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं क्योंकि हम में से कुछ महिलायें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं । हम आशा करते हैं कि महिला सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार करेंगी और स्त्री समाज को बतायेंगी कि इस विधि से उन्हें क्या-क्या लाभ प्राप्त होंगे । हम जानते हैं कि १९३७ के अधिनियम से बहुत गड़बड़ी और भ्रम पैदा हो गया था और कुछ मुकदमेबाजी भी हुई है । इस गड़बड़ी को दूर करने के लिये ही राव समिति नियुक्त की गयी थी । हमें प्रसन्नता है कि हम यह उत्तराधिकार विधेयक बना सके हैं । आशा है कि सभा अन्य अधिनियमों को, जैसे संरक्षकता अधिनियम, दत्तक ग्रहण अधिनियम, पोषण अधिनियम आदि को पारित करेगी ताकि सम्पूर्ण हिन्दू संहिता बनायी जा सके अभी तक कुछ दोष थे किन्तु अब हम अधिक प्रगतिशील पारसी विधियों और मुस्लिम विधियों के साथ-साथ हो गये हैं । हम आशा करते हैं कि कुछ वर्षों के बाद हमारी एक व्यवहारिक संहिता भी होगी जैसी कि हमारी एक दांडिक संहिता है ।

श्री वी० जी० देशपांडे : आज हमारे विधान मंत्री को वह आनन्द होना चाहिये, जो आनन्द आज से एक हजार वर्ष पूर्व मुहम्मद गजनवी को हुआ था जब उसने सोमनाथ का मन्दिर तोड़ा था, आज जो कोई ताजमहल को तोड़ता है, उसको, या अजन्ता और एलोरा की गुफायें तोड़न के बाद जो आनन्द किसी मूर्त्ति-भंजक को होगा, वही आनन्द आज यह विधेयक स्वीकृत करने वालों को होना चाहिये । मेरे हृदय में वही दुःख है, जो किसी कला-प्रेमी को ताजमहल टूटते हुए देख कर या किसी धर्म-भक्त को सोमनाथ का मन्दिर टूटते हुए देख कर होता । सवाल यह नहीं है कि पुत्री को कितनी सम्पत्ति मिले और भाई के साथ बहिन पैसा ले या नहीं । हजारों वर्षों से इस देश में दया, प्रेम और सद्भावना का, सहानुभूति और साहचर्य का एक आदर्श हम ने निर्माण किया है । किसी भी समाज में व्यक्तिगत सम्पत्ति के विधान केवल पैसे के बंटवारे की व्यवस्था नहीं होते । व्यक्तिगत विधि-समाज में उत्पन्न विचारों का प्रत्यक्षरूप से स्पष्टीकरण है ।

अपने देश में जिस प्रकार की समाज-व्यवस्था हजारों वर्षों में हम ने निर्माण की थी, जिस समाज-व्यवस्था के कारण अनाथ और अपंग व्यक्तियों के प्रति हम सहानुभूति और दया रखते थे, जिसके कारण भैया-दूज के दिन भाई और बहिन के प्रेम का प्रदर्शन होता था, जिस समाज-व्यवस्था में सिकन्दर ने राखी बंधवाते हुए बहिन के प्रेम का अनुभव इस भारत-भूमि में किया था, जिस समाज-व्यवस्था के अन्तर्गत हम ने यहां पर इस प्रकार के प्रेम और इतने महान् सामाजिक आदर्श का विकास किया था,

उसके नष्ट होने पर आप सबको दु:ख होना चाहिये । हो सकता है कि आप परिवर्तन चाहें, परन्तु यह तथ्य है कि एक सुन्दर चीज आज टूट गई है, एक ताजमहल आज भंग हुआ है, वह कौटुम्बिक व्यवस्था समाप्त हो गई है, जिसमें चालीस-पचास आदमी एक कुटुम्ब में रहते हैं, किसका सम्पत्ति का कितना भाग है, यह किसी को पता नहीं है, परन्तु सबका पालन-पोषण हो रहा है और एक कर्ता पुरुष सब व्यवस्था कर रहा है । हो सकता है कि परिवर्तित सामाजिक स्थिति में हम इसको चला न सकें । इस कारण कोई सदस्य कह सकते हैं कि यह व्यवस्था सुन्दर थी, लेकिन इसमें परिवर्तन होना चाहिये । फिर भी एक सुन्दर चीज चली गई है, इसका दु:ख हर सहृदय के अन्त:करण में रहेगा । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह मखौल का विषय नहीं है, यह किसी को चिढ़ाने का विषय नहीं है । आज एक महान् संस्था को समाप्त कर दिया गया है, जिसका विकास मनु, याज्ञवल्क्य और विज्ञानेश्वर ने किया । मैं उनका नाम लेने में लज्जा का नहीं, अपितु गौरव का अनुभव करता हूं । इस प्रकार की महान् और प्राचीन समाज-व्यवस्था पर आघात होते वक्त मेरा केवल एक ही आक्षेप है और वह यह है कि जितना विचार हम को इस विषय के प्रति देना चाहिये था, उतना विचार हम ने किया नहीं है । जो बातें आपने कही थीं, वे बातें भी आपने नहीं कीं । हम दावे के साथ कहते हैं कि हमारे आदर्शों में, हमारे कुटुम्ब व्यवस्था में, हमारी कुल परम्परा में और हमारे विधान में इस प्रकार के परिवर्तन करने का कोई भी कारण नहीं था । हम यह भी मानते हैं कि कहीं-कहीं अन्याय होता था, लेकिन न्याय और अन्याय की तुलना करते वक्त हम समझते थे कि इस व्यवस्था में लाभ ज्यादा होता था ।

यदि आप इसमें स्त्रियों के प्रति अन्याय दूर करने के हेतु कोई योजना ले आते तो हम सहर्ष उसका स्वागत करते परन्तु हमने देखा कि आपने केवल एक कानून का जंगल भी बना कर हमारे सामने रख दिया है जिसमें मिताक्षरा का भी कानून है, जहां दायभाग भी है और अन्य-अन्य कानून भी उसमें आ गये हैं और एक संहिता-सी बन गई है । बादरायण की संहिता का कोडिफिकेशन करने के लिये हमारे सामने पाटस्कर साहब आ गये और यह कोडिफिकेशन लेकर सामने आ गये लेकिन जब हम एक-एक धारा को देखते हैं तो हम पाते हैं कि कोडिफिकेशन जैसा कि वह करना चाहते थे इसमें कहीं-कहीं नहीं हो पाया है । जैसे कि श्री शंकराचार्य के तत्वज्ञान के बारे में कहा है कि :

"श्लोकार्थं प्रवक्षयामि यदु वंत ग्रन्थ कोरिथि :
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवोब्रह्मैवनापर: ।

इसमें याज्ञवलक्य, मिताक्षरा, दायभाग इन सब चीजों का जिक्र और नाम तो आ गया है और यह बड़े कमाल की बात है परन्तु जब हम एक-एक धारा को देखने लगें तो पाया कि छठे क्लाज में यह कहा गया है कि सरवाइवरशिप (उत्तर जीवित) से कानून चलेगा । हिन्दू का कानून इस विधान में नहीं है और हिन्दू के उत्तराधिकार के बारे में इस में लिखा हुआ नहीं है ।

जो हिन्दू ला (विधि) है वह वैसा का वैसा रखा है उसको छुआ तक नहीं है, छुआ नहीं है से मेरा यह तात्पर्य है कि उसको अच्छा करने के लिये नहीं छुआ है, उसमें नुकसान के लिये छुआ है और हिन्दू ला (विधि) पर आपने काफी आघात किया है और जिस युनिफार्मिटी (समानता) के लिये हम यह मूल्य देने को तैयार थे, वह युनिफार्मिटी (समानरुपता) कहीं भी नहीं आई है, मिताक्षरा अलग है और दायभाग अलग है और युनिफार्मिटी (समानरुपता) आई नहीं ।

जैसे मैंने पहले भी निवेदन किया था कि हमारे किंग आर्थर के नाइट्स लोगों की आंखों से स्त्रियों की खराब अवस्था देख न पाने के कारण आंसू बह रहे थे और मैं इससे इन्कार भी नहीं करता कि कुछ अपवादात्मक परिस्थितियां हिन्दू समाज में ऐसी हो सकती हैं जहां पर कि स्त्रियों पर अन्याय होता हो, मैं इसको भी मानने को तैयार हूं परन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह विधेयक स्वीकृत होने के पश्चात् स्त्रियों की परिस्थिति सुधर गई है या और बिगड़ गई है ? मैं

[श्री वी० जी० देशपांडे]

इस अवसर पर बहुत बड़े-बड़े आदेशों की बात नहीं करना चाहता हूं, वैसे आदर्शों में मेरा विश्वास है। केवल स्त्री के नाम से सुधार होने से, उसकी परिस्थिति सुधरती है, यह मैं मानने वाला नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि आप इसको कसौटी पर नाप-तौल कर देखें कि इस कानून के पास होने से पहले स्त्रियों को कितनी सम्पत्ति मिलती थी और इस कानून के पास होने के बाद कितनी सम्पत्ति मिलने वाली है और उसके बाद ही किसी को इस कानून के लिये आप बधाई दें, कानग्रेचुलेशन (बधाई) देने से पहले यह देख लीजिये कि वाकई में इस हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक द्वारा स्त्रियों को पहले से अधिक सम्पत्ति में हिस्सा मिल भी रहा है या नहीं। मेरी समझ में तो मिताक्षरा पद्धति में ज्वाइंट फैमिली प्रापर्टी (संयुक्त परिवार सम्पत्ति) में स्त्री को पहले से कम हिस्सा मिला है और मैं तो यहां तक कहूंगा कि लड़के को सम्पत्ति में पहले से ज्यादा हिस्सा मिल रहा है और इस विधेयक के वर्तमान स्वरूप को देख कर तो यही कहना पड़ता है कि एक सज्जन बनाने तो गणेश जी की मूर्त्ति बैठे, परन्तु कम्प्रोमाइज करते वक्त किसी ने सूंड के बजाय दुम लगा दी जिसका कि नतीजा यह हुआ कि गणेश तो नहीं बन पाये, हां बन्दर अलबत्ता बन गये। इस प्रकार की बात यहां हुई है कि यह विधेयक तो सम्पत्ति में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दिलाने के लिये लाया गया लेकिन जब यह बन कर पास हो रहा है तो हम पाते हैं कि वस्तुतः स्त्रियों को जो अधिकार अब तक प्राप्त था, वह भी इसके द्वारा कम किया जा रहा है। उदाहरणार्थ, मैं आपको बतलाऊं कि एक हिन्दू पिता जिसके कि चार लड़के और दो लड़कियां हैं और वह अपने पीछे अपनी विधवा पत्नी को छोड़ी गई सम्पत्ति का पंचम भाग मिलता है अर्थात् एक लाख रुपये की सम्पत्ति पर उसको २० हज़ार रुपये मिलते हैं और अब इस वर्तमान विधेयक के अनुसार २०, २० हज़ार रुपये लड़कों को मिलेंगे वह लड़के ८० हजार रुपये तो पहले ही बांट लेगें और जो बाकी २० हज़ार बच रहेगा उसमें वे चारों लड़के, दो लड़कियां और वह विधवा यह सातों जने हिस्सा बंटायेंगे जिसका कि अर्थ यह हुआ कि ढाई-ढाई हज़ार रुपया लड़कों को और मिलेगा। पहले कानून से लड़कों को २० हज़ार मिलता था जबकि इस विधेयक के द्वारा उनको साढ़े बाईस हज़ार रुपये मिलेंगे। एक विधवा को पहले कानून से २० हज़ार रुपये मिलते थे, लेकिन अब उसको केवल ढ़ाई हज़ार ही मिलेंगे.....

श्रीमती शिवराजवती नेहरू (जिला लखनऊ—मध्य) : पति विल कर देगा।

श्री वी० जी० देशपांडे : मैं पूछता हूं कि उसकी ऐबसेलूट स्टेट हो गई तो क्या बहुत बड़ी बात हो गई ? मैं पूछता हूं कि २० हजार की लिमिटेड स्टेट और ढाई हजार की ऐबसेलूट स्टेट, इसमें कौन सी फायदे की चीज है ? मुझे तो यही मालूम पड़ता है कि मिताक्षरा फैमिली में आपने विधवा की परिस्थिति पहले से अधिक बिगाड़ दी है, लड़की को कुछ खास दिया नहीं, विधवा का ही बांट कर थोड़ा बहुत लड़कियों को दे दिया गया है और बाकी लड़कों को चला जायगा।

अपनी बहनों को सम्बोधित करते हुए मैं केवल एक ही प्रार्थना करूंगा कि आप लड़ना तो काफी सीख गई हैं और बड़े जोर से लड़ती हैं और हम लोग आप से डर भी जाते हैं लेकिन लड़ने के साथ ही साथ थोड़ा चीज को ठीक-ठीक समझना भी सीख लीजिये कि कांग्रेस के आपके बन्धु लोग जो अपने को आपका हितकर्त्ता कहते हैं और जो आपका हित करने और कल्याण करने के नाम पर किस-किस प्रकार की बातें करते हैं और क्या-क्या चीजें करते हैं, उनके बारे में आप को ठीक-ठीक पता नहीं लगता और आप यह नहीं समझ पातीं कि उनका आखिर में आप पर प्रभाव क्या पड़ने वाला है।

श्री एन० सी० चटर्जी ने हमारे विधि मंत्री को जो धन्यवाद दिया है, मैं उस धन्यवाद के खिलाफ नहीं हूं और मैं इसको स्वीकार करता हूं कि मंत्री महोदय बड़े ही योग्य पुरुष हैं और मैं उनकी योग्यता को मानता हूं परन्तु मुझे यह कहने पर विवश होना पड़ता है कि दलगत नीति में बन्धे होने के कारण जब इस बिल पर इस सदन में विचार चल रहा था तब हमारे विधि मंत्री महोदय

ने कोई भी युक्तिसंगत संशोधन को स्वीकार नहीं किया और उसकी तरफ देखा नहीं और उस अवसर पर उठ कर बाहर चले जाते थे, यह प्रवर समिति से लेकर आज तक का मेरा अनुभव है। मिताक्षरा पद्धति को गाली देना प्रगतिशीलता का आज लक्षण बन गया है। हमने कहा था कि मिताक्षरा पद्धति में कोई वसीयतनामा नहीं कर सकता है, कोई अपनी पत्नी और बच्चों को अपने अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता है, कम से कम आप उनको यह तो अधिकार दीजिये लेकिन आपने यह बात नहीं मानी, केवल एक एनवौलव्ड सा अमेंडमेंट माना है, केवल मेंटेनेन्स ला प्रबन्ध विधि बना देने से यह बात बनने वाली है, ऐसी बात मैं नहीं मानता हूं।

ड्राफ्टिंग के विषय में मैं ने यहां तक देखा कि जब छठवां क्लाज़ आया तो मैं ने उनसे पूछा कि २१वां क्लाज़ आ रहा है, आपने जानबूझ कर शब्द रचना की है, सरवाइवरशिप से अधिकार मिलने वाला है, मिताक्षरा पद्धति कायम रहेगी, आप ऐसा कहते हैं, लेकिन २१ में जो "टेनेंट्स इन कामन" के शब्द आये हैं तो मैं समझता हूं कि यह मिताक्षरा पद्धति टूट जायेगी ....

श्री राधा रमण (दिल्ली—उत्तर) : माननीय सदस्य निश्चित अवधि से अधिक समय तक बोल चुके हैं।

श्री वी० जी० देशपांडे : अरे भाई आप हिन्दू समाज का इस तरह विघटन और सत्य नाश कर रहे हैं तो कम से कम और कुछ नहीं तो दो मिनट रो तो लेने दो।

हां तो मैं आपको बतला रहा था कि जब पाटस्कर साहब को यह बतलाया गया कि २१वें क्लाज़ के वर्तमान स्वरूप के कायम रहने से मिताक्षरा पद्धति टूट जायगी तो वे खड़े रहे और कहने लगे कि जब २१वां क्लाज़ सामने आयेगा तब इसको देखूंगा, अभी तो हम छठा क्लाज़ पास कर रहे हैं ...

उपाध्यक्ष महोदय : अब जब कि हाउस ने उसको स्वीकार कर लिया है तब इस तरह की गिला नहीं करनी चाहिये और उसके लिये आप सारा दोष पाटस्कर साहब पर ही क्यों मढ़ते हैं।

श्री वी० जी० देशपांडे : मंत्री महोदय ने खड़े होकर यह कहा था और पेपर में भी यह आया है कि संयुक्त दर्जा समाप्त नहीं होना चाहिये। लेकिन हमने देखा कि उसके ठीक विपरीत उन्होंने किया है। हमने देख लिया है कि क्या-क्या जादू और चमत्कार इस विधेयक में हैं और इसका हिसाब और जमाखर्च करने के पश्चात् मैं समझता हूं कि युनिफार्मिटी (समानरूपता) नहीं आ सकी है, कोडिफिकेशन (संहिताबद्ध) हो नहीं सका है और स्त्रियों के अधिकार भी पहले से अधिक नहीं बढ़े हैं और विधवा स्त्रियों के अधिकार पहले से कम हो गये हैं। १/१० में ईक्वली शेअर करेंगे। यह तो ईक्वल राइट्स दिये गये हैं पुत्री और माता को। यह पहला महान अधिकार उनको मिलेगा। दूसरा महान अधिकार उनको यह मिला है कि विधवा को अब केवल १/१० का अधिकार होगा। तीसरा फायदा यह हुआ कि वसीयत नामों से ज्वायेंट फैमिली प्रपर्टी (संयुक्त परिवार सम्पत्ति) का मनुष्य को अधिकार मिला कि सम्पत्ति पूरी छोड़ दे। और इस महान अधिकार का फल दूसरी तरफ यह होगा कि बहन भाई के साथ लड़ेगी। बहन की जिम्मेदारी भाई के ऊपर नहीं रहेगी और सम्पत्ति के लिये झगड़े बढ़ेंगे। देहात की अर्थ व्यवस्था टूट जायेगी, कृषि सम्पत्ति एक स्थान पर न रहेगी। देहात का जो ढांचा है उसके टुकड़े-टुकड़े हो जायेंगे।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू : चलिये, आप की कांस्टिटुएन्सी (निर्वाचन क्षेत्र) बन गई।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मेरी माननीया सदस्या से प्रार्थना है कि वह अन्तर्वाधा न डालें। यदि महिलायें वास्तव में कुछ कहना चाहती हैं तो वह दूसरों को भी धैर्य से सुने।

श्री वी० जी० देशपांडे : इस तरह का नाश सब तरफ हो रहा है। आज मैंने स्त्रियों को आखिरी सूचना दी थी। आज यहां एक संशोधन मैंने रखा कि मिताक्षरा सम्पत्ति के सम्बन्ध में कम

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री वी० जी० देशपांडे]

से कम विधवा, अविवाहित लड़की और छोटे नाबालिग बच्चे का प्रबन्ध कीजिये । यहां पूरा कांग्रेस का दल इकट्ठा था । हमारे प्रधान मंत्री यहां बैठे थे, हमारे विधि मंत्री भी यहां थे और पूरे देश में इसका विरोध होते हुए भी हमारी सरकार ने उस संशोधन को स्वीकार नहीं किया । स्त्रियों के प्रति उनमें कितना प्रेम है इसका भी प्रदर्शन आज हो गया है । इसका एक ही फायदा होने वाला है, प्राचीन हिन्दू परम्परा नष्ट हो गई, प्राचीन आदर्श समाप्त हो गये, हमारी अर्थ व्यवस्था पर आघात हुआ और स्त्रियों को अधिकार अधिक मिला नहीं । जो था वह भी कम हो गया । यह भी नहीं माना गया कि स्त्रियों को कम से कम मेन्टेनेन्स मिले । केवल एक ही काम हुआ कि ए बैडली ड्राफ्टेड ला (एक बुरी रूप-रेखा वाली विधि) हम ने बनाया, जिस ला (विधि) की शब्द रचना हम ने अच्छी नहीं बनाई । जो हमारे मित्र उधर बेठे हुए हैं, उनमें से एक सदस्य भी नहीं कहता कि यह अच्छा है । श्री सी० सी० शाह जो शायद हमारे प्रतिविधि मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा : 'उन्होंने बड़ी गड़बड़ पैदा कर दी है ।' जो कानून बनाया गया है वह पूरा मेस बनाया गया है । और इसका फायदा किस को मिला है ? लोग कहते हैं कि लड़कियों को सम्पत्ति मिली, अधिकार मिला । मेरे मित्रो, यह लड़कियों को उत्तराधिकार नहीं मिला । यह उत्तराधिकार वकीलों को मिला है । यह उत्तराधिकार लड़कियों को नहीं मिला, यह देश के वकीलों को उत्तराधिकार मिला है । और इसी के कारण आखीर में जब आप यह बिल स्वीकार करने वाले हैं, एक चेतावनी देना चाहता हूं कि जो एक सुन्दर चीज थी उसको आज आपने नष्ट कर दिया है । एक दिन आयेगा जब आप पश्चाताप करेंगे और अगर आप पश्चाताप नहीं करेंगे तो आपकी आगे आने वाली पीढ़ियां इस कुकृत्य के लिये आपको शाप देंगी ।

श्री राधा रमण : मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत अर्से से जिस विधेयक को इस सदन के सामने रखा गया था वह आखिरकार हमारे सदन ....

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे तो उज्र नहीं होगा चाहे जब तक मेम्बर साहबान बैठे । मगर वह इस बात का ख्याल रखें कि कब तक वह बैठना चाहते हैं और उसी के अन्दर वह अपने विचार पेश कर दें । इस वास्ते मैं कहा रहा हूं कि वह जितना चाहें वक्त लें, लेकिन बाकी मेम्बरान को भी बोलने का मौका मिलना चाहिये, जो इस पर बोलना चाहते हैं ।

श्री सिंहासन सिंह : कितने बजे तक हाउस बैठेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : जब तक सब मेम्बर बोल नहीं लेते ।

†**श्रीमती सुषता सेन** (भागलपुर—दक्षिण) : कब तक ये बैठक होगी ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जब तक बोलने की इच्छा रहेगी ।

†**श्रीमती सुषमा सेन** : हम ६ म० प० के पश्चात् नहीं बैठ सकते ।

†**श्री के० के० बसु** : जो बोल चुके हैं, उनको अपने भाषण के पश्चात् सभा से नहीं जाना चाहिये ।

श्री राधा रमण : एक बार फिर मैं सदन का और विशेष कर अपने ला मंत्री श्री पाटस्कर को इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि बहुत काल से जो विधेयक हमारे देश के सामने रखा हुआ था, जिसके जरिये से हम अपने मुल्क में एक बेइन्साफी को खत्म करना चाहते थे वह आखिर कार इस सदन ने कबूल किया ।

जैसा अभी अन्य मित्रों ने बताया कि इस विधेयक की तारीख बहुत पुरानी है और उस पुरानी तारीख के साथ-साथ इस विधेयक को सारे मुल्क के लिये रखा गया और सारे ही क्षेत्रों में इस विधेयक के ऊपर चर्चा हुई । हमारी यह ख्वाहिश थी कि हम इस विधेयक को एक नये रूप में, न्याय और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

समानता की दृष्टि से पूर्णरूप से मंजूर करते। लेकिन अगर हम पूर्ण रूप से इन्साफ नहीं कर सके तो भी हमें इस बात की खुशी होनी चाहिये कि हम ने इस तरफ एक बहुत मजबूत और सीधा कदम उठाया है।

अभी हमारे मित्र श्री देशपांडे जी कह रहे थे कि इस विधेयक से उनको चोट लगी है, उनको बड़ा अफसोस और रंज हुआ। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि इस विधेयक के अन्दर जो अधिकार लड़कियों और स्त्रियों को पहले थे, उनसे भी अब कुछ कम हो गये। उनकी यह तुक मेरी समझ में नहीं आई। जब से इस विधेयक का नाम इस सदन में लिया गया, या जब से देश में इसकी चर्चा हुई तब से बराबर वह इसका विरोध करते चले आये हैं और उनकी ख्वाहिश यह थी कि स्त्रियों को कोई अधिकार न मिले, कोई बराबरी का हक न मिले, कोई सुविधा उनको न दी जाये। लेकिन जब सदन ने उनके कहने के अनुसार जो उनकी इच्छा थी उसके मुताबिक, स्त्रियों के अधिकारों को कम करके इस विधेयक को पास किया है तो उनको रंज और गम किस बात का? यह आंसू किस लिये टपकाये जाते हैं। हम ने अपने संविधान में इस बात की मंजूरी दी कि हम अपने देश में स्त्रियों के समान अधिकार चाहते हैं, हम ने एक मुख से सारे देश को यह कहते सुना कि स्त्रियों को जो अधिकार आज प्राप्त हैं वह पर्याप्त नहीं हैं, उनकी सामाजिक और आर्थिक दोनों दशायें ऐसी हैं जो चिन्ताजनक हैं, जो हमारे संविधान के अनुसार नहीं हैं, जिनको इन्साफ की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता। संविधान के अन्दर स्त्रियों को समान अधिकार प्राप्त हों और समाज उन अधिकारों को कानून दे सके इसकी ख्वाहिश रख कर जब इस विधेयक को सदन के सामने लाया गया, तब हर तरफ से इस बात की ख्वाहिश जाहिर की गई कि इस में बहुत जबर्दस्त संशोधन किये जायें, और यही कारण था कि इस में इतनी देर लगी, यही कारण था कि यह ज्वायेंट कमेटी के सामने गया और सामूहिक रूप से इस पर विचार विनिमय हुआ जिसके परिणामस्वरूप जो कुछ उनकी अक्ल में आ सकता था, इस विधेयक के अन्दर रखा गया। राज्य सभा ने इस के पश्चात इस विधेयक की छान-बीन की और सब ने मिल कर इसे इस शक्ल में पेश किया। उसके बाद यह लोक-सभा के अन्दर आया लोक-सभा में भी इस पर संशोधन रखे गये। हम एक हफ्ते से विधेयक पर विचार कर रहे हैं, इस की आलोचना कर रहे हैं। इस में हम ने कुछ संशोधन भी किये हैं। अब यह इस अन्तिम रूप में सदन के सामने है और सब की ख्वाहिश के अनुसार कुछ संशोधन के बाद तो हम इसे मंजूर कर रहे हैं तो फिर उस के बाद यह रोना पीटना, खास तौर पर हमारे देशपांडे जी का, हमारी समझ में नहीं आता। जो कुछ वह चाहते थे अगर वह नहीं हुआ तो भी उनको खुश होना चाहिये क्योंकि जो कुछ हुआ है वे इसके अनुसार भी नहीं हैं जो हम चाहते हैं।

उपाध्यक्ष जी मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मेरी राय में जितना न्याय इस विधेयक के अनुसार महिलाओं के साथ करना चाहता था, वह नहीं कर सका, और उसकी सब से बड़ी वजह यह थी कि हमें यह फिक्र थी कि हम सारे लोगों को अपने साथ ले कर चलें। जो जो संशोधन हुए हैं, उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिन में हम ने उन रायों को जो कि खिलाफ रखती थीं, या विधेयक माफिक नहीं थीं, उनके मुताबिक विधेयक में काट-छांट कर हमने ऐसी कोशिश की है जिससे सब विचार के लोग राजी रहें। जब इस तरह से उन लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक काम किया गया है तो मेरी समझ में नहीं आता कि अगर वह इस विधेयक का विरोध करें तो कहां तक मुनासिब होगा।

अगर कोई आदमी यह कहे कि इस विधेयक के पास हो जाने के बाद लड़कियों को जो अधिकार पहले थे उनसे कम मिलेंगे या वे अधिकार उन्हें नहीं मिलेंगे, तो मैं इस को नहीं मानता। और यह कहना कि ऐसे विधेयक को जब सदन के सामने लाया जाता है तो हमें कुछ आश्चर्य होता ह, या कि भाई और बहन का प्रेम कम हो जाता है या यह शास्त्रानुकूल नहीं है या कोई ऐसी चीज ह कि जो हिन्दुस्तान के लोगों के ऊपर कोई पहाड़ गिराने वाली है, तो मैं इसको भी नहीं मानता हूं।

[श्री राधा रमण]

मैं समझता हूं कि यह संकुचित विचारधारा का एक परिणाम है जो हमारे मुल्क में हर वक्त हाजिर रहती है। मैं तो यह कहूंगा कि श्री पाटस्कर जी ने इस बिल को लाकर और इसको पास करवा कर एक ऐतिहासिक काम किया है। जिस तरफ आज हमारे कदम बढ़ रहे हैं उस तरफ हमारे कदम आज से १५–२० बरस पहले बढ़ने चाहियें थे। अगर पाटस्कर साहब ने देर लगा कर इस को मनवाया है तो इसका कारण यह है कि उनकी कोशिश यह थी कि सारा मुल्क इस विधेयक के साथ हो, इस सदन के जितने भी मेम्बर हैं, वे इसका समर्थन करें और ज्यादा से ज्यादा कामन मैज़र आफ एग्रीमेंट इसके बारे में प्राप्त हो। मैं यह समझता हूं कि जिस शक्ल में यह विधेयक अब हमारे सामने है उसके बारे में चाहे इधर-उधर से कुछ विरोधी आवाजें आयें लेकिन यह बात तो मानी ही जायेगी कि इसको अब इस सदन के अधिक से अधिक माननीय सदस्यों का समर्थन प्राप्त है और अधिक से अधिक सदस्यों को यह पसन्द भी आया ह और उन्होंने इसे मंजूर किया है। और सारा संसार और विशेषकर हमारा देश इसे एक प्रगतिशील कदम कहगा। अब इसके बाद जो भी इसके परिणाम निकलेंगे उनको हम फेस करेंगे और जो भी इसके नताइज होंगे उनका हम मुकाबला करेंगे। अगर कोई सदस्य यह देखता है कि इस विधेयक में कुछ त्रुटियां रह गई हैं या हमारी बहनों को जो अधिकार मिलने चाहिये थे वे नहीं मिले हैं तो मैं यह चाहता हूं कि ऐसे माननीय सदस्य को इस बात का पूरा अख्तयार है कि वह भविष्य में इसमें संशोधन करायें। देशपांडे जी, जो आज आंसू बहा रहे हैं उनसे मैं कहूंगा कि अगर वह अपने दिल से चाहते हैं कि कोई अधिकार स्त्रियों को और प्राप्त होने चाहियें तो वह इन अधिकारों को उन्हें दिलाने के लिये भविष्य में संशोधन प्रस्तुत करें।

इस बात को देखकर मुझे आज बड़ी खुशी होती है कि हमारी बहनें जो कि तरह-तरह की डिसएबिलिटीज से सफर करती थीं, जो कि कई तरह से डिसएडवांटेजियस पोजीशन में थी, उनको अब हिम्मत और हौसला होगा, उनको कुछ ताकत मिलेगी और उनके कदम अपनी सामाजिक उन्नति की तरफ बढ़गे और जो अन्याय आज तक उनके साथ होता आया है, उसमें भी कुछ थोड़ी बहुत कमी होगी।

जो संशोधन हमने इसके अन्दर किये हैं उनके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं उनसे कतई सन्तुष्ट नहीं हूं। मैं जानता हूं कि हम ने इस बात की बहुत ज्यादा कोशिश की है कि जो हम से सहमत नहीं हैं, जो हम से मुख्तलिफ राय रखते हैं, उनको भी हम अपने साथ लें, कम्प्रोमाइज करें और उनकी उन बातों को हम मंजूर करें जो हमारे गले से नहीं उतर सकती हैं। लेकिन हमने जो बातें इन्साफ पर नहीं मानी थीं, जिनको हम मुनासिब नहीं समझते थे, उनको हम ने नहीं माना है। विधेयक की जो धारायें महिलाओं का स्तर ऊंचा उठाने में सहायक सिद्ध हो सकती थीं, जो उनको आर्थिक और सामाजिक प्रगति की ओर ले जाने में सहायक गिनी जाती थीं, उनको हमने मंजूर किया है। मैं यह अवश्य मंजूर करता हूं कि अब भी इस बिल के अन्दर जो खराबियां रह गई हैं, उनको भी मिटाने का हम जल्दी से जल्दी प्रयत्न करेंगे।

मैं इस सदन को और विशेष तौर से अपने ला मिनिस्टर साहब को इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत करके इस बिल को पास करवाया है और साथ ही साथ उनसे यह भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि उनमें तथा हम में यह शक्ति आनी चाहिये कि महिलाओं को जायदाद में समान अधिकार दिला सकें।

†**श्री टेक चन्द** : मैं श्री विज्ञानेश्वर की स्मृति में दो शब्द कहना चाहता हूं। हमने मिताक्षरा पद्धति को अपंग बना दिया है। हम सभी हिन्दू समाज के अंग हैं तथा हजारों वर्षों से चले आ रहे हैं। संयुक्त परिवार को हम समाप्त करने जा रहे हैं। यह संयुक्त परिवार पद्धति वह पद्धति है जिससे आश्रित व्यक्तियों का पालन-पोषण होता रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

महिलाओं को स्वतन्त्रता मिली है। मैं उन्हें बधाई देने को तत्पर नहीं हूं। परन्तु जब उन्हें अधिकार मिल गये हैं तब हमें यह अपेक्षा करनी चाहिये कि वह अपने अधिकारों का पालन बुद्धिमानी से करेंगी।

माननीय मंत्री को मैं बधाई देता हूं। क्योंकि उन्होंने इतने कठिन कार्य का निबटारा कुशलता से किया है। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी राय में इसमें कुछ गलतियां रही हैं। परन्तु मंत्री जी हम से सहमत नहीं है। मुझे आशा है कि भविष्य में हमारे उच्च न्यायालय इसकी कुछ परस्पर विरोधी धाराओं की व्याख्या करेंगे। सरकार को उस समय दोष दूर करने में सुस्ती से काम नहीं लेना चाहिये।

इस विधेयक के पारित होने में बड़ा जोश खरोश रहा है परन्तु फिर भी यह अधिनियम पारित हो गया। इस समय प्राधिकारी भूत तथा वर्तमान की तुलना करके बता सकते हैं कि भवष्य में क्या करना चाहिये। हम में कुछ आशावादी हैं तथा कुछ निराशावादी परन्तु हमें अधिनियम की प्रगति का विशेष ध्यान रखना चाहिये कि यह समाज के लिये हितकर ह अथवा नहीं तथा स्त्रियों के अधिकारों की इससे रक्षा होती है अथवा नहीं।

मैं इसके लिये महिलाओं को बधाई देता हूं।

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर) : कररुहकुलिशैर्द्विषतां चरणाम्बुजनखर कान्तिभिर्भजताम्। हृदयग्रन्थीन्भिन्दन् मनसि नृसिंहसमुल्लसनु।। मन में एक विशेष बोझ और वास्तविक खेद से मैं आज इस विधेयक का विरोध करता हूं। मैं इस सदन के माननीय सदस्यों स यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि व इस विधयक को हिन्दू जाति का दुर्भाग्य मानें या सौभाग्य, व इस को कुछ भी मान, किन्तु यह तथ्य ह कि उसके भाग्य में यह एक महान परिवर्तन है। ऐसी परिस्थिति में केवल हंसी और ठठौली में इस विषय को देखना उचित न होगा। मैं सब से पहले इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि मैं किसी पार्टी-बुद्धि या दल-बुद्धि से न इस का विरोध करता हूं और न स्वागत करता हूं। मैं केवल एक ही बात इस सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। पिछले पन्द्रह वर्ष से हर सम्भव उपाय से जिस हिन्दू कोड का विरोध जनता ने करोड़ों की संख्या में किया, जिसके प्रति विरोध प्रकट करन के लिये देश भर में सभाओं और प्रदर्शनों का आयोजन किया गया, कई संस्थाओं और सोसायटियों ने इस सम्बन्ध में मीटिंग्ज़ बुलाईं, उसको जनता के इस विरोध के बावजूद अनिच्छित रूप से उसके ऊपर लाद दिया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जनता के साथ महान् अन्याय है और मैं समझता हूं कि यह जानतंत्रिक प्रणाली का वध है।

जैसा कि मैंने धारा ४ के ऊपर अपना मन्तव्य प्रकट करते हुए भी निवेदन किया था, स्वतन्त्र भारत में सब से बड़ा दुर्भाग्य यह हुआ है कि हिन्दू धर्म-शास्त्रों के साथ हिन्दू जाति का सम्बन्ध तोड़ दिया गया है। चाहे हमारे मित्र श्री राधा रमण हम को संकुचित भाव का कहें अथवा उदार भाव का, किन्तु मैं केवल एक फैक्ट यहां पर प्रस्तुत करना चाहता हूं और वह फैक्ट यह है कि आज से आप की सम्पूर्ण परम्परा, आपके सब रिवाज और रीतियां और साथ ही वेदादि शास्त्र, जो अनादि काल से चले आ रहे हैं, मनु और याज्ञवल्क्य, सब के सब समाप्त हो गये। हमारे मित्र श्री गांधी ने एक स्थान पर आवाज दी थी कि पाटस्कर स्मृति का पटाक्षेप हुआ है। ये शब्द मेरे कान में उस समय पड़े थे, पर मैं उस ओर ध्यान नहीं दे सका। श्री पाटस्कर मुझे क्षमा करेंगे। व्यक्तिगत रूप से उनके ऊपर आक्षेप करने का मेरा कोई विचार नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब से इनके हाथ में यह बिल और इस का पूर्ववर्ती बिल आया है, इनको इस सम्बन्ध में बहुत परिश्रम करना पड़ा है। जिस समय राम दल में दो राक्षस फंस गये, तो श्री रघनाथ ने यह कह कर उनको छुड़ा दिया कि

[श्री नन्द लाल शर्मा]

(सदीनोराजसेवक:) वे तो दीन राजसेवक हैं। इसी प्रकार हमारे मित्र भी राजसेवक हैं और इसलिये उनके साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है। गवर्नमेंट बैंचिज़ पर बैठने के कारण उनको इस कर्त्तव्य का पालन करना पड़ा है। परन्तु दुर्भाग्य यह है कि यह कार्य यदि सफल हो गया तो उसमें सब का हिस्सा बराबर हो जायगा, लेकिन अगर वह बिगड़ गया, तो जो सामने होगा, वह मारा जायगा।

....कार्यसिद्धौ समंफलम्।
यदि कार्य विपत्तिस्स्यान्मुखरस्तत्र हन्यते ।।

यह कहा जायगा कि तुम्हारे ही कारण राष्ट्र और जाति पर इतना भारी उत्पात आया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात के पक्ष में कोई कारण उपस्थित नहीं था––कोई कह नहीं सकता कि मिताक्षरा पद्धति वास्तव में हानिकर थी। मैंने पिछली बार भी कहा था और आज फिर कहता हूं कि मिताक्षरा पद्धति की शरण कुची मैमनों, मुसलमानों और खोजा बोहरा और पंजाब के टिवाना मुसलमानों ने भी ली है। जिस मिताक्षरा पद्धति के द्वारा कुलगत सम्पत्ति को निरन्तर हजारों वर्षों तक हम आगे ले जा सकते थे, उसको हमने अपने हाथ से खो दिया है। स्वतन्त्रता प्राप्त करने के पश्चात् हमको पूर्वजों के द्वारा प्रदत्त उत्तराधिकार की रक्षा करनी चाहिये थी, किन्तु हमने ऐसा नहीं किया। जो काम शत्रु हमारे लिये नहीं कर सकते थे, वह हमने स्वयं कर दिया है। हमने अंग्रेज की कूटनीति को सफल कर दिया है। हमारा पड़ोसी देश अपने घर में इस्लामिक स्टेट कायम करता है और उसके कानून कुरान और हदीस के विरुद्ध नहीं हो सकते, लेकिन हम अभागे नास्तिकों के प्रभाव में आ कर अपने पूर्वजों के विधि-विधान को, कानून को, बिल्कुल मन्सूख कर रहे हैं। कोर्ट्स जो कुछ भी डिस्कस करेंगे, जो भी निर्णय करेंगे, वे इस एक्ट के आधार पर करेग, मनु और याज्ञवल्क्य का कोई स्थान नहीं रहेगा। मैं समझता हूं कि आज हमारे कम्यूनिस्ट बन्धुओं को अत्यन्त प्रसन्नता होगी। उनका तो उद्देश्य और नियम ही यही है कि जब तक किसी राष्ट्र की वास्तविक संस्कृति को नहीं उड़ाया जायगा, जब तक किसी समाज के शाश्वत नियमों को बिल्कुल नहीं मिटाया जायगा, तब तक वहां कम्यूनिज्म पनप नहीं सकता है। मैं सारे के सारे कांग्रेसी बन्धुओं को इस विषय में दोष नहीं देता हूं। मैं जानता हूं कि आज उनमें श्री भार्गव, श्री टण्डन और श्री टेकचन्द जैसे बन्धु भी हैं, जिनको कष्ट होता है और जिन्होंने स्थान-स्थान पर इसका विरोध किया है, पर अन्ततोगत्वा वे अपने दल के अनुशासन के कारण विरोध नहीं कर सके। फिर भी उनका मन सोलह आने इसमें नहीं है।

यह बात भी बड़ी विचित्र है कि अभी यह विधेयक पास हुआ नहीं है, अभी देवियों को अधिकार आप दे नहीं सके हैं, पर आज ही इसमें संशोधन का आमन्त्रण आ गया है। यह कितने दुर्भाग्य की बात है कि अभी कानून पास हुआ नहीं, थर्ड रीडिंग अभी समाप्त नहीं हुआ कि यह विश्वास हो गया है कि इसमें संशोधन किये बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि लाखों वर्षों से हिन्दू लॉ चलता आ रहा है, पर कभी उसके संशोधन की मांग नहीं हुई। आप उन लोगों के प्रभाव में आ गये––और अपना पथ भूल गये––जिनकी सभ्यता केवल पांच हजार वर्ष पहले पैदा हुई, जब कि मेरी सभ्यता––मेरा राम-राज्य कम से कम आठ नौ लाख वर्ष पुराना है। आपको तो खाली मैक्समूलर ने पढ़ाया है मगर मुझे उनके गुरुओं ने पढ़ाया है जिनसे कि मैक्समूलर ने पढ़ा था। आपको यदि जीवित रहना है तो आप यह बात मत कहिये कि १९५६ में क्या हुआ और बीसवीं सदी में क्या हुआ। मैं कहता हूं कि न तो सूर्य बदल गया, न पृथ्वी बदल गयी और न मुंह से रोटी खाना ही बन्द हो गया, उसी तरह मेरा कहना है कि जिस कार्य का लाभ अभी तक आप को प्रतीत नहीं हुआ उसका आगे चल कर क्या लाभ पहुंचने वाला है बल्कि मैं तो समझता हूं कि उस क्रम को बदल करके अपने सर्वनाश को आमंत्रित करना है। आज परिस्थिति यह है कि यहां विरोधी पक्ष में बैठने वालों का कोई बल नहीं है और यदि सारे के सारे विरोधी पक्ष वाले एक मत हो भी

जायें तब भी कांग्रेस के भारी बहुमत के आगे हम खड़े नहीं रह सकते और वह अपनी मनचाही करवा लेंगे, यह ठीक है, परन्तु न्याय का अर्थ यह नहीं है, सत्य का अर्थ यह नहीं है और हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो धर्म और सत्य को तिरस्कृत करता है और जो अपने बल अथवा किसी के बाहुबल पर, जनबल पर, अथवा साम्राज्य बल पर सत्य असत्य की पर्वाह नहीं करता और अन्याय का मार्ग पकड़ता है तो यह बात निश्चित समझिये कि उस का पतन होता है। इसका स्पष्ट उदाहरण हमको महाभारत काल की राजनीति में मिलता है जब कि पाण्डवों ने श्री कृष्ण महाराज की सलाह मान कर सिर्फ पांच गांव की ही मांग कौरवों से की थी और उसको दुर्योधन ने अज्ञानवश ठुकरा दिया था और जिस का कि दुष्परिणाम कौरवों को अन्त में भुगतना पड़ा। हमने भी इस विधेयक के सम्बन्ध में निवेदन किया था कि भले ही आप जितना खराब से खराब बिल बनाना चाहते हैं, बना लें, लेकिन हिन्दू धर्मशास्त्रों से हिन्दू जाति का जो अटूट सम्बन्ध चला आ रहा है उसको आप न तोड़ें और कभी न कभी तो अपनी भूल अनुभव कर हिन्दू जाति अपने घर पुनः लौट आयेगी लेकिन हमारी विनती को स्वीकार नहीं किया गया। मेरे बहुत से मित्रगण जिस मिट्टी और पत्थर की बनी दीवारों के घर को घर समझते हैं, मैं उस घर को घर नहीं मानता और वह घर नहीं रह गया अगर आप की उसमें संस्कृति नहीं रही और आप का उसमें तत्व नहीं रहा और यदि आप का स्वरूप ही कायम नहीं रहा तो मेरी राय में वह "शवराज्य" हो सकता है, "स्वराज्य" नहीं हो सकता अगर उसमें स्वत्व न रहे।

महाभारत का दृष्टान्त मैं आप को देने लगा था। दुर्योधन ने अहंकारवश पाण्डवों और श्रीकृष्ण की बात नहीं मानी और पांच गांव देने से भी इन्कार कर दिया और उसने यह कहा था :

"सूच्यग्रं नैव दास्यामिबिना युद्धेन केशव ।।"

अर्थात् युद्ध के बिना मैं पाण्डवों को सूई की नोक बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। उसका श्रीकृष्ण महाराज ने इस प्रकार उत्तर दिया था :

"एकाकी पादचारणे नो चेद्यास्यसि कौरव ।
मान्वाद्यो धर्मवक्तारस्तदास्युर्मद्यपायिनः ।।"

भगवान श्रीकृष्ण ने कहा कि आज जो तू मेरी धर्मानुसार बात को नहीं सुन रहा है तो अगर मैंने तुझको अकेले नंगे पैर भागते नहीं देखा तो मैं समझूंगा कि मनु आदि धर्म शास्त्रकारों ने मदिरा पी कर धर्मशास्त्र लिखे होंगे। मैं आप से निवेदन करता हूं कि यदि आप देवियों को वास्तव में कुछ अधिकार देना चाहते हैं तो मैं उसका विरोधी नहीं बशर्ते कि वह शास्त्र विरुद्ध न हो, मैं भी किसी देवी के पेट से पैदा हुआ हूं, मेरे भी घर में किसी देवी ने जन्म लिया होगा, मैं भी किसी देवी का भाई हूंगा और कोई स्त्री भी होगी, इसलिये आपको इस ढंग से विचार नहीं करना चाहिये कि हम देवियों को कोई अधिकार नहीं देना चाहते। मुझे इस बात का खेद है कि हम लोगों को तंगदिल और संकुचित विचार वाला कह कर देवियों का विरोधी कहा जाता है जब कि हम जगदम्बा के सब से बड़े उपासक हैं परन्तु हमारा विरोध इस विधेयक के सम्बन्ध में इसलिये है क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपने उन देवियों के लिये सर्वनाश के बीज बो दिये हैं, उनकी उन्नति के बीज नहीं बोये हैं। अगर सचमुच आपने उनको किसी प्रकार से और कोई डिवाइस जो भी इंटेस्टेट सक्सेशन में उसको जो स्वाभाविक हिस्सा प्राप्त होने वाला था वह दे दिया होता तो मैं कहता कि स्पष्ट रूप से आप सत्यवादी हैं और जो प्रतिज्ञा आपने की थी, उसको आपने निभाया परन्तु आपने उसमें संशोधन को स्वीकार करके देवियों के अधिकार को काफी कम कर दिया और हम देख रहे हैं कि उसके द्वारा देवियों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है।

[श्री नन्द लाल शर्मा]

जहां तक आपकी यह युनिफार्मिटी लाने की बात है उसके बारे में मेरा निवेदन है कि जिस देश में जो धर्म जो आचार परम्परा से चला आया है शासक को उसका वैसा ही पालन करना चाहिये और हमारे यहां कहा गया है :

देशधर्मन्जाति धर्मानुकूलधर्माश्वशाश्वतान्,
यास्मिन्देशेय आचारः पारम्पर्यक्रमागतः ।
तथैवपारिपात्यो ऽसौयथासवशमागतः ।।

जिस प्रकार का प्रजा का नियम हो शासक को उस नियम का वैसा ही पालन करना चाहिये और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये । अंग्रेजों ने यह चीज सन् १८५७ के बाद समझी । मैं कहता हूं ईश्वर न करे कि १९५७ आपको देखना पड़े क्योंकि मैं बाहर सुनता हूं कि १९५६ ए० और १९५६ बी० इस तरह की शब्दावली है और १९५७ आप कहना नहीं चाहते । आप जनता की हार्दिक भावनाओं पर यह केवल सेंटिमेंटेलिज्म है, ऐसा कह कर आघात कर रहे हैं और यह चींज निश्चित समझिये कि उनके ऊपर धक्का मारना अपने को धक्का मारना है और मेरा यह विश्वास है :

'यास्यतिजलधरसमयः तवचसमृद्धिर्लघीयसी भविता ।
तटिनितट द्रुमपातनमातकमेकं चिरस्थायी ।।

हमने आप को ऐसी पदवी पर बिठाया है, मैंने व्यक्तिगत रूप से भले ही न बैठाया हो परन्तु मैं उस दल में कभी नहीं था जो दल आपको गिराने वालों में था, मैं अपनी बात कह रहा हूं, और इसीलिये मैं यह शब्द कहता हूं कि हिन्दू जाति ने, गंगा, यमुना में स्नान करने वाली और चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण के अवसरों पर तीर्थों पर जाने वाली हिन्दू जाति ने, जिसको कि आप मूढ़ाग्रही कहते हैं, उस हिन्दू जाति के लोगों ने आपको इस उच्च पद पर आसीन किया है, उसी तटवर्ती पेड़ को आप आज उखाड़ने बैठे हैं । याद रहे कि यह वर्षा के दिन तो बीत ही जायेंगे परन्तु अपने तटवर्ती पेड़ को उखाड़ने का कलंक सदा के लिये आपके मत्थे पर लग जायगा । मेरा इतना ही निवेदन है कि आप समझ बूझ कर आगे बढ़ें और हिन्दू जाति का विच्छेदन न करें और शास्त्र विरोधी कार्य न करें, इसको छोड़ कर आप चाहे कुछ भी करें, स्याह सफेद कुछ भी करें, मैं अपनी ओर से आप को ब्लैंक चैक दे दूंगा कि आप जो चाहें परिवर्तन कर लीजिये । इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का विरोध करता हूं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक के पास होने से हम औरतों को समान सामाजिक अधिकार देने क संघर्ष की एक और मंजिल तय कर लेंगे । यह संघर्ष राव समिति की सिफारिशों के साथ प्रारम्भ हुआ था । आज इस बिल के पास होने-में मुझे जो खुशी हो रही मैं उसे छिपाना नहीं चाहती हूं । यह ठीक दिशा में ठीक कदम है । जो लोग यह कहते हैं कि इससे हमारी पुरानी संस्कृति समाप्त हो जायेगी आज हमने निश्चय ही उन लोगों पर विजय पाई है ।

मुझे इस बात में दिलचस्पी रही जब खण्ड २ पर विवाद के समय श्री देशपांडे जी ने यह सुझाव रखा है कि ब्रह्म समाजी लोग भी हिन्दुओं में सम्मिलित किये जायें । वास्तव में मेरे पितामह जब ब्रह्म समाजी बने तो हमें लोगों ने धर्मच्युत समझकर बिल्कुल अलग कर दिया था ।

मैं उन लोगों की भावनाओं की प्रशंसा करती हूं जिन्होंने आज यह अनुभव किया है कि स्त्रियों का भी सम्पत्ति में अधिकार होना चाहिये । हमें इस भार को सम्भालने में कुछ समय भी लगेगा । किन्तु यदि मन्त्रिमण्डल इसे इस रूप में न रख कर राव समिति के सुझावों के अनुसार ही रहने देता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती । आखिर, हम सब जानते ही ह कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम तथा

---

†मूल अंग्रेजी में ।

विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के समय भी कितना विरोध हुआ था। किन्तु वे बिल भी पास हो गये इसी प्रकार यह बिल भी वैसे ही पास हो सकता था।

आज हमने पुत्रियों को सम्पत्ति में बराबर अधिकार देने तथा इस अधिकार के अन्नय होने को सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है। किन्तु अभी जब यह बवंडर शांत हो ज़ायेगा और पिता तथा भाई यह समझने लगेंगे कि उनकी पुत्रियां अथवा बहिनें उनके परिवार में तबाही नहीं लाने वाली हैं तब हमें और आगे **संघर्ष** करना होगा।

सम्पत्ति में अधिकार मात्र मिल जाने से ही स्त्रियों का उद्धार नहीं होने वाला है। स्त्रियों को समान कार्य के लिये समान वेतन भी मिलना चाहिये। नौकरियों में उनके साथ किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं किया जाना चाहिये। उत्तराधिकार बिल तो इस सब कार्यक्रम का एक भाग मात्र है। हमें अभी समाज को और उनको और जगाने का काम करना है ताकि वे अपनी बेड़ियों को अपना आभूषण न समझने लगें।

अन्त में मैं दायभाग पद्धति के समर्थकों को धन्यवाद देती हूं। उनमें से प्रत्येक ने पुरजोर और स्पष्ट शब्दों में पुत्री को समान अधिकार देने का समर्थन किया है। मेरा विचार है कि शीघ्र ही हमारे समूचे देश के लिये एक रूप संहिता बनने जा रही है।

श्री टंडन (ज़िला इलाहाबाद--पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के सम्बन्ध में पहले भी मैंने अपने कुछ विचार निवेदन किये हैं। अब इसके ऊपर अन्तिम बात होनी है। जिस रूप में यह अब स्वीकार हुआ है मुझे वह ठीक नहीं लगता। मैं न श्री पाटस्कर जी को बधाई दे सकता हूं और न उनका साथ दे सकता हूं। जिस रूप में यह बिल है उसका विरोध करता हूं। मुझको यह काम बहुत अशुद्ध लगता है। अशुद्ध बात कहीं से आये, किसी अपने सहयोगी की ओर से आये, अपने दल की ओर से आये, तो भी वह स्वीकार्य नहीं हो सकती। मैंने पहले भी अपने भाइयों से कहा था कि कुछ स्वतन्त्र रूप से इस विधेयक पर विचार करने की आवश्यकता है।

कुछ बहनों, जैसे हमारी बहन श्रीमती रेणु चक्रवर्ती जी, ने इसके सम्बन्ध में कहा है कि यह आगे बढ़ने की, उन्नति की, एक सीढ़ी है। मैं नहीं जानता कि कैसे यह उन्नति की सीढ़ी उनको दिखलाई पड़ी। हमारी देवियां, चर्चा करती हैं, औरतों और पुरुषों की बराबरी की। उनको यह अच्छा लगा कि इसमें कोई बराबरी की निशानी आई। क्या बराबरी की निशानी आई ? उन्होंने नहीं देखा कि हमारे समाज में बराबरी की निशानी इसके पहले क्या थी, स्त्रियों को क्या-क्या अधिकार हैं, जिस बराबरी के अधिकार की उन्होंने पश्चिम से कुछ चर्चा सीखी उसमें जनमत में वोट देने का अधिकार है। उस अधिकार के लिये पश्चिम में स्त्रियों को कितना लड़ना पड़ा है ? और आज भी मुझको सन्देह है कि किसी-किसी देश में यह अधिकार नहीं है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : स्विटजरलैंड में भी नहीं है।

श्री टंडन : क्या किसी ने भी उसका विरोध यहां पर किया ? जब हमारे देश में उसकी पहले पहल चर्चा हुई, किसी के कान पर जूं नहीं रेंगी, सब पुरुषों ने उसको एक स्वर से स्वीकार किया। पुरुष और स्त्री के अन्तर की जितनी चेतना उनमें है, हर हमय एक-एक बात में यह कहना कि यह पुरुष और यह स्त्री, बराबर-बराबर हैं, यह चेतना हमारे यहां नहीं रही है परन्तु हमारे यहां स्त्रियों का सम्मान बहुत ऊंचे स्तर पर आधारित रहा है।

उन्होंने कहा कि मैं भी अपने देश की जो प्राचीन मर्यादा है, जो प्राचीन क्रम है, उसको मानने वाली हूं। परन्तु इस विषय में इस बात को स्वीकार करते हुए भी उन्होंने यह बड़ी आवश्यक बात मानी कि लड़की को मृत पिता की जायदाद में अधिकार हो। इसको उन्होंने एक आगे की सीढ़ी बतलाई। क्या यह उससे ऊंची सीढ़ी नहीं है कि हमने अपनी स्त्रयों का अधिकार अपने तंत्र में माना ? क्या कभी

[श्री टंडन]

आपने देखा कि हमारे यहां उनको तंत्र में क्या अधिकार हैं ? वे कितने ऊंचे से ऊंचे पद लेती हैं, कितने प्रेम के साथ हम उनको बराबरी में रखते हैं ? लड़कियों का जो प्रश्न है, उसके सम्बन्ध में लड़की को पिता की जायदाद में क्या मिलता है, इसकी कुंजी या कसौटी बता देना इस बात की कि स्त्रियों का क्या आदर है, क्या अनादर है, यह मुझ को उचित नहीं लगता ।

यह एक छोटी सी बात थी । उसका जो विरोध हुआ उसमें कोई आदर और अनादर का प्रश्न नहीं, फिर आपने उस में जीता क्या ? विधवा पत्नी भी तो स्त्री थी । उसकी जायदाद में से छीन कर एक हिस्सा लड़की को दिया । विधवा पत्नी को सब से अधिक रक्षा की आवश्यकता होती है । पति के मरने के पश्चात् पहली आवश्यकता होती है विधवा पत्नी की । आज हिन्दुओं में सब बिरादरियों के कुटुम्बों में यह क्रम है जो विधवा होती है उसके चरणों पर कुछ भेंट रखी जाती है । इसीलिये कि सब को उसकी रक्षा का ध्यान रहता है । उसके चरणों में आकर हिन्दू मात्र के यहां यह प्रथा है कि कुछ भेंट किया जाय । उद्देश्य इसका यही होता है कि विधवा के पास कुछ धन इकट्ठा हो जाय तो पति की जायदाद में जितना उसका अंश था वह रखने योग्य था, बल्कि और बढ़ाने के योग्य था । मैंने पहले भी निवेदन किया था कि आप उसको अधिकार दीजिये, रक्षा की आवश्यकता लड़की को नहीं है, स्त्रियों में से अधिक आवश्यकता विधवा को होती है । मैं पूछता हूं कि आपने उस विधवा की क्या रक्षा की ? विधवा को जितना भाग अपने पति की सम्पत्ति में मिलना था उसको भी आपने घटा दिया । वह बहुत घट गया, फिर उसमें से कुछ आपने लड़की को दे दिया ।

मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो विरोध और भय है वह इस बारे में है कि इस प्रकार से कुटुम्ब की विशृंखलता होगी । एक कुटुम्ब का अधिकार दूसरे कुटुम्ब में आकर पड़ता है । लड़कियां प्यार की वस्तु हैं । परन्तु साथ ही साथ यह भी है कि जब उनकी शादी हो जाती है तो कभी-कभी दो-दो तीन-तीन और चार-चार वर्ष तक भेंट नहीं होती है, अपने माइके नहीं आ सकती हैं, यह एक साधारण सी बात है । शादी हो जाने के बाद वे उस कुटुम्ब का अंग नहीं रह जाती हैं ।

मैंने पहले भी कहा था कि इस विधि का परिणाम यह होगा गांव-गांव में तथा छोटी से छोटी ज़मीन के लिये झगड़े बढ़ेंगे और जिन कुटुम्ब में व्यापार चलता है उन कुटुम्बों में भी कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी । इन सब बातों को देख कर मेरे ऊपर यह असर होता है कि इससे स्त्रियों का जो मान होता है न तो उसमें वृद्धि होती है और न जो उनके अधिकार हैं उनमें ही कोई वृद्धि होती है और न ही उनकी आत्म निर्भरता की चेतना में कोई अन्तर पड़ता है । जो आपने माता को ऊंचा दर्जा दे दिया है, इसका मैं स्वागत करता हूं और यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी है । परन्तु विधवा स्त्री के अधिकारों में जो कमी हुई, या इसमें स्त्रियों को कोई जीत प्राप्त हुई है, इसको मैं नहीं मानता हूं । केवल इसलिये कि इस विधेयक में लड़की का नाम आ गया है इसलिये हमें प्रसन्नता होनी चाहिये, इसको मैं नहीं मानता हूं । लड़की को देना लेना आज भी होता है और आगे भी होता रहेगा । परन्तु दूसरे कुटुम्ब का हस्तक्षेप जहां पर कि लड़की की शादी हुई होती है यह मुझे अच्छा नहीं लगता । इस वास्ते मैं इस बिल का स्वागत नहीं करता हूं । जैसा मैंने पहले कहा, मुझ पर इसका कोई अच्छा असर नहीं हुआ है । मैं नहीं समझता कि श्री पाटस्कर जी ने हमारे समाज के लिये कोई बहुत अच्छा काम किया है और इस वास्ते मैं मंत्री महोदय को तनिक भी बधाई नहीं देता हूं । इसके विपरीत मेरी यह निश्चित धारणा है कि उन्होंने एक ऐसा काम किया है जिससे हमारे समाज को हानि होने वाली है, समाज की अवनति होने वाली है । इस कारण मैं इस बिल का निश्चित रीति पर तथा बलपूर्वक विरोध करता हूं ।

†**श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन्** (डिंडीगल) : मैं विधि कार्य मंत्री के धैर्य और परिश्रम के लिये उनको बधाई देती हूं । मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि यह विधेयक पारित हो रहा है । किन्तु मेरे विचार से यही

†मूल अंग्रेजी में ।

पर्याप्त नहीं है। कुछ सदस्यों ने यह कहा है कि इसमें स्त्रियों को अधिक नहीं दिया जा रहा है और साथ ही वह स्त्रियों को सम्पत्ति का समान अधिकार नहीं देना चाहते हैं। यह दोनों परस्पर विरोधी बातें कैसे मेल रखती हैं ?

श्री टेक चन्द जी ने यह कहा है कि इस बिल के अनुसार स्त्रियों को पहले अर्थात् पुराने हिन्दू सामाजिक नियमों से भी कम मिल रहा है। मैं उनसे इस बात पर सहमत नहीं हूं। कुछ परिवारों को छोड़ कर स्त्री के साथ सामान्यता बहुत बुरा बर्ताव होता रहता है। अब इस विधेयक से उन्हें यह अनुभव होगा कि उनका भी समाज में समान अधिकार है। पिता की अपेक्षा माता अपने बच्चों की भलाई के लिये अधिक चिन्तित रहती है। लड़कियां अपने लिये सम्पत्ति नहीं चाहती हैं। वह इसे अपन बच्चों की भलाई पर ही लगायेंगी। उसे पिता की सम्पत्ति में अवश्य अधिकार मिलना चाहिये।

मैं श्री ठाकुर दास भार्गव जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि जैसे ही कोई स्त्री विवाहित हो जाती है उसी समय उसे अपने श्वसुर की सम्पत्ति का कुछ भाग मिल जाना चाहिये। लड़की को केवल पिता की सम्पत्ति में ही अधिकार मिलना चाहिये। किन्तु बाद में अथवा यदि जब कभी वह दुर्भाग्य से विधवा बन जाये तभी उसे श्वसुर की सम्पत्ति मिलनी चाहिये। हमारे समाज में अभी इस बात की आशा करना एक बड़ी भारी बात है।

यदि हम सब मिल कर समाज की भलाई के लिये आगे बढ़ेंगे तो इस विधेयक से मुकद्दमेबाज़ी नहीं बढ़ सकती है। यह भय सर्वथा वृथा है। हमें भाई बहिन और माता-पिता के प्रेम के दृष्टिकोण से इस प्रश्न पर विचार करना चाहिये। हमारे समाज में सदा प्रेम और श्रद्धा बनी रहेगी। इससे कभी मुकद्दमेबाज़ी बढ़ने की नौबत नहीं आयेगी।

श्रीमती सुभद्रा जोशी (करनाल) : मैं भी अपने कुछ दूसरे आनरेबल मैम्बर्स (माननीय सदस्यों) के साथ अपना यह फर्ज समझती हूं कि लॉ मिनिस्टर साहब (मंत्री महोदय) को इस बात के लिये बधाई दूं कि आखिरकार उन्होंने एक बहुत ही मुनासिब कदम उठाया और इस बिल को पास करवाया। हमारे कुछ आनरेबल मैम्बर्स ने कहा कि इस बिल का क्या बना दिया, बन्दर बना दिया है। मैं समझती हूं कि उनके हाउस (सभा) में होते हुए शायद इससे बेहतर चीज नहीं बन सकती थी। मुझे उम्मीद है कि अगली दफा जब हमारे लॉ मिनिस्टर (विधि मंत्री) साहब या दूसरे मैम्बर्स (सदस्य) साहिबान कोशिश करेंगे तो इससे और भी बेहतर चीज बनाने में सफल हो सकेंगे।

मुझे इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि इस बिल पर बहस के दौरान में कुछ मेम्बर साहिबान की तरफ से हमारी बहिनों के बारे में, भारतीय स्त्रियों के बारे में और खास तौर पर उन बहनों के बारे में जो इस बिल को सपोर्ट (समर्थन) कर रही थीं, बहुत ना-मुनासिब (अनुचित) बातें कही गईं। अगर इस बात की कोशिश की जायगी कि पश्चिम का नाम लेकर हमारे दिल में खौफ पैदा किया जाये या हमें डराया जाय या हमें धोखा दिया जाय या एक अच्छी बात को भी नामुनासिब होने का हमें यकीन (विश्वास) करवाया जाय, तो इसे मैं मुनासिब नहीं समझती हूं। मुझ को इस बात का भी बहुत रंज हुआ और मैं चाहती थी कि इस बिल पर डिबेट (वाद-विवाद) खत्म होने से पहले मैं उस रंज का इजहार कर दूं। आदरणीय टंडन जी ने तितलयां वगैरा तथा कनाट प्लेस के बारे में कुछ ऐसी बातें कही हैं जिनको सुन कर मेरे दिल को सख्त चोट पहुंची है। दूसरे तीसरे दिन जब उन्होंने उसका जवाब दिया तो उस वक्त उन्होंने बात को और भी खराब कर दिया। उन्होने कहा कि हमारी बहनें कनाट प्लेस में भोग विलास का ज्यादा ध्यान रखती हैं तथा दूसरी चीजों का कम। मैं नहीं समझती कि यह बात कोई बहुत अच्छी बात थी जो उन्होंने बहनों के बारे में कही। इस बात को सुनकर मुझे रंज हुआ। मुझे इस बात का यकीन है कि मारेल्स (नैतिकता) का या अच्छी तरह से रहने का कपड़ों से बहुत ज्यादा सम्बन्ध नहीं है और शायद बहुत कम ही सम्बन्ध है।

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूं, जो बहुत सीधे-सादे ढंग से रहते हैं, बड़ी अच्छी मूर्ति दिखाई देते हैं पर अच्छे वस्त्रों के पीछे भीषण कार्य करते हैं। इसके मुकाबले में मैं ऐसे कई भाई और बहिनों को जानती हूं, जो कि बहुत फैशनेबल समझी जाती हैं, लिपस्टिक लगाती हैं, लेकिन वे बड़ी सीधी, शरीफ और मुनासिब हैं। मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि कपड़ों या कहीं घूमने से इस विषय का बहुत कम सम्बन्ध है। अगर कोई व्यक्ति अपनी स्थिति का फायदा उठा कर इस प्रकार की बात कहे, तो वह मुनासिब नहीं है। जो इस बिल को स्पोर्ट (समर्थन) करते हैं, अगर उनके लिये कोई नामुनासिब बात कही जाय, जिससे उनके बारे में किसी प्रकार का सन्देह उत्पन्न हो, मुझे यह अच्छा नहीं मालूम होता है। मैं अपने ला मिनिस्टर साहब को यह यकीन दिलाना चाहती हूं कि हम को इस बात का गर्व है कि हम इस बिल के साथ पाटस्कर साहब का नाम जोड़ना चाहते हैं। हमें इस बात का अहसास है कि इस बिल में वे तमाम बातें नहीं हैं, जो कि होनी चाहिये थीं, लेकिन फिर भी वह एक मुनासिब और प्राग्रसिव (प्रगतिशील) रास्ते पर एक कदम है, जिससे लड़की को अपने बाप की सम्पत्ति में अधिकार मिल रहा है। इस बात की हम को बहुत खुशी है। यह एक बहुत बड़ा कदम है। मैं यकीन दिलाना चाहती हूं कि हिन्दुस्तान की भावी सन्तान——चाहे वे लड़के हों या लड़की——पाटस्कर साहब का नाम बड़े आदर के साथ लेगी। मुझे पूरा यकीन है कि उन भाई-बहिनों के घरों में, जो स्त्रियों की उन्नति के लिये या दूसरे गिरे हुओं की उन्नति के लिये काम करेंगे, पाटस्कर साहब की मूर्ति रहा करेगी। वह मूर्ति——वह तस्वीर——कोई ऐसी वैसी नहीं होगी। वह तस्वीर कंस का संहार करते हुए कृष्ण की तस्वीर की तरह होगी, क्योंकि उन्होंने एक तरह से पुरानी मूर्तियों——पुराने अन्ध-विश्वासों——का संहार करने की कोशिश की है। इस बात का हम सब को बहुत गर्व है। मैं उनको यकीन दिलाना चाहती हूं कि बावजूद तने विरोध के जिस सब्र के साथ और जिस मेहनत के साथ उन्होंने यह बिल आगे बढ़ाया है, यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है, वह सचमुच उनके और हमारे दोनों के लिये मुबारकबाद का मौका है।

इस बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं। कहा गया है कि इस बिल से समाज का नुकसान होगा और आज तक हिन्दू लॉ में तब्दीली करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारे एक आनरेबल मेम्बर ने कहा कि आज तक उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है, कोई बात नहीं बदली गई है। इस बारे में मैं सिर्फ यह कहना चाहती हूं कि केवल मर्ख ही अपना इरादा नहीं बदलते हैं। अगर आज हम को अपने समाज में कोई कमी नजर आई है, तो आज हम ने उसको बदलने की कोशिश की है। अगर कल कोई और कमी नज़र आई तो कल कोई और तब्दीली (परिवर्तन) की जायेगी। अगर कोई कमी परसों नजर आई, तो परसों फिर मुनासिब तब्दीली करने की कोशिश की जायेगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा समाज और हमारा देश रोज़-रोज़ एक-एक कदम उठा कर तरक्की करें और स्त्रियां भी जो कि हमारे समाज का एक अंग हैं, बराबर तरक्की करें।

आखिर में मैं एक बार फिर लां मिनिस्टर साहब को बधाई देती हूं और उनको यकीन दिलाती हूं कि हिन्दुस्तान की भावी सन्तान हमेशा उनकी कृतज्ञ रहेगी।

†**श्रीमती सुषमा सेन :** मैं विधि मंत्री को इस सभा में यह बिल लाने के लिये बधाई देती हूं। पुराना हिन्दू कानून केवल एकतरफ़ा क़ानून था। यह सभा बड़ी कठिनाई से आज इस बिल को यहां तक पहुंचा सकी है। यद्यपि इस विधेयक में कई त्रुटियां रह गई हैं फिर भी मैं समझती हूं यह हमारी प्रगति का द्योतक है।

स्वतन्त्र भारत में हमें उदीयमान संततियों का प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिये। हमें लड़कियों को भी उनके पूर्वजों की सम्पत्ति में भागी बनाकर उनका उत्साह बढ़ाना चाहिये। वैसे भी आज के समाज

†मूल अंग्रेजी में।

के रवैये को देखते हुए मैं कह सकती हूं कि अब अधिक सम्पत्ति शेष नहीं बचेगी। फिर भी मैं समझती हूं कि यह ठीक दिशा में एक ठीक क़दम है और इसके लिये मैं विधी मंत्री को एक बार फिर धन्यवाद देती हूं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : कई बरस हुए, इस हाउस (सभा) में हिन्दू कोड बिल आया था और उस मौके (समय) पर मैं ने एक तजवीज (सुझाव) पेश की, जिसको मैं आज तक पेश करता रहा हूं। हाउस (सभा) को यह मालूम होना चाहिये कि कुछ आदमियों को री-एक्शनरी (प्रतिक्रियावादी) कहने से और कुछ लड़कियों को बहुत आगे चलने वाली कहने से हम किसी सवाल को हल नहीं कर सकते हैं। हम इस बात की कोशिश करते रहे हैं कि जो मामला हमारी बहिनों और बेटियों से ताल्लुक (सम्बन्ध) रखता है और इस लिहाज से वह उनके भाइयों और बापों से भी ताल्लुक रखता है—यानी उसका ताल्लुक सब लोगों से है—उसमें किसी झगड़े की नौबत न आये। हमारा देश बहुत बड़ा है और वह किसी एक कानून के मातहत नहीं रहा है। जैसा कि अभी हमारी बहिन श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन् ने कहा, साऊथ (दक्षिण) में एलिया संतानम् और मरुमकतायम का सिस्टम (पद्धति) रहा है, जहां लड़की को लड़के के मुकाबले में ज्यादा हकूक (अधिकार) हासिल रहे हैं। वहां पर कई एक बिरादरियां ऐसी भी हैं, जिनमें लड़की अपने खाविन्द (पति) को ब्याह कर अपने घर में ले जाती हैं। नार्थ (उत्तर) में एगनैटिक थ्योरी फैली हुई (पितृबान्धव्य का सिद्धांत) है। पंजाब में एक ऐसी कस्टम (प्रथा) इवाल्व (बन) हो गई थी, जो कि एगनेटिक थ्योरी पर बेस्ड (आधारित) थी। इस हालत में अगर श्रीमती स्वामीनाथन् मेरी मैन्टेलिटी (आशय) को न समझ सकें जब मैं यह कहूं कि विवाहिता लड़की को हिस्सा न मिले, तो उनका कोई कसूर नहीं है, बल्कि उस सिस्टम (पद्धति) का कसूर है, जो कि नार्थ (उत्तर) में मौजूद है। दुनिया का—यूरोप का—कोई भी मुल्क बताया जाय, जिसमें औरतों को इस तरह के हकूक (अधिकार) शुरू से हों, जिस तरह से आज हमारे देश में हैं। यह कह देना बड़ा आसान है कि हम री-एक्शनरी हैं, हम आगे नहीं चले और यहां की औरतें बड़ी तकलीफ में हैं और उनको कोई हक़ हासिल नहीं है। इगलैंड में १८८३ में ही मैरिड विमैन्ज़ प्रापर्टी एक्ट पास हुआ था। मुझे अभी तक याद है कि स्विट्ज़रलैंड में मेरी मौजूदगी (उपस्थिति) में वहां के स्पीकर साहब ने अपनी लड़की के सामने गुफ्तगू (बातचीत) के दौरान में कहा कि हम औरतों को वोट (मतदान) का अधिकार नहीं देना चाहते हैं। हर देश की अपनी-अपनी प्रथा होती है। जिस वक्त हमने अपना कांस्टीच्यूशन (संविधान) बनाया, हमने औरतों और मरदों के हकूक को बराबर मान लिया। जैसा कि अभी श्री टंडन जी ने फरमाया, वोट के बारे में कोई झगड़ा नहीं हुआ और औरतों और मरदों को बराबर वोट का अधिकार दिया गया। उसके बाद कांस्टीच्यूशन में औरत और मरद के दरमियान किसी किस्म की तमीज (भेद) नहीं की गई, बल्कि उसमें एक सैक्शन (धारा) रखा गया कि यकसां (समान) काम की उजरत (वेतन) औरत और मरद (स्त्री और पुरुष) को यकसां मिलेगी और इसके अलावा उसमें यह कहा गया (जिसकी चर्चा यहां पर हर रोज़ होती है) कि सैक्स (लिंग भेद) की बिना (आधार) पर कोई तमीज़ (भेद) नहीं की जायेगी। उस उसूल (नियम) से हम भी कमिटिड (बद्ध) हैं। जहां तक औरतों के हकूक का सवाल है, हम किसी से पीछे नहीं हैं। हां, हमारे रास्ते मुख्तलिफ़ (भिन्न) हो सकते हैं। हो सकता है कि मैं किसी दूसरे रास्ते से बहिनों और बेटियों को हकूक देना चाहूं। पंजाब, यू० पी० और बिहार के लोग चाहते हैं कि उनके पुराने सिस्टम में डिस्टर्बेन्स (गड़बड़ी) न हो। हम लोग औरतों को कहीं ज्यादा हकूक दिलाना चाहते हैं। उनसे जो इस बिल के ज़रिये मिले हैं। हमारी बहिनों को जो हकूक मिले हैं, वे पूरे नहीं हैं—उनको उस बिल से बराबर के हकूक नहीं मिले हैं। मैं चाहता हूं कि बहिनों को बराबर का हक मिले। मैं चाहता हूं कि एक लड़के और उसकी बीवी (पत्नी) को बराबर के अधिकार मिलें। मैं यह चाहता हूं कि खाविन्द और बीवी में कोई किसी किस्म की तमीज़ जायदाद व इकोनोमिक

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

हकूक में न रहे और उनको बिल्कुल बराबर हकूक मिलें। अगर मेरी तजवीज (सुझाव) पर अमल किया जाता, तो औरतों को इसी बिल में बहुत ज्यादा हकूक मिल जाते।

मैं अब भी यह अर्ज करना चाहता हूं और बतलाना चाहता हूं कि यह कोई नई तजवीज़ नहीं है और चार बरस हुए मैंने इसे यहां पर पेश किया था और उसके बाद भी कई मर्तबा मैं इसे यहां रख चुका हूं और जनाबेवाला (श्रीमान्) आप इसके आथर (लाने वाले) हैं और कोई आपकी आथरशिप को माने या न माने लेकिन आप ने इस तजवीज को पेश किया था और बक्शी टेक चन्द ने, डा० पट्टाभिसित्ता-रमय्या ने तथा दूसरे बहुत से लोगों ने इसे पसन्द किया था। जहां तक हमारे पंजाब, यू० पी० और बिहार का ताल्लुक है, बहुत ज्यादा लोग इसके हक में हैं। मैं बार-बार इस चीज को यहां पर कह चुका हूं और हमारे डिप्टी स्पीकर साहब जो यहां पर बैठे हुए हैं और जो सिख कम्युनिटी को रिप्रिज़ेंट (प्रति-निधान) करते हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को पसन्द किया है। मैं अदब से अर्ज़ (निवेदन) करता हूं कि इस चीज को पंजाब के जितने भी मैम्बर साहिबान हैं वे पसन्द करते हैं। हम सब इसे इस वास्ते पसन्द नहीं करते कि हम औरतों को कोई हकूक देना नहीं चाहते। यह गलत बात है। मैं बार-बार कह चुका हूं कि इस किस्म का जो इल्ज़ाम (आरोप) हमारे खिलाफ लगाया जाता है कि हम उनको हकूक देने के खिलाफ हैं यह बेबुनियाद (निराधार) है। हम चाहते हैं कि हमारी बहिनों और हमारी बेटियों को बराबर के हकूक मिलें। लेकिन इन हकूक को देने का जो तरीका है वह दूसरा होना चाहिये। मैं इस चीज़ को दौहराता हूं कि जिस तरह से आपने किया है उससे पंजाब में तथा दूसरे हिस्सों में बहुत ज्यादा डिससैटिसफेकशन (असंतोष) फैलेगा। इस बिल का जब लोगों को पूरी तरह से पता चलेगा तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि छोटे-छोटे जमीन के टुकड़ों के लिये तथा छोटे-छोटे मकानों के लिये जब दामाद अपना हिस्सा मांगेगा तो बहुत सख्त तकलीफ होगी। यह तकलीफ इतनी ज्यादा होगी कि इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। मैंने पंजाब के अन्दर देखा है कि जब कभी लड़कियों के साथ बहिनों या लड़कियों की औलाद गांव में आती है तो जब तक गांव वाले उन्हें निकाल नहीं देते तब तक दम नहीं लेते। ऐसे केसिस (मामलों) में मैंने मर्डर (कतल) होते हुए देखे हैं तथा मुकदमे चलते हुए देखे हैं। आपने जो मैरीड डाटर (विवाहित पुत्री) को हिस्सा देने की बात कही है मैं इसको कबूल नहीं करता हूं और मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त में आपको इसमें तरमीम (सुधार) करनी ही पड़ेगी और आपको इस बात को मानना ही पड़ेगा कि मैरीड डाटर को उसके पिता की सम्पत्ति में हिस्सा न मिले और अनमैरिड (अविवाहित) डाटर को मिले तथा ससुर की जायदाद में उसके लड़के व बीवी को बराबर के हकूक मिलें जिसके अन्दर किसी किस्म की इनइक्वैलिटी (असमानता) नहीं है, बल्कि इक्वैलिटी (समानता) है।

आज मैं देखता हूं कि मेरी बहिनें खुश हैं। मैं भी खुश हूं और उनकी खुशी में मेरी भी खुशी है। आज कांग्रेस ने तथा कांग्रेस की लीडर्स (नेताओं) ने जो एक वर्ड आफ आनर (वचन) दिया था कि जहां तक औरतों के हकूक का ताल्लुक (सम्बन्ध) है, उनको बराबर के हकूक मिलेंगे, वह कुछ हद तक पूरा हो गया है। मैं यह भी जानता हूं कि लड़कियों को बराबर का हिस्सा नहीं दिया गया है।

मेरी बहन रेणु चक्रवर्ती ने यह कहा है कि स्त्रियों के साथ यह एक फ्राड (धोखा) किया गया है। मैं इसे फ्राड तो नहीं कहता हूं। लेकिन पाटस्कर साहब ने मिताक्षरा तथा दूसरी चीज़ को मिलाने का जो निर्णय किया है, वह ऐसा नहीं है जिसे सन्तोषजनक कहा जा सके। इससे लड़कियों को बहुत कम हिस्सा मिलता है। मैं इस चीज से नाखुश हूं।

एक और ग़लत चीज़ की गई है। हम को चाहिये था कि जैसे कि हमारे बुजुर्ग मानते आये हैं, सारी सोसाइटी मानती आई है और जो सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी (समाजवादी ढंग के समाज) से भी मेल खाती है कि देश के अन्दर जितनी भी जायदाद (सम्पत्ति) है वह देश के फायदे

के लिये इस्तेमाल होगी। एक एमेंडमेंट (संशोधन) पेश की गई है कि एक शख्स (व्यक्ति) की जायदाद में उसके नाबालिग बच्चों का, उसकी अनमेरिड डाटर का तथा विडो (विधवा) का भी हिस्सा रहना चाहिये। श्री देशपांडे की बड़ी ही माकूल (उचित) एमेंडमेंट थी। लेकिन उसके अन्दर जितना हिस्सा हमने माना है वह भी बड़ा मुनासिब है लेकिन उसका आयन्दा असर का मुझे अंदाजा नहीं है। हमारी जो लड़कियां हैं उनकी जो लड़कियां तथा लड़के हैं उनका भी राइट आफ मेनटेनैंस (निर्वाह व्यय लेने का अधिकार) उनकी जायदाद में कायम हो गया है। मैं समझता हूं कि यह कहना कि लड़कियों का राइट बिल्कुल एबसोल्यूट (पूर्ण) हो, गलत बात होगी। उनको इससे ज्यादा राइट्स (अधिकार) नहीं मिलने चाहियें। किसी सूरत में भी उनके जो मेल रेलेटिव्स (पुरुष सम्बन्धी) हैं उनको जो हकूक हासिल हैं, उनसे ज्यादा हकूक हासिल नहीं होने चाहियें। उनके हकूक को भी कनजर्व करने की हमें कोशिश करनी चाहिये। जायदाद औरत के पास हो या मर्द के पास उसको कनजर्व करना चाहिये। हमने एक गलत चीज़ पास की है और मैं जानता हूं कि हमारा अगला स्टेप (कदम) यह होगा कि इसे दुरुस्त (ठीक) किया जाय और जितनी भी जायदाद है उसे सब लोगों के फायदे के लिये इस्तेमाल किया जाय। जो यह हस्बमर्जी बेचने इत्यादि की बात कही गई है यह दुरुस्त नहीं है। मैं समझता हूं कि एबसोल्यूट राइट (अनन्य अधिकार) उसका जायदाद में नहीं होना चाहिये।

मैं अर्ज करता हूं कि आपने मुझे हर क्लाज (खंड) पर अपने ख्यालात को रखने का पूरा मौका दिया है, इसलिये मुझे उन क्लाजेज पर बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं अर्ज करता हूं कि जब हम फिर तरमीम (सुधार) करेंगे तो हम इन दोनों बातों को दुरुस्त करेंगे और जो हमने अपने कांस्टीट्यूशन में दर्ज किया है और जिसको हम सब मानते हैं, उसको हम पूरा करेंगे और उस तरमीम बिल के अन्दर हम लड़के और लड़की में, बहन और भाई में कोई भी तमीज (अन्तर) नहीं करेंगे।

मेरे मुताल्लिक (बारे में) यहां पर काफी सख्त बातें कही गई हैं लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि मेरी खाल बहुत मोटी है और मैं उनकी बातों की कतई कोई पर्वाह नहीं करता क्योंकि मैंने जो कुछ यहां पर इस बिल के बारे में कहा है वह नेकनीयती के साथ कहा है। मुझे अफसोस है कि जब कोई शख्स टंडन जी या किसी बहन के बारे में कुछ सख्त बात कहे और मैं उसको टालरेट (बर्दाश्त) नहीं कर सकता। मैं समझता हूं कि जिस गुडविल (नेकनीयती) के साथ हम लोगों ने इस बिल पर बहस की है और सोच विचार किया है और श्री पाटस्कर को मैं जाती तौर पर मुबारकबाद (बधाई) देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसी मुलायमियत से इस बिल को हाउस से पास करवाया और यही बिल अगर डाक्टर अम्बेडकर साहब पेश करते तो चूंकि वह जरा सख्त अल्फाज (शब्दों) में अपनी बात को पेश करते थे तो लोग अक्सर नाराज हो जाया करते थे, वैसी नौबत इस मौके पर नहीं आने पाई और मंत्री महोदय ने बड़ी योग्यता और मुलायमियत से हाउस (सभा) में अपना बिल पास करवा लिया।

जहां तक ज्वाइंट हिन्दू फैमिली (संयुक्त हिन्दू परिवार) का सवाल है मैं समझता हूं कि अगर ज्यादा नहीं तो ७५ फीसदी (प्रतिशत) तो हमने उसको इस बिल के जरिये खत्म ही कर दिया है लेकिन मुझे उसका कोई दुःख नहीं है क्योंकि जमाना बदलता जाता है और देश और समाज को भी समय के अनुसार अपने को एडजेस्ट करना (बदलना) पड़ता है और कोई भी देश और समाज स्टैटिक (स्थिर) नहीं रह सकता और उसको दुनिया के और देशों के साथ-साथ तरक्की की राह पर बढ़ना होता है। मुझ तो कोई ऐसा हिन्दू नहीं दिखाई देता जो केवल धर्मशास्त्र पर ही चलता हो, कोई मुसलमान ऐसा नहीं दिखाई देता जो केवल कुरानशरीफ पर ही चलता हो और ऐसा कोई ईसाई नहीं दिखाई पड़ता जो एक मात्र बाइबिल पर चलता हो और हमें इस हकीकत (सत्य) से अपनी आंखें नहीं मूंद लेनी चाहिये कि जमाना तेजी के साथ बदल रहा है और हमें भी जमाने के साथ-साथ आगे बढ़ना है नहीं तो हम तरक्की की दौड़ में दूसरे मुल्कों और कौमों से पिछड़ जायेंगे। अब इस विधेयक के मुताल्लिक जो यह कहा गया कि इससे फलां चीज टूट गयी है, सोमनाथ का मंदिर टूटा नजर

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

आता है और ताजमहल टूटा नजर आता है तो मैं तो ऐसा नहीं मानता कि इससे इस तरह की कोई चीज टूटी है और मैं मानता हूं कि जमाने के साथ-साथ हमें चलना है और तभी हम तरक्की कर सकेंगे और जरूरत के मुताबिक हमको अपने कानूनों में तब्दीलियां भी करनी होंगी। इन अल्फाज के साथ जहां तक इसके दो प्राविजन का ताल्लुक है मैं उसकी सख्त मुखालफत (विरोध) करता हूं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस विधेयक पर सभा के लम्बे वाद-विवाद को बहुत ध्यानपूर्वक सुना है। जैसा संभवतः सभा को ज्ञात है, इस विधान में मुझे अत्यधिक दिलचस्पी है और फिर भी मैंने इस पर बोलने और कोई सक्रिय भाग लेने से अपने को रोका है और अब भी मैं अनिच्छा से खड़ा हुआ हूं।

सर्वप्रथम, मैं सभा को इस बात पर बधाई देता हूं कि इस विधान पर सुंदर ढंग से विचार किया गया। निस्सन्देह यह एक ऐसा विधेयक था जिसके पक्ष अथवा विपक्ष में लोगों के दृढ़विचार थे और फिर भी इन बहुत से दिनों में, इस सभा के माननीय सदस्यों ने इस पर शान्तिपूर्वक विचार और एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझते हुए विचार किया है। मैं अपने साथी श्री पाटस्कर के सम्बन्ध में अधिक नहीं कहना चाहता जो इस विधेयक के प्रभारी थे और जिन्होंने आश्चर्यजनक सहिष्णुता और शांत चित्त से इस लम्बे काल में इस विधेयक को चलाया है।

मैंने अभी अपने दो साथियों—एक अपने परम मित्र और दूसरे अपने पुराने साथी—श्री टंडन—के भाषण को अभी सुना। दोनों ने इस सारे विधान अथवा इसके अंग पर अप्रसन्नता प्रकट की है। मैं समझता हूं कि इस विशेष विधेयक को आदर्श समझने वाले लोग अधिक नहीं हैं। हमारे सब के इस सम्बन्ध में निजी विचार हैं। हम इसे कुछ मात्रा में पारित करना चाहते हैं या यत्र-तत्र कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। मैं इन विषयों को नहीं ले रहा हूं क्योंकि दूसरे प्रक्रम में और दूसरी सभा में इस पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। मेरा इस विधेयक के मूल विचार से अधिक सम्बन्ध है और मैं समझता हूं कि इसका अत्यधिक महत्व है। हमने गत कुछ वर्षों में इस सभा में बहुत से विधान पारित किये हैं। मैं यह अवश्य समझता हूं कि हमने जो कुछ किया है उस पर महिलाओं के अधिकार सम्बन्धी इस विधान को प्राथमिकता दी जा सकती है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि यह अत्यन्त क्रांतिकारी विधान है, क्योंकि यह ऐसा नहीं है। सामान्यतः, इसके द्वारा बहुत अधिक गड़बड़ नहीं होगी। इससे थोड़ा सा इधर-उधर होगा। परन्तु यह तथ्य कि इसकी एक विशेष दिशा है और यह तथ्य कि हम जिन विचारों, कामों और सामाजिक व्यवहार की रूढ़ियों में ग्रस्त हैं यह हमें उनसे निकालता है, महत्वपूर्ण है।

ठाकुर दास जी ने यह आशा व्यक्त की है कि संभवतः बाद में इस विधेयक में किये गये कुछ परिवर्तनों को बदल दिया जायगा अथवा उन्हें निकाल दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में तो मुझे ज्ञात नहीं, परन्तु मुझे यह विश्वास अवश्य है कि कुछ समय पश्चात्, और दूर भविष्य में नहीं, ऐसे परिवर्तन किये जायेंगे जिनकी दिशा संभवतः वह नहीं होगी जिसका अनुमोदन ठाकुर दास जी करते हैं, क्योंकि मूल आधार यह है हम अतीत की ओर ध्यान दें। निश्चय ही यह महत्वपूर्ण है कि हमें अपना अतीत याद है, क्योंकि जो कुछ हम हैं अपने अतीत के फल स्वरूप हैं। हमारा विकास अतीत में हुआ है और वह अतीत हमारे रक्त में हमारी अस्थियों में और हमारे विचारों में मिला हुआ है। परन्तु हम वर्तमान काल में रहते हैं और हमें भविष्य का ज्ञान होना चाहिये जहां कि हमें पहुंचना है। माननीय सदस्य श्री चटर्जी ने कुछ कहा था। मैंने इस सभा में पहले कुछ कहा था, और मैं उसे दोहरा सकता हूं, और वह यह है कि अंग्रेजों के यहां आने से हिन्दू विधि और हिन्दू प्रथा की समस्त धारणायें निश्चेष्ट हो गई थीं। यह एक गतिशील विचार था, ऐसा गतिशील विचार कि जो न केवल भारत

---

†मूल अंग्रेजी में।

के विभिन्न भौगोलिक भागों में परिवर्तित होता था, वरन् समय की गति के साथ भी उसमें परिवर्तन होता था। इसमें बहुत शीघ्र अथवा नाटकीय ढंग से परिवर्तन भले ही न हुआ हो, परन्तु इसमें परिवर्तन हुआ था। जब अंग्रेज आये तो यह परिवर्तनशील परिस्थितियों के अनुकूल बन गया और उन्होंने इसे निश्चेष्ट कर दिया, कुछ तो इस कारण कि वे इसे समझ नहीं पाये और कुछ इसलिये कि वे सामाजिक सुधार करना चाहते थे। वे केवल यह चाहते थे कि उनके सरकार के कार्य संचालन में अथवा धन के अर्जन में अथवा जो कुछ भी यह था, कोई गड़बड़ न हो। अतः उन्होंने इसे निश्चेष्ट कर दिया और इस गतिशील विधि को सर्वथा स्थिर बना दिया। अतः आज हमें उस से हानि हो रही है। हमें उससे कई प्रकार से हानि हुई है। हमारी अर्थ-व्यवस्था स्थिर हो गई, हमारा सामाजिक व्यवहार स्थिर हो गया और हमारी विचार प्रणाली स्थिर हो गई।

राजनैतिक क्षेत्र में विभिन्न परिस्थितियों ने हमें विभिन्न प्रकार से सोचने के लिये बाध्य किया और उसका मुख्य कारण यह था कि हम विदेशी शक्ति के अधीन और उसके परतन्त्र थे। राजनैतिक दृष्टि से हम प्रथाओं को छोड़ने लगे और फिर भी यह बहुत असाधारण बात है कि जब हमने राजनैतिक रूढ़ियों को छोड़ दिया है और इस देश में एक राजनैतिक क्रांति की है, कितना आश्चर्यजनक है कि हम राजनैतिक क्षेत्र में अंग्रेजों के आदर्शों को अपना रहे हैं। चाहे इस संसद् को लीजिये, या इस संविधान को लीजिये या जो भाषा हम प्रायः बोलते हैं, उसे लीजिये, हम उन सब अंग्रेजी में आदर्शों का अनुसरण करते हैं। मैं इस सम्बन्ध में शिकायत नहीं कर रहा हूं। मैं केवल तथ्य बता रहा हूं। फिर कुछ और महत्वपूर्ण, राजनीति से अधिक महत्वपूर्ण बातें, मेरे मन में आने लगीं। ये थीं आर्थिक क्षेत्र के सम्बन्ध में। मैं आशा करता हूं कि हम अब ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कि देश की आर्थिक क्रांति के रूप में हैं। अब प्रायः पहली बार सामाजिक क्षेत्र को ले रहे हैं।

†**श्री नन्द लाल शर्मा** : नैतिक क्षेत्र।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : निस्सन्देह नैतिक क्षेत्र। एक गतिहीन समाज से अधिक कुछ भी अनैतिक नहीं है, जिसमें कि हम बहुत समय तक रहते रहे हैं। समय के साथ न चलने से अधिक कुछ भी अनैतिक नहीं है। नैतिकता क्या है? निस्सन्देह नैतिकता के सम्बन्ध में कुछ मूल सिद्धांत हैं। परन्तु नैतिकता और सामाजिक व्यवहार को समय के अनुकूल होना चाहिये।

मैं एक उदाहरण देता हूं। क्या आप ऐसे समाज में जिसके लोग स्कूल आदि की शिक्षा से शिक्षित हों एक ही प्रकार के सामाजिक व्यवहार की आशा करते हैं? आप किस प्रकार के सामाजिक व्यवहार की आशा करते हैं? क्या आप एक औद्योगिक समाज में वैसे ही सामाजिक व्यवहार की आशा करते हैं जैसा कि एक कृषि प्रधान समाज में होता है? जब जीवन की सभी परिस्थितियां परिवर्तित हो गई हैं तो निश्चय ही सामाजिक व्यवहार भी उसके अनुकूल होना चाहिये। आप इसके विरुद्ध संघर्ष कर सकते हैं। मैंने कहीं देखा था—मुझे आशा है कि मैं गलत नहीं कह रहा—मेरे माननीय मित्र श्री टंडन ने भारत में रेलों के आने पर रोष प्रकट किया था। वे, मैं और हम सब वायुयान से या रेल द्वारा यात्रा करते हैं। फिर भी हम चाहते हैं कि समाज का सामाजिक व्यवहार वैसा ही हो जैसा रेलों के आने से पूर्व था। ऐसा नहीं हो सकता।

श्री टंडन ने हमारी युवतियों के सम्बन्ध में कतिपय अप्रसन्नता प्रकट की थी। अब कितनी ही ऐसी बातें हैं जो हमारी युवतियां, युवक भी और बूढ़े नर नारी तक करते हैं जो हमें पसंद नहीं हैं। ये सब समाज के पहलू हैं। मैंने पहले इस सभा में भारत की नर नारी की प्रशंसा की थी। जब मैंने ऐसा कहा था तो मैं केवल भारत की ऐतिहासिक महान् नारियों की ओर निर्देश नहीं कर रहा था, जिनका हम सब को स्मरण है और जिनका हम सम्मान करते हैं। परन्तु जब मैंने यह कहा था तो मैंने

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री जवाहरलाल नहरू]

अपने ही समय की, आज की नारी की ओर निर्देश किया था। जो कुछ किया जा रहा है मैं उस सब का अनुमोदन नहीं करता। जो कुछ कोई देश या बड़ा सामाजिक वर्ग करता है, उस सब का कोई भी अनुमोदन नहीं कर सकता। परन्तु मैं ऐसा निश्चय से कहता हूं और दूसरे लोगों और देशों का जो मुझे कुछ ज्ञान है उसके आधार पर कहता हूं। किसी जाति की आलोचना करना हमारा कार्य नहीं है और न ही हमें करना चाहिये। भारत में जिस नव नारी वर्ग का उदय हो रहा है उसमें भले ही कुछ त्रुटियां और कुछ दिखावा है परन्तु उसमें कुछ ऐसा भी है जिसकी मैं प्रशंसा करता हूं और जिससे हमें भविष्य में आशा है। मुझे आशा है कि यदि भारत में कोई महान् प्रगति हो रही है——मुझे विश्वास है कि प्रगति होगी——वह अधिकतर भारत की नारी के द्वारा होगी। एक फ़्रांसीसी महान लेखक था। उसने एक बार कहा था कि अगर आप यह जानना चाहते हैं कि एक देश कितना उन्नत और प्रगतिशील है तो यह जानने का प्रयत्न कीजिये कि वहां की महिलायें कैसी हैं, महिला सम्बन्धी विधियां कैसी हैं, महिला सम्बन्धी सामाजिक व्यवहार कैसा है और आप उस देश के सम्बन्ध में जान सकते हैं। आप पुरुषों की ओर भले ही ध्यान न दें। मैं समझता हूं कि यह अधिक अच्छी और सच्ची कसौटी है।

आप में से बहुतों ने श्री बी० एन० राव का हिन्दू विधि प्रतिवेदन या हिन्दू संहिता प्रतिवेदन, जो भी इसका नाम हो, पढ़ा होगा। उसके कुछ भाग भारत की महिला की परिस्थिति के प्रदर्शन में भयोत्पादक हो गये हैं। यह ठीक नहीं है कि मैं भारत में महिलाओं की स्थिति का निर्णय अपने परिवार अथवा अपने मित्रों के परिवार से करूं जो अनुकूल परिस्थितियों में हैं। परन्तु भारत में महिला की स्थिति अच्छी नहीं है और वह महिलाओं के अपराध के कारण नहीं। यह सामाजिक व्यवस्था की त्रुटि है जो उस समय से चली आती है जबकि यह व्यवस्था अच्छी थी क्योंकि हमें यह सदा याद रखना चाहिये कि एक अच्छी विधि और किसी समय का अच्छा समाज भी समय के पश्चात् उपयोगी नहीं रह जाता और बाद में खराब हो जाता है। आप और हम सामंतशाही के सम्बन्ध में कुछ कह सकते हैं और फिर भी अपनी उन्नति क युग में वह उस काल की परिस्थितियों के अनूकूल थी। हजार वर्ष पूर्व की सामंतशाही को कोसने से क्या लाभ ? संभवतः उस समय यह उपयुक्त था। मैं उस समय नहीं था। या आप पूंजीवाद के सम्बन्ध में कुछ कह सकते हैं, अपने युग में पूंजीवाद अच्छी वस्तु थी, परन्तु वह दिन चला गया। उससे चिपटे रहना ठीक नहीं है जबकि उसके दिन बीत चुके हैं और समय हम से कुछ और मांग कर रहा है। अतएव यदि सामाजिक व्यवस्था गतिहीन हो तो अवश्य ही स्वभावतः उसकी प्रगति नहीं हो सकती। जीवन स्थिर नहीं है। हम पैदा होते हैं, बालक बनते हैं, युवावस्था प्राप्त करते हैं और मर जात हैं। जीवन एक गति है। यह कभी रुकता नहीं। यदि सामाजिक व्यवस्था स्थिर हो जाय तो इसमें जीवन की गति समाप्त हो जाती है और भारत में यह हुआ है कि हमारे पूर्वजों ने जो महान् कार्य किये, वे स्थिर हो गये यद्यपि हिन्दू समाज की व्यवस्था अतीत युग में गतिशील थी। अब हमसे और विशेषतः हिन्दुओं से यह मांग की जाती है कि हिन्दू समाज को पुनः गति और चेतना प्रदान की जाय। यह धारणा बना कर कि हिन्दू समाज को स्थिर होना चाहिये हम समाज की हिन्दू धारणा के प्रति अन्याय कर रहे हैं। यह गतिहीन नहीं रह सकती। यदि कोई वस्तु मृत हो तब भी वह नहीं रह सकती क्योंकि उसके चारों ओर के जीवन में परिवर्तन होता रहता है। इस के फलस्वरूप यदि हम जीवन की परिपाटी के साथ नहीं चलते और उसके साथ परिवर्तित नहीं होते तो सारी व्यवस्था ढह जायेगी और टुकड़े-टुकड़े हो जायेगी।

इतिहास में किसी समय जीवन की व्यवस्था में——शारीरिक पक्ष को छोड़ कर, और उसमें भी परिवर्तन होता रहता है——इतने शीघ्र परिवर्तन नहीं हुए जितने आज के युग में हुए हैं। इनके कई कारण हैं। जिस प्रकार हमारे पूर्वज कहा करते थे हमारा जीवन उससे सर्वथा भिन्न है। मैं अपने ही परिवार के सम्बन्ध में सोचता रहा हूं और आश्चर्य करता रहा हूं कि दो या तीन पीड़ियों में इसमें कितने

परिवर्तन आये हैं, मेरे दादा, पिता, मुझ में और मेरी पुत्री में कितना अन्तर है, और यह भारत के प्रतिदिन परिवर्तित होने वाले लाखों परिवारों में से एक है। सभी कुछ परिवर्तित हो रहा है सिवाय कुछ लोगों की बुद्धि के जो परिवर्तित होने और कुछ समझने या देखने से इन्कार कर देती है और वे लोग पीछे रह जाते हैं और उन्हें विश्व पर क्रोध आता है कि वे उनके विचारों के अनुकूल नहीं हैं। वे यह अनुभव नहीं करते कि वस्तुतः वे विश्व के साथ-साथ नहीं चलते। विश्व चाहे अच्छा हो या बुरा, परन्तु विश्व परिवर्तनशील है और जब तक हम इसके साथ कदम मिला कर न चलें इससे विश्व को हानि नहीं होती वरन् हमें हानि होती है और यदि कोई समाज या वर्ग साथ न मिल सके तो वह समाज पिछड़ जाता है और गिर जाता है।

परिवर्तन हुए हैं और वे कई कारणों से हुए हैं। परन्तु निश्चय ही आधुनिक जीवन के परिवर्तन विज्ञान और टेक्नोलोजी के कारण हुए हैं और उन्होंने हमारे जीवन की व्यवस्था में परिवर्तन किया है। प्रविधिक दृष्टि से हमारा देश प्रगतिशील देश नहीं है और फिर भी हम टेक्नालोजी और विज्ञान और उद्योग की वस्तुओं का व्यवहार प्रतिदिन और दिन में प्रति घंटे करते हैं। और देश अधिक मात्रा में ऐसा अधिक करते हैं। अब उत्पादन और उपयोग की सारी प्रणाली में परिवर्तन हो रहा है। अतएव जीवन की व्यवस्था बदल रही है। मैं इस बात से सहमत होने के लिये तैयार हूं कि मूल सिद्धांतों में परिवर्तन नहीं होता। अच्छाई अच्छाई ही है और बुराई बुराई। इसे तो हम स्वीकार करना पड़ता है। और हमें एक अच्छे समाज का—निश्चय ही उन्नतिशील समाज का—किन्तु साथ ही अच्छे समाज का निर्माण करना है चाहे अच्छाई की धारणा कुछ भी हो, इसमें कुछ अंतर हो सकता है, परन्तु मैं समझता हूं कि मूलतः हम इस बात से सहमत हो सकते हैं कि अच्छा समाज क्या है और समृद्ध समाज क्या है। परन्तु यह स्वीकार करने के पश्चात् कि जीवन की सारी व्यवस्था में परिवर्तन हो जाता है आपको अपनी अच्छाई और बुराई की धारणा को उसके अनुकूल बनाना होगा। अन्यथा आप इससे सर्वथा दूर हो जायेंगे और यदि वह अच्छाई जीवन के अनुकूल नहीं हुई, और किसी पर प्रभाव नहीं डालती अथवा किसी पर लागू नहीं होती तो समाज की व्यवस्था शिथिल हो जाती है। अतः मैं चाहता हूं कि यह सभा इस प्रश्न पर वृहत्तर दृष्टिकोण से विचार करे।

मुझे इसमें सन्देह नहीं कि भारत के लिये अनिवार्य मूल चीजों में से स्त्रियों की आर्थिक और राजनीतिक पूर्ण स्वतन्त्रता है। मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि पुरुष भारत की स्त्रियों को जानबूझ कर दमन करते हैं, बहुत से लोग यद्यपि ऐसा करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि उनकी प्रशंसा नहीं की जाती। ऐसा नहीं है। इसमें सन्देह नहीं कि इस समय भारत की स्त्रियों को अधिकांश रूप में आर्थिक स्वतन्त्रता नहीं है। इस विधेयक से भी उन्हें आर्थिक स्वतन्त्रता नहीं मिलेगी। किन्तु यह उस दिशा की ओर एक कदम अवश्य है। व्यक्तिगत रूप से मैं अपनी पुत्री के बारे में चिंतित नहीं हूं। मैं नहीं चाहता कि वह या अन्य कोई पोषण के लिये मेरे ऊपर निर्भर रहे, मैं तो चाहूंगा कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो। मैं चाहता हूं कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति, पुरुष हो अथवा स्त्री, अपने पैरों पर खड़ा होना सीखे। बड़े घनिष्ठ सम्बन्धियों के लिये भी किसी पर निर्भर रहना मैं पसन्द नहीं करता। मैं तो चाहता हूं कि वे एक दूसरे के साथी बनें। यह विधेयक केवल इस मानी में लाभदायक है कि इसने उस दिशा की ओर कदम बढ़ाया है। इससे अधिक लाभ इसलिये नहीं हुआ कि इसने हमें रूढ़िवादी विचारों के बाहर खींच निकाला है। हो सकता है कि बहुत से लोग इसे पसन्द न करें। अन्य मार्गों के अभ्यस्त बहुत से लोग यह समझते हैं कि यह बहुत बड़ा कदम है जो संयुक्त परिवार को तथा जीवन की कुछ अन्य चीजों को जिनके हम आदी हैं छिन्न-भिन्न कर देगा। जीवन की ये चीजें अनेक कारणों से छिन्न-भिन्न की जा रही हैं। आपका यह छोटा सा विधेयक उनमें ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकता। वास्तव में यह विधेयक अन्य कारणों का परिणाम है। मैं चाहता हूं कि आप इन पर विचार करें।

मैंने जीवन की बदलती हुई स्थितियों की चर्चा की है। ज्यों-ज्यों मनुष्य की शक्ति बढ़ती जायेगी अगले कुछ वर्षों में प्रविधिक उन्नति में बहुत जल्दी-जल्दी परिवर्तन होंगे। इससे मनुष्य का नाश भी हो

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

सकता है और मानव समाज का पुनर्निर्माण भी हो सकता है। मैं कहना यह चाहता हूं कि इस तेजी से शीघ्र बदलने वाले संसार को देखकर मुझे तो यह चीज बड़ी अजीब लगती है कि लोग इस प्रकार सोचते हैं जैसे हम हजार दो हजार वर्ष पहले के काल में रह रहे हों।

हमारे नियम क्या हैं ? हमारे नियम आज से सैकड़ों-हजारों बरस पहले बने समाज पर आधारित हैं और ऐसा होना ठीक भी है। दो हजार वर्ष पूर्व भारत की जनसंख्या कितनी थी ? यह हमें मालूम नहीं किन्तु हम इसका कुछ अनुमान लगा सकते हैं। वह आज की जनसंख्या का एक छोटा सा हिस्सा रही होगी। मैं समझता हूं कि आज की तुलना में दो हजार वर्ष पहले की जनसंख्या बहुत ही कम थी।

†**श्री नन्द लाल शर्मा** : पांच हजार वर्ष पूर्व शास्त्रों के अनुसार यहां की जनसंख्या ५६ करोड़ थी।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं ऐसे शास्त्र और शास्त्रों की बातों को नहीं मानता जो विज्ञान के आधार पर ठीक और सही न हों।

आज सारे संसार की जनसंख्या कितनी है ? पहले से वह बढ़ गई है। पिछले २०० वर्षों की संसार की ठीक-ठीक जनसंख्या हमें ज्ञात है। हमने उसे बड़ी तेजी से बढ़ते हुए देखा है। हमें इसके आंकड़ों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु उन्होंने जो कुछ कहा है वह बिल्कुल मानने योग्य नहीं है। वह जरा हिसाब लगा कर बतायें कि ५६ करोड़ जनसंख्या कैसे हो गई। वे हिसाब लगायें कि उतनी आबादी अथवा उसका दसवां भाग भी उस समय उपलब्ध कृषि योग्य भूमि पर खेती करके अपना जीवन-यापन कैसे करती थी। हम उसका, भूमि और जंगल आदि का अनुमान लगा सकते हैं। मैं चाहूंगा कि वह भी अनुमान लगायें। यदि हम यह मानते हैं कि हम जिनों और परियों के युग में रहते थे और लोग आकाश से अवतरित होते थे, तो दूसरी बात है। किन्तु यदि वे भूमि से खाद्यान्न पैदा करते थे, तो उस समय कृषि योग्य भूमि कितनी थी और प्रति एकड़ पैदावार कितनी थी ? यह गणना ठीक भले ही न हो, किन्तु आसान अवश्य है। मैं कहता हूं कि यदि हम खेती करने का वही पुराना तरीका अपनाते हैं, तो हमारी आधी जनसंख्या भूखों मर जायेगी क्योंकि उनके जीवित रहने के लिये कुछ बचेगा नहीं।

†**श्री नन्द लाल शर्मा** : यह तो आपके विभाजन के कारण है। पहले भौगोलिक सीमायें आज जैसी नहीं थीं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं सभा को यह बताना चाहता था कि यदि हम राष्ट्र के रूप में जीवित रहना चाहते हैं या उन्नति करना चाहते हैं तो हमारे लिये आवश्यक है कि हम अपने विरोधी दल के माननीय मित्र के विचार को त्याग दें। यह विचारधारा बड़ी दिलचस्प है किन्तु वह केवल नरतत्वीय अद्भुतालय में रखने के लिये ही उपयुक्त है। ऐसे अद्भुतालय प्राचीन काल और प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक के बचे हुए लोगों के बारे में बनाने के लिये अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, किन्तु वे आज के लिये अथवा भविष्य में हमारा मार्ग दर्शन नहीं कर सकते।

अतः मेरा निवेदन है कि वर्तमान काल में हमें इन चीजों को समझना है। उन्हें उसी सन्दर्भ में समझना है और भविष्य में जो समाज हम बनाने जा रहे हैं उसको भी ध्यान में रखना है। हमारे समाज को प्रभावित करने वाली मूल धारणाओं और मूल विचारों पर हमें दृढ़ रहना होगा। जैसा कि मैं महसूस करता हूं, हमें यह महसूस करना चाहिये कि हममें कुछ ऐसी महान् शक्ति और कुछ ऐसी चीजें थीं जिन्होंने हिन्दू समाज को भूतकाल में इतने युगों तक चलाये रखा। मैं इस चीज का आदर करता हूं किन्तु यदि हम अस्थिर और अप्रगतिशील दृष्टिकोण रखते हैं तो ऐसा सोचना बदलती हुई

†मूल अंग्रेजी में।

विचारधारा रखने वाले हिन्दू समाज को बदनाम करना होगा । भूतकाल में जादू होता था अथवा नहीं, किन्तु आजकल मैं समझता हूं कि जादू नहीं होता । हमें वर्तमान काल में रहना है—उसे समझना है और भविष्य क लिये काम करना है ।

इसकी कुछ कमियों के बावजूद और इस तथ्य के बावजूद कि यह कोई आदर्श चीज नहीं जो हम इस विधेयक में पारित करने जा रहे हैं, यह बड़ा महत्वपूर्ण विधान है। मैं एक प्रकार से इसे एक क्रांतिकारी उपबन्ध समझता हूं—इस अर्थ में कि यह विशिष्ट दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है, यद्यपि यह स्वयं में क्रांतिकारी नहीं है क्योंकि यह उन्हें विचार सम्बन्धी आलस्य से सजग करता है। यह बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की उन्नति तभी हो सकती है जबकि जो राजनीतिक क्रांति हम कर चुके हैं उसक अतिरिक्त हम जिस आर्थिक क्रांति के बीच से गुजर रहे हैं, सामाजिक क्रांति पैदा कर तीनों को एक में मिला दें । तभी भारत की उन्नति होगी और हम अपने प्राचीन काल और वर्तमान के लिये उपयुक्त होंगे तथा अपना सुन्दर भविष्य बना सकेंगे ।

†**श्री पाटस्कर** : मैं इस सभा का, जो इतने धैर्यपूर्वक और इतनी देर तक मेरा साथ देती रही है, अब अधिक समय नहीं लूंगा । कुछ लोगों ने मुझे महमूद गजनबी का रूप देना चाहा जिसने सोमनाथ मन्दिर की मूर्त्तियों को तोड़ा था । मैं निर्देश न जानते हुए भी, इसे तर्क के स्थान पर अपवाक्यों का प्रयोग समझता हूं ।

जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे विपरीत विचार-धारा से इसे न देखें किन्तु इस दृष्टि से देखें कि हमने इस उपबन्ध के लिये कितना कार्य किया है । इस उपबन्ध का इतिहास १९३७ से प्रारम्भ होता है जब कि प्रथम बार, कांग्रेस की हैसियत से नहीं अपितु हिन्दू संस्कृति के समर्थक की हैसियत से, अन्य उत्तराधिकारियों के समान ही विधवा को अधिकार देने के लिये सभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया था । उस समय भी विधवा के साथ ही वह माता और पुत्री को सह-उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे । दुर्भाग्यवश उन्हीं कारणों वश जो उस उपबन्ध के विरोध में इस सभा में रखे जा रहे हैं, वह पूर्ण रूपेण सफल न हो सक किन्तु केवल विधवा को और वह भी सीमित अंश की व्यवस्था कराने में सफल हो सके थे ।

इसके पश्चात् यदि हम इसका इतिहास देख तो हमें पता लगेगा कि समान हिन्दू कोड के लिये अनेक प्रयत्न किये गये थे । प्रसिद्ध राव समिति का प्रतिवेदन भी आया । उक्त प्रतिवेदन के पश्चात् जब विधेयक पहले वाली सभा के सम्मुख आया, तो सम्भवतः उन्हीं तर्कों की पुनरावृत्ति की गई थी । अन्ततोगत्वा सरकार ने यह निश्चय किया था कि यह कोड इस सभा में भागों में करके रखा जाये और यह भाग हिन्दुओं में उत्तराधिकार के सम्बन्ध में है ।

माननीय सदस्यों के भाषणों से यह स्पष्ट जान पड़ता है कि वे केवल उन्हीं को हिन्दू समझते हैं जो मिताक्षरा विधि प्रणाली के अधीन आते हैं । मैं समझता हूं कि यह चीज बिल्कुल गलत है, विशेषकर उन लोगों के लिये जिन्होंने हिन्दुओं के हित के लिये कार्य करने के लिये शपथ ले रखी है । जैसा कि मैं कह चुका हूं, हिन्दुओं में एक ही संस्कृति के अनेक मतों में विश्वास रखने वाले लोग आ जाते ह । उदाहरण के लिये मातृक प्रणाली और मिताक्षरा के अधीन आने वाले हिन्दू एक से ही हैं । दायभाग से शासित होने वाले लोग भी ह अतः यह कहना भ्रमपूर्ण है कि केवल ये लोग ही हिन्दू हैं । इतना ही नहीं ।

मैंने उन माननीय सदस्यों के भाषणों को बड़ ध्यान से सुना है जिन्होंने मुझे धर्म-नाशक कहा है । मैं इस बात का पता लगाना चाहता था कि जहां तक हिन्दू विधि का सम्बन्ध है, वास्तव में मिताक्षरा

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री पाटस्कर]

में है क्या जिसके लिये वे मुझे धर्म-नाशक कहते हैं। वास्तव में यदि ये ही विद्वान लोग इस पर गहराई से विचार करें तो उन्हें पता लगेगा कि इन परावर्तियों, सीमित सम्पत्ति और स्त्रियों को छोड़ दिया गया है और विजनेश्वर में जो कुछ कहा गया है, जिसके लिये मेरे हृदय में भी उतना ही आदर है जितना उन्हें है, और ये चीजें भिन्न स्थितियों के कारण बाद में बढ़ाई गई हैं। किन्तु कुछ लोग जिन्हें अभी तक इन विचारों से मोह है, यह तर्क उठा सकते हैं कि इससे धर्म नष्ट हो जायेगा। किन्तु यह सच नहीं है।

†**श्री नन्द लाल शर्मा** : खण्ड ४ के बारे में आपका क्या कहना है ?

†**श्री पाटस्कर** : हमें विधेयक के गुणावगुणों पर विचार करना चाहिये। वह क्या चीज है जिससे हमारे माननीय सदस्य का विचार है कि समाज नष्ट हो सकता है ? १९३७ में, उस समय के विधि मंत्री श्री सरकार और सम्भवतः डा० देशमुख तथा अन्य लोग जो कुछ करना चाहते थे, अनेक कारणों वश नहीं किया जा सका। जैसा कि मैं उस दिन कह चुका हूं, अब क्या वह समय नहीं आ गया है जबकि इस स्थिति पर, इतनी जांच-पड़ताल करके और सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों में इतना परिवर्तन करके पुत्री और माता तथा अन्य विधवाओं को उस स्थान पर लाने का प्रयत्न नहीं कर सकते जो कि उस समय विधवा का स्थान था ? मेरा प्रयत्न यही करने का है। हमें उस विधेयक की कार्यवाहियों के रेकार्ड पढ़ने से इस बात का पता लगता है कि जो आपत्तियां २० वर्ष पूर्व उठाई जाती थीं आज भी वे ही आपत्तियां उठाई जाती हैं। मैंने उनका सारणीकरण किया है किन्तु उन्हीं की पुनरावृत्ति करके मैं सभा का समय नहीं लेना चाहता। जब पहले यह विधेयक सभा में रखा गया था, तो उसमें मिताक्षरा सम्पत्ति को निकाल दिया गया था। उसमें कहा गया था कि वह मिताक्षरा सम्पत्ति में लागू नहीं होता और न ही उस सम्पत्ति में जो उन लोगों की है जो मातृक विधि प्रणाली के अन्तर्गत आते हैं। यह केवल दायभाग विधि वालों पर लागू होती है। श्री चटर्जी ने ठीक ही कहा कि उस समय कोई एकरूपता नहीं थी और हम कुछ थोड़े से लोगों में लागू किये जाने वाली विधि बना रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि आप इसे ऐसी विधि क्यों कहते हैं जो हिन्दुओं में लागू होती है। अतः स्वाभाविक है कि ऐसी विधि बनाई जाये जो अन्य पद्धतियों तथा अन्य विधियों के अधीन आने वाले लोगों में लागू की जा सके। जैसा कि मैं कहता चला आ रहा हूं, चर्चा करके, विचार करके, और प्रत्येक प्रकार से इस बात का ध्यान रखा गया है कि समाज कम से कम अव्यवस्थित हो। मैं यह नहीं कहता कि वर्तमान परिस्थितियों में मिताक्षरा नहीं चल सकता और सम्भवतः वह समाप्त होता जा रहा है, किन्तु मैं यह कह सकता हूं कि यथासम्भव इस बात का ध्यान रखा गया है कि समाज में तत्काल ही कोई उलटफेर न हो। अतः माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये म यह चीज पुनः कहूंगा कि इस विधेयक के पारित करते ही, सबसे बड़ा अन्तर यह होगा, कि कोई भी संयुक्त परिवार छिन्न-भिन्न नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा यह दूसरी बात है और उसके बारे में तभी कुछ किया जा सकेगा। इसीलिये हमें एक तरीके को अपनाना पड़ा। जब हमने ऐसा किया, तो मेरे मित्र आकर मुझ से कहते थे कि आप इसे तत्काल ही लागू क्यों नहीं कर देते ? जब हम तत्काल वह कर रहे हैं तो वे कहते हैं कि हम समाज को नष्ट-भ्रष्ट कर रहे हैं। आलोचक इस दृष्टि से देख सकते हैं, किन्तु यदि आप रचनात्मक दृष्टिकोण से इसे देखें तो आप देखेंगे कि विधेयक में पुत्री और अन्य महिला उत्तरधिकारी के साथ न्याय करने के लिये यदि प्रयत्न किया गया है, तो इससे तत्काल ही समाज में अव्यवस्था उत्पन्न नहीं होती। मुझे यह कहने में संकोच नहीं—और मैं पहले भी कह चुका हूं—कि यह असम्भव है कि इस प्रकार की पद्धति बदलती हुई सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में बराबर चलती रहेगी। मैं अपना उत्तरदायित्व समझता हूं और उसे निभाता हूं। यदि समाज की व्यवस्था तत्काल गड़बड़ी करने के लिये प्रयत्न किया जाता

†मूल अंग्रेजी में

है तो इसके पता नहीं क्या परिणाम होंगे––यह आरोप लगाया गया है। दूसरा आरोप यह है कि यदि यह तत्काल न किया गया तो फिर यह धीरे-धीरे हनन करने का तरीका क्यों अपनाया गया है।

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, पुत्री को यथासम्भव पुत्र के समान, किन्तु पूर्णरूपेण उसी स्तर पर नहीं, लाने का प्रयत्न किया गया है। मेरे कुछ मित्रों का कहना है कि विधवा को देशमुख विधेयक के द्वारा कुछ अधिक भाग मिल रहा था और अब हम उसे कुछ कम देने जा रहे हैं। स्वाभाविक है जब पुत्री, माता तथा अन्य उत्तराधिकारियों को भी कुछ मिलेगा तो वह अंश कम तो हो ही जायेगा। तब भी महसूस यह किया गया था कि न्याय नहीं किया गया है, किन्तु हमें प्रतीक्षा करनी पड़ी। अब जब हम कुछ करना चाहते हैं तो मेरे कुछ मित्र यह कहते हैं कि हम विधवा को हानि पहुंचा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि यह चीज विधवा के हितों की रक्षा करने की इच्छा से उत्पन्न होती है। यह इस प्रकार की भावना के कारण हो सकती है कि कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिये।

दूसरी बात भी है। हमने सीमित संपदा समाप्त कर दी है। कहा गया है कि इस से मुकद्दमेबाजी होगी। मैं इस सभा के वकील मित्रों से पूछूंगा कि पहले मुकद्दमेबाजी का क्या कारण था? क्या इससे मुकद्दमेबाजी कम नहीं होगी? मुकद्दमेबाजी विभाजन, उत्तरभोगियों, विधवाओं के भत्ते आदि के कारण होती थी। किसी भी प्रसिद्ध वकील के पास जमींदारी को छोड़ कर दूसरी किसी प्रकार की मुकद्दमेबाजी के अधिक मामले नहीं आये। मुझे विश्वास है कि यदि यह उपबन्ध होगा तो मुकद्दमेबाजी कम होगी और विधवाओं द्वारा किये गये हस्तान्तरण को हटाने के कम अवसर होंगे, क्योंकि यह सीमित नहीं होगा।

इन सब बातों के अतिरिक्त, मैं कहूंगा कि इससे स्त्रियों की स्थिति में सुधार होगा, विशेषतया लड़कियों की। मैंने पहले सौराष्ट्र सरकार के प्रतिवेदन का उल्लेख किया था, यह समिति सौराष्ट्र सरकार द्वारा नियुक्त की गई थी। वहां बहुत सी आत्म-हत्यायें हुई थीं। समिति इस परिणाम पर पहुंची थी कि आत्म-हत्यायें मनोवैज्ञानिक कारणों से, स्त्रियों में विवशता की भावना के कारण, हुई थीं। मुझे विश्वास है कि इस अधिकार के द्वारा, सम्पत्ति के अतिरिक्त, वह सदा सुरक्षित अनुभव करेगी और वह किसी चीज पर अपना निर्वाह कर सकेगी, यदि उसका पति उसकी अवहेलना करता है और उसे अपने घर से निकाल देता है या ऐसा ही कोई कृत्य करता है। हम मानते हैं कि हमारी स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं हैं। वह असहाय हैं। वर्तमान स्थिति क्या है? वे अपने पिता के घर में नहीं जा सकतीं। उनके पति के परिवार में उनको अधिकार होता है। ऐसी बात नहीं कि सब लोग गलती कर रहे हैं। मैं यह नहीं कहता। यह कोई सामाजिक बीमारी सी पैदा हो गई है। यह सहानुभूतिविहीनता की हद है यदि हम यह महज कह कर कि वे देवियां हैं, इस समस्या को हल करें। उन्होंने इस कारण आत्म-हत्यायें की हैं क्योंकि उन्हें कोई प्रसन्नता नहीं मिलती। किसी न किसी प्रकार इस समस्या का हल निकालना है। हिस्सा चाहे थोड़ा हो या अधिक, लड़की के मन में एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होगा। यदि पति उसे अपने घर से निकाल देता है, तो उसे जाने के लिये कोई स्थान होगा। यह दूसरे छोटे मामलों के अतिरिक्त प्रश्न का अधिक महत्वपूर्ण पहलू है। इसके बावजूद भी कि कुछ माननीय सदस्य कह सकते हैं कि मैं उन लोगों में से हूं जो समस्त धर्म को तोड़ने के उत्तरदायी हैं, मुझे हिन्दू सभ्यता का उतना ही अभिमान है जितना और किसी व्यक्ति को है। सभ्यता में परिवर्तन आता है। इसमें कोई बुराई नहीं, इसमें समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। ऐसी बात नहीं कि हिन्दू स्त्रियां सदा ऐसी ही थीं जैसी वे आज हैं। इसके विपरीत, इसके लिये पर्याप्त प्रमाण है कि विज्ञानेश्वर के समय उनकी अवस्था अधिक उत्तम थी। यदि माननीय मित्र ने वास्तव में अध्ययन किया होता और उस समय की स्थितियों को समझने का प्रयत्न किया होता, तो संभवतः उनके विचार कुछ और होते। किन्तु इसके साथ बहुत सी प्रतिकूल और विरोधी बातें मिली हुई हैं, मैं उनका उल्लेख नहीं करना चाहता।

[श्री पाटस्कर]

फिर भी मैं कह सकता हूं कि मुझे प्रसन्नता है कि आप सब ने मुझे जो सहयोग दिया है, उसके द्वारा ही यह कार्य हो पाया है। मैं मानता हूं कि आपके सहयोग से मुझे प्रोत्साहन मिला है, यद्यपि आप में से कई लोगों ने मुझे सहयोग नहीं दिया, किन्तु अधिकतर लोगों ने दिया है, और उसी के कारण यह विधेयक संविधि-पुस्त पर आने में सफल हुआ है। मैं इतना अभिमानी नहीं कि यह समझने लगूं कि मैंने ऐसा कार्य किया है जो मुझे मनु के समान बना सकता है, और न ही मुझे उन अवहासों की चिंता है जो मेरे बारे में कहे गये हैं। मैं तो अपना कर्तव्य कर रहा हूं। मैंने अपनी सद्भावना और योग्यता के अनुसार कार्य करने का प्रयत्न किया है, और इस से मुझे संतोष प्राप्त होता है। इन सब बातों को छोड़ कर, मैं पुनः सभा के सदस्यों का धन्यवाद करूंगा, जिस रूप में उन्होंने इस मामले में सहयोग दिया है और इस मामले पर चर्चा की है, कुछ एक को छोड़ कर, भावावेश से प्रायः दूर रहते हुए, और सहयोग देने तथा देश की प्रगति के लिये कुछ करने की हार्दिक इच्छा से कार्य किया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : निर्णय के लिये सभा के सामने प्रस्ताव रखने से पूर्व अध्यक्ष को सभा में बोलने के विशेषाधिकार के अधीन मैं अपने विचार सभा के सामने रखता हूं।

इस विधेयक पर इतन लम्बे समय तक चर्चा करने के लिये मैं सब सदस्यों को बधाई देता हूं। माननीय मंत्री ने भी सदस्यों की सब बातों का संतोषजनक उत्तर देने का प्रयत्न किया है। इस चर्चा के दौरान जोश में आकर यदि किसी से कुछ शब्द कहे गये हों, तो हमें उनको भुला देना चाहिये।

हमने पुत्रियों और बहनों को आर्थिक संरक्षण दिया है। अब तक उनको केवल गुजारे का और सीमित स्वामित्व का अधिकार था, परन्तु अब उनको पूर्ण स्वामित्व का अधिकार दे दिया गया है। पहले से पुत्र के न होने की अवस्था में लड़की को तथा विधवा को सम्पत्ति के उत्तराधिकारी माना जाता रहा है। अब परिवर्तन यह किया गया है कि उनको पूर्ण स्वामित्व का अधिकार दिया गया है।

१९३७ में विधवा को पुत्र के साथ समान उत्तराधिकारी बनाया गया था और अब लड़की को भी पुत्र के साथ समान उत्तराधिकारी बनाया गया है। यदि पुत्र नहीं है, तो लड़की और विधवा को सम्पत्ति का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त होगा। कुछ सीमा तक यह उपबन्ध क्रांतिकारी है और कुछ सीमा तक पहली विधि में सुधार है।

संयुक्त परिवार में भाई अपनी बहन को शिक्षा दीक्षा देता था और उसका विवाह करता था, परन्तु अब उसे हिस्सा दे दिया गया है। इसमें क्या आपत्ति है ?

अतः सभा ने किसी शास्त्र का खण्डन नहीं किया और उचित विधि को ही पारित किया है। मनु के पश्चात् पाराशर ने परिस्थितियों के अनुसार हिन्दू विधि में परिवर्तन किया, और उसके पश्चात् समयानुसार अनक परिवर्तन होते रहे। अब इस सभा ने उन सब महर्षियों का स्थान ले लिया है और बहनों तथा पुत्रियों की कठिनाइयों को दूर करने तथा उनमें संरक्षण की भावना पैदा करने के लिये यह वांछनीय विधि पारित की है। सब हिन्दू सदस्यों को संतोष अनुभव करना चाहिये कि उन्होंने एक ठीक कदम उठाया है।

पहले विधवाओं की आवश्यकता पूरी करने के लिये सम्पत्ति को बेचने के लिये अनेक झंझट करने पड़ते थे और बड़ा धन खर्च होता था। अब उन्हें पूर्ण स्वामित्व का अधिकार देकर इस कठिनाई को दूर कर दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

पहले अपनी पैदा की हुई सम्पत्ति में लड़की को हिस्सा लेने का हक था, परन्तु अब संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में भी, मरने वाले के हिस्से में से, लड़की को हिस्सा दिया गया है और संयुक्त परिवार की सम्पत्ति को कायम रखा गया है। अतः इस बारे में भी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिये।

जिस ढंग से सभा ने इस विधेयक को पारित किया है उसके लिये सब को गर्व होना चाहिये। सब सदस्यों को प्रसन्न होना चाहिये और किसी को भी शिकायत का अवसर नहीं होना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि यह विधेयक शीघ्र से शीघ्र विधि बन जायेगा। अब मैं इस प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, ९ मई, १९५६ के साढ़े दस बजे तक के लिये स्थगित हुई।

———

दैनिक संक्षेपिका

[मंगलवार, ८ मई, १९५६]

विषय **पृष्ठ**

सदस्य की रिहाई ३२०७

अध्यक्ष ने लोक-सभा को बताया कि उन्हें कलकत्ता के मुख्य प्रेसीडेन्सी दण्डाधिकारी से एक पत्र मिला है जिसमें बताया गया है कि श्री तुषार चटर्जी, संसद् सदस्य, ५ मई, १९५६ को मुकदमे से बरी कर दिये गये हैं और इस न्यायालय ने प्रेसीडेन्सी जेल के सुपरिन्टेन्डेन्ट को आदेश दिया है कि उन्हें रिहा कर दिया जाय ।

सदस्यों का बन्दीकरण ३२०७

अध्यक्ष ने लोक-सभा को बताया कि उन्हें सेंट्रल जिला, कलकत्ता के पुलिस उपायुक्त से एक तार मिला है जिसमें बताया गया है कि ७ मई, १९५६ को १५-१५ बजे (दिन के सवा तीन बजे) भारतीय दण्ड संहिता की धारा १४३/१४५/१८६ के अधीन हेयर स्ट्रीट थाना, मुकदमा नं० ४५८ तथा पश्चिम बंगाल सुरक्षा अधिनियम की धारा ११ के अधीन श्री भजहरि महाता और श्री चेतन माझी, संसत्सदस्यों को बन्दी बना लिया गया है । वे प्रेसीडेन्सी दण्डाधिकारी के समक्ष लाये गये थे और जेल भेज दिये गये ।

विधेयक पारित ३२०७–७७

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक पर खण्डवार विचार और आगे जारी रहा । शेष खण्ड स्वीकृत हुए तथा विधेयक संशोधित रूप में पारित हुआ ।

बुधवार, ९ मई, १९५६ के लिये कार्यावलि–

संयुक्त समिति को संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक का सौंपा जाना तथा कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार-व्यवस्था) निगम विधेयक ।

P.L.S. 31. IV. 60. 56
190

भारत सरकार मुद्रणालय, फ़रीदाबाद में मुद्रित तथा लोक-सभा सचिवालय द्वारा लोक-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम (चौथा संस्करण) के नियम ३९२ तथा ३९५ के अन्तर्गत प्रकाशित ।

१९५८